लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 34, नौवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 27, सोवार, 14 दिसम्बर, 1987/23 अग्रहायण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	4—13
राज्य सभा से संदेश	13
भूमि से छोड़े जाने वाले मध्यम और अल्प दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने के बारे में 8 दिसम्बर, 1987 को सोवियत संघ के महासचिव श्री गोर्बाचोव और अमरीकी राष्ट्रपति श्री रेगन के बीच हुए समझौते के संबंध में वक्तव्य	13—18
श्री के० नटवर सिंह	
अलकाक ग्रशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	18
सती (निवारण) विधेयक,—पुरःस्थापित	19—20
17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच० के० एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	20—92
श्री रामधन	21
प्रो० मधु दण्डवते	26
श्री एस० जयपाल रेड्डी	30
श्री बी० आर० भगत	31
श्री शरद दिघे	35
श्री शिवराज वी० पाटिल	38
श्री आरिफ मोहम्मद खां	43
श्री सोमनाथ रथ	46
श्री सैफुद्दीन चौधरी	48
श्री पी० शिव शंकर	50
श्री दिनेश गोस्वामी	57
श्री राज कुमार राय	60

विषय		पृष्ठ
	श्री भोलानाथ सेन	62
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	64
	श्री एच० के० एल० भगत	68
नियम 377 के अधीन मामले		92—95
(एक)	लद्दाख सेक्टर में चल रही इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं में सीटों के प्राथमिकता आधारित आवंटन की व्यवस्था की पुनरीक्षा करने की मांग	
	श्री पी० नामग्याल	92
(दो)	महाराष्ट्र के भण्डारा जिले के लिए दुग्ध क्रांति लाने हेतु अधिक धनराशि प्रदान करने की मांग	
	श्री केशव राव पारधी	92
(तीन)	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कतिपय गांवों की परस्पर अदला-बदली के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग	
	श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	93
(चार)	बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए सिंचाई योजनाओं हेतु प्राथमिकता के आधार पर धनराशि आवंटित करने मांग	
	श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	93
(पांच)	भुवनेश्वर (उड़ीसा) के समीप चाण्डक में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने के लिए शीघ्र मंजूरी देने की मांग	
	श्रीमती जयंती पटनायक	94
(छः)	पूर्वी गोदावरी जिले में होप आइलैंड और पिचीकला लंका को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की मांग	
	श्री श्रीहरि राव	94
(सात)	मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में विजयपुर-करहल में एक राष्ट्रीय उद्यान विकसित करने की मांग	
	कम्मोदी लाल जाटव	95
(आठ)	कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए नए साल में फसल के मौसम से लेकर खाद्य तेलों के आयात को सीमित करने की मांग	
	श्री कादम्बुर जनार्दनन	95
प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक		95—107
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री नारायण दत्त तिवारी	95

विषय		पृष्ठ
	श्री माधव रेड्डी	98
	श्री हरीश रावत	104
	श्री नारायण चौबे	107
जिन घटनाओं और परिस्थितियों के कारण फेयरफैक्स ग्रुप इंकारपोरेटेड के साथ व्यवस्था की गई, उनकी जांच संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा		107—215
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	109
	श्री भागवत झा आजाद	118
	प्रो० मधु दण्डवते	131
	श्री के०के० तिवारी	144
	श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	154
	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	161
	श्री अमल दत्त	166
	श्री पी० चिदम्बरम	171
	श्री विद्याचरण शुक्ल	180
	श्री पी० आर० कुमारमंगलम	201
	श्री नारायण दत्त तिवारी	209
कार्य मंत्रणा समिति		215
	सैंतालीसवां प्रतिवेदन	

लोक सभा

सोमवार, 14 दिसम्बर, 1987/23 अग्रहायण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : क्या समस्या है, महोदय ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि उर्वरक संयंत्रों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त लागत आई है जिसके परिणामस्वरूप देश को सैकड़ों करोड़ रुपए का घाटा हुआ है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए । ऐसे थोड़े ही हो सकता है। आप लिखकर दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बात कर रहा हूं । आप सारे लोग शोरगुल क्यों कर रहे हैं ? मैंने एक को एलाऊ किया है ।

श्रीमतीजी, आप से भी बात करूंगा । आप शोर क्यों कर रहे हैं ?

ऐसा है कि आप मुझे लिखकर दे दीजिए । आपने जो दिया वह एलाऊ नहीं किया है । आप मुझे दे दीजिए, मैं पता करवा लूंगा अगर कोई ऐसी चीज है ।

[अनुवाद]

इसके बाद मैं अनुमति दूंगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है । हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनकार कब किया है ? मैंने इनकार नहीं किया है । मैंने तो यही कहा है कि आप मुझे दे देंगे तो पता करवा कर कालिंग-अटेंशन दे दूंगा ।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत ही गंभीर मामला है । हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखकर करूंगा ।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कल ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें मत किया करो । जो भी होगा करवा दूंगा ।

[अनुवाद]

मैं पता लगाऊंगा और आपको बता दूंगा ।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे पंजाब में जो एस० एस० पी० ये मि० त्रार और मि० गिल, इन दो की हत्या कर दी गई है । इस तरह से पंजाब में जो आंतक बढ़ रहा है, मैं चाहती हूं उस पर रोक लगे । इस बारे में सख्त कार्यवाही की जाए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं ज्यादा दिन तक न चलें । (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, हम सूखे की स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं; और रेल लाइनें बिछाने···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । मुझे नहीं पता । अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय अध्यक्ष : नहीं, नहीं । अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है; अनुमति नही है; अनुमति नहीं है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले को नहीं उठा सकते। कृपया बैठ जाइए। रिकार्ड मत कीजिए। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सेहत खराब मत कीजिए।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप गला क्यों खराब करते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करूंगा, अगर कोई चीज है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखबार में तो आता रहता है। अब किसने खर्च किया है और क्या खर्च किया है।

[अनुवाद]

मुझे नहीं पता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, मेरे पास एक प्रस्ताव है जिसे मुझे पहले लेना है, अर्थात् यह विशेषाधिकार प्रस्ताव। लेकिन पहले मैं सभा पटल पर पत्र रखवाऊंगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चक्कर में पड़े हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं जानते, कर्नल साहब ।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

श्री नरसिंह राव ।

11.06 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय खेल प्राधिकरण का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

मानव संसाधान विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतील खेल प्राधिकरण के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5392/87]

इलायची व्यापार निगम सीमित के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचाएं, भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 1986-87 के तथा फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आरगेनाइजेशन्स के वर्ष 1958-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(एक) इलायची व्यापार निगम सीमित के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इलायची व्यापार निगम सीमित का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5393/87]

(2) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : —

(एक) मत्स्य और मत्स्य-उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1987, जो 1 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 876(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) डिब्बा-बन्द मत्स्य और मत्स्य-उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1987 जो 1 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 877(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) मेंढक की प्रशीतित टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1987 जो 1 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 878(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) का०आ० 2651, जो 3 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निरीक्षण फी को पूर्णांकित करने के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 5394/87]

(3) (एक) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5395/87]

(4) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ओरगानाइजेशन्स के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ओरगानाइजेशन्स के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5396/87]

हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1983-84 और 1984-85 के तथा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1983-84 और 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जीलिंग के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 5397/87]

(दो) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जीलिंग के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 5398/87]

(तीन) हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जीलिंग के वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 5399/87]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5398/87]

(3) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 5399/87]

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 5400/87]

(तीन) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 1983-84, 1948-85 तथा 1985-86 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०5399 और 5400/87]

लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : डा० जी० एस० ढिल्लों की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद के वर्ष 1976-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5401/87]

नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन आदि और इन पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5402/87]

भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5403/87]

प्रधान मंत्री की वेंकूवर यात्रा के दौरान उनके साथ गए पत्रकारों के बारे में आतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के दिनांक 23 नवम्बर, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : मैं (एक) प्रधान मंत्री की वेंकूवर यात्रा के दौरान उनके साथ गए पत्रकारों के बारे में श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा उठाए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के 23 नवम्बर, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला

तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5404/87]

प्रकाशस्तम्भ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और मारमुगाव गोदी श्रमिक बोर्ड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

जल मू-तल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रकाशस्तम्भ (लाइटों का हटाया जाना तथा भवनों के ढांचों तथा वृक्षों की ऊंचाई को कम करना) नियम 1987, जो 27 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 938(अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5405/87]

(2) (एक) मारमुगाव गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5406/87]

(दो) मारमुगाव गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5407/87]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम तथा सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत खाते (दूसरा संशोधन) नियम, 1987, जो 2 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 948(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5408/87]

(2) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इन्दिरा विकास पत्र (चौथा संशोधन) नियम, 1987, जो 3 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 956(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5409/87]

(3) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन

बीमा निगम के 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5410/87]

गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति के वर्ष 1985-86 के और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1986-87 के तथा संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5411/87]

(3) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5412/87]

(4) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5313/87]

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5413/87]

(6) (एक) राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5414/87]

(7) मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5415/87)]

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-विज्ञान संस्थान का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : श्री आर०के० नारायणन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-विज्ञान संस्थान के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5416/87]

केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान, जालन्धर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 461 के दिनांक 8 दिसम्बर, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान, जालन्धर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान, जालन्धर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5417/87]

(2) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के बारे में श्री परसराम भारद्वाज द्वारा उठाए गए

तारांकित प्रश्न संख्या 461 के 8 दिसम्बर, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5418/87]

भारतीय चाय व्यापार निगम के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारतीय पैकेजिंग संस्थान का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजने दासमुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम सीमित के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम सीमित का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5419/87]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5419/87]

(3) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5420/87]

(4) इलायची बोर्ड, कोचीन के 1 अप्रैल, 1986 से 25 फरवरी, 1987 तक की अवधि के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5421/87]

गोआ शिपियार्ड लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के तथा हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 1986-87 कार्यकरण की समीक्षा तथा उनके वार्षिक प्रतिवेदन आदि

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5422/87**]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5423/87**]

(ग) (एक) मझगांव डाक लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) मझगांव डाक लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5424/87**]

(घ) (एक) भारत डायनैमिक्स लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत डायनैमिक्स लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5425/87**]

(ङ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5426/87**]

(च) (एक) रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 5427/87**]

संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी आवास पर कब्जों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4472 के दिनांक 7 दिसम्बर, 1987 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं (एक) संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी आवास पर कब्जों के बारे में श्री मानवेन्द्र सिंह द्वारा उठाये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4472 के 7 दिसम्बर, 1987 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5407/87]

11.08 म० पू०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1987 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 दिसम्बर, 1987 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने का और यह बताने का निदेश हुआ है, कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

11.09 म० पू०

भूमि से छोड़े जाने वाले मध्यम और अल्प दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने के बारे में 8 दिसम्बर, 1987 को सोवियत संघ के महासचिव श्री गोर्बाचोव और अमरीकी राष्ट्रपति श्री रेगन के बीच हुए समझौते के सम्बन्ध में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : प्रधान मंत्री ने 9-12-1987 को संसद के दोनों सदनों में महासचिव गोर्बाचोव और राष्ट्रपति रीगन के बीच मध्यम दूरी की नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र संधि पर वाशिंगटन में 8-12-87 को हस्ताक्षर करने के बारे में वक्तव्य दिया था। राज्य सभा में इस बारे में कुछ और स्पष्टीकरण देने के लिए किए गए अनुरोध पर प्रधान मंत्री ने सदन को

यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही एक विस्तृत वक्तव्य दिया जाएगा। उस आश्वासन को पूरा करने के लिए मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं।

इस संधि में 500-5500 कि० मी० की दूरी तक मार करने वाले भूमिगत सभी मध्यम दूरी और कम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों को समाप्त करने की व्यवस्था है जो विश्व में दोनों पक्षों द्वारा कहीं भी तैनात किए गए हों। इस संधि में दोनों पक्षों पर यह पाबंदी भी लगाई गई है कि भविष्य में वे इस तरह के प्रक्षेपास्त्र भी नहीं बनाएंगे। इसमें इस बात का भी निषेध है कि दोनों में से कोई भी पक्ष न तो मध्यम दूरी अथवा कम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों का उत्पादन करेगा, न उनका उड़ान परीक्षण करेगा और न ही उनके लिए अवस्थान या लांचर तैयार करेगा,।

मध्यम दूरी की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को तीन वर्ष की अवधि में दो चरणों में और कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को एक चरण में 18 महीने की अवधि में समाप्त किया जाएगा। इस संधि के अन्तर्गत समाप्त की जाने वाली मध्यम दूरी की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली में अमरीका की परशिंग-11 और भूमि से छोड़े जाने वाले क्रूस प्रक्षेपास्त्र और सोवियत संघ के एस० एस०-20, एस० एस०-4 और एस० एस०-5 प्रक्षेपास्त्र आते हैं। कम दूरी की प्रणाली में आने वाले प्रक्षेपास्त्र हैं—अमरीकी परशिंग-1ए और सोवियत संघ के एस० एस०-12 और एस० एस०-23। इस संधि में प्रक्षेपास्त्रों, लांचरों, सहायक संरचनाओं और सहायक उपकरणों को समाप्त करने की विशिष्ट वचनबद्धता और प्रक्रिया की व्यवस्था निहित है।

यह संधि एक असीमित अवधि के लिए है। लेकिन कोई भी पक्ष इस संधि से अलग हो सकता है यदि वह यह निर्णय कर ले कि संधि से सम्बद्ध असाधारण घटनाओं के कारण उसका ज्यादा बड़ा हित खतरे में पड़ गया है।

इस संधि की एक अभूतपूर्व विशेषता यह है कि इसमें निरीक्षण की व्यापक व्यवस्था है जिसमें स्थल निरीक्षण भी शामिल है, ताकि इस बात पर निगाह रखी जा सके कि इसका अनुपालन किया जा रहा है। इस संधि के साथ सम्पन्न एक प्रोतोकोल में सहमत स्थल निरीक्षण करने की प्रक्रिया निहित है जिसमें अल्प सूचना निरीक्षण और निरन्तर निगरानी रखना शामिल है।

सबसे पहले दोनों पक्षों को प्रक्षेपास्त्रों के विशिष्टीकरण और रख-रखाव के बारे में आंकड़ों के प्रारम्भिक विनिमय को सत्यापित करने के लिए समझौता ज्ञापन की सूची में दिये गये सहमत स्थलों का संधि लागू हो जाने के बाद तीन महीने के भीतर-भीतर स्थल निरीक्षण किए जाने का अधिकार होगा।

दूसरे इस संधि में दोनों पक्षों द्वारा प्रक्षेपास्त्रों और लांचरों को नष्ट किए जाने के लिए उन विशिष्ट स्थलों का, जिन पर वे समापन के लिए एकत्रित किए जाएंगे, निरीक्षण किए जाने की व्यवस्था है।

तीसरे प्रक्षेपास्त्रों, लांचरों, उपकरणों और सहायक सुविधाओं की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों को यह देखने के लिए स्थल निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि निषिद्ध कार्रवाई वास्तव में बन्द हो गई है।

चौथे, संधि में दोनों पक्षों के लिए एक आवासी निरीक्षक प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था है जिससे कि एक दूसरे के प्रदेश में प्रक्षेपास्त्रों की सुविधाओं पर निरन्तर निगाह रखी जा सके ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि इन सुविधाओं से मध्यम दूरी का नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र सम्बन्धी कोई काम नहीं लिया जा रहा है। इस सन्धि में ऐसे निगरानी स्थल तय किए गए हैं जहां मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र अभी तैयार किए जाते हैं और ऐसे स्थल भी जहां अभी लम्बी दूरी के प्रक्षेपास्त्र तैयार किए जाते हैं लेकिन जिनका इस्तेमाल मध्य दूरी के प्रक्षेपास्त्र तैयार किए जाने के लिए भी किया जा सकता है।

इस सन्धि के लागू होने के बाद 13 वर्षों तक अमरीका और सोवियत संघ को प्रत्येक वर्ष सहमत स्थलों का विशिष्ट संख्या में तत्काल सूचना देकर निरीक्षण करने का अधिकार होगा। निरीक्षण के राष्ट्रीय तकनीकी साधन को सन्धि के निरीक्षण कार्य का अनुपालन करने के लिए एक प्रमुख पद्धति के रूप में प्रयोग जारी रहेगा। दोनों पक्षों में एक दूसरे के निरीक्षण के राष्ट्रीय तकनीकी साधनों में हस्तक्षेप न करने और राष्ट्रीय तकनीकी साधन द्वारा एक दूसरे की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट कदम उठाने का वचन दिया है।

अमरीका और सोवियत संघ के बीच अपने नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों को सीमित करने के बारे में बातचीत दिसम्बर, 1981 में जेनेवा में शुरू हुई थी। यह बातचीत नवम्बर, 1983 के बाद स्थगित हो गई थी जब सोवियत संघ इस बातचीत से इसलिए हट गया था क्योंकि अमरीका और "नाटो" ने पश्चिम यूरोप में परशिंग-11 और भू-आधारित क्रूस प्रक्षेपास्त्रों को तैनात करने का निर्णय ले लिया था। यह बातचीत दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई सहमति के परिणामस्वरूप जनवरी, 1985 में फिर शुरू हुई। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई सहमति की बातचीत का उद्देश्य यह था कि "अन्तरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने और इनको भूमि पर समाप्त करने, नाभिकीय अस्त्रों को सीमित तथा कमी करने के उद्देश्य से प्रभावी करार किया जाए।" "इसके अलावा दोनों पक्षों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि इस बातचीत के जरिए नाभिकीय अस्त्रों की हर जगह पूरी तरह से समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।"

अमरीका और सोवियत संघ के बीच रिकजेविक में अक्तूबर, 1986 में हुई शिखर बैठक के दौरान दोनों नेता एक दूरगामी करार के बहुत समीप आ गये थे जिससे सभी नाभिकीय अस्त्रों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक रास्ता प्रशस्त हो सकता था लेकिन यह समझौता इसलिए नहीं हो सका कि अमरीका अपने सामरिक रक्षा पहल कार्यक्रम पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध स्वीकार करने को तैयार नहीं था और सोवियत संघ इस बात पर जोर दे रहा था कि रिकजेविक की उसकी पेशकश एकमुश्त सौदा है और इस पर टुकड़ों-टुकड़ों में विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता।

इस वर्ष फरवरी में सोवियत संघ ने यह घोषणा की कि वह "आई० एन० एफ०" पर बातचीत को एस० डी० आई० कार्यक्रम पर पाबन्दी लगाने की अपनी मांग से अलहदा करने को तैयार है जिससे मध्यम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों पर समझौता होने के आसार बढ़ गए।

सोवियत संघ इस बात के लिए भी राजी हो गया, जो वह पहले मांग कर रहा था, कि यूनाइटेड

किंगडम और फ्रांस के नाभिकीय शस्त्रागारों को भी इस बातचीत की परिधि में शामिल किया जाना चाहिए। बाद में अमरीका ने यह सुझाव दिया कि इस सन्धि में कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र भी शामिल किए जाने चाहिए। सोवियत संघ ने जुलाई, 1987 में उसकी यह मांग मंजूर कर ली। अंततः सोवियत संघ इस बात के लिए भी राजी हो गया कि निषेध के क्षेत्र का विस्तार यूरोप से बढ़ा कर सारे संसार में कर दिया जाना चाहिए। यह बात अमरीका ने इस इरादे से कही थी कि उसके कुछ मित्र देशों के मन का यह वहम दूर हो जाए कि यूरो-प्रक्षेपास्त्रों पर संधि हो जाने से दबाव कहीं और बढ़ जाएगा। सोवियत संघ के "सार्वभौम दोहरा शून्य" प्रस्ताव के साथ मध्यम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों पर सन्धि का रास्ता साफ हो गया हालांकि बहुत सी समस्याएं सुलझनी बाकी थीं, खासतौर पर वे जिनका ताल्लुक निरीक्षण से तथा उनके विनाश की गति और समय-रूपरेखा से था। विस्तृत बातचीत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की चिन्ताओं-आशंकाओं का ख्याल किया और सन्धि पर अंततः समझौता करने के लिए आवश्यक रियायतें दीं।

इस सन्धि का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह पहला मौका होगा जबकि तैनात नाभिकीय अस्त्रों की संख्या में कमी आएगी और नाभिकीय अस्त्रों का एक वर्ग पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले दो महाशक्तियों के बीच सिर्फ नाभिकीय अस्त्रों के मौजूदा शस्त्रागारों के विस्तार की सीमा मात्र तय की गई थी। इसके अतिरिक्त यह सन्धि इस बात को भी प्रतिपादित करती है कि अगर राजनीतिक इच्छा-शक्ति हो तो "नाभिकीय प्रतिरोध" जैसी आवश्यक सैद्धांतिक बातें अथवा निरीक्षण जैसी तकनीकी समस्याएं नाभिकीय निरस्त्रीकरण के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकतीं। हालांकि इस सन्धि में बहुत सीमित संख्या में नाभिकीय अस्त्र आते हैं यानी दोनों महाशक्तियों के पास मिलाकर 58000 के लगभग उपलब्ध शस्त्रों में से सिर्फ 2000, लेकिन इसका जो राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व है वह संख्या से बहुत ऊपर है। इससे नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में कहीं अधिक दूरगामी कदम उठाने की संभावनाएं खुलती हैं और अन्ततः इस सन्धि से दोनों महाशक्तियों के बीच के सम्बन्धों में जो सुधार प्रतिलक्षित होता है उसका निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और सुरक्षा के सामान्य वातावरण पर एक सुप्रभाव पड़ेगा।

मध्यम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों से सम्बद्ध यह सन्धि, इसमें निहित निरीक्षण की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये प्रावधान दोनों महाशक्तियों के बीच पारस्परिक विश्वास पैदा करने में और अन्य वर्गों के नाभिकीय अस्त्रों को समाप्त करने के समझौते करने में बहुत सहायक होंगे।

जैसाकि सदन को मालूम है, अपनी स्वतंत्रता के समय से ही भारत ने नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को बहुत महत्व दिया है। यह हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रहा है। 1954 में ही प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी तभी से हम व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के जबरदस्त समर्थक रहे हैं। हमारा यह विश्वास है कि नाभिकीय शस्त्रागारों के गुणात्मक आशोधन और सतत् आधुनिकीकरण को रोकने की दिशा में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम होगा। 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वह संकल्प पारित कराने में भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसमें घोषणा की गई थी कि नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग

मानवता के विरुद्ध अपराध है। हमने नाभिकीय अस्त्रों की होड़ को रुकवाने और नाभिकीय युद्ध को रोकने से सम्बद्ध अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत करने में भी पहल की है। ये प्रस्ताव, जिसमें नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग न करने और नाभिकीय अस्त्रों की स्थिति यथावत रखने से सम्बद्ध प्रस्ताव भी शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष-दर-वर्ष संकल्पों के रूप में भारी बहुमत से स्वीकार किए गए हैं।

इस तरह हम मध्यम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों की सन्धि को नाभिकीय निरस्त्रीकरण के विषय में अपनी नीति की अभिव्यक्ति मानते हैं। अगर हम ये दावा करें तो अनुचित न होगा कि हमने, अन्य गुटनिरपेक्ष और तटस्थ देशों तथा संसार भर के शांतिप्रिय लोगों के साथ मिलकर नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में नाभिकीय निरस्त्रीकरण के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनकी इस सन्धि को सम्पन्न कराने में कोई मामूली भूमिका नहीं रही है।

इसलिए हमने खुद और "छह राष्ट्रों की पहल" के एक सदस्य के रूप में भी इस महत्वपूर्ण घटना का स्वागत किया है। 18 सितम्बर, 1987 को वाशिंगटन में अमरीकी विदेश मंत्री और सोवियत विदेश मंत्री की एक बैठक के बाद जब इस विषय पर सिद्धान्तरूप में समझौता हुआ था हमने तभी इसका स्वागत किया था। इसके कुछ समय बाद ही इस समझौते को "अपने समान लक्ष्य अर्थात पूर्ण नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहला कदम" की संज्ञा से अभिहित करने में हम "छह राष्ट्रों की पहल" के नेताओं के साथ थे। इसके अतिरिक्त 7 दिसम्बर को शिखर सम्मेलन से पूर्व "छह राष्ट्रों की पहल" के नेताओं ने राष्ट्रपति रीगन और महासचिव गोर्बाचोव को प्रेषित एक संयुक्त सन्देश में यह आशा व्यक्त की कि इस शिखर बैठक से एक ऐसी भावना जन्म लेगी जिसमें कहीं अधिक दूरगामी निरस्त्रीकरण समझौते शीघ्रतापूर्वक तैयार और सम्पन्न किए जा सकेंगे।

अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस सन्धि के बाद नाभिकीय अस्त्रों में और महत्वपूर्ण कटौती की जाएगी और क्या इस तरह अन्ततः वे सब समाप्त कर दिए जाएंगे। कहा जाता है कि सामरिक नाभिकीय अस्त्रों में 50 फीसदी कमी करने के समझौते की संभावनाएं अच्छी हैं और इस बात की भी, कि स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से एक सहमत समय-अवधि के लिए ए० बी० एम० सन्धि को आगे बढ़ाया जा सके। बहरहाल अगर इतना भी हो जाए तो भी नाभिकीय अस्त्रों वाले राज्यों के कब्जे में नाभिकीय अस्त्रों के बहुत बड़े भण्डार शेष बचे रहेंगे।

मध्यम दूरी के नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों की सन्धि के दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार करते हुए हाल की कुछ प्रवृत्तियों से हमारा चिन्तित होना स्वाभाविक है। इस सन्धि से नाभिकीय अस्त्रों के एक वर्ग का तो सफाया हो जायेगा लेकिन नाभिकीय अस्त्रों की होड़ में कमी आने के कोई आधार नहीं दिखाई देते। नाभिकीय युद्धोपकरण की अन्तरिक्ष-बाहु को विकसित करने के प्रयास बराबर जारी हैं। इसके साथ ही नये-नये आक्रामक नाभिकीय शस्त्रास्त्र विकसित किए जा रहे हैं और उन्हें पैनाया जा रहा है। प्रौद्योगिकीय शस्त्र-होड़ बेरोक-टोक जारी हैं और इस होड़ में नाभिकीय और परम्परागत दोनों तरह के हथियार आते हैं।

हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि नाभिकीय निस्त्रीकरण की दिशाओं में इस मामूली

किन्तु ऐतिहासिक कदम से विनाभिकीयकरण के भय की चीखें पैदा हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे नाभिकीय अस्त्रों से युक्त अन्य राज्यों ने माध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की संधि का स्वागत तो किया है लेकिन अपने इस संकल्प पर बल दिया है कि वे अपने-अपने स्वतन्त्र "नाभिकीय प्रतिरोधक" रखेंगे।

इस तरह यह साफ है कि नाभिकीय अस्त्रों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में हमारी यात्रा बहुत लम्बी और बहुत कठिन होगी। लेकिन नए उत्साह और विश्वास के साथ इस यात्रा पर चलते रहने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त संसार के अपने चिर-प्रतीक्षित लक्ष्य की दिशा में अपने सभी साधनों के साथ निरन्तर बढ़ता रहेगा। "छह राष्ट्रों की पहल" निरस्त्रीकरण, और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के विशिष्ट विषयों पर संयुक्त राष्ट्रसभा आगामी विशेष तीसरे अधिवेशन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनथक रूप से कार्य करेंगे।

नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करते हुए हमें नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त समाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी सोचना होगा। यही वजह है कि महासचिव गोर्बाचोव को प्रेषित अपने बधाई सन्देश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज संसार में जरूरत इस बात की है कि रवैये बदलें, नीतियां बदलें, प्रथाएं बदलें और एक नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त, हिंसा से मुक्त संसार का अभ्युदय हो जैसाकि दिल्ली घोषणा में प्रतिपादित है। इसके साथ ही उन्होंने नाभिकीय अस्त्रों से युक्त और नाभिकीय अस्त्रों से विहीन दोनों वर्गों के राष्ट्रों का आह्वान करते हुए कहा कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गम्भीरतापूर्वक बातचीत करें।

11.20 म०पू०

अलकाक एशडाऊन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अलकाक एशडाऊन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलकाक एशडाऊन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जे० वेंगल राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 2, दिनांक 14-12-87 में प्रकाशित।

11.21 म०पू०

सती (निवारण) विधेयक*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सती होने के और उसके गौरवान्वयन के अधिक प्रभावी निवारण के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सती होने के और उसके गौरवान्वयन के अधिक प्रभावी निवारण के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

———

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : महोदय, पश्चिम बंगाल में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न होती जा रही है ।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के 75,000 कामगार आज हड़ताल पर चले गए हैं । **(व्यवधान)**

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों में काम करने वाले कामगारों ने हड़ताल कर दी है । **(व्यवधान)** महोदय, वहां पर पूरी तरह भेदभाव बरता जा रहा है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दें ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : यह एक बहुत गम्भीर स्थिति है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के कामगारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनके साथ भेदभाव कैसे किया जा सकता है ?

(व्यवधान)

*भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 2, दिनांक 14-12-87 में प्रकाशित ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप चर्चा की अनुमति दें । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप तो लीडर हैं, क्या कर रहे हैं । आपको शर्म नहीं आती ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए । मैं बोल रहा हूं । बैठ जाइए । मैं बोल रहा हूं । बैठ जाइए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं । बैठ जाइए । आप क्या कर रहे हैं । कुछ तो शालीनता दिखाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमें कुछ लिख कर दे सकते हैं । बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

11.25 म० पू०

17 नवम्बर, 1987 को सभा में श्री रामधन और श्री राज कुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतंत्रता का दमन करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच० के० एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 17 नवम्बर, 1987 को सभा में श्री रामधन और श्री राज कुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री श्री एच० के० एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचनाएं सर्वश्री रामधन, के० पी० उन्नीकृष्णन, एस० जयपाल रेड्डी, प्रो० मधु दंडवते और श्री विद्याचरण शुक्ल ने दी हैं । जिसमें मामले को सभा में उठाने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 222 के अधीन मेरी अनुमति मांगी गयी है ।

सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा संसदीय कार्य मंत्री की तत्सम्बन्धी टिप्पणियों पर विचार करके मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति देता हूं।

श्री रामधन अब सभा की अनुमति मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामधन (लालगंज) : आप सीधे प्रिवीलेज कमेटी को भेज सकते है।

अध्यक्ष महोदय : आप रूल पढ़िए, मैंने तो ठीक किया है। आपकी कमेटी है, आप रूल मूव कीजिए।

[अनुवाद]

आपने मुझसे अनुमति मांगी और मैंने सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् सभा में इस मामले को उठाने की अनुमति दे दी है।

श्री रामधन : मैं, श्री एच० के० एल० भगत, संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। अतः आप आगे बढ़ें।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे अभी भी कांग्रेस (आई) में हैं···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसका कांग्रेस (आई) के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह मात्र सभा की सदस्यता का प्रश्न है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव में विशेषाधिकार के अलावा किसी अन्य बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री रामधन : मैंने स्पष्टीकरण देखा है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामधन जी आप यह कहेंगे—

[अनुवाद]

कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 17 नवम्बर, 1987 को सदन में सर्वश्री राम धन और राज कुमार राय को व्हिप जारी किए जाने सम्बन्धी मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए···

प्रो० मधु दण्डवते : प्रक्रिया की दृष्टि के आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं। आपने उन्हें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है···

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह प्रश्न उठाना है···

प्रो० मधु दण्डवते : वह प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहते···

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार से यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। उन्हें यह निवेदन करने का अधिकार है···**(व्यवधान)**

श्री रामधन (लालगंज) : मैंने श्री भगत द्वारा दिया गया "स्पष्टीकरण" देखा है। उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।

लोक सभा में "हंगामा" श्री के० के० तिवारी द्वारा असंसदीय टिप्पणियां की जाने और मेरी तरफ आक्रामक रूप में बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई। आपके विनिर्णय का कोई प्रश्न नहीं था। अध्यक्ष-पीठ द्वारा की गई प्रत्येक टिप्पणी विनिर्णय नहीं होती है। अध्यक्षपीठ द्वारा सोच-विचार कर कोई लिखित विनिर्णय दिए जाने के पश्चात यदि सदस्य स्पष्टीकरण हेतु उसकी पुनरीक्षा का अनुरोध कर सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा अपनी टिप्पणियों पर पुनर्विचार किए जाने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। मुख्य विचारणीय बातें निम्नलिखित हैं :

(1) क्या संविधान तथा प्रक्रिया नियमों में कोई ऐसा प्रावधान है जो दलों के सचेतकों को सदस्यों के वाक-स्वातंत्र्य पर अंकुश लगाने का अधिकार देता है ? नहीं, संविधान और नियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जो दलों के मुख्य सचेतकों को ऐसा अधिकार प्रदान करता हो। इसके विपरीत अनुच्छेद 105 में सदस्यों को वाक्-स्वातंत्र्य सुनिश्चित किया गया है।

(2) संविधान में "दल" और "सचेतक" शब्दों का कोई जिक्र नहीं है। 52वां संशोधन तथा उसके द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची में "सभा", "विधानमंडल दल", "मूल व्हिप" शब्दों की परिभाषा दी गई है। इसमें उसे ऐसा कोई व्यक्ति अथवा प्राधिकारी बताया गया, जिसके दल द्वारा इस निमित्त, अर्थात् मतदान करने अथवा मतदान में तटस्थ रहने के सम्बन्ध में निदेश देने हेतु प्राधिकृत किया जाए। यदि यह जान भी लिया जाए कि सचेतकों को उपरोक्त प्राधिकार है, तो भी उनका क्षेत्राधिकार मत-विभाजन के दौरान मतदान तक सीमित है और इसका संविधान और प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत सदस्यों को दिए गए अधिकारों का प्रतिलंघन करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

(3) श्री एच० के० एल० भगत ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने किस मत-विभाजन के सम्बन्ध में यह 'व्हिप' जारी किया है। सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं था और कोई मत-विभाजन नहीं होने जा रहा था। विशेषाधिकारों, अवमान और अनुशासन संबंधी मामलों में कोई 'व्हिप' नहीं होता है।

(4) सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार अध्यक्ष को है। सभा का नेता अथवा मुख्य सचेतक किसी सदस्य को निलंबित करने का प्रस्ताव भी तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक कि अध्यक्ष किसी सदस्य को अभद्र व्यवहार करने के कारण नाम लेकर न पुकारे।

(5) श्री एच० के० एल० भगत ने वाद-विवाद के विनियमन में अध्यक्षपीठ की सहायता के लिए सचेतकों द्वारा उन्हें दी गई सदस्यों की सूचियों का उल्लेख किया है। यह केवल सुविधा के लिए है। इससे 'सचेतकों' को विरोधी विचारधारा व्यक्त करने से रोकने का अधिकार नहीं मिल जाता है। वास्तव में, पिछले सत्र से यही किया जा रहा है। हमें 'हाउस आफ कामन्स' के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। विन्सटन चर्चिल ने प्रायः टोरी दल की विचारधारा के भिन्न मत रखते थे। फिर भी, जब भी वह और उनके साथी और समान विचारधारा वाले सदस्य बोलना चाहते थे, तो वे आसानी से अध्यक्ष की अनुमति से बोल सकते थे। यहां, सत्ता रूढ़ दल के सदस्यों को, जो किसी विधेयक अथवा प्रस्ताव पर सरकार के विचारों से सहमत नहीं हैं, मुख्य सचेतक द्वारा बोलने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सदन में इस प्रकार की तानाशाही का कोई औचित्य नहीं है।

(6) 'व्हिप' मत-विभाजन के समय सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं, वे दल के सभी सदस्यों को बिना किसी अपवाद के जारी किए जाते हैं। कुछ सदस्यों को ही एक ऐसे विषय पर 'व्हिप' जारी करना, जिस पर मतदान या मत-विभाजन न हो रहा हो, 'व्हिप' का मजाक बनाना है।

(7) श्री एच० के० एल० भगत ने प्रसंग को छोड़कर अंश उद्धृत किए हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री के० के० तिवारी और अध्यक्ष महोदय के बीच हुई मुख्य बातचीत के अंश जानबूझकर छोड़ दिए हैं। श्री आरिफ मोहम्मद खान और हम में से कुछ सदस्यों ने श्री के० के० तिवारी द्वारा मेरे बारे में कहे गए कुछ अभद्र शब्द सुने हैं और उन्हें मेरी तरफ आक्रामक रूप में बढ़ते हुए भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, शोर-शराबे कारण श्री के० के० तिवारी द्वारा कहे गए शब्दों को नहीं सुन पाए परन्तु उन्होंने श्री के० के० तिवारी को मेरी ओर बढ़ते हुए देखा है। कार्यवाही वृत्तान्त के पृष्ठ 4362 (17 नवम्बर, 1987) में निम्नलिखित शब्द कहे गए दिखाए गए हैं, जिन्हें श्री एच० के० एल० भगत ने छोड़ दिया है :

> "**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह सुन नहीं पाया कि वह क्या कह रहे हैं। परन्तु मैंने उन्हें उनकी ओर आक्रामक रूप में बढ़ते हुए देखा है···
>
> **(व्यवधान)**
>
> **प्रो० के० के० तिवारी** : मैं आक्रमक रूप में नहीं बढ़ा। मैं तो बाहर जा रहा था और उनसे तर्क कर रहा था कि 'यदि आपके यह विचार हैं, तो सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का कोई फायदा नहीं। आप उस तरफ जाकर बैठें। मैं तो केवल जा रहा था···**(व्यवधान)**
>
> **अध्यक्ष महोदय** : जो कोई भी ऐसा करता है बात एक ही है···
>
> **(व्यवधान)**
>
> **प्रो० के० के० तिवारी** : आपको याद है जब वे सभी विपक्षी सदस्य आगे बढ़े···"

इस मौके पर श्री एच० के० एल० भगत हस्तक्षेप कर सकते थे और श्री के० के० तिवारी को रोक सकते थे। ऐसा करने की बजाय उन्होंने अपना अनुचित 'व्हिप' जारी कर दिया और उसकी स्वयं सदन में घोषणा की।

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

(8) पूरा रिकार्ड देखने से पता चलेगा कि मैं अध्यक्षपीठ की अवहेलना नहीं कर रहा था। मैं अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा हुआ था (पृष्ठ 4368-69)। वास्तव में, मेरे बोलने के बाद अध्यक्ष ने मेरी यह बात मान ली कि मैंने सभा में कोई असंसदीय बात नहीं कही थी (पृष्ठ 4376)। अध्यक्ष ने यह भी स्वीकार किया था कि उन्होंने श्री के० के० तिवारी को मेरी ओर आक्रमक रूप में बढ़ते हुए देखा था। बाद में उन्होंने श्री के० के० तिवारी का यह स्पटीकरण स्वीकार किया कि उनका किसी को धमकाने की कोई मंशा नहीं थी (पृ० 4380)।

कुछ सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जोर दिया कि श्री के० के० तिवारी क्षमा मांगें जैसाकि उस दिन इससे पहले श्री आरिफ मोहम्मद खान के मामले में स्पटीकरण देने के बावजूद किया गया था और अध्यक्ष महोदय श्री के० के० तिवारी के मामले में भिन्न मानदंड न अपनाएं (पृ० 4384-85)। श्री इन्द्रजीत गुप्त, कई अन्य विपक्षी सदस्यों और कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने जोर दिया कि श्री के० के० तिवारी से माफी मांगने को कहा जाए। इस मौके पर सारे विवाद को समाप्त किया जा सकता था यदि श्री एच० के० एल० भगत ने श्री के० के० तिवारी से इन्द्रजीत गुप्त के सुझाव पर माफी मांगने को कह दिया होता (पृष्ठ 4398)। श्री गुप्त ने कहा था :

'श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे एक मिनट के लिए श्री तिवारी का स्थान लेने दें, अर्थात् आप मान लें कि मैं तिवारी बोल रहा हूं, मैं उपहास नहीं कर रहा हूं, तो मैं इस प्रकार कहूंगा :—

> "हालांकि श्री रामधन को धमकाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, परन्तु अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि मैं इस प्रकार बढ़ा, जिससे ऐसा लगा कि मैं धमकाने की मुद्रा में बढ़ा हूं। मैं ऐसा मालूम देने के लिए क्षमा चाहता हूं।"

यह सर्वोत्तम बात है, जो वह सम्मानपूर्वक कर सकते हैं। समस्त सभा इसे सहर्ष स्वीकार करेगी। इसमें बुरा क्या है ?'

इस पूरे वाद-विवाद के दौरान मैंने न तो अध्यक्षपीठ की बात का उल्लंघन किया है और न ही किसी नियम को भंग किया है। किसी भी स्थिति में, सभा में सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार अध्यक्ष को है न कि सचेतकों को। श्री एच०के०एल० भगत ने यह व्हिप जारी करके स्पष्ट रूप से अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मुझे डराने और श्री के० के० तिवारी, जिन्होंने मेरे प्रति आक्रमक रूप अपनाया, जैसे सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना है।

अंत में मैं कौल और शकधर द्वारा लिखित प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिडयर (द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 118-120) और 'मेज' पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस; 20वां संस्करण, पृष्ठ 2.4 का और 'व्हिप' के संबंध में उनकी व्याख्या और सदन में मत-विभाजन से उनके सम्बन्ध में उनमें व्यक्त किए विचारों का हवाला देता हूं। व्हिप सदस्यों को यह बताने के लिए जारी नहीं किए जा सकते हैं कि वे काफी न पीएं अथवा टोपी न पहनें। न ही 'व्हिप' सदस्यों को पोलियस्टर का सफारी सूट पहनने के लिए मजबूर करने के लिए जारी किए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने तेजकिरण बनाम संजीव रेड्डी के मामले में घोषित किया है कि संसदीय शासन प्रणाली का सार यह है कि लोगों के प्रतिनिधियों को कानूनी

परिणामों के डर के बिना अपने विचार प्रकट करने की आजादी होनी चाहिए। वह जो कुछ कहते हैं वह संसदीय नियमों के अनुशासन, सदस्यों की सदाशयता और अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अधीन होना चाहिए।

सचेतकों के अधिकारों और कृत्यों के बारे में सभा द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और न ही सभा के नियमों में उनका उल्लेख है क्योंकि 'व्हिप' जारी करना दलों का आन्तरिक मामला है।

माननीय अध्यक्ष का सभा की प्रक्रिया तथा कार्यवाही पर नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार है, हालांकि इस बारे में सर्वोच्च अधिकार सभा के पास ही है (ये—पृष्ठ 442 तथा कौल-शकधर—पृष्ट 92), अन्य कोई भी व्यक्ति सभा का प्रक्रियाओं अथवा कार्यवाही को नियंत्रित अथवा विनियमित नहीं कर सकता और किसी विधि अथवा नियम के अन्तर्गत व्हिप जारी करने की शक्ति किसी को नहीं दी गई है।

चैम्बर्स शब्द कोष (1949 संस्करण) में 'व्हिप' की परिभाषा यह दी गई है "जो राजनीतिक दल की उपस्थिति सुनिश्चित करता है" जबकि आक्सफोर्ड स्पोर्टर शब्द कोष (दूसरा संस्करण) इसकी परिभाषा यह है "संसद में मत-विभाजन के लिए किसी दल के सदस्यों को भाग लेने के लिए बुलाना"। किसी भी विधि अथवा प्राधिकार के अधीन व्हिप सदस्यों को अनुशासित की शक्ति स्वयं नहीं ले सकता और सभा के भीतर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता जहां सारे अधिकार माननीय अध्यक्ष के पास हैं। अन्य मामलों में व्हिप जारी करने के सम्बन्ध में सभा की गरिमा बनाए रखी जाती है। मेरे विचार से जो श्री भगत ने उत्तर दिया है उससे उनके द्वारा सभा की और अवमानना की गई है क्योंकि उन्होंने अपने दल के सदस्यों को सभा में माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति में सदस्यों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाई है। सभा में भाषण की अभिव्यक्ति के मेरे अधिकार को दबाने का यह उनका स्पष्ट प्रयास था। यदि व्हिप इस प्रकार सदस्यों को सभा में किसी मामले में बोलने अथवा न बोलने के लिए निर्देश जारी करता है तो सदस्यों के संवैधानिक अधिकार मजाक बनकर रह जाएंगे।

इस स्थिति में मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले को विचार के लिए तथा उस पर निर्णय करने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने सूचना दी हुई है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा नाम पुनः लिया गया है।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, मैं आपको कहूंगा, आप बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने बोलने के लिए अपने नाम का निवेदन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपको बोलने दूंगा । श्री उन्नीकृष्णन सभा में नहीं हैं । अब प्रो० दण्डवते बोल सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं सबसे पहले आपको पूर्ण आदर के साथ यह बताऊंगा कि संसद के बनने से अब तक पहली बार मुख्य सचेतक की कार्यवाही से उत्पन्न विशेषाधिकार का प्रश्न सभा के समक्ष आ रहा है ।

मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस गम्भीर मामले पर जो विशेषाधिकार का प्रश्न का आधार है, पर सावधानीपूर्वक विचार करें ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैंने इसे आपके हवाले किया है ।

प्रो० मधु दंडवते : हां, सभी विविध मामले हैं किन्तु सबका एक ही विषय है ।

महोदय, देश के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) हमें देश में भाषण की स्वतंत्रता देता है । किन्तु इस अधिकार के बावजूद उस पर अनुच्छेद 19(2) द्वारा नागरिकों द्वारा प्राप्त इस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं । महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संसद सदस्य को भाषण की जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह आम नागरिकों को संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय-तीन के अन्तर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता से भिन्न है । चूंकि अनुच्छेद 19(1)(क) हमें कुछ प्रतिबंधों के अन्तर्गत भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत जो भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है वह निर्बाध है और यह कहा जाता है— पुन: याद कीजिए कि अनुच्छेद 105 में "संसद तथा इसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं" शीर्षक है । महोदय, बहुत समय पहले यह निर्णय किया गया था कि संविधान में अनुच्छेदों के अनुशीर्षक और शीर्षकों में संबंधित अनुच्छेद के संबंध में पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

अनुच्छेद 105 का स्मरण करें उससे "संसद तथा उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां" शीर्षक दिया गया है । इसमें बताया गया है संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया के बारे में नियमों तथा स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में भाषण की स्वतंत्रता होगी ।

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : क्या आप व्याख्या कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : हां, मैं व्याख्या कर रहा हूं । महाराष्ट्र विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष के रूप में कृपया थोड़ा शांति रखिए ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह बहुत ही अनुचित है । यह उचित नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको आदर दे रहा हूं । मैं आपकी राय का सम्मान कर रहा हूं । श्रीमन् वह भूतपूर्व अध्यक्ष हैं ।

दुर्भाग्यवश इस सभा में प्रशंसा को भी गलत समझा जाता है। क्या किया जाए।

श्री विजय एन० पाटिल : यह व्यंग्यात्मक है।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं। इसे इस तरह न लें। यदि यह व्यंग्यात्मक भी है, तो भी इसे सभा में कहने की अनुमति है।

प्रो० के०के० तिवारी : यह एक व्यंग्य है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : कोई बात नहीं। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर नहीं हूं और मेरा स्तर प्रो० तिवारी के स्तर जैसा नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं !

प्रो० मधु दंडवते : हम टूटी-फूटी अंग्रेजी में बोलते हैं। यह इतनी आधुनिक कैसे हो सकती है ? और जब वे बोलते हैं तो दृश्य पूर्णत: बदल जाता है।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रोफेसर से दूसरा प्रोफेसर ?

प्रो० मधु दंडवते : अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत हमें जो भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है वह संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन है और उन सभी नियमों तथा प्रक्रिया और स्थायी आदेशों के अन्तर्गत है जो निर्धारित किए गए हैं। जहां तक संविधान का संबंध है, अनुच्छेद 121 में बताया गया है कि कोई भी सदस्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं करेगा। यह एक प्रतिबंध लगाया गया है।

उसके बाद प्रक्रिया नियमों के नियम 352 में यह बताया गया है कि कोई सदस्य भाषण करते समय—नहीं करेगा—इसे मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने उसे कार्यान्वित कर दिया है—आप किसी भी मामले का अवलोकन करें जिसमें न्यायिक निर्णय विचाराधीन हो आदि आदि। फिर वह उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के आचरण पर नहीं बोलेंगे। केवल वास्तविक प्रस्ताव दिया जा सकता है और मैंने भी वह दिया है। मैंने तीन मूल प्रस्ताव दिए हैं जिनके लिए आपने मुझे अनुमति दी थी। अत: नियम 352 भी भाषण की स्वतंत्रता पर कतिपय प्रतिबंध लगाता है। किन्तु अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत संसद सदस्यों को प्राप्त भाषण की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

महोदय, अब व्हिप का प्रश्न आता है। जहां तक व्हिप का संबंध है, संविधान की दसवीं अनुसूची में इस सम्बन्ध में थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। दल-बदल विरोधी विधेयक के पारित होने के बाद इस अंश में बताया गया है :—

> "(दो) यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, दोनों ही दशाओं में, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान किया है या मतदान करने से विरत रहा है और ऐसे मतदान या मतदान करने से

विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ;"

यह बहुत स्पष्ट है कि जहां व्हिप की शक्तियों के क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है, यह भी मतदान करने, और मतदान करने से तटस्थ रहने से संबंधित है। जब व्हिप के माध्यम से निदेश दिया जाता है तो "व्हिप" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है किन्तु दल के निदेश पर यह प्रयोग किया जाता है। उसका मतलब यह है कि जब मतदान के लिए किसी खास तरीके से व्हिप जारी किया जाता है और यदि मतदान उसके विरुद्ध किया जाए तो यह उसका उल्लंघन है। और उसके अतिरिक्त यदि कोई विधान मंडल का दल उसे क्षमा भी कर देता है तो भी अध्यक्ष उसे अनर्ह नहीं कर सकता। केवल जब वे उसे व्हिप की प्रति भेजते हैं और उसे यह बताया जाता है कि उल्लंघन के कारण इसे क्षमा नहीं किया गया है और उस पर कार्यवाही की गई है तभी आप यह घोषणा करने हेतु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि सदस्य ने संसद की सदस्यता खो दी है। इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है। जहां तक संविधान का संबंध है अनुच्छेद 121 है। जहां अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का संबंध है, इसके लिए केवल नियम 352 है। उसके परिणामस्वरूप हम यह देखते हैं कि इस सभा में भाषण की स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त है वह बाहर नागरिकों को प्राप्त भाषण की स्वतंत्रता की तुलना में निर्बाध है। वह संविधान में किए गए मौलिक अधिकारों से निर्बाध है। संविधान के निर्माता और प्रक्रिया नियमों के निर्माता इस सम्बन्ध में सचेत थे क्योंकि वे चाहते थे कि संसद सदस्यों के लिए कुछ सुविधाएं भी हैं। ये संसद को प्राप्त विशेषाधिकार हैं। अतः इस सभा में हमें भाषण की स्वतंत्रता का जो अधिकार प्राप्त है वह केवल नागरिकों को सभा के बाहर प्राप्त भाषण की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ही नही है, अपितु यह एक विशेषाधिकार है। यह विशेष अधिकार हम इस सभा का सदस्य बन कर प्राप्त कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि यह विशेष अधिकार हमें दिया गया है।

यदि आप 'हाउस आफ कामन्स' में प्रक्रिया नियमों को देखें तो आप देखेंगे कि वे एक कदम आगे हैं। यहां तक कि व्हिप के क्षेत्राधिकार में मतदान नहीं लाया गया है। वहां वे कहते हैं—मैं आपको उन पुस्तकों के नाम बता सकता हूं जिनमें अनेक संसदीय प्रक्रिया पुस्तकों में 'व्हिप' शब्द का उल्लेख किया गया है—वह सभा में केवल महत्त्वपूर्ण मामलों के समय आता है। हाउस आफ कामन्स में यह 'व्हिप' का क्षेत्राधिकार है। यहां हम एक कदम आगे हैं और मतदान को भी इसमें शामिल किया जाता है जोकि व्हिप के निदेश के विरुद्ध मतदान कर सकता है। ये मात्र प्रतिबंध हैं।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने जो अनुरोध किया है संविधान के अनुच्छेद 105 के सम्बन्ध में मेरी व्याख्या से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जहां तक सभा में हमें प्राप्त स्वतंत्रता का संबंध है, यह मुक्त स्वतंत्रता है और जब तक मतदान तथा तटस्थता अन्तर्ग्रस्त नहीं होती तब तक व्हिप बिल्कुल भी जारी नहीं होगा। इस सभा में श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को लिखित रूप में व्हिप जारी किया गया था। जब वे भाषण कर रहे थे तो हमारे संसदीय मंत्री ने सभा पटल में कहा "श्री रामधन, मैं आपको पहले ही व्हिप जारी कर चुका हूं और याद रखिए कि यदि आप इसका

उल्लंघन करेंगे तो आपने यह जानबूझकर किया है, ऐसा माना जाएगा,'' उसका मतलब उन्हें भाषण की स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी देना है। उन्होंने सभा में मौखिक रूप से कहा है और उन्होंने अपने उप मंत्री के माध्यम से उन्हें लिखित रूप में बया दिया था, इस सबसे जाहिर है कि यह श्री रामधन और श्री राजकुमार राय की भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। अतः अनुच्छेद 105 के उपबंधों का और अनुच्छेद 105 द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों का हनन किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से और जानबूझकर सभा और सांविधिक विशेषाधिकार की अवमानना है। इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से यह शक्ति प्राप्त है कि आप इस मामले को सभा में रखे बिना प्रथम दृष्ट्या मामले को स्वीकार करके सम्पूर्ण मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें जैसाकि आपने इससे पहले श्री विद्याचरण शुक्ल के मामले में किया था और विगत समय में अनेक मामलों में ऐसा किया जा चुका है। अतः आप इस जिम्मेदारी को तिलांजलि दिए बिना, इस मामले पर विवेक और सूझबूझ से विचार करके इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। आप इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति की सौंप सकते हैं और इस संबंध में हमेशा के लिए निर्णय किया जा सकता है। हम और आप तो वहां से आते जाते रहेंगे। परन्तु सदन तो कायम रहेगा ही और यदि उसमें भाषण की स्वतंत्रता भी कायम रखनी है तो इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जयपाल रेड्डी बोलेंगे। प्रोफेसर, क्या आपने नियम 225 पढ़ा है ?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने सब कुछ पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आपने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने नियम 105 का जिक्र किया है। मैं सारी बातें लिखकर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 226 का भी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं जो कुछ लिखकर दे चुका हूं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार था कि मुझे निर्णायक और सकारात्मक बातों का ही जिक्र करना चाहिए। इसीलिए मैंने उन सब बातों का हवाला दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि धारा 225 के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है, तो सदन प्रश्न पर विचार कर सकता है और किसी निर्णय पर पहुंच सकता है। अब श्री जयपाल रेड्डी बोलेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने पूर्वोदाहरण का हवाला दिया है। आप निश्चय ही अपनी शक्ति और विवेक का उपयोग करते हुए मामले को सीधे ही विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सदन सर्वोपरि है, यह एक प्रदत्त शक्ति है। मुझे इसका पता है। परन्तु सदन सर्वोपरि है, मैं इस मामले को आपके विवेक पर छोड़ता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : सदन सर्वोपरि है और आपको विवेकाधिकार प्राप्त है।

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्यों करना चाहिए ? ठीक है मैं इसे आप पर छोड़ता हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । यह असाधारण प्रश्न है क्योंकि यह इस देश की सर्वोच्च संस्था के सबसे पवित्र भाग संसद से संबंधित है । जैसाकि प्रो० दण्डवते जी से बताया है, कि संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार की विशेष गारंटी प्रदान की गई है । मुझे वह सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । संसद सदस्य का किसी दल से सम्बद्ध होने के कारण किसी नागरिक से कम महत्व नहीं होता । जैसाकि उल्लेख किया गया है इस देश के नागरिक को भी संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत कुछ युक्ति-युक्त प्रतिबन्धों के अध्यधीन अभि व्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता की गारंटी प्रदान की गई है । निसंदेह कल्पना के आधार पर, युक्ति-युक्त प्रतिबन्धों के अलावा इसका उल्लंघन किया जा सकता है ।

उस दिन दो संसद सदस्यों की अवमानना करके उन्हें इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने का प्रयत्न किया गया था । संसद सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं । उन पर पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है । यह इस संस्था के समुचित कार्यचालन के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसे सत्ता में बहुमत के निर्णय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए । इसे सदन के विभिन्न दलों के परिवर्तनशील बहुमत के सहारे छोड़ना ठीक न होगा । जैसाकि बताया जा चुका है नियम 227 के अन्तर्गत आपको किसी मुद्दे को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का अधिकार प्राप्त है । मैं नियम 227 पढ़ता हूं :—

> "इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा ।"

भारतीय संसद के इतिहास में विशेषाधिकार के हनन का इतना महत्वपूर्ण मामला मेरे विचार से पहले कभी नहीं उठा है । इस प्रश्न पर सभी पहलुओं से विचार किए जाने की आवश्यकता है । उस दिन दो सदस्यों को व्हिप जारी किया गया था । इन दोनों सदस्यों के साथ भेदभाव किया गया । यह व्हिप दल के सभी सदस्यों को जारी नहीं किया गया था ।

दूसरी बात यह है कि मुझे श्री भगत का उत्तर प्राप्त हुआ है । उन्होंने यह तर्क दिया है कि उन्होंने सदस्यों से अध्यक्ष के विनिर्णयों की अवज्ञा न करने के लिए कहा है । अध्यक्ष द्वारा किसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान की गई प्रत्येक टिप्पणी को सीधे ही विनिर्णय मान लिया जाता है अथवा नहीं इस बात की मुझे जानकारी नहीं है । उस दिन आप उनके और अन्य सदस्यों द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में अपनी टिप्पणी कर रहे थे । आपने एक बार तो यही टिप्पणी की थी कि श्री के०के० तिवारी धमकी देते हुए श्री रामधन की ओर बढ़े । बाद में आपने श्री तिवारी और श्री रामधन का स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात यह कहा कि आप चाहते है कि इस प्रकरण को समाप्त मान लिया जाए । मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री रामधन ने श्री तिवारी द्वारा किए गए कथित अभद्र व्यवहार पर जो आपत्ति उठाई थी उसे वापस नहीं लिया है । श्री रामधन ने स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए दूसरे सदस्य द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के प्रति गंभीर रूप से आपत्ति की । इसलिए···

12.00 मध्याह्न

एक माननीय सदस्य : कथित···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कथित, ठीक है। अतः किसी विनिर्णय की अवज्ञा करने का प्रश्न नहीं था। इस सदन में, यह तो स्वतः सिद्ध ही है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार, अध्यक्ष के निदेशों — यहां तक कि नियम 352' समस्त प्रतिबन्धों, अनुच्छेद 121 के अध्यधीन निर्बाध है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इन प्रतिबन्धों को लागू किया जाता है। इसे व्हिप के माध्यम से विनियमित नहीं किया जा सकता है। यदि अध्यक्ष महोदय ने किसी सदस्य की किसी टिप्पणी पर इस आधार पर आपत्ति प्रकट की कि उससे प्रक्रिया नियमों अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन होता है तो यह अलग बात होगी। परन्तु कोई सदस्य, सचेतक व्हिप के रूप में आपत्ति स्वीकार नहीं कर सकता। वह अपनी आपत्ति अध्यक्ष महोदय के ध्यान में ला सकता है। परन्तु इस मामले में उन्होंने प्रकटतः मौखिक रूप से सभा में व्हिप जारी किया। दो वर्ष पहले लागू दल-बदल विरोधी कानून में भी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर रोक नहीं लगाई गई है। मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां के महत्वपूर्ण कथन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब श्री आरिफ मोहम्मद खां कांग्रेस (इ) संसदीय दल के सदस्य थे·····

एक माननीय सदस्य : वे अब नहीं हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस दल से निष्काषित किए जाने से पहले उन्होंने मुस्लिम महिला विधेयक पर विशेष राय व्यक्त की थी जो कांग्रेस (इ) संसदीय दल की विचारधारा के विपरीत थी। जब मतदान का अवसर आया तो उन्होंने व्हिप के अनुसार मतदान किया परन्तु जब अपना मत व्यक्त करने का अवसर आया तो उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया। इस घटना से क्या प्रदर्शित होता है ? इससे यही प्रदर्शित होता है कि सभा के सदस्य की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता निर्बाध है। केवल अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय अथवा आपत्ति द्वारा ही इसे सीमित किया जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। (**व्यवधान**) मतः मेरी राय में यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर सभा में विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय को ही अपने विवेक द्वारा इस मामले पर निर्णय लेना है। अतः मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि आप अपनी शक्तियों के अन्तर्गत इस मुद्दे को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें ताकि इस मामले में अन्तिम निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री बी० आर० भगत।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : अध्यक्ष महोदय···

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उन्होंने विशेषाधिकार के मामले का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने का अधिकार है।

श्री बी० आर० भगत : क्या आप मुझे बोलने से रोकना चाहते हैं ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि आपने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

श्री बी० आर० भगत : माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि यह एक अनूठा अवसर है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जारी व्हिप के कारण विशेषाधिकार का यह मामला उठा है। परन्तु मेरा कहना है कि इसमें विशेषाधिकार वाली कोई बात नहीं है। जो बातें कही गई हैं और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं उससे यह स्पष्ट हो जाएगा। यदि संसदीय कार्य मंत्री ने दो माननीय सदस्यों श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को, उनके द्वारा अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को चुनौती देकर उस पर विवाद कर और उसकी आलोचना कर विशेषाधिकार का हनन करने अथवा सदन की अवमानना करने से रोका भर है तो संसदीय कार्य मंत्री ने उस समय ऐसा किया था। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो सदन और अध्यक्ष को सदस्यों को दण्ड देने का पूरा अधिकार है। मैं कुछ उद्धरण दे सकता हूं। कथित लिखित सूचना अथवा पत्र उन्हें किस विषय पर भेजी गई थी ? मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा। परन्तु जो श्री रामधन ने कहा था मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से उद्धृत कर रहा हूं :—

[हिन्दी]

"अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है। यदि आपकी समझ से कुछ नहीं होगा तो इस तरह हाउस को नहीं चलने दिया जायेगा।"

[अनुवाद]

यह क्या है। समस्त मर्यादाओं को लांघ गये हैं।

[हिन्दी]

फिर इन्होंने कहा—"आप अपनी कलिंग बदलिए।"

[अनुवाद]

उन्होंने चुनौती दी है। ऐसे कई सदस्य हैं और यदि वे नये सदस्य हैं तो भी वे जानते हैं कि सभा में अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय अन्तिम होता है। अध्यक्ष को कोई कारण आदि देने की आवश्यकता नहीं होती है। वाद-विवाद के दौरान सदस्य प्रतिदिन कई बातें पूछते हैं। अध्यक्ष के विनिर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती; अध्यक्ष के विनिर्णय पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकी; अध्यक्ष के विनिर्णय का विरोध नहीं किया जा सकता। किसी विशेष मामले में सदस्य अध्यक्ष महोदय से नम्रतापूर्वक और आदरपूर्वक कोई स्पष्टीकरण मांग सकता है। वह ऐसा कर सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। (**व्यवधान**) ऐसा कुछ नहीं किया गया। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

(**व्यवधान**)

श्री बी० आर० भगत : ऐसी कोई बात नहीं हुई।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बोलिए आप।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए, इनको बोलने दीजिए, पहले इनको बोलने दिया है, अब इनको भी बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राज कुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी व्हिप इशू किया गया था, मुझे भी कहने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुला लेंगे, बैठिए। फ्रीडम आफ स्पीच को कभी कर्ब नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० आर० भगत : स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। मैं आपको केवल यही बता सकता हूं कि आपने स्वयं ही, यदि मैं पूरे सम्मान के साथ उद्धृत कर रहा हूं, माननीय सदस्य से अपील की और मैं उद्धृत करता हूं—

[हिन्दी]

'**अध्यक्ष महोदय** : आपने कहा—"रामधन जी आप तो बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़े सज्जन लगते हैं आप, आप तो कहते थे कि मैं बड़ा भला आदमी हूं। आप कृपा करके बैठ जाइए"।'

[अनुवाद]

महोदय, वह स्थिति इस प्रकार की थी। यदि इसकी अनुमति दे दी जाती, यदि वे अपना तरीका अपनाते तो वे वहां देखते कि सभा की कार्यवाही नहीं हो पाई। वहां न कोई मर्यादा थी न कोई गरिमा। सभा में कोई अनुशासन नहीं था। वहां यह स्थिति थी। स्थिति के बारे में ये तथ्य हैं।

मुझे आश्चर्य होता है माननीय सदस्य अब संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहे हैं। उन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया था। मैं इस मुद्दे पर आता हूं। इस प्रकार की स्थिति में उनका क्या कर्त्तव्य था ? संसदीय प्रणाली में व्हिप पद्धति किस प्रकार की है तथा यह किन परिस्थितियों में जारी होता है ? क्या यह केवल इस सभा में ही, नहीं बल्कि हाउस आफ कामन्स सहित संसद के सभी सदनों में अध्यक्ष का एक निर्देश है अथवा सभा के कार्यसंचालन सम्बन्धी नियम या समय-समय पर दिये गये निर्देश अथवा दी गई व्यवस्था है ? वे कहते हैं कि व्हिप के बिना, व्हिप पद्धति के बिना सभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से, मान और सम्मानित तरीके से नहीं चलाई जा सकती। चैम्बर्स इंग्लिश डिक्सनरी में भी व्हिप की परिभाषा की गई है। इसके अनुसार व्हिप वह पद्धति है जिससे सभा में उपस्थिति और अनुशासन पर बल दिया जाता है। अब माननीय सदस्य यह सवाल उठा रहे हैं जिसे मैं पूर्णतया असंगत मानता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रोफेसर दण्डवते भी, जो संसदीय कार्यप्रणाली के पूर्ण ज्ञाता हैं, इस छलावे में आ गये। संविधान का अनुच्छेद 105 माननीय सदस्य पर प्रतिबन्ध लगाता है और यह बात उन्होंने स्वयं कही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान में निहित समुचित प्रतिबन्धों के अध्यधीन यह एक मौलिक अधिकार है।

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने ओर उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

मुझे इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। भाषण की स्वतंत्रता पर लागू होने वाले समुचित प्रतिबंधों को विभिन्न निर्णयों ने परिभाषित किया है। यह एक सुविज्ञात मामला है।

दूसरे सदस्य श्री जयपाल रेड्डी गलत सूचनाओं के आधार पर इस मामले पर बोले हैं। वे जानते हैं कि उनका कोई मामला नहीं बनता है लेकिन वे दूसरे मामलों को बीच में ले आते हैं। उनका कहना है कि सदस्यों के लिए भाषण का अधिकार मौलिक अधिकार है; लेकिन एक सदस्य के लिए सभा में भाषण का अधिकार अबाध और मौलिक है। उनका इस प्रकार का कहना है। वे आगे बताते हैं तथा स्वयं अपनी बात को काटते हैं कि वास्तव में यह अधिकार सभा की कार्य प्रणाली के नियम एवं विनियमों तथा अध्यक्ष के निर्देशों के अध्यधीन है। उन्होंने ऐसा स्वयं कहा है।

कार्यप्रणाली के नियम क्या हैं ? कोई सदस्य अशोभनीय तरीके से दूसरे सदस्य को सम्बोधन नहीं करेगा। नियम में यह व्यवस्था की गई है कि कोई सदस्य सीधे सम्बोधन नहीं करेगा, उसे दूसरे सदस्य को अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अन्य पुरुष के रूप में सम्बोधन करना होगा। ऐसी प्रक्रिया है। कोई भी सदस्य अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को चुनौती नहीं देगा। कोई भी सदस्य सभा में अव्यवस्था और अनुशासनहीनता की स्थिति पैदा नहीं करेगा।

संक्षिप्त में दो माननीय सदस्यों श्री रामधन और श्री राज कुमार राय द्वारा ऐसा किया जा रहा था। क्या उस समय यह उनका कर्त्तव्य नहीं था ? व्हिप क्या है ? ऐसा कहा जाता है तथा माना जाता है कि व्हिप प्रणाली के बिना—व्हिप सत्ता पक्ष अथवा सरकार के मुख्य सचेतक पर लागू नहीं होता; यह सब पार्टियों के नेताओं, तथा सचेतकों पर लागू होता है—सभा की कार्य प्रणाली नहीं चल सकती। आज सभी को इस तरह की जानकारी है।

आप स्वयं ग्रुप के नेताओं से अपने सदस्यों का अनुशासित करने का अनुरोध करते हैं। सभा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए विभिन्न ग्रुपों द्वारा आपको कार्यसूची प्रस्तुत की जाती है कि उक्त विषय पर कौन सदस्य बोलेगा। आप इससे बाध्य नहीं हैं। अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है कि वह किसे बोलने की अनुमति दे तथा किसे बोलने की अनुमति न दे। लेकिन यह सचेतक ही हैं जो ग्रुप के नेता हैं जो यह जानते हैं कि किन तत्वों को सन्तुष्ट किया जाना है ताकि सभा में कोई अव्यवस्था पैदा न हो। नेताओं की सलाह से अध्यक्ष का मार्गनिर्देशन होता है।

मेरा कहना यह है कि यदि एक सदस्य कहता है कि जब सभा में कोई बात आवेश में उठाई जाती है और जब अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने लगती है, मुख्य सचेतक अथवा उसके सहायक सदस्यों को शांत करने लगते हैं, तो सभा में प्रति दिन व्हिप जारी किया जाता है—क्या इसका अर्थ प्रतिबन्ध लगाना है ? ऐसा सोचना किसी की, किसी सदस्य की, कम या अत्यधिक अनुभवी सदस्यों और नेताओं तथा जन-प्रतिनिधियों की सूझबूझ से बाहर की बात है कि व्हिप पद्धति, जो कई वर्षों के फलस्वरूप विकसित की गई है, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध है जिससे थोड़ा बहुत भय बना रहे।

इससे एक प्रकार की सहायता मिलती है क्योंकि विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा आपको भेजे गए नाम सुझाव के रूप में होते है। इसी प्रकार व्हिप की सारी पद्धति एक प्रकार का प्रतिबन्ध भय और एक हथियार रूप नहीं हैं। यह एक मैत्रीपूर्ण सुझाव का स्वरूप है।

प्रो० मधु दंडवते : ईश्वर का धन्यवाद है। आपातकाल के दौरान सभा में हम नहीं थे।

श्री बी० आर० भगत : क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है, आप मेरे इस कथन से सहमत नहीं हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने केवल यही कहा कि आपातकाल के दौरान मैं सभा में नहीं था।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : जब आप जानते हैं कि आपके कथन में कोई बल नहीं है अथवा आपका कोई मामला नहीं बनता है तो आप ये सब असम्बद्ध बातों को बीच में ले आते हैं।

मैं तो पार्टी के कार्यकरण के बारे में बता रहा था। आपने स्वयं ही अगले दिन टिप्पणी की थी कि व्हिप तो सदस्यों और पार्टियों के बीच का मामला है। ठीक यही बात है।

क्या मैं श्री रामधन जी तथा श्री राज कुमार राय से यह सवाल नहीं कर सकता कि क्या वे कांग्रेस (आई) पार्टी के सदस्य हैं अथवा नहीं ? मैं समझता हूं कि वे अभी भी कांग्रेस (आई) पार्टी के ही सदस्य हैं। वे इसके विरुद्ध बोल सकते हैं और मतदान के अलावा वे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वे अभी भी तकनीकी रूप से, वास्तविक रूप से तथा पूर्णतया पार्टी में ही हैं।

उक्त समस्या मुख्यतः कदाचार से पैदा हुई है—यदि मुझे यह कहने की अनुमति दी जाय··· **(व्यवधान)**··· मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। कृपया बीच में बाधा मत डालिए। मैंने कहा कि सारी समस्या सदस्यों के कदाचार से पैदा हुई है। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और वे सभा का प्रयोग इस तरीके से अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए करना चाहते हैं जो कि इसके प्रतिकूल है। इसलिए जो कुछ संसदीय कार्य मंत्री ने किया वह मैत्री भाव में दी गयी वह सलाह है जब वे देखते हैं कि सदस्य अव्यवस्था पैदा करने की स्थिति में ही नहीं बल्कि सभा की मर्यादा का उल्लंघन करने तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था का उल्लंघन करके सभा की अवमानना करने पर उतारू हो गये हैं। प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि श्री रामधन सभा की अवमानना करने की स्थिति में पहुंच गए थे तथा उस मोड़ पर संसदीय कार्य मंत्री का यह कर्त्तव्य हो गया था और उन्होंने उन्हें अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन करने का सुझाव देकर अपना कर्त्तव्य निभाया। व्हिप क्या है ? मंत्री महोदय का व्हिप एक लिखित पत्र—यह कहता है कि कृपया आप अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन करें। क्या यह प्रतिबन्ध है ?

इसलिए महोदय मैं अपना भाषण यह कहकर समाप्त करता हूं कि यह कोई विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता है। इसमें कोई विशेषाधिकार की बात नहीं आती। संसदीप कार्यमंत्री और व्हिप पद्धति का प्रयोग उचित रूप से किया गया है और आपको इस मामले को तुरन्त अस्वीकार कर देना चाहिए।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के इस तर्क से पूर्णतया सहमय हूं कि अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत भाषण की स्वतंत्रता उन्मुक्त है। यह साधारण नागरिक को दिए गए भाषण की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार की तरह नहीं है। यह विशेषाधिकार के अन्तर्गत दिया

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

गया, अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत दिया गया कुछ विशेष अधिकार के रूप में है और संविधान के उपबन्धों के अनुरूप बनाये गये प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों से नियंत्रित होता है। इसलिए हम न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं करते । हम अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करते । हम असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते तथा हम प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों से बंधे हुए हैं ।

अब इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि क्या उस मौलिक अधिकार पर, जिसका माननीय सदस्य इस सभा में प्रयोग कर रहे थे, कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यही सारी समस्या का मर्म है।

सर्वप्रथम मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री एच० के० एल० भगत द्वारा जारी किए गए तथाकथित व्हिप के शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा । वे कहते हैं कि "श्री रामधन आप अभी कांग्रेस पार्टी में ही हो।" मैं नहीं समझता कि इस पर किसी को कोई आपत्ति है। वे आगे कहते हैं, "मैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में आपसे कह रहा हूं कि आप आगे न बोले तथा अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को स्वीकार करें।" संसदीय कार्य मंत्री ने सदस्य को अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए ही कहा है। क्या ऐसा करना किसी भी तरह भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाना है ? प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य है । उन्हें अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है । उन्हें अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर टीका-टिप्पणी तक करने का कोई अधिकार नहीं है और जब कभी हम अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के विरोध में सदन से बाहर चले जाते हैं तो मेरे विचार में यह भी सदन का अपमान है पर सामान्यत: हम इस बात को बहुत हल्के रूप में लेते हैं। यहां, हमारी पार्टी के एक सदस्य को अध्यक्ष महोदय के निर्णय को चुनौती देने से मना करना बोलने की स्वतन्त्रता पर पाबंदी लगाना है, मेरे विचार में यह सब असंगत है, इसलिए, इससे विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता है। तब वह कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को स्वीकार करो यह व्हिप है। जिसका पालन किया जाना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह व्हिप क्या है ?

श्री शरद दिघे : मैं 'व्हिप' शब्द पर भी आऊंगा लेकिन सदस्य को एकमात्र निर्देश, सलाह और आदेश यह दिया गया है कि वह अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को स्वीकारे । तब बाकी सदस्यों के लिए क्या कहा गया ? उनके लिए माननीय संसदीय कार्य ने कहा है :

"प्रिय श्री राज कुमार राय,

आप अभी भी कांग्रेस दल में हैं। अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय दे दिया है। हम सबको इसे स्वीकार करना चाहिए तथा इसके विरुद्ध आगे नहीं बोलना चाहिए। मैं, मुख्य सचेतक के रूप में आपको यह लिखा रहा हूं। यह एक व्हिप है जिसका पालन किया जाना चाहिए···।"

इसलिए, अंतत:···

श्री एम० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया था ? क्या यह विनिर्णय था ?

···(व्यवधान)···आपने पहले श्री के० के० तिवारी के तथाकथित दुर्व्यवहार के बारे में टिप्पणी

की थी। क्या वह भी विनिर्णय था ?···(**व्यवधान**)···मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने कोई स्पष्टीकरण जारी किया था। (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं अपने माननीय मित्र श्री जयपाल रेड्डी को यह बताना चाहूंगा कि मैं यह बताने के लिए कि अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय, टिप्पणी तथा कथन आदि किसी को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है मैं इस बारे में कौल और शकधर को उद्धृत करूंगा···(**व्यवधान**)···आप नहीं जानते···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखने दें। बहस न करें, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहता हूं श्री जयपाल रेड्डी की तो तोड़-मरोड़ करने की आदत है और वह ऐसा करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार करके पिछली बार आपने जो विनिर्णय दिया था, उस घटना का सदस्य द्वारा कदाचार के रूप में हवाला देना तोड़-मरोड़ है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखें···

श्री शरद दिघे : अगर आप पूरी कार्रवाई देखें तो विनिर्णय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया उसे चुनौती दी जा रही थी शायद वे इसमें संशोधन करवाना चाहते हैं। लेकिन इस विशेषाधिकार प्रस्ताव के हनन की विषयवस्तु संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जारी किए गए दो व्हिप हैं। मैंने इनकी विषय वस्तु पढ़ ली है और यह स्पष्ट है कि वह चाहते थे उनके दल के एक माननीय सदस्य इस निर्णय को चुनौती न दें, विनिर्णय को स्वीकार किया जाए; विनिर्णय का पालन किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अगर हम इस विषय के इन दो पहलुओं पर विचार करें तो इसमें विशेषाधिकार का कोई हनन है।

अब, जहां तक व्हिप की स्थापना का सम्बन्ध है मैं रौलेन्ड यंग के "द ब्रिटिश पार्लियामेंट" अध्याय तेरह से कुछ शब्द उद्धृत करना चाहूंगा :

> "व्हिप की व्यवस्था सरकार की सहायता करते हुए सरकार के क्रियाकलापों पर क्रमवार विचार करने के लिए उन्हें व्यवस्थित करती है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य के लिए योजना बनाना और कार्यों का समन्वयन करना अत्यन्त आवश्यक है···।"

इस प्रकार यह सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और इस उद्देश्य हेतु आदेश, सलाह तथा सदन में आचार व्यवहार के बारे में सदस्यों को निर्देश आदि देने का कर्तव्य मुख्य सचेतक का होता है। जहां तक इस सदन का प्रश्न है इसमें विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

मैंने अक्सर देखा है कि जब भी सदन में हंगामा होता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय सदन के वातावरण को दुरुस्त करने और सदस्यों को निर्देश देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री की सहायता की अपेक्षा करते हैं वह विपक्ष के नेताओं से भी यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपने सदस्यों को नियंत्रण में रखें और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में उनकी सहायता करें इसलिए, दोनों ओर से व्हिप सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में अध्यक्ष की सहायता के लिए होते हैं। इस दृष्टि से अगर सदस्यों को कोई निर्देश दिया जाता है तो विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और न ही बोलने की स्वतंत्रता पर पाबंदी का सवाल उठता है।

मैं इसका दूसरा पहलू भी आपके सामने रखूंगा। संसदीय कार्य मंत्री इसे व्हिप कहते हैं परन्तु मेरा कहना यह है कि कोई दस्तावेज उसे ऐसा नाम देने मात्र से ही दस्तावेज नहीं बन जाता है। यह कानून का आधारभूत नियम है जैसाकि मेरे मित्र श्री अमल दत्ता ने परखा है जब भी हम इसे पट्टा कहते हैं और अगर यह मात्र पट्टा नहीं है तो इस पट्टे का अर्थ कभी पट्टा नहीं हो सकता है। मेरा कहना यह है कि ये सदस्यों को मात्र निर्देश और सलाह हैं और इस व्हिप का कोई अर्थ नहीं है। वह इसे व्हिप कहते हैं, उन्हें ऐसा कहने दीजिए। मैं एक वैकल्पिक तर्क के रूप में यह कहता हूं यह व्हिप नहीं है। यह इस सदन के सदस्य को एक निर्देश और मित्रवत सलाह है कि वे सदन की और अवमानना न करें। अगर वह अवमानना करता है या अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय का पालन नहीं करता है तो सदन की अवमानना करने के लिए उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसलिए सदन की कार्रवाई का सुचारू रूप से चलाने के लिए, यह देखने के लिए कि उसके सदस्य सदन की अवमानना न करें, सदन में सबके समक्ष अन्य सदस्यों की उपस्थिति में सदस्यों को निर्देश या सलाह देने में कोई गल्ती नहीं है। इसमें विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह सारी घटना सदन में सबके सामने और आपकी आंखों के सामने घटित हुई है। मेरे विचार से इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सदन को अपने आप यह निर्णय करना चाहिए कि इस मामले में कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रस्ताव पर विचार न किया जाए।

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, मैं तीन मुद्दों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रही हूं। पहला मुद्दा, तथ्यों से संबंधित है, दूसरा मुद्दा कानून से सम्बन्धित है और तीसरा मुद्दा हमारे द्वारा अपनाए जा सकने वाले मार्ग से सम्बन्धित है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किन परिस्थितियों में यह सलाह दी गई थी ? मेरे से पहले बोलने वाले दो माननीय सदस्यों ने इसे स्पष्ट कर दिया है सदस्य सभाकूप' की ओर तेजी से बढ़ रहे थे तब अध्यक्ष महोदय ने उन्हें उचित व्यवहार करने तथा सदन के वातावरण को बनाए रखने के लिए कहा। उनमें से एक सदस्य कह रहा था कि उन्हें अपने विनिर्णय को बदलना चाहिए। दूसरा सदस्य कह रहा था कि वह सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। ऐसी स्थिति में यदि संसदीय काय मंत्री अपने दल के सदस्यों को उचित व्यवहार करने तथा सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करने का निर्देश देता है तो क्या इसे विशेषाधिकार हनन कहा जा सकता है ? अगर अध्यक्ष महोदय ने कोई विनिर्णय दिया है तो इसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं

कि पीठासीन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सदस्य सदन छोड़कर बाहर चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत उदार हैं। हमेशा पीठासीन अधिकारी नरम रवैया अपनाते हैं और वे कानून का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। लेकिन कानून में यह प्रावधान है कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय विनिर्णय को चुनौती दी जाती है, अगर माननीय अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के विरोध में सदस्य सदन छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो यह विशेषाधिकार का हनन है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें ऐसी व्याख्या की गई है लेकिन हम इसे कड़ाई से लागू नहीं करते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसे सही तरीके से किया जाता है लेकिन कानून की सख्त व्याख्या में इसका प्रावधान है कि विनिर्णय के विरोध में सदन से बाहर निकल जाना विशेषाधिकार का हनन है। माननीय सदस्य, श्री दिघे अभी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसे समय पर भी संसदीय कार्य मंत्री या व्हिप की सहायता ली जाती है जब अनेक सदस्य एक साथ बोलना चाहें और सदन की कार्रवाई में बाधा डालें तब पीठासीन अधिकारी को सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में यह सहायक होते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभा में इस स्थिति की पृष्ठभूमि में दो सदस्यों के विरुद्ध जो कहा गया है हमें उस पर विचार करना है। यदि हम इस स्थिति की पृष्ठिभूमि पर विचार न करें और यदि हम किसी अनुमान अथवा पूर्वानुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाल लें, तो ऐसा करना गलत होगा। हम इन बातों का अनुमान अथवा पूर्वानुमान नहीं लगा रहे हैं, किन्तु हमें उन तथ्यों के आधार पर निर्णय करना है जो इस सभा में उपलब्ध हैं।

कानूनी स्थिति क्या है? प्रो० दंडवते मेरे द्वारा कानूनी पहलुओं का उल्लेख किए जाने का यह कहकर विरोध करेंगे कि मैं अध्यक्ष था। मैं केवल अध्यक्ष ही नहीं था, किन्तु मैं सांविधानिक विधि का विद्यार्थी भी रहा हूं और प्रो० दण्डवते भौतिकी के विद्यार्थी रहे हैं। इससे थोड़ा सा फर्क है।

प्रो० मधु दण्डवते : कानून से कानून में अधिक तीखापन आता है, किन्तु भौतिकी इसे संकुचित बनाती है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : संभवत: भौतिकी से मस्तिस्क बहुत व्यापक हो जाता है और कानून की भी सभी क्षेत्रों में व्याप्ति है।

संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19(1)(क) कहता है:

"सभी नागरिकों को वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होगा···" इस बात पर कोई विवाद नहीं है। अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध लगाए गए हैं:

> "खण्ड (1) के उपखण्ड (क) की कोई बात···जहां तक कोई विद्यमान विधि युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी····"

हमें यह बात बहुत साफ तौर से समझ लेनी चाहिए कि मूल अधिकारों के अध्याय में दिया गया कोई

भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसकी अपनी ही पाबन्दियां और परिसीमाएं हैं। इन प्रतिबंधों और परिसीमाओं को, जो संविधान द्वारा इन अधिकारों पर लगाई गई हैं, समझे बिना संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों के वास्तविक अभिप्राय को समझना कठिन होगा। यह अनुच्छेद कहता है:

> "...भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है; किसी को भी उदण्डता करने के अधिकार नहीं हैं, किसी को सभा की कार्यवाहियों में व्यवधान डालने का अधिकार नहीं है, किसी को ऐसी बातें कहने का अधिकार नहीं है जो संविधान के अधीन नहीं कही जा सकती।

मैं अत्यन्त आदरसहित प्रो० मधु दण्डवते द्वारा की गई अनुच्छेद 105 की व्याख्या का विरोध करता हूं। अनुच्छेद 105 कहता है :—

> "इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद में वाक् स्वातंत्र्य होगा।"

अनुच्छेद 105 कहता है "संविधान के उपबन्धों के अधीन", यह इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अध्यधीन नहीं हैं।

आओ हम 'इस संविधान के उपबन्धों के अध्यधीन' शब्दों के अन्तर को समझने की कोशिश करें। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 19(2) संविधान में एक उपबंध है। इसलिए सभा में सदस्य को प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों के अध्यधीन है। महोदय, हमें यह बात समझ लेनी चाहिए। इसे विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों पर एक और प्रतिबन्ध है। दो प्रतिबंध हैं; एक संवैधानिक प्रतिबन्ध और दूसरा नियमाधीन प्रतिबन्ध है। महोदय ऐसा अनुच्छेद 105 में है और इसे थोड़ा संशोधित किया गया है और संशोधन अनुच्छेद 105(2) में दिया गया है। अनुच्छेद 105(2) इस प्रकार है :—

> "संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और कोई व्यक्ति, संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में इस प्रकार दायी नहीं होगा।"

अनुच्छेद यह है। उपबन्ध यह है। यह अनुच्छेद 105 का अनुच्छेद 19(2) से विभेद करता है। अन्तर सदस्य के अधिकार पर लगाई गई पाबन्दी में नहीं है, किन्तु मामले को न्यायालय में ले जाने पर

प्रतिबन्ध है। यदि कोई सदस्य सभा में कुछ कहता है, तो इस मामले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। किन्तु अनुच्छेद 19(2) कहता है कि अपमानजनक भाषा या प्रयोग नहीं किया जाएगा। महोदय, क्या यह सभा किसी भी सदस्य को सभा में अपमानजनक और अपशब्दों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती है ? मामला न्यायालय में नहीं ले जाया जाएगा, किन्तु मामला निश्चित रूप से पीठासीन अधिकारी के पास ले जाया जाएगा जिसे अन्तिम रूप से यह निर्णय करने का अधिकार है कि क्या सदस्य को प्राप्त अधिकार निरपेक्ष है अथवा उसे प्रतिबन्धित किया जा सकता है अथवा क्या उसने उसका उचित रूप से उपयोग किया गया है। हम इस विभेद को समझ लें।

विशेष बात यह है कि मामले को न्यायायालय में नहीं ले जाया जाएगा किन्तु यह संविधान के उपबन्धों के अध्यधीन, नियमों के अध्यधीन, निर्देशों के अध्यधीन जिन परिपाटियों का पालन किया जाता है, उनके अध्यधीन होगा। क्या सभा में ऐसी कोई परिपाटी है कि सदस्य अपने स्थान से उठकर अध्यक्ष के सामने के खाली स्थान पर जाएं। क्या सभा में ऐसी कोई परिपाटी है कि सदस्य अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या सभा में ऐसी कोई परिपाटी है कि सदस्य उठ खड़ा होने और सभा की कार्यवाहियों में व्यवधान डालने की छूट है ? क्या कोई ऐसी परिपाटी है ? क्या कोई नियम है ? क्या सदस्य को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था का उल्लंघन करने और फिर भी मौलिक अधिकार के लिए दावा करने का अधिकार मिला हुआ है ? इससे भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुचित सीमा तक बढ़ रहा है। इससे भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि हमारा ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण हो जाता है कि भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत हमें कुछ भी करने की अनुमति है। इसका क्या प्रभाव पड़ा है ? जिस समय माननीय सदस्य को टोका गया था, क्या वे उस समय अपने दर्शन का प्रतिपादन कर रहे थे ? क्या वे यह कह रहे थे कि योजनाएं भिन्न तरीके से बनाई जानी चाहिए ? क्या वे यह कह रहे थे कि बजट प्रावधान भिन्न होने चाहिए ? क्या वे कह रहे थे कि कानून भिन्न तरीके का होना चाहिए ? जब उन्हें टोका गया क्या उस समय वह सरकार के दर्शन अथवा नीति की आलोचना कर रहे थे ? उन्हें सभा की कार्यवाहीं में व्यवधान डालने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था की अवमानना करने की अनुमति नहीं दी गई थी। माननीय अध्यक्ष को दो बार सभा को स्थगित करना पड़ा था। क्या हम इस बात को भूल सकते हैं ? क्या हम यह कह सकते हैं कि सदस्य को इस प्रकार का व्यवहार करने का, जिससे सभा कार्य न कर सके और फिर भी सभा में विशेषाधिकार का दावा करने का अधिकार है ? यह बहुत अनुचित है। यह नियम और कानून का घोर उल्लंघन है और इससे संविधि का घोर उल्लंघन होता है। महोदय यदि आप ऐसा करते हैं, तो सभा में व्यवहार अथवा कार्य करना ही अत्यंत दुष्कर हो जाएगा। इसलिए यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उनके किसी भी भिन्न नीति का प्रतिपादन करने पर, विभिन्न नीतियों को सामने रखने पर, कुछ नए विचार सुझाने अथवा सरकार के विचार की आलोचना करने पर टोका होता, तो हमारे लिए यह मानने का अधिकार था कि उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए टोका गया। किन्तु यहां तो स्थिति पूर्णतः भिन्न थी। महोदय, मुझे इन बातों के अलावा अधिक और कुछ नहीं कहना है। अब क्या कार्यवाही की जा सकती है ? माननीय

सदस्य इस मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बोले और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। यदि आप मुझे पूछें, तो मैं आपको यह बताऊंगा। जहां तक संविधान और साथ ही नियमों का संबंध है, मैं नहीं समझता कि हमें कोई संदेह है। हमें ऐसा कहने में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु फिर यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, तो ठीक है इस पर सम्पूर्ण सभा द्वारा निर्णय किया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : और बहुमत द्वारा भाषण की स्वतंत्रता को कुचल दिया जाए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : प्रोफेसर महोदय मैं आपसे आशा करता हूं कि आप एक प्रोफेसर की तरह व्यवहार करेंगे, न कि एक विद्यार्थी की तरह। क्या आप यह कहना चाहते है कि सभा भाषण की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेगी, किन्तु इसकी रक्षा विशेषाधिकार समिति द्वारा की जाएगी ? आपको सभा पर कम और विशेषाधिकार समिति पर अधिक विश्वास है। यह एक अजीब बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे अल्पमत अथवा बहुमत की मनमानियों पर नहीं छोड़ा जा सकता।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह प्रोफेसर की बजाय एक अनाड़ी की व्याख्या जान पड़ती है···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको एक बात बता दूं। आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। किन्तु यह संसद में अल्पमत अथवा बहुमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। उन्हें इस प्रकार अलग रखा गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : विशेषाधिकार समिति न्यायालय नहीं है। हम तथ्यों का पता लगाने के लिए इस मामले को नहीं भेज रहे हैं। यह कोई तथ्यान्वेषी समिति नहीं होगी। प्रश्न केवल संविधान की व्याख्या का है। प्रश्न नीति अपनाने का है और प्रश्न सदस्यों को प्राप्त अधिकारों से सम्बन्धित दर्शन को अपनाने का है। इस मामले का निर्णय करने के लिए संसद की इस सभा से महानतर अथवा उच्चतर निकाय कोई नहीं है। यदि हम इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपते हैं, तो हम इसे एक ऐसी समिति को सौंपते हैं जो संसद की अंग है और इस प्रकार हम मामले को उच्चतम निकाय को नहीं सौंप रहे हैं। इसलिए महोदय, मेरा निवेदन यह है कि नियम 225 के अनुसार, जैसाकि अध्यक्ष महोदय द्वारा उल्लेख किया गया है, यह सभा यहां इस प्रश्न पर विचार करे और निर्णय ले। यदि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता तो नियम 226 में यह उपबंध क्यों किया गया है ? यदि नियम 226 के अन्तर्गत उपबन्ध किया गया है, तो इसका इस महत्वपूर्ण मुद्दे का निर्णय करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इस उपबन्ध का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता है ? माननीय सदस्यों के सदन में स्वतंत्रतापूर्वक बोलने के विशेषाधिकार से बढ़कर और महत्त्वपूर्ण क्या है ? इसका निर्णय सदन द्वारा किया जाना चाहिए। इस मामले को विशेषाधिकार समिति के समक्ष ले जाया जाए ? क्या इस मामले को लम्बा खींचने, इसका प्रचार करने और क्या यह कठिनाइयां पैदा करने के लिए है ? फिर तथ्यों का पता लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तथ्य हम सबके सामने हैं। अतः, इसका निर्णय इस सम्मानीय सभा द्वारा होना चाहिए। इस सम्मानीय सभा में चर्चा के लिए जो

आपत्ति करते हैं, वे वास्तव में विशेषाधिकार, वास्तविक विशेषाधिकार जो माननीय सदस्यों को उपलब्ध है, की सुरक्षा करने के इच्छुक नहीं हैं और उनका कोई निहित उद्देश्य है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपके कहने का यह अभिप्राय है कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपना मामले को लम्बा खींचना है ? क्या इससे विशेषाधिकार समिति की अवमानना नहीं है और विशेषाधिकार का और अधिक हनन है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं केवल यह कह रहा हूं कि विशेषाधिकार समिति संसद का एक अंग है। क्या इस मामले पर इस सम्मानीय सदन में निर्णय लेना उचित नहीं होगा ? इस समस्या को विशेषाधिकार समिति में ले जाना आवश्यक नहीं है। यहां हमें आपके सद परामर्श मिलने का लाभ और सौभाग्य प्राप्त है। यहां हमें आप जैसे सम्माननीय सदस्यों की नेक सलाह लेने का अवसर प्राप्त है। यह लाभ विशेषाधिकार समिति में प्राप्त नहीं होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : और निरंकुश बहुमत भी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : तब तो मामला इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसका निर्णय सभा स्थल पर ही होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : अध्यक्ष जी, आपने विशेषाधिकार की अवमानना के इस प्रश्न पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। श्रीमन्, मैं संसद के वरिष्ठ सदस्यों—श्री भगत, श्री दिघे, श्री शिवराज पाटिल को सुन रहा था और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक ऐसे काम को जो खुले तौर पर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन था, नियमावली के नियमों का उल्लंघन था, उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से बचाव करने की कोशिश की है। श्रीमन्, इससे पहले कि आप अन्दर जाएं उर्दू की एक शेर, जिसको आप भी एप्रीशिएट करेंगे, पढ़ना चाहूंगा :

खिरद को जुनूं कर दिया, जुनूं को खिरद,
जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा-साज करे।

12.45 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

जहां तक उन दलीलों का सवाल है···

श्री अब्दुल गफूर (सीवन) : आप हिन्दी में ट्रान्सलेशन करके इसका मतलब समझा देते।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे यकीन है कि आप के वहां मौजूद रहते हुए, आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे, जो मेरा मतलब है। श्रीमन्, जो दलीलें सत्ता पक्ष की तरफ से रखी गई हैं, इनका मतलब यह है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है या सदन के अन्दर व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, सदन के अन्दर किसी को गैर-संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सदन के अन्दर अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए, अनुशासनहीनता

नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन हमारे संविधान में, हमारी नियमावली में यह दिया हुआ है कि अगर प्रश्न व्यवस्था का आएगा, सदन के अन्दर व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न आएगा, कानूनों, संविधान के प्रावधानों, नियमों के उल्लंघन का प्रश्न आएगा, तो साथ में यह भी दिया हुआ है कि कौन अधिकारी है, जिसको यह अधिकार होगा कि वह इस सदन में व्यवस्था बना कर रखे। सदन के अन्दर अगर किसी सदस्य के ऊपर यह आरोप आता है कि उसने अनुशासनहीनता की है या जैसा माननीय शिव राज पाटिल ने कहा है—

[अनुवाद]

सभा में किसी को भी असंसदीय भाषा प्रयोग करनी की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई सभा के अन्दर असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है और सभा में समस्या पैदा करता है तो क्या उस सम्माननीय सदस्य के पास जाना और उन्हें चुप करने का प्रयत्न करने सम्बन्धी अधिकार श्री शिवराज पाटिल को है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे उन्हें दण्ड देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उन्हें परामर्श देने, उन्हें सलाह देने और उपयुक्त व्यवहार करने के लिए कहने का अधिकार है। **(व्यवधान)** मैं उन्हें दण्डित नहीं कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मैं बुनियादी तौर पर इसी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी नियमावली में बहुत साफ-साफ दिया हुआ है नियम 378 के अन्तर्गत।

[अनुवाद]

नियम 378 इस प्रकार है :

"अध्यक्ष व्यवस्था बनाए रखेगा और अपने विनिर्णय को लागू करने के प्रयोजन के लिए उसे सब आवश्यक शक्तियां होगी।"

मैं एक दल या दूसरे दल के सचेतक (व्हिप) के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं; यह मुद्दा विवादास्पद नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सभा में विनिर्णय को लागू करने के प्रश्न को संबंधित दलों के सचेतकों पर छोड़ा जा सकता है। जी नहीं, महोदय। सभा में व्यवस्था बनाए रखने का जब एक बार प्रश्न होता है, तो यह पूर्णत: अध्यक्ष की शक्ति के अन्तर्गत निहित है, यह अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है; यह पद का विशेषाधिकार है; और यह निश्चित रूप से यह अधिकार, यह शक्ति सचेतक या किसी दल के मुख्य सचेतक को भी हस्तांतरित नहीं की जा सकती।

प्रो० मधु दण्डवते : जब उस समय तक श्री भगत मंत्री नहीं बन जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर भगत जी यह काम आपने हाथ में लेना चाहें, तो हमें कोई

एतराज नहीं है । हम उसका स्वागत करेंगे और उसके बाद भगत जी को व्हिप इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । उस वक्त वे अपनी व्यवस्था देंगे, तो हम खुशी से उसे स्वीकार कर लेंगे लेकिन जब तक आप का प्रोमोशन नहीं होता है, आप वहां से यहां नहीं पहुंचते हैं, तब तक यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे इस सदन को चलाने का काम अपने हाथ में ले लें । यह सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है बल्कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उन अधिकारों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, जो अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के अधिकार हैं, इस सदन के अध्यक्ष के अधिकार हैं । यह जो सूचना दी गई है, यह जो नोटिस दिया गया है, यह इसलिए नहीं कि सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी है बल्कि श्रीमन् आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पर बैठने वाले को संविधान और नियमावली जो अधिकार प्रदत्त करते हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने का यह बुनियादी प्रश्न है । संसदीय कार्य मंत्री बढ़ते हुए एन्क्रोचमेंट, **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

यहां तक कि वह उन शक्तियों को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं जो शक्तियां अध्यक्ष महोदय या उनके पद को दी गई हैं ।

[हिन्दी]

मैंने जो पहली बात कही है, उसके संदर्भ में दूसरी बात कहना चाहता हूं । अगर कोई माननीय सदस्य अनुशासनहीनता करते ही जाते हैं, व्यवस्था बनाए रखने में समस्या पैदा करते हैं तो हमारी नियमावलि में उसका तरीका दिया गया है कि उस सूरत में उस सदस्य को खामोश किया जा सकता है, या सदन की व्यवस्था किस प्रकार से बनाए रखी जा सकती है । यह नियम 374 के अन्तर्गत दिया गया है । श्रीमन् मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं इस नियम को पूरी तरह से पढ़ूं । इसके अन्तर्गत मेम्बर का ससपेंशन भी हो सकता है और विड्रावल आफ द हाऊस भी हो सकता है । इस व्यवस्था को बनाए रखने मैं कैसे और क्या कार्यवाही हो सकती है उसके लिए व्हिप को अधिकार नहीं है । जब तक अध्यक्ष की तरफ से उस सदस्य को इंगित नहीं कर लिया जाता, नेम नहीं कर लिया जाता तब तक हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारे नियम चीफ व्हिप को यह भी अधिकार नहीं देते कि वह सदन के अन्दर किसी सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव को भी रख दे । वह भी तभी रखा जा सकता है जब अध्यक्ष द्वारा इंगित कर लिया जाता है ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : श्री तिवारी इस नियम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : तिवारी जी जरूर जानते होंगे क्योंकि उनका मेंटीनेंस आफ आर्डर से ताल्लुक रहता है, इसके प्रावधान से उनका वास्ता पड़ता रहता है । इसको वे जानते होंगे ।

मेरा निवेदन है कि यह खुल्लम-खुल्ला संविधान के प्रावधानों की अवहेलना है और सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना है । इसके साथ-साथ संविधान और नियमावलि द्वारा अध्यक्ष को प्रदत्त अधिकारों का एनक्रोचमेंट है जो कि संसदीय कार्य मंत्री ने किया है ।

जहां तक इस बात का सवाल है, जैसाकि शिवराज पाटिल जी ने कहा कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को न सौंपा जाए, इसका फैसला सदन के अन्दर ही हो जाए, यह बहुत खुशी की बात है। अगर समितियों से हट कर आज आपको सदन के ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि आप महत्वपूर्ण विषयों पर भी फैसले यहीं कर लेना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप यह रवैया कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी अपना लें। बोफोर्स से सम्बन्धित मामले आपने कमेटी को सौंप दिए हैं। उन मामलों पर भी आप इसी सदन के अन्दर चर्चा करा लें। और बहुत सारे मामले हैं। उन मामलों पर भी आप सदन के ऊपर विश्वास कीजिए और कागजों को यहां आने दीजिए, उन मामलों को यहां आने दीजिए ताकि देश की जनता जान सके। जब आपको सुविधा हो तब आप कमेटी से मामला भेज दें, आपको सुविधा न हो तब आप एतराज कीजिए और कहिए कि इसका फैसला इसी सदन में होना चाहिए।

श्रीमन् हमें इसमें भी कोई एतराज नहीं है लेकिन सभी सदस्यों से, माननीय सदन से मैं आग्रहपूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम सांसद् के विशेषाधिकार के मामलों को दलगत राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। यह मामला केवल रामधन जी का या श्री राजकुमार राय के विशेषाधिकारों की अवहेलना का नहीं है, यह विशेषाधिकार का मामला किसी इंडीविजुअल मेम्बर का नहीं है, बल्कि यह विशेषाधिकार का मामला पूरे सदन का होता है। अगर उस नजर से देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वह घुटन जो अन्दर ही अन्दर बहुत से सदस्यों को महसूस हो रही है, तो नतीजे पर पहुंचने में वह घुटन उन्हें नहीं होगी। उन्हें यह जानने में देर नहीं लगेगी कि यह सदस्यों के सदन के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, एन्क्रोचमेंट हो रहा है, अवमानना हो रही है। इसके ऊपर दलगत दृष्टकोण से देखने की जरूरत नहीं है। बल्कि इसको किसी के विशेषाधिकार, अवमानना के दृष्टि-कोण से देखने की जरूरत है। अगर इस नजर से सोचेंगे तो फिर फैसला देने में देर नहीं लगेगी और फैसला निश्चित ही यह होगा कि यह प्रस्ताव संविधान की भाषा और भावना के अनुरूप है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विशेषाधिकार के मामले पर निर्णय इसके गुणवगुणों के आधार पर होना चाहिए। इस समय, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि अध्यक्ष महोदय इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह स्थिति समाप्त हो गई है। निस्संदेह, अध्यक्ष महोदय स्वत: मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। लेकिन नियम 225 के पश्चात, हमारे पास नियम 226 है। नियम 226 इस प्रकार है :

> "यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दे दी जाए, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी।"

अत: इस समय मामले पर सभा को निर्णय लेना है न कि अध्यक्ष महोदय को। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता संविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित की गई है लेकिन वास्तविकता यह है कि इसे सभा के नियमों

और प्रक्रियाओं द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम अनुच्छेद 105 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार बनाए गए हैं। स्थायी आदेश का अर्थ अध्यक्ष महोदय के स्थायी आदेश से है। हमारे पास माननीय सदस्यों की आचार संहिता भी है। जैसाकि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था है कि एक माननीय सदस्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए ताकि सदन की गरिमा बनी रहे। इसका उल्लेख कौल तथा शकधर द्वारा लिखित 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' पुस्तक के पृष्ठ 96 (अंग्रेजी संस्करण) में यह उल्लेख है :

> "सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए किसी विनिर्णय, अभिव्यक्त मत या दिए गए विवरण की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तथा सदन के भीतर या सदन के बाहर आलोचना नहीं कर सकते है।"

न केवल विनिर्णय का बल्कि अध्यक्ष महोदय की टिप्पणियों और वक्तव्यों की आलोचना सदन के अन्दर या बाहर नहीं की जा सकती है। यह अध्यक्ष महोदय की अवमानना है और सदन की अवमानना है। संसदीय प्रणाली की सरकार में एक दल का संसद के अन्दर अपना आन्तरिक संगठन होता है और यह कार्य मुख्य सचेतक द्वारा किया जाता है। कौल तथा शकधर द्वारा लिखित 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' पुस्तक में यह भी उल्लेख किया गया है, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "इससे उसे (सचेतक) को संरक्षण देने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो दल के सदस्यों को उसके प्रभाव के अन्तर्गत रखने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं···
>
> संसदीय लोकतन्त्र को सुचारू तथा प्रभावी रूप से चलाने में सत्ताधारी दल तथा विपक्ष के सचेतक बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

सम्पूर्ण देश में सचेतकों के सम्मेलन में माननीय सदस्यों के सदन के अन्दर विशेषाधिकार और व्यवहार पर विस्तार से चर्चा की गई है। सम्मेलन का यह मत है कि दोषी सदस्य पर सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों के सचेतकों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः, ऐसी परिस्थितियों में हमें इस मामले पर विचार करना चाहिए। यह मामला ऐसा नहीं है जैसाकि तथाकथित सचेतक के सम्मुख प्रकट हुआ है बल्कि मामला यह है कि क्या कांग्रेस (ई) दल के मुख्य सचेतक द्वारा जारी किया गया तथाकथित व्हिप अवमानना का मामला है। जैसाकि मैं कह चुका हूं कि यह दल की एक आन्तरिक व्यवस्था है। प्रत्यक दल को संसद के अन्दर कार्य करना होगा और सदन की अवमानना से इसका कोई सरोकार नहीं होगा। केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी व्हिप जारी करते हैं। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि तथाकथित व्हिप का उद्देश्य माननीय सदस्य को बोलने से रोकना है। दूसरी ओर, यह अपने ही दल के दो माननीय सदस्यों को स्मरण कराता है—इस बात को नहीं भूलना चाहिए—कि वे स्वयं ही सदन के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप व्यवहार करें और अध्यक्ष महोदय तथा सभा की अवमानना न करें।

1.00 म० प०

अतः इन परिस्थितियों में, हम इस विशेष मामले में अपनी जानकारी या अन्य तथ्य बाहर से

नहीं ले सकते और नही यह कह सकते हैं कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं हैं कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए लेकिन ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है। जैसाकि नियम 226 अन्तर्गत पहले ही कहा जा चुका है कि यह वह सभा है जो अकेली ही निर्णय कर सकती है कि क्या इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजा जाना चाहिए अथवा नहीं। दूसरे, यह बात सुनकर कि क्या कि इसे विशेषाधिकार समिति में भेजने के लिए यह एक प्रथम दृष्टया मामला है, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि यह अन्तर्दलीय मामला है और यह उस मुख्य सचेतक का मामला है जो, यह स्मरण दिलाता है कि सदन के अन्दर माननीय सदस्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो विशेषाधिकार का मामला नहीं हो सकता और इस प्रकार इसे अस्वीकृत कर देना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, यदि सभा चाहती है तो हम दोपहर के भोजनावकाश के दौरान भी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रख सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

श्री एच० के० एल० भगत : जिस विषय पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। वह एक महत्व-पूर्ण विषय है।

प्रो० मधु दंडवते : हम श्री भगत के सुझाव को स्वीकार करते हैं। हम इसे अन्त: पार्टी व्हिप समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दोपहर के भोजनावकाश के दौरान वाद-विवाद जारी रखेंगे। श्री सैफुद्दीन चौधरी बोलें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, इस सभा के सदस्यों को इस सभा में स्पष्ट बातें कहने का निर्बाध अधिकार है और कोई व्हिप उन्हें रोक नहीं सकता है। अब यह कहा गया है कि अध्यक्ष इस सभा में व्यवस्था बनाएं रखने के लिए अधिकतर विभिन्न पार्टियों के सदस्यों की सहायता मांगते हैं और विभिन्न पार्टियों के व्हिप को ध्यान में रखते हैं। अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में बिल्कुल सही हैं और यह व्हिप जारी करने वाले, सरकारी व्हिप तथा सभा में सभी सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे उसका पालन करें। इसमें कोई प्रश्न नहीं कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो उस समय उसे पार्टी के सचेतक द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप में कोई सलाह भेजना उसे अपना कार्य करने से रोकना है, तथा किसी भी सदस्य का यह व्यक्तिगत अधिकार है कि वह उसे स्वीकार करे अथवा न करे; इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब वह मौखिक या लिखित निर्देश एक अकेले सदस्य को भेजा जाता है और वह सदस्य उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तथा यह जोर देता है कि यह विशेष निर्देश कुछ नहीं है बल्कि उसके बोलने के अधिकार को कम करने का प्रयास है। ऐसी स्थिति में जब पार्टी के मुख्य सचेतक श्री भगत ने श्री रामधन को निर्देश दिया तो श्री रामधन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया···

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक व्हिप है, निर्देश नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : व्हिप था या कुछ और। श्री भगत मानते हैं कि यह एक व्हिप था; मैं

इसे व्हिप नहीं मानता लेकिन इस सभा में हम उसी व्हिप को ले सकते हैं जो मतदान करने अथवा मतदान में भाग न लेने अथवा विरोध में मतदान करने से सम्बन्धित हो। इसलिए, यह एक व्हिक नहीं है। परन्तु अपने ही विचार से उन्होंने सोचा कि वह व्हिप के नाम पर उन्हें निर्देश दे सकते हैं। यह उनके मानसिक स्थिति के डिगने का सूचक है और उन्होंने इस सभा में एक छोटे—तानाशाह के रूप में कार्य करने की कोशिश की है तथा यह सत्ता पक्ष, कांग्रेस (इ) पार्टी, को सोचना है कि क्या व्हिप के नाम पर इस प्रकार के हास्यास्पद निर्देश जारी किए जाने चाहिए थे या नहीं। यह एक बात है जिसे मैं कहना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। आप इसे निर्देश, आदेश, व्हिप या कुछ और भी कह सकते हैं। सभा को इस प्रश्न पर विचार नहीं करना है। परन्तु प्रश्न यह है कि जब कोई सदस्य किसी घटना के विरोध में बोल रहा हो तथा अध्यक्ष की मदद मांगता हो या अपील करता हो तो किसी एक सदस्य का गुस्से में उसकी ओर बढ़ना अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी की पृष्ठभूमि से हो सकता है और यदि सदस्य सभा के प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करता है तो यह अध्यक्ष का काम है कि उस पर कार्यवाही करें और इसके लिए व्यापक नियम हैं। सभा में व्यवस्था बनाएं रखने के लिए अध्यक्ष के पास अनेक उपाय हैं। परन्तु इस विशेष सन्दर्भ में जब इस सभा का एक सदस्य, चाहे सचेतक हो या कोई अन्य हो, किसी विशेष सदस्य को यह निर्देश या आदेश देता है कि "तुम अपनी कार्यवाही बन्द करो, तुम मत बोलो", तो यह कुछ नहीं बल्कि उस विशेष सदस्य के अधिकार में दखल देने का प्रयास है। इसलिए, यहां हम सदस्य के बोलने के अधिकार के विशेष प्रश्न पर आते हैं और यदि सदस्य अभद्रता करता है या उसने सभा के किसी नियम का उल्लंघन किया हो तो यह सभा के अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि क्या कार्यवाही की जाए और इस संबंध में कोई विशेष निर्देश या आदेश या तथाकथित व्हिप किसी प्रकार मान्य नहीं होता अथवा अध्यक्ष तथा सभा द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

1.07 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, इस संबंध में ऐसी बात नहीं है कि इस विशेष मामले में सदस्य की स्वतन्त्रता का गंभीर उल्लंघन हुआ है बल्कि सभा का सदस्य होने के नाते सभा में बोलने की स्वतन्त्रता के अधिकार, प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत विषयों पर निर्बाध रूप से बोलने के अधिकार को एक विशेष पार्टी के मुख्य सचेतक ने अपनी सनक में रास्ते से डिगकर उनका गला घोंटने और उन पर रोक लगाने का प्रयास किया है। इसलिए, यह पूरी सभा के लिए चिंता का विषय है। यह सभा की गरिमा के लिए एक चिंता का विषय है। यह सभा के प्रक्रिया नियमों से संबंधित मामला है इसलिए इसे तत्काल विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाए। इस विशेष प्रस्ताव को सभा में पारित न होने देने के अनुदेश देने के लिए सदस्यों को जारी किए जाने वाले व्हिप के मननाने निर्देशों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह सभा के निर्देशों प्रक्रिया और नियमों पर एक और आघात होगा। इसलिए, महोदय, इस सभा की गरिमा तथा सम्मान बचाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें तथा इस विशेष व्हिप के बारे में, जो व्हिप के अर्थ को नहीं जानते, के बारे में अपना

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

निर्णय दें, श्री शरद दिघे ने कहा है कि यह व्हिप नहीं है। महोदय, मेरा भी यही विचार है। हमारे पास इसके अनुरूप नियम हैं। यह व्हिप नहीं है। परन्तु मुख्य सचेतक ऐसा व्हिप कैसे जारी कर सकता है, जो व्हिप नहीं है ? श्री भगत द्वारा ऐसा किया जाना बहुत ही हास्यास्पद बात है। महोदय, सभा की गरिमा बचाने के लिए आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दें। (**व्यवधान**)

योजना मंत्री, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री और विधि तथा न्याय मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : अध्यक्ष महोदय, इस विशेषाधिकार के मामले पर काफी कुछ बातें कही जा चुकी हैं तथा माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद 105 की अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की है। मेरे स्वयं अपने विचारों में यह मामला अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत नहीं आता है। तथापि इस मामले में बहुत कुछ बातें कहीं गई हैं तथा कुछ और भी कही जा सकती हैं, इसलिए मैं कम से कम बोलने की कोशिश करूंगा। विशेषाधिकार हनन वास्तव में क्या है, यह इस मामले से संबंधित है। जिस माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का यह मामला उठाया है उन्होंने बहुत ही सहज ढंग से इसके दो रूप प्रस्तुत किए हैं। एक तो उन्होंने यह कहा है कि "लिखित व्हिप में मुझे अपनी टिप्पणियां न करने की चेतावनी दी गई थी तथा मुझे अध्यक्ष के निर्देश मान लेने का निर्देश दिया गया था।" इसलिए, उन्हें चेतावनी दी गई कि (क) टिप्पणियां न करें और (ख) अध्यक्ष के आदेशों का पालन करें। इसके बाद अगले पैराग्राफ में वे कहते हैं, कि यह स्पष्ट है कि तत्काल मौके पर और केवल मुझे तथा श्री राजकुमार राय को—किन्तु दल के अन्य सदस्यों को नहीं जारी किया गया—व्हिप सभा में मुझे डराने और अभिव्यक्ति की मेरी स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने का सुनियोजित प्रयास था। इसलिए हमें पता लगाना है कि क्या उन्हें अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर टिप्पणी करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। यदि ऐसा है, तो क्या कोई टिप्पणी आदि की गई। इसका पहला भाग यह है।

दूसरा भाग यह है कि क्या इसे माननीय सदस्य की वाक स्वतन्त्रता का दमन करना माना जा सकता है। हमें इन बातों पर विचार करना है। यदि यह वाक स्वातन्त्र्य के अधिकार का दमन है, तो मैं मानता हूं कि यह निश्चय ही प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार के दमन का मामला बनता है।

उस दिन क्या हुआ ? मैं यहां पर नहीं था। मैं समस्त कार्यवाही-वृत्तान्त को नहीं पढ़ूंगा। मैं स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक या दो टिप्पणियों को पढ़ूंगा। पृष्ठ संख्या 4380 के अवलोकन से पता चलता है कि सभा के पुन: समेवत होने पर आपने अपना विनिर्णय दिया। आपने दो माननीय सदस्यों को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया। इसके बाद आपने कहा :

> "मैंने श्री रामधन और प्रो० के०के० तिवारी, दोनों से, दो स्पष्टीकरण सुने और मैं समझता हूं कि कुछ भ्रांति थी। अब मैं समझता हूं कि जैसाकि माननीय सदस्य कह चुके हैं, दोनों में से किसी का भी इरादा बुरा नहीं था;
>
> और न तो श्री रामधन का—क्योंकि उनका रवैया सभा और अन्य माननीय सदस्यों के प्रति सम्मानजनक था; वे कुछ नहीं कहना चाहते थे···
>
> एक बार वे आगे आये, जिस पर मैंने कहा, वे आक्रमक मुद्रा में आगे आ रहे हैं·····।"

उसके बाद कुछ व्यवधान हुए और आपने आगे कहा :

> "मैंने जरूर कहा था, इसीलिए मैंने उनसे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए कहा; और इसलिए इस बीच मैंने इसे स्थगित भी कर दिया। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता था। प्रो० तिवारी ने सदभाव से कहा कि उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी।"

इसके बाद आपने टिप्पणी की :

> "यह सब देखते हुए हमें इसे यहीं समाप्त कर देना चाहिए और मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए।"

मेरा निवेदन यह है कि यही आपका विनिर्णय था। आप सम्पूर्ण प्रकरण को समाप्त कर देना चाहते थे। आपके द्वारा यह निर्देश अथवा विनिर्णय देने के बाद—इसे आप चाहे जो नाम दें; मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता कि इसके लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया जाए—विवाद शुरू हो गया। **(व्यवधान)**

मुझे खेद है; क्या मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : बिल्कुल संसदीय।

श्री पी० शिव शंकर : इसके तुरन्त बाद मैं देखता हूं कि श्री रामधन जी ने कहा—

[हिन्दी]

"अध्यक्ष जी आपने अपना फैसला बदल दिया है।"

[अनुवाद]

मैं केवल यह बताने के लिए इसे पढ़ रहा हूं कि माननीय सदस्य को भी मालूम था कि यह आपका निर्णय था।

[हिन्दी]

"जो फैसला आपने किया"

[अनुवाद]

यह निर्देश था। यह निर्णय था।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने कहा, इसे यहीं खत्म करें।

श्री पी० शिव शंकर : मैं भी यह कह रहा हूं। इसलिए मामले को समाप्त कर देना चाहिए। इस बारे में और चर्चा नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इसे समाप्त समझा जाए।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने यही सोचा था। माननीय सदस्य को "नहीं" कहने का अधिकार था। किन्तु मैं इस बारे में अपना दृष्टिकोण, अपना विचार बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस

प्रकार वे मामले को समाप्त करना चाहते थे; इस विषय पर और चर्चा न हो। किन्तु विवाद चलता रहा।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले माननीय सदस्य का तर्क था कि आपने पहले एक निर्णय दिया और बाद में उसे बदल दिया। ऐसा हो सकता है। किन्तु तथ्य यह है कि विनिर्णय दिया गया था। वे भी जानते हैं कि विनर्णय दिया गया था, आपने निर्णय दिया था। इस प्रयोजन से मैंने कार्यवाही वृत्तान्त का केवल वह भाग पढ़कर सुनाया है। मैं देखता हूं कि यह लगभग 20 पृष्ठों से भी अधिक में चलता गया है। अन्त में जो काफी वाद-विवाद के बाद व्हिप का मामला आया। श्री एच० के० एल० भगत ने तभी इसे जारी किया था। हमें देखना होगा कि वास्तव में इसके निहित पहलू क्या हैं।

"श्री रामधन, आप अभी कांग्रेस पार्टी में ही हैं। कांग्रेस पार्टी का मुख्य सचेतक होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि आप आगे बात न बढ़ाएं और अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय स्वीकार करें। यह व्हिप है जिसका पालन किया जाना चाहिए।"

इसलिए, अब प्रश्न यह है कि उन्होंने किया क्या है ? उन्होंने कहा "देखिए, अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया है", जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया है। सभा में काफी देर तक विवाद चलने के बाद उन्होंने कहा "आज विनिर्णय स्वीकार करें", इस बारे में मेरा विचार यह कि थोड़ी देर के लिए यदि मान लिया जाय कि जब आप दिन प्रतिदिन सभा में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, सभा में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तब यहां बैठे सचेतक सदस्यों से प्राय: बैठ जाने को कहते हैं और मेरा विश्वास है कि यदि हम यह संकीर्ण अर्थ लें, तो जब भी वे ऐसी कार्यवाही करते हैं, वे विशेषाधिकार के हनन के दोषी होंगे। अनेक अन्य अवसरों पर, जबकि माननीय सदस्यों को सही बात कहनी होती है, तब वे कभी-कभी उनसे बैठ जाने को कहते हैं, यहां तक कि मैं भी कहता हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि कोई व्यवधान न हो अथवा उन्हें बैठ जाना चाहिए। मैंने निवेदन किया था कि वह काफी खराब मामला होगा जिसमें किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना पड़े, उस समय मैंने कहा था कि यह अनुच्छेद 105 में दी गई गारंटी के अन्तर्गत मेरा भाषण करने का अधिकार है, जैसाकि प्रोफेसर साहब ने बहुत सही कहा है और उस अवसर पर यदि वे यह कहते तो मुझे निश्चय है कि यदि हम इस संकुचित अर्थ को लेते अथवा यदि आप इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते तो प्रत्येक दिन मुख्य सचेतक और सचेतक विशेषाधिकार का हनन कर रहे होते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यदि आप एक सेकेण्ड मेरी बात सुनेंगे तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। विनिर्णय दिए जाने के बावजूद क्या सदस्य को अध्यक्ष से यह आग्रह करने का अधिकार नहीं है कि आपने जो पहले कहा है हम उसके आधार पर आप से अनुरोध करते हैं कि आप इसकी पुनरीक्षा करें ? मैं एक उदाहरण दूंगा। जब उन्होंने न्यायालीय के विचाराधीन मामलों पर अपना विनिर्णय दिया तो मैंने उन्हें लिखित रूप में यह कहा कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा और उन्होंने लिखित रूप में विनिर्णय दिया। उस स्थिति में उन्होंने कहा कि "मुझे नहीं मालूम कि न्यायालय में कार्यवाही की अवस्था क्या है। अत: मैं मामले का पता लगाऊंगा।" एक तरह से वे इसकी पुनरीक्षा

करेंगे। यदि मैंने अपील नहीं की होती तो मुझे निश्चय है कि ऐसा न करते। इस उदाहरण से पता चलता है कि जब हम अध्यक्ष से अपील करते हैं तो वे हमारी अपील पर अनुकूल विचार करते हैं और फिर वह उस निर्णय की कभी-कभी पुनरीक्षा कर सकते हैं। सभा में यह मौलिक अधिकार है।

श्री पी० शिव शंकर : प्रोफेसर साहब, मैं आप से पूर्णतः सहमत हूं। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं अथवा इस मसले पर आप द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर आपसे बहस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। विनिर्णय की पुनरीक्षा करने हेतु अनुरोध करने का हमारा अधिकार है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मुझे इस भाग को पूरा करने दीजिए ताकि पता चले कि क्या वास्तव में यह मामला बनता था···

प्रो० मधु दंडवते : यह विनिर्णय है।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने कहा है कि यह विनिर्णय है। मेरे विचार में यह एक विनिर्णय है। अब प्रश्न यह है क्या यह पुनरीक्षा चाहने हेतु मात्र एक मामला था अथवा उसके बाद क्या घटित हुआ। मैं सम्पूर्ण घटना का उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं कि क्या हुआ है किन्तु मैं उस अवस्था की ओर आ रहा हूं कि क्या व्हिप जारी किया गया था और उसके बाद क्या हुआ था। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं (**व्यवधान**)। श्री आचार्य, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? उसके बाद उस सबका जवाब दूंगा जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे। इस भाग में मैं अपनी स्थिति अवश्य स्पष्ट करूंगा। मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूं। उन्होंने व्हिप जारी किया है, मैं इसे तथाकथित अथवा आदि-आदि नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इसकी भाषा बोलूंगा। मैं यह कह रहा था कि किसी प्रणाली अथवा तरीके की व्यवस्था नहीं है जिससे पता लग सके कि व्हिप कैसे जारी किया जाता है। इसके अभाव में व्हिप मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। मैं वही बात कह रहा हूं। मान लीजिए कि उससे कहा जाए "कृपया रुकिए" और यदि प्रतिदिन हम यही दृष्टिकोण अपनायें तो हममें से कई, मंत्री भी, जो यहां बैठे हैं, आप हमारे माननीय सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने हेतु आग्रह करेंगे और कहेंगे : "कृपया आगे मत बढ़िए", मुझे निश्चय है कि हममें से एक···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह ठीक है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वह सलाह है। वह ठीक है। इसमें गलत क्या है? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : वह सलाह अन्य दलों के सम्बन्ध में है···(**व्यवधान**)

श्री पी० शिव शंकर : अब प्रश्न यह है कि क्या यह सलाह से हटकर है। आप इसे व्हिप का नाम दीजिए। क्या यह बदलता है? इसका आधार क्या है? (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : शिव शंकर जी, क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं? क्या एक मिनट बोल सकता हूं। किसी सदस्य को, जब वह बोल रहा हो, बैठने के लिए सलाह देना और सदस्य का सचेतक से सलाह प्राप्त करके बैठे जाना ठीक है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यदि कोई सदस्य उस सलाह की अनसुनी करता है उसे बैठ जाने के लिए धमकी भरे स्वर में निर्देश दिए जाते हैं तथा जब वह इस सभा में प्रश्न उठाता है और कहता है "मुझे धमकी दी गई है; मेरे

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

भाषण के अधिकार को रोका दिया गया," तब यह प्रश्न पैदा होता है। यह बहुत ही साधारण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : यहां मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सारे मामले को पढ़ा जाए और यह स्पष्ट मामला है जिसमें वह अध्यक्षपीठ के आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। मैं इस पर बाद में बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष ने स्वयं इस पर विचार किया। मैं उस अंश को पढ़कर सुनाऊंगा। उन्होंने केवल इतना कहा था : "देखिए, आप अध्यक्षपीठ के विनिर्णय का पालन करें। कोई समस्या पैदा मत कीजिए।" उससे पता चलता है कि वह महसूस कर रहे थे कि यहां कोई व्यक्ति अध्यक्षपीठ के विनिर्णय का उल्लंघन कर रहा है और मैं चाहता हूं कि उस सदस्य को···**(व्यवधान)** ठीक है, यह अलग-अलग राय का मामला हो सकता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि श्री भगत ने क्या किया है ? **(व्यवधान)** आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मेरा यहां बिना व्यवधान के अपनी बात कहने का कम से कम थोड़ा अधिकार तो जरूर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं उसे विशेषाधिकार कहा जाएगा।

(व्यवधान)

[**हिन्दी**]

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने व्हिप दिया तो उनके लिए तकलीफ, मैं दूंगा तो मेरा क्या होगा ?

श्री पी० शिव शंकर : प्रोफेसर साहब, आप भी तो व्हिप देते हैं, आपने मुझे कहा।

[**अनुवाद**]

मैं कुछ समय के लिए बोलूंगा। ठीक है···यह आपकी ओर से व्हिप है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई प्रोफार्मा नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है···**(व्यवधान)** मैं यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सभा में यह कैसे हो गया। मुझे दुःख है कि आप इसे पढ़ रहे हैं, आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। कोई भी इसे गम्भीरता से नहीं ले रहा है। किन्तु प्रतिदिन यह घटित हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मान लीजिए कि यदि मैं किसी मामले पर बोलने के लिए उठता हूं और यदि कोई यह कहे : "आप बैठ जाइए"···तो मैं यह मानूंगा कि यह मेरे बोलने के अधिकार में हस्तक्षेप है। स्पष्टतः यह विशेषाधिकार का हनन है···**(व्यवधान)**। इसलिए यह हुआ है। प्रश्न यह है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है । आप सुनिए। आपकी सुनी है, उनकी भी सुन चलो। आपको भी टाइम दे दिया, और की भी सुन लेंगे, कोई बोलेगा तो ।

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : इस सभा में श्री भगत के कहने के बाद, इसे लिखित में देने के बाद जिसमें लिखा है : "देखिए, मैंने व्हिप जारी किया है कि आप अध्यक्षपीठ के विनिर्णय का पालन करें"···अब मैं अगले पृष्ठ पर आऊंगा । मैं केवल एक अंश पढ़ूंगा जिसके बाद आप सभा स्थगित कर सकते हैं, श्री बूटा सिंह ने टिप्पणी की : "कोई भी व्यक्ति अध्यक्षपीठ के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकता है । अध्यक्षपीठ का विनिर्णय सभा की सम्पत्ति होती है और सभी को उनका विनिर्णय अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए," ···अब, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा की गई टिप्पणी पढ़ना चाहूंगा ।

मैं उदधृत करता हूं : "मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में हम कार्य कर सकेंगे । मैं सदस्यों का नाम लेने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकता और मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं । मैं कार्य करना चाहता हूं । मैं सभा की कार्यवाही चलाना चाहता हूं ।

[हिन्दी]

अ: मजबूर करते हैं, आप काम नहीं करने देना चाहते हैं ।

[अनुवाद]

"मैं सभा की बैठक कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।"

मैंने केवल यही अंश पढ़ा है । मैं कह रहा हूं कि आप इतने उत्तेजित हो गए थे । इतने अधिक उत्तेजित थे कि स्थिति बेकाबू हो गई थी । अब मैंने अंश पढ़ दिया है । क्या आप इसे ऐसा मामला कहेंगे जिसमें आप ईमानदारी से और आप नागरिक होने के नाते विनिर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करें अथवा यह कहें कि संबंधित व्यक्तियों ने सभा की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से बाधा पहुंचाई ? इस उद्धरण द्वारा मैं यह जताने का प्रयास कर रहा हूं कि तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें सभा की कार्यवाही में बाधा पड़ रही थी और जिससे विवश होकर अध्यक्ष महोदय को यह निर्णय लेना पड़ा । ऐसी स्थिति में मुख्य सचेतक के रूप में श्री भगत ने अपने सहयोगी को इस आशय का सन्देश जारी किया कि "देखिए, आप सभा के विनिर्णय को स्वीकार करें; स्थिति नियंत्रण के बाहर···**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : किसी सदस्य ने बाधा नहीं पहुंचाई ।

श्री पी० शिव शंकर : यदि आप पूरी कार्यवाही पढ़ें तो पता चलेगा कि श्री रामधन लगातार अवज्ञा कर रहे थे···

श्री बसुदेव आचार्य : वे अपील कर रहे थे···

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

श्री पी० शिव शंकर : आप इसे 'अपील' कह सकते हैं···(**व्यवधान**) इससे यही सिद्ध होता है कि उनका पक्ष इतना कमजोर है कि वे मुझे अपना पक्ष रखने नहीं देंगे···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, हो सकता है उनके कहने का ढंग यही हो। उन्हें बोलने दीजिए। मैंने आपको अवसर दिया था। आप हमेशा व्यवधान क्यों डालते हैं ? आपको ऐसी गलत आदत क्यों पड़ गई है ? आप अच्छे सांसद हैं। आपको क्या हमेशा ऐसा करना चाहिए ?

[**हिन्दी**]

श्री रामधन : अध्यक्ष महोदय, ये मारने दौड़े, हमें रोने का भी हक नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : कह दिया आपने, आप बैठिए।

[**अनुवाद**]

श्री पी० शिव शंकर : वर्तमान संसदीय कानून की यही अवधारणा है कि सभा में व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी पूर्णतया अध्यक्ष की है, और सचेतकों का काम केवल सभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने में अध्यक्ष की सहायता करना है। यह स्थिति स्पष्ट है। मैं वास्तव में उन माननीय सदस्य का आभारी हूं जिन्होंने सभा के दूसरे पक्ष से तर्क दिया। उन्होंने नियम 378 को उद्धृत किया है। उन्होंने सही ढंग से यह बात सभा के ध्यान में लाने का प्रयास किया है कि अध्यक्ष महोदय व्यवस्था कायम करेंगे और उन्हें अपने विनिर्णय लागू करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी—और संक्षेप में आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं जब आपने यह कहा कि "मैंने आपका नाम लिया होता परन्तु मैंने आपका नाम लेना पसंद नहीं किया; आप मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।" ऐसी भावना थी। महोदय, आप इतने उत्तेजित हो गए कि आपको मजबूर होकर सभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी। संक्षेप में आपने नियम 378 के अनुसार ऐसा कदम उठाने का प्रयत्न किया और आपने यही टिप्पणी की। यदि आप कौल और शकधर की पुस्तक देखें, मैं उस पुस्तक के पृष्ठ 112 का केवल एक वाक्य पढ़ूंगा :—

> "जो सदस्य उच्छृंखल व्यवहार का दोषी हो उसे अध्यक्ष सभा का त्याग करने के लिए कह सकता है और यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करे और लगातार सभा की कार्यवाही में बाधा डालता रहे तो अध्यक्ष उसका नाम लेकर उसे सभा से निलम्बित कर सकता है।"

अतः मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मुख्य सचेतक ने वास्तव में किस कारण से अपने सहयोगी को यह अनुदेश दिया ? मेरा यह कहना है कि उन्हें यह शंका थी यह सभा की अवमानना का मामला है, यह ऐसा मामला है जिसमें आप उस सदस्य का नाम ले सकते हैं, इस मामले में सदस्य को सभा की बैठक से निलम्बित किया जा सकता है, और यदि ऐसी परिस्थितियों में मुख्य सचेतक ने किसी सदस्य को, चूंकि वह दल का सदस्य है, अनुदेश दिया तो क्या गलती की ? इसे विशेषाधिकार का हनन कैसे कह सकते हैं ? यह तर्क दिए गए हैं कि इससे संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन होता है। क्या ऐसी स्थिति पहुंच गई थी ? क्या भाषण द्वारा कार्यवाही में बाधा

डालने का अधिकार प्राप्त है ? क्या अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर भाषण देना उचित है ? क्या जब अध्यक्ष महोदय सभा में व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे हों तब बीच में बोलकर बाधा डालना उचित है ? यदि माननीय सदस्यों की राय में अध्यक्ष की अवज्ञा करना अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत भाषण के अधिकार के अन्तर्गत आता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु यदि यह अवज्ञा है जैसाकि पूरी कार्यवाही पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि···(व्यवधान) मैंने संक्षेप में यही स्पष्ट करने की कोशिश की है। महोदय, आपने अन्त में जो कुछ कहा उससे आपकी मजबूरी प्रदर्शित होती थी। उस स्थिति में, कुछ क्षण पहले श्री भगत ने यह निदेश जारी किया। मैं यह नहीं समझता कि इसे माननीय सदस्यों के भाषण के अधिकार में हस्तक्षेप कैसे कहा जा सकता है जिससे विशेषाधिकार प्रस्ताव की जरूरत पड़े। मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि मामले की व्याख्या किस ढंग से की गई है। कार्यवाही वृत्तांत में यह आसानी से पढ़ा जा सकता है। समूचा विशेषाधिकार प्रस्ताव इसी पर निर्भर करता है। यह उल्लंघन का मामला है। मैं इसकी बारीकियों में नहीं जा रहा हूं। अनुच्छेद 105 की परिभाषा क्या है ? ठीक है, माननीय सदस्यों ने पहले ही यह बात कही है कि भाषण का अधिकार (क) संविधान के उपबन्धों; और (ख) सभा द्वारा बनाए गए नियमों और प्रक्रिया के अध्यधीन है। अब प्रक्रिया नियम यह है कि नियम 378 के अनुसार अध्यक्ष को व्यवस्था कायम करने का अधिकार है और यदि इसकी अवज्ञा होती है तो उन्हें उस व्याप्ति का नाम लेने, उसे निलम्बित करने का अधिकार है। और इसके अनुपालन में यदि मुख्य सचेतक को किसी सदस्य के आचरण के प्रति शंका हो तो इस आधार पर उसे निलम्बित किया जा सकता है अथवा उसका नाम लिया जा सकता है। यदि वह कोई व्हिप जारी करता है। यह कहना स्वाभाविक न होगा कि यह भाषण के अधिकार में हस्तक्षेप का मामला है। अतः मेरा यह कहना है कि यह कोई ऐसा मामला ही नहीं है, प्रथम दृष्टि में भी, जिस पर विचार किया जाए।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : अध्यक्ष महोदय, यह इतना साधारण मामला नहीं है जितना कि माननीय सदस्य इसे बता रहे हैं। क्योंकि यदि यह साधारण मामला होता तो आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए इस पर सभा की अनुमति हेतु अपनी सहमति न दी होती। आपने सभा की अनुमति के लिए इस पर अपनी सहमति दी है इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रत्यक्षतः ऐसा मामला है जिस पर निर्णय होना ही चाहिए। अब इस पर निर्णय कौन करेगा ? क्या इस विशेषाधिकार मामले पर यह सभा निर्णय लेगी या यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा ? हमने यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की है।

अब, क्या-क्या बातें कही गई हैं ? विद्वान कानून मंत्री और श्री शिवराज पाटिल ने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस व्हिप से संविधान के अनुच्छेद 105 का उल्लंघन हुआ है ? श्री शिवराज पाटिल अनुच्छेद 105 को पढ़कर यह जताना चाहते थे कि यह अनुच्छेद 19(2) के अध्यधीन है। मेरी राय इसके ठीक विपरीत है क्योंकि अनुच्छेद 105 अनुच्छेद 19(2) के अध्यधीन नहीं है। अनुच्छेद 105 के अनुसार "इस संविधान के उपबन्धों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए···" अतः यदि संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाला कोई संवैधानिक

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

उपबंध मौजूद है तो अनुच्छेद 105 इसके अध्यधीन है। आपकी बात को सही मान लेते हैं। इस विषय पर निर्णय करने की आवश्यकता है। मेरा विचार यह है कि अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 19 के अध्यधीन नहीं है। आपकी राय में, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 19 के अधीन है। क्या हम इस महत्त्वपूर्ण संवैधानिक मामलों को मतों के आधार पर तय करेंगे ? यह सभा तो मतों के आधार पर या तो इसे स्वीकार करेगी अथवा अस्वीकार कर देगी। यह एक महत्त्वपूर्ण सदस्य द्वारा उठाया गया महत्त्वपूर्ण मामला है कि अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 19 के अध्यधीन नहीं है। इस पर पारस्परिक विवाद है। यह बातचीत स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि इस सभा का दृष्टिकोण क्या है। इसलिए इस प्रश्न में ही अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं। मेरा विचार है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाना चाहिए ताकि विशेषाधिकार समिति अनुच्छेद 105 की व्याप्ति और विषय-क्षेत्र तथा उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में तर्क-सम्मत निर्णय दे सके।

अब मैं इस मुद्दे के बारे में···(**व्यवधान**)

श्री शिवराज वी० पाटिल : क्या आप मुझे बोलने देंगे ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आपका दृष्टिकोण भिन्न है और मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। इसे हम तय नहीं कर सकते। एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निर्वचन के सम्बन्ध में सभा के मत द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरा निवेदन यह है कि संविधान का निर्वचन करना उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है। यह विशेषाधिकार समिति का दायित्व नहीं है। विशेषाधिकार समिति एक तथ्यान्वेषी समिति हो सकती है। (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को इस मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंपने दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : जहां तक श्री शिवराज पाटिल के कथन का सम्बन्ध है, यदि वे विशेषाधिकार संविधान के निर्वचन पर निर्भर करता हो, तो विशेषाधिकार समिति को संविधान का निर्वचन करना होगा। हम किसी बाह्य निकाय, चाहे कोई उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय हो, को यह अधिकार प्रयोग नहीं करने देंगे। अब प्रश्न यह है कि 'व्हिप' क्यों जारी किया गया था। 'व्हिप' इसलिए जारी किया गया था कि किसी कानूनी पहलू का उल्लंघन किया गया और कानूनी पहलू यह है कि यदि आप 'व्हिप' का उल्लंघन करते हैं, तो आपकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। वस्तुतः दुर्भाग्यवश संभवतः श्री भगत को गुमराह किया गया था। संभवतः किसी ने श्री भगत को यह परामर्श दिया कि यदि आप 'व्हिप' शब्द का प्रयोग करें और यदि इसका पालन नहीं किया जाता तो आप···(**व्यवधान**)

श्री एच०के०एल० भगत : महोदय, मुझे बोलने दीजिए। मुझे केवल आधा मिनट दीजिए, मैं उत्तर दे दूंगा। मुझे यह स्पष्ट कर देने दीजिए कि मैंने स्वयं ही यह लिखा था। मैंने किसी के कहने पर ऐसा नहीं किया। मुझे कानून का ज्ञान है। मैं स्नातक हूं। मैंने वकालत की है। और मैं माननीय

सदस्य को यह बता दूं कि 1954 में मैं मुख्य सचेतक और मुख्य संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य कर चुका हूं। मैंने यह किया है। मैं जिम्मेदार हूं। इसे औरों पर मत डालिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, किन्तु दुर्भाग्यवश···

प्रो० मधु दंडवते : और तो और श्री फोतेदार ने भी हस्तक्षेप नहीं किया **(व्यवधान)**

श्री एच०के०एल० भगत : पूर्वानुमान न लगाइए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इसका, इसके अथवा उसके लिए उपयोग करना है। आप ऐसी बातें गढ़ रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं सब बातें मान लेता हूं। किन्तु कठिनाई यह है कि 'व्हिप' सम्बन्धी कानून तब बनाया गया था जब वे वकालत नहीं करते थे। यह एक नया कानून है, जिसकी अब भी हम में से अनेकों को जानकारी नहीं है। व्हिप क्यों जारी किया गया? **(व्यवधान)**

श्री एच०के०एल० भगत : आप भी यहीं थे और मैं भी यहीं था।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं यहां नहीं था।

श्री शरद दिघे : 'व्हिप' मतदान के बारे में था।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह बिल्कुल ठीक है। किन्तु मैं यह बता दूं कि मिजोरम और हरियाणा के नए सदस्यों को सम्मिलित करते हुए मंत्रि परिषद के एक अति वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि यदि कोई 'व्हिप' का उल्लंघन करता है, भले ही वह मतदान के बारे में हो या न हो, तो उसे सदस्यता से अनर्ह कर दिया जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा। इसलिए ऐसा मत समझिए कि किसी को इसका पता नहीं है। केवल अनुच्छेद 105 की व्याप्ति की बात नहीं है। लेकिन बात केवल यह है कि क्या आप सभा में किसी सदस्य को डरा-धमका सकते हैं। दूसरी बात यह है, जैसाकि श्री सोमनाथ रथ ने बहुत ठीक कहा कि यह दल का आन्तरिक मामला है। क्या आप दल के आन्तरिक दस्तावेज को इस सभा के परिसर में परिचालित कर सकते हैं, जबकि वाद-विवाद चल रहा हो? **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : आन्तरिक दल अथवा दल का आन्तरिक।

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल दल के आन्तरिक शब्द का ही उपयोग नहीं कर रहा हूं, बल्कि आन्तरिक दल और दल के आन्तरिक, दोनों का प्रयोग कर रहा हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : बात यह है। श्री शिव शंकर द्वारा एक बात यह कही गई है कि मान लो कल श्री तिवारी किसी निदेश का उल्लंघन करते हैं, तो मैं उन्हें निश्चय ही चुप हो जाने के लिए कह सकता हूं। किन्तु क्या मैं उन्हें खींचकर बैठा और यह कह सकता हूं कि आपको बैठना ही पड़ेगा? यदि मैं उन्हें खींचकर बैठने के लिए कहता हूं, तो क्या ऐसा करना विशेषाधिकार का हनन होगा अथवा नहीं? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं अनुरोध कर सकता हूं, किन्तु क्या मैं उन्हें खींचकर बैठा सकता हूं? किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अवज्ञा किए जाने पर भी किसी सदस्य को उसे शारीरिक रूप से खींचकर बैठाने का अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसा करना विशेषाधिकार का हनन होगा। आप केवल यही कर सकते हैं कि उसे उसका नाम लेकर पुकारे मुख्य सचेतक को यह

अधिकार नहीं है । अतएव मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 105 की व्याप्ति और निर्वचन में अनेक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं । क्या अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 19(2) के अध्यधीन है ? क्या इस प्रकार का कागज परिचालित करना डराना-धमकाना माना जाएगा और क्या इस प्रकार का आन्तरिक दल अथवा दल का आन्तरिक कागज सभा के परिसर में परिचालित किया जा सकता है जबकि अध्यक्ष महोदय, आप हमें केन्द्रीय कक्ष में भी दस्तावेज परिचालित करने की अनुमति नहीं देते । आज मैं कुछ कागज परिचालित करना चाहता था और मुझे सुरक्षा कर्मचारियों ने यह कह कर रोक दिया कि सभा के भीतर किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी दस्तावेज परिचालित न किए जा सकने के स्पष्ट निदेश हैं । इसलिए हमारे समक्ष ये प्रश्न हैं । आप इस सम्बन्ध में कैसे निर्णय लेंगे ? हम इसका निर्णय मतदान द्वारा कर सकते हैं । यदि हम इसका मतदान द्वारा निर्णय करें और मैं कहता हूं कि सभा को इसका निर्णय करने का पूरा अधिकार है । ऐसा करने से सहमत नहीं हूं । मुझे इस अधिकार के प्रति कोई शंका नहीं है । सभा निर्णय करे । किन्तु यदि सभा निर्णय करती है, तो भावी मार्गदर्शन के लिए इन सभी मुद्दों पर तर्कसम्मत निर्णय नहीं हो सकेगा । और मैं यह सकता हूं कि इन सब बातों के आधार पर विशेषाधिकार समिति निर्णय दे सकती है जो इसी अवसर के लिए नहीं, बल्कि भावी अवसरों के लिए भी आधार होगा । इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए । आप इस मामले को चाहे विशेषाधिकार समिति को सौंपें अथवा इस सम्बन्ध में सभा में ही निर्णय किया जाए, किन्तु श्री भगत के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है ।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा । आपने कृपा की, उसके लिये धन्यवाद देता हूं । इसमें कुल मामला इतना है कि आया कि पार्लियामेंटरी अफेअर्स मिनिस्टर, एज चीफ व्हिप, सदन के अन्दर किसी सदस्य को व्हिप जारी करके अपनी बात कहने से रोक सकते हैं या नहीं ।

[अनुवाद]

एक स्वीकृत तथ्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती ।

[हिन्दी]

आप कहते हैं कि व्हिप है । आपने खुद लिखा है । आपकी तरफ से भी जिन सदस्यों ने बहस की है, उन्होंने मान लिया है कि व्हिप है । श्रीमन्, सदन को इतना ही देखना है कि वे सदन को पार्टी आफिस की तरह प्रयोग करके व्हिप के द्वारा कुछ सदस्यों को मना कर सकते हैं या नहीं । इसमें मोटिव की बात मैं नहीं कहता । क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राऊंड है । उसी दिन, जिस दिन यह व्हिप इशू हुआ, मान्यवर, आपके दफ्तर को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं और हम लोगों ने कुछ इस तरह की बातें कह दीं कि प्राईम मिनिस्टर को इन सब चीजों पर इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए रेडियो और टी०वी० पर आया कि हम लोगों को ससपेंड कर दिया गया है । केवल ऐसा आया, कहीं और कुछ नहीं है, न कोई कागज हमारे पास आया, न मिला । अब सदन के अन्दर पार्लियामेंटरी अफेअर्स मिनिस्टर यह कहें कि हमें कुछ करना है या नहीं करना है । पालिसी वर्क के

लिए आपने हमें कृपापूर्वक पूर्व यह संदेशा दिलवाया कि पार्टी के अन्दर का मामला है, यह वह जानते हैं।

तो यह व्हिप देने का पार्टी के अन्दर का मामला है। यह आप सभी जानते हैं। अब आपने यह देखना है कि क्या इस सदन को, इस लोक सभा को माननीय भगत जी पार्टी के आफिस की तरह से यूज कर सकते हैं या नहीं। अब सरकमस्टांसिज क्या थीं जिन पर बहुत हो-हल्ला माननीय न्याय मंत्री जी ने, सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने उठाया जिस पर मजबूरन हमको बहस करनी है। हो सकता है यह भी व्हिप भगत जी ने दिया हो कि इस पर हमें बचाने के लिए बहस करो। वरना कलेजे पर हाथ रख कर आप पूछें कि क्या इनको इस पर बहस करनी चाहिए ?

मान्यवर, एक चीज मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि परिस्थिति यह थी कि रामधन जी और प्रो० के० के० तिवारी के मामले में आपने एक बात कही "जेन्टलमेन की तरह से मुझे इरादा नहीं लगता है, इसलिए इस मामले को खत्म किया जाए।" रामधन जी यह कह रहे थे, इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि आपने देखा है, जो आपने कहा कि किस तरह से जा रहे थे और किस ढंग से जा रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, जो चीज आपने देखी है, उससे बढ़िया कोई एवीडेंस नहीं हो सकती है।

[अनुवाद]

आप ही सबसे अच्छी तरह फैसला कर सकते हैं, आपने स्वयं देखा है।

[हिन्दी]

से कम कोई गलत चीज आपकी जिन्दगी में नहीं हो सकती है। इसलिए आप सोच लें कि हम किसी रूलिंग को डिफाई नहीं कर रहे थे, या कोई ऐसी चीज जो आपने कही हो, जिसके खिलाफ हम नहीं जा रहे थे।

तीसरी बात, अगर किसी रूलिंग को हम डिफाई कर रहे थे, अगर हम कोई ऐसी चीज कर रहे थे, जो पार्लिमेंट के, जो लोक सभा के सम्मान के खिलाफ थी तो उसके लिए कार्यवाही करना तो केवल आपका अधिकार था। यह केवल आपका अधिकार था कि आप हमें मना करते कि "राजकुमार राय चुप रहो।" आप चाहे यह मीठी हंसी से या कड़ाई से कहते। अगर आप यह कहते तो हम लोग तो आखिरी आदमी हैं, सीधे दुबककर बैठ जाते हैं। लेकिन मान्यवर, आप अपना यह अधिकार, स्पीकर का यह अधिकार क्या पार्लियामेंटरी अफेअर्स मिनिस्टर को, माननीय भगत को देना चाहेंगे कि वे इस सदन के अन्दर एक पर्ची लिखकर भेज दें, एक प्रेमपत्र भेज दें ?

[अनुवाद]

श्री राजकुमार राय, आप भी कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं।

[हिन्दी]

इसका क्या मतलब है ?

इन्होंने मुझे पर्ची लिख दी कि

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

[अनुवाद]

आपको व्हिप का पालन करना होगा, अथवा परिणाम भुगतने होंगे । और महोदय परिणाम क्या होंगे ? हम आपको आपकी सदस्यता समाप्त कर देंगे वह यह कहना चाहते थे, किन्तु संभवत :···

श्री एच० के० एल० भगत: आप मुझे बिलकुल उत्तेजित नहीं कर सकते । यह समय बताएगा ।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : चूंकि ये जानते हैं कि छोटे-मोटे व्हिप लिख देने से काम चल जाएगा और ये डर जाएंगे । मान्यवर, मैं सच कहता हूं कि मैं दरअसल डर गया । पार्लियामेंटरी अफेअर्स के मिनिस्टर के पास से यह आये तो मैं डर गया । मैंने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा तो हूं, हो सकता है कि मान्यवर इस संविधान में कोई ऐसी चीज पास हो गयी हो और मेरे से कोई गलती हो गयी हो । मैंने सोचा था कि हिन्दुस्तान में फ्रीडम आफ स्पीच है, मैंने यह भी सोचा था कि जब मैं मैम्बर आफ पार्लियामेंट बनकर खेती-बाड़ी छोड़कर पार्लियामेंट में जाऊंगा तो सदन में ऐसी बातें कहूंगा, जिसको मेरी आत्मा कहे, जो मुझे कानूनी लगें, लेकिन माननीय भगत जी की चिट्ठी, उनका रुक्का जब मेरे पास आया तो मैं डर गया । दरअसल मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, कहीं ऐसा न हो कि मैं पनिश हो जाऊं, मुझे इस बात का डर लगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा बढ़िया केस और कोई नहीं हो सकता जबकि आपने खुद देखा हो, सारी पोथी के हर पन्ने को आपने पढ़ा है, सारी प्रेक्टिसेस आपने देखी हैं, हाउस आफ कामंस से लेकर आज तक, कभी इस तरह नहीं हुआ है । तो क्या ऐसे मामले को आप सदन की वोटिंग के लिए देना चाहते हैं, क्या मेजारटी के नाम पर जबरदस्ती हमसे हमारे लिए ही वोट कराएंगे ? इससे तो तलवार हमारे हाथ में देकर कहेंगे कि अपना गला काटो, वोट इनके पक्ष में करो वरना बहुमत के बल पर इतनी बड़ी कांस्टीट्यूशन प्राब्लम को, इतने बड़े अधिकार को वोटिंग के लिए न रखा जाता ।

प्रिवलेज कमेटी का निर्माण क्यों हुआ ? अगर सारी चीजें यहां पर बैठकर वोट से ही तय होनी है तो इसका निर्माण क्यों हुआ । इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह एक बढ़िया केस है और इसको तुरन्त प्रिवलेजेज कमेटी को सौंप देना चाहिए और किसी आर्गूमेंट की इसमें जरूरत नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री भोलनाथ सेन (कलकत्ता-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए केवल इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मुख्य सचेतक ने मेरा नाम आपके पास भेजा है । यदि मेरा नाम न भेजा गया होता, तो मैं नहीं बोल सकता था । इसलिए अब अध्यक्ष महोदय को बता दिया जाता है कि ये व्यक्ति दल की ओर से बोलेंगे, तो ऐसे में यदि अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य का निर्णय न दिया जाए, तो केवल वे ही बोलते हैं । इस प्रकार अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत कुछ परिपाटियां और प्रणालियां बन गई हैं और इसीलिए जहां तक दल का सम्बन्ध है, हमें मुख्य सचेतक की आज्ञा का पालन करना होता है ।

23 अग्रहायण, 1909 (शक) 17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

हम विभिन्न समितियों में मतदान करते हैं। कई बार मुख्य सचेतक अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति हमें सूचित करता है कि हमें अमुक व्यक्ति को मत देना है। हम वैसा ही करते हैं। उसका एक काम यह होता है और हम भी उनके निर्देश का पालन करते हैं। कई बार जब शोरगुल हो रहा होता है और मुख्य सचेतक अपना हाथ हिला कर इशारा करता है, तो हम चुप हो जाते हैं। संविधान अथवा नियमों में ये बातें नहीं लिखी हैं। मैंने यह नोट किया है कि जब आप खड़े होते हैं, तो विपक्ष के और इस पक्ष के सदस्य बैठते नहीं हैं किन्तु यह परम्परा है कि जब आप खड़े हों, तब हमें बैठ जाना चाहिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह तो नियमों में लिखा है।

श्री भोलानाथ सेन : कुछ ऐसी बातें हैं, जो नियमों में नहीं लिखी हुई हैं। सभा में अध्यक्षपीठ के सामने खाली स्थान में धरना देने का अधिकार कहां है ? किन्तु वे ऐसा करते हैं। कभी-कभी आप इसके लिए आप उन्हें दंड भी देते हैं। कभी आप नहीं करते। कभी आप सभा की बैठक स्थगित कर देते हैं। ऐसा होता रहता है।

महोदय, हम भूल जाते हैं कि संविधान में दसवीं अनुसूची के सम्मिलित के जाने से उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। दसवीं अनुसूची के जोड़े जाने से दलीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई है तथा यह कहा गया है कि यदि सदस्य मतदान से अलग रहता है—अब यह मतदान ध्वनि मत से हो सकता है अथवा यह मत-पत्र द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से हो सकता है। अतः, यह सोचना उचित नहीं होगा कि मैं अपने दल द्वारा लाए गए प्रस्ताव की आलोचना करता रहूं तथा साथ ही, जब ध्वनि मत द्वारा मतदान करने की बात आए, तो मैं कुछ कहूं।

अब क्या यह विचारणीय था कि आपने उस राजनैतिक दल के निर्णयानुसार मतदान करना है, जो पहली बार संविधान में शामिल हुआ। इनका पहले पता नहीं था। एक निर्दलीय सदस्य भी, यदि किसी अन्य दल में शामिल होता है, तो वह अपनी सदस्यता खो सकता है। इस बारे में पहले मालूम नहीं था। यह एक नवीन पहलू है। ब्रिटेन की संसद् के बारे में सोचने का कोई लाभ नहीं है। 1978 में अथवा उससे पहले क्या हुआ, इस बारे में सोचने का कोई लाभ नहीं है। परिस्थितियों में पूरी तरह से परिवर्तन आ चुका है। आज, संविधान में ही दलीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई है तथा संविधान के सभी उपबन्धों के अध्यधीन अनुच्छेद 19 सहित, जो मौलिक अधिकारों के बारे में है तथा अनुसूची दस, जिसे हाल ही में समाविष्ट किया गया है, अनुच्छेद 105 को पठित किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं पूर्णतया आश्चर्यचकित हूं। यह एक आन्तरिक मामला है। मैं क्या कह सकता हूं तथा मैं क्या नहीं कह सकता, ऐसा प्रत्येक मामले में प्रत्येक स्थान पर नहीं लिखा हुआ है। कुछ सदस्य भी किसी बात को कहे जाने पर आपत्ति प्रकट करते हैं। तब इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। कुछ सदस्य कोई बात कहते हैं, फिर भी उस पर शोर नहीं मचाया जाता है और कभी अव्यवस्था और कोलाहल मचाया जाता है तथा सभा स्थगित कर दी जाती है।

मेरा निवेदन यह है कि यह संसद् में दल की हमारी आन्तरिक प्रणाली है, हमारा आन्तरिक

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

लोकतन्त्र है। हमने कहा है कि मुख्य सचेतक का यह कार्य है कि वह सभा में हमारी उपस्थिति सुनिश्चित करे क्योंकि अनुशासन बनाए रखना उसका कार्य है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए यदि मुख्य सचेतक कहता है कि कृपया यह बात या वह बात न कहें अथवा कृपया यह कहें, तो क्या इसमें कोई गलत बात है ? कृपया हमारी नीति स्पष्ट करें, यदि वह ऐसा कहता है, तो क्या इसमें कोई गलत बात है ? कृपया अहिंसा के पक्ष में कहें। यह एक व्यापक उदाहरण है। क्या वह उस समय हिंसा का समर्थन कर सकता है। इसके विरुद्ध दलीय प्रणाली में कुछ भी नहीं है अन्यथा इस दलीय प्रणाली की आवश्यकता ही क्या है ? प्रत्येक को यह देखना है कि वह यहां क्यों बैठा हुआ है। प्रत्येक को यह देखना है कि अनुसूची दस का क्या उद्देश्य है। इसमें यही विचार निहित है। इस पर कुछ वाद-विवाद हुआ है। कोई मत-विभाजन नहीं हुआ। जहां तक मुझे स्मरण है, प्रत्येक व्यक्ति ने इसे स्वीकार किया क्योंकि अब दलों ने कुछ कदम उठाने का निर्णय किया है तथा दल को उस कदम को संसद् में स्पष्ट करना चाहिए। इसे देखने के लिए, यदि मुख्य सचेतक अपने दल के व्यक्तियों को कोई बात कहता है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इससे संसद् की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे उठता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट): महोदय, यदि ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि इनकी विशेषाधिकार समिति जैसे निकाय द्वारा जांच तथा निर्धारण किया जा सके, तो मैं नहीं जानता कि इस वाद-विवाद पर इतना अधिक समय क्यों लगाया जा रहा है तथा आप क्यों धैर्यपूर्वक इसे घंटों बैठकर सुन रहे हैं ? यदि यह बिल्कुल कोई मामला नहीं है, जैसाकि इसे बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अब मेरे मन में थोड़ी शान्ति आ गई है क्योंकि इसी सभा के दो भूतपूर्व अध्यक्षों तथा एक विधि मंत्री.....

प्रो० मधु दंडवते : आपतकालीन अध्यक्ष भी बोले थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त...ने जो बातें कही हैं वे एक दूसरे के विपरीत हैं। अब, मुझे किसके दृष्टिकोण की सराहना करनी चाहिए।

श्री शरद दिघे : पहले विधि की पुस्तक का अध्ययन करें।

2.00 म० प०

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कोई विधिवेत्ता नहीं हूं। यहां पर बोलने वाले सभी लोग विधिवेत्ता हैं। दुर्भाग्यवश, मैं विधिवेत्ता नहीं हूं। मैं कभी विधिवेत्ता नहीं रहा। श्री दिघे ने अनुच्छेद 105 के बारे में कुछ कहा जिसका श्री शिवराज पाटिल ने प्रतिवाद किया। श्री दिघे ने इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने जो कुछ कहा है उसके लिए आप कृपया अभिलेखों को देखें। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां तक स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध है, इस देश के आम नागरिकों को दिए गए बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार संसद सदस्यों को दिए गए अधिकार से भिन्न हैं। इसमें बिल्कुल एक ही बात नहीं है। इस देश के आम नागरिकों के बोलने की स्वतन्त्रता के अधिकार पर रोक लगायी गयी हैं। पर्याप्त रोक लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई भी रोक संसद सदस्यों पर नहीं लगाई गई है, सिवाय जो नियमों में निहित हैं अथवा जिसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं।

किन्तु, माननीय श्री पाटिल ने अनुच्छेद 105 संबंधी अपने समस्त तर्क को आधार बनाया है और तब विधि मंत्री का नाम आता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 19 द्वारा अधिशासित है—मैं केवल याद दिला रहा हूं, कि वे कौन-सी बातें हैं जिन पर अनुच्छेद 19 कानून पर रोक लगाना चाहता है। यह बोलने की स्वतन्त्रता के अधिकार के उपयोग पर उचित रोक थी। यह अनुच्छेद 19(2) में दिया गया है। हम यह देखें कि क्या इनमें से किसी को माना नहीं गया है अथवा किसी का खण्डन किया गया है अथवा उल्लंघन किया गया है। भारत की संप्रभुत्ता एवं अखण्डता एक है। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति यह आरोप लगाएगा कि इस बात का संकट सामने आया है। इसके पश्चात्, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्री सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था आते हैं। यह एक अन्य मुद्दा है जिसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि सदन में व्यवस्था तथा "सार्वजनिक व्यवस्था", जिसका उल्लेख किया गया है, समान बातें हैं। यहां इसे शालीनता और नैतिकता कहा जाता है। मेरे मित्र·····करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सार्वजनिक व्यवस्था तथा यह व्यवस्था एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये दो अलग-अलग बातें हैं। यदि किसी सदस्य द्वारा सभा की व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो इस सभा के अभिरक्षक और अध्यक्ष के रूप में आप व्यवस्था बनाए रखने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना होगा। इन विनिर्णयों का अनुच्छेद 19 में दिए गए प्रतिबन्धों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए श्री दिघे ने यह ठीक ही कहा कि इस अधिकार का प्रयोग साधारण नागरिकों द्वारा किए जाने तथा संसद सदस्यों द्वारा किए जाने के बीच एक अन्तर है। वे किसी भी प्रकार से एक समान नहीं हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अनुच्छेद 105 का आरम्भ इन शब्दों से होता है 'इस संविधान के उपबन्धों के अध्यधीन'।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके अन्तर्गत कई बातें हैं और किसी के द्वारा उनकी जांच की जानी है। तर्कों के आधार पर तथा संविधान के आधार कई तर्क दिए गए हैं तथा कई वाद-विवाद हुए हैं। इसका निर्णय कैसे होगा ? क्या इसका निर्णय सभा के सामान्य मतदान से किया जाएगा ?

श्री शरद दिघे : इसमें उच्चतम न्यायालय पहले ही आपना निर्णय दे चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत साहित्य के अद्वितीय अंश के बारे में, जिसके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है, एक-दो शब्द मैं भी कहूंगा। श्री भोलानाथ सेन का कहना है कि सब कुछ बदल गया है। अब हमें पुरानी परिपाटी में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अब संविधान की अनुसूची में पार्टियों की जो संकल्पना निहित की गई है वह पहले जैसी नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस बात से कोई कहां तक सहमत है। मेरा मतलब है कि जब एक पार्टी को उस अनुसूची में मान्यता दी जाती है तो इसका मतलब यह है कि वह जो भी इस पार्टी का सदस्य है संसद का सदस्य होने के बावजूद मैं उसे वत्रवत तो नहीं कह सकता, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो अपनी बात कहने के लिए स्वतन्त्र नहीं होता।

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

श्री भोलानाथ सेन : अनुच्छेद 105 दसवीं अनुसूची के अध्यधीन नहीं है क्योंकि दसवीं अनुसूची अब शामिल की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब इस तथ्य की जांच की जानी है कि क्या इस अनुसूची से कोई नई संकल्पना उभर आई है जिससे एक संसद सदस्य किसी पार्टी विशेष का सदस्य होने के नाते इस संविधान के अन्तर्गत तथा नियमों के अन्तर्गत दी गई स्वतन्त्रता का प्रयोग नहीं कर सकता । इस अधिकार को किसी तरह सीमित अथवा प्रतिबन्धित कर लिया गया है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि श्री रामधन द्वारा कही गई बातें निन्दात्मक, अपमानजनक अथवा धमकी-भरी हैं तो मैं इसे समझ सकता हूं लेकिन उन पर ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है । श्री भगतजी का व्हिप काफी रोचक है । मैंने इसे कई बार पढ़ा और मैं इसका अर्थ तथा इसका आशय समझने का प्रयास कर रहा हूं । 'आप अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही हैं' । इसे लिखने की क्या आवश्यकता थी ? इससे तो ऐसा होता कि श्री भगतजी ईमानदारी से महसूस करते कि श्री रामधन यह भूल गए हैं कि वे पार्टी के सदस्य हैं अथवा उन्हें इसका स्मरण कराना चाहिए था या ऐसा हो सकता था कि वे अभी कांग्रेस पार्टी में ही हैं लेकिन यदि वे स्वयं अपेक्षित व्यवहार नहीं करते तो वह अधिक समय तक पार्टी में नहीं रह पायेंगे । इसके उपरांत वे स्पष्ट रूप से यह कहते कि वे उन्हें मुख्य सचेतक की हैसियत से आगे न बोलने तथा अध्यक्ष के विनिर्णय को स्वीकार करने के लिए व्हिप जारी कर रहे हैं । इसका स्पष्टीकरण आपको करना है कि आपने वास्तव में अपना विनिर्णय दिया था अथवा नहीं । हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते । हम नहीं समझते कि आपने सभी मामलों में अपना विनिर्णय दिया है । आपने सभा को इसलिए स्थागित कर दिया क्योंकि आपके अनुसार सभा में अव्यवस्था थी जिससे सभा की कार्यवाही आगे नहीं चल सकती थी । इस प्रकार श्री भगतजी कहते हैं कि आप आगे न बोलें । यह एक व्हिप है जिसका पालन करना होगा । वे पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए श्री भोलानाथ सेन के तर्क के अनुसार इस प्रकार व्हिप जारी की जा सकती है और जारी की जानी चाहिए तथा उसका पालन होना चाहिए । इस सब अनुशासन को कौन देखता है ? क्या यह अध्यक्ष देखता है अथवा मुख्य सचेतक ?

श्री भोलानाथ सेन : सभा में भी हम पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आपकी यह व्याख्या है और यदि इसे मतदान द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से अन्ततः स्वीकार किया जा रहा है, तो मुझे आशंका है कि कहीं आपको यह आसन न छोड़ना पड़े । आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा । सभा की कार्यवाहियां विभिन्न पार्टियों के व्हिपों द्वारा ही कर ली जाएंगी । इससे पार्टी प्रणाली एक बेतुका महत्व प्राप्त हो जाएगा । हम जानते हैं कि सामान्यतया व्हिपों का प्रयोग पार्टी के निर्णय अनुसार उपस्थिति को सुनिश्चित करने तथा मतदान को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है । इसके अध्यधीन वे सदस्यों को सुझाव दे सकता है और इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता । लेकिन जब वे कहते हैं कि मैं मुख्य सचेतक हूं तथा मैं व्हिप जारी कर रहा हूं और इसका पालन होना चाहिए तो इसे सुझाव नहीं कहा जा सकता । वे 20 बार सुझाव दे सकते हैं और मुझे किसी सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं होगी । वे उन्हें बाहर लॉबी में बुला सकते थे और कांग्रेस पार्टी के 20 सदस्य उन्हें सुझाव दे सकते थे । महोदय, मुझे आशा है, आपको याद

होगा कि उन्हें बोलने से रोकने के लिए तीन-चार सदस्यों द्वारा उन्हें पकड़ कर बैठाया जा रहा था। उसके बाद उनकी सीट बदलने की व्यवस्था की गई। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह एक अभूतपूर्व घटना हुई है—एक सदस्य को सभा में उस समय व्हिप जारी किया गया है जब वह अपना भाषण दे रहा है तथा कह रहा है कि आप अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती दे रहे हो। सर्वप्रथम वहां कोई विनिर्णय था अथवा नहीं महोदय इसका निश्चय आपको करना है। यदि आप कहते हैं : "हां, मैंने अपना विनिर्णय दिया था।" मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जहां तक हम समझते हैं सामान्य रूप में कोई विनिर्णय नहीं दिया गया था। आगे, यदि वे तर्क कर रहे थे अध्यक्ष महोदय से वाद-विवाद कर रहे थे और यह दावा करते हुए उन्हें मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रहे थे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की—क्या सदस्य के रूप में उनका यह अधिकार है अथवा नहीं ? यह श्री भगत की इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे उन्हें बोलने से रोकने का प्रयत्न करें।

सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि यह किसी भी तरह अनुच्छेद 105 का मामला नहीं बनता। अनुच्छेद 105 सभी संसद सदस्यों पर लागू नहीं होता। प्राथमिक रूप से वे अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत नहीं आते। यह बिल्कुल स्पष्ट है। इस मामले में अनुच्छेद 19 भी किसी तरह लागू नहीं होता। उन किन्हीं भी संभावनाओं का जिनमें समुचित प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं इस विशेष मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न यह है : यह व्हिप जारी क्यों किया गया ? यह व्हिप उन्हें बोलने, जिसका कि उन्हें अधिकार था, से रोकने के लिए जारी किया गया। उस दिन कई सदस्य शोरगुल कर रहे थे जिसे आप अव्यवस्था मानोगे। इसमें केवल वे ही नहीं थे और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया जो अपमानजनक, निन्दात्मक, धमकी-भरा अथवा इस तरह की कोई बात हो। ऐसा स्थिति में यदि यह निर्णय लिया जाता है कि सभा में इस प्रकार का व्हिप जारी करके कोई गलत बात नहीं हुई है तो एक नई स्थिति पैदा हो जाएगी जो पहले कभी नहीं हुई। मैं यह नहीं जानता कि श्री भोलानाथ सेन ने उस नए ढांचे में, जिसकी अभिकल्पना उन्होंने नयी अनुसूची के फलस्वरूप की है, उस संभावना को शामिल किया है अथवा नहीं। क्या इसका यह मतलब है कि अब आगे से सभा में एक सदस्य को बोलने अथवा ऐसा कुछ कहने से रोकने के लिए इस प्रकार के व्हिप जारी किए जा सकते हैं जो मुख्य सचेतक की इच्छा के अनुरूप न हों।

मेरा निवेदन है कि यह एकदम गलत है और इससे कई मामलों को सुलझाया नहीं जा सकता। निसंदेह यदि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोई विनिर्णय देना चाहते हैं तो इसका निश्चय आपको करना है यह आपके विनिर्णय पर निर्भर करता है अथवा मामला विशेषाधिकार समिति को भेजकर किया जा सकता है। इस तरह एकाएक सदन में मतदान द्वारा इसका निर्णय नहीं किया जा सकता।

नियमों के अनुसार—निसंदेह आप अपनी व्याख्या दे सकते हैं—यदि आप चाहें तो आप अपना विनिर्णय भी दे सकते हैं।

मैं यह जानना चाहूंगा कि बिना उस समिति को भेजे इन सब जटिल और भारी प्रश्नों का

समाधान कैसे किया जाएगा । हम शेष सारे दिन बोल सकते हैं लेकिन कोई दूसरे पक्ष को संतुष्ट नहीं करेगा···(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के रूप में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अगर यह विषय से संबंधित है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने उस विषय पर बिल्कुल नहीं बोला । अगर श्री तिवारी फिर दुबारा से इस पर जाना चाहते हैं कि कौन किसे धमका रहा था, हंगामें के लिए कौन उत्तरदायी था आदि तो इससे तो एक नया बहुत बड़ा अध्याय खुल जाएगा । मैं यह सब नहीं दोहराना चाहता हूं । मैं केवल श्री भगत के व्हिप तक ही अपने को सीमित रखे हुए हूं ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय···

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप इसी पर बोलना चाहते हैं ?

[**अनुवाद**]

प्रो० के०के० तिवारी : इस पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर ।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी वह बात तो एक्सैप्ट कर ली थी ।

[**अनुवाद**]

प्रो० के० के० तिवारी : आपने स्वीकार कर ली थी, फिर भी···

[**हिन्दी**]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपके नाम का तो जिक्र नहीं किया ?

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : वह पुराने पाठ में से उद्धृत किया जा रहा था । आप कुछ भी नहीं है, मैंने यह स्वीकार कर लिया था । कोई बात नहीं है । मैंने वह बात स्वीकार कर ली थी ।

[**हिन्दी**]

वह तो हो गया ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे यह अत्यंत दुख से कहना पड़ रहा है क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री और अपने दल के मुख्य सचेतक के रूप में मेरी यह जिम्मेदारी है कि अपने दल के सदस्यों को खुश रखने के साथ-साथ विरोधी दलों के सदस्यों को भी खुश रखूं । इसे मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं और अगर विरोधी दलों के कुछ सदस्य अप्रसन्न रहते हैं तो मुझे इससे दुख होता है इसलिए मैंने कहा कि मुझे यह सब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले को उठाया गया है और मेरे विचार में इसे सुलझाए जाने की आवश्यकता है। मैं यहां इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं माननीय सदस्यों के बोलने की स्वतन्त्रता में पूरा विश्वास रखता हूं। आज मैं मंत्री हूं, इससे पहले मैं एक सदस्य था और इस बात को जानता हूं कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है। मैं सभी विपक्षी दलों और अपने दल के नेताओं और सदस्यों का बहुत आदर करता हूं और जब वे बोलते हैं तो जो कुछ भी वे बोलते हैं उसे अच्छी तरह से सुनता हूं। विरोधी दलों के नेताओं में से प्रो० मधु दंडवते हों या श्री आचार्य हों या फिर श्री इन्द्रजीत गुप्त हों, जब वे बोलते हैं तो मैं उनके समक्ष बोलने से पहले दो बार सोचता हूं। जब वह बोल रहे थे तो मैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह कहते हैं कि अनुच्छेद 105 बिल्कुल भी संगत नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विधि मंत्री ने भी यही कहा था।

श्री एच० के० एल० भगत : श्री इन्द्रजीत गुप्त कहते हैं कि अनुच्छेद 105 संगत नहीं है। यह अनुच्छेद 105 ही है जो एक संसद सदस्य को बोलने की स्वतन्त्रता देता है। यहां जो मामला उठाया गया है मुझे विश्वास है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं पूरी विनम्रता के साथ मुद्दों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, जो यहां उठाए गए हैं। अपनी सामर्थ्यानुसार मैं इसे कर सकता हूं। मैं केवल अपने अस्तित्व से ही नहीं बल्कि हृदय से भी बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि इसके लिए इसे जानने की आवश्यकता है इसीलिए मैंने अपनी बात कही है। महोदय, इस बारे में दो राय नहीं है कि यह आपका विशेषाधिकार है, परमाधिकार है और आपका अधिकार और जिम्मेदारी है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। यह पूर्णतः आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न यह है कि क्या यह हम सब की जिम्मेदारी है या नहीं ? और दूसरे, क्या सदन के नेताओं और सचेतकों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे इसमें सहायता करें ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सदन के नेता सहित।

श्री एच० के० एल० भगत : कृपया व्यवधान न डालें।

प्रो० मधु दंडवते : वह आपकी सहायता कर रहे हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : आप मुझे बोलने दें। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहा हूं। मैं अपने दल की ही नहीं बल्कि सभी दलों की बात कर रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आपने कहा "सदन का नेता"। वह किसी भी दल से हो सकता है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं सदन के सभी दलों के नेता की बात कर रहा हूं क्या सदन में मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने में सहायता करना उनकी जिम्मेदारी है या नहीं है ? प्रत्येक मामला अपनी विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसाकि मैंने पहले कहा कि इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि यह आपकी जिम्मेदारी और परमाधिकार है। मैं केवल कह रहा हूं, यह हम सब की जिम्मेदारी नहीं है विशेषरूप से दलों के नेताओं और मुख्य सचेतक जो सदन में मर्यादा को बनाए रखने में सहायता करने के लिए उत्तरदाई हैं, जब कोई सदस्य लगातार अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय की आलोचना कर रहा हो तो उन्हें सहायता करनी चाहिए।

इन्द्रजीत गुप्त ने कहा, "क्या यह कोई विनिर्णय था या नहीं"? मैं इस मुद्दे पर थोड़ी देर बाद आऊंगा, यहां तक कि श्री रामधन ने भी इसे विनिर्णय कहा है। उन्होंने कहा :

[हिन्दी]

"आपने अपना रूलिंग बदल लिया है।"

[अनुवाद]

वह इसे निर्णय के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कानून इससे भी आगे जाता है। मैं कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ-96 से उद्धृत कर रहा हूं :—

> "जैसाकि पहले कहा जा चुका है अध्यक्ष के विनिर्णयों को केवल प्रस्ताव रख कर ही चुनौती दी जा सकती है, वैसे उन पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। जो सदस्य अध्यक्ष के विनिर्णय पर विरोध प्रकट करता है वह सभा और अध्यक्ष के अवमान का दोषी होता है। अध्यक्ष अपने निर्णय के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होता। सदस्य सभा में या उसके बाहर, अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय, व्यक्त किए गए विचार या दिए गए वक्तव्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं कर सकते।"

प्रो० मधु दंडवते : आप इसी पुस्तक से अन्य विनिर्णय को उद्धृत करें।

श्री एच० के० एल० भगत : प्रो० दंडवते जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। प्रत्येक दिन मैं आपसे कुछ न कुछ नया सीखता हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसा कुछ न कहूं जिससे आपको परेशानी हो। इसलिए कृपया मुझे बोलने दें। अतः महोदय इसमें लिखा है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य या प्रकट की गई कोई राय। मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वह किसी बारे में अध्यक्ष महोदय से स्पष्टीकरण या उस पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध कर सकता है। उसे ऐसा अधिकार है। प्रश्न यह कि दी गई परिस्थितियों में क्या वह किया गया था अथवा कुछ और किया गया? हो सकता है कि वे बातें पहले कही जा चुकी हों मैं सदन की उस दिन की कार्यवाही का हवाला देना चाहूंगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मेरे विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया है। मैं सबका सम्मान करता हूं। मैं हमेशा सबके साथ मधुर सम्बन्ध बनाए रखने की कोशिश करता हूं। पूरा प्रश्न बहुत मौलिक है। मुद्दा यह है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त कहते हैं कि अनुच्छेद 105 असंगत है। अतएव प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 105 संगत है या नहीं? वास्तव में, मैं यह कहूंगा कि संविधान में यह एकमात्र उपबन्ध है जो बोलने की स्वतन्त्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 105 (1) कहता है :

> "इस संविधान के उपबन्धों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक-स्वातन्त्र्य होगा।"

इस प्रकार संविधान में यह अकेला अनुच्छेद है जो विशेषरूप से संसद सदस्यों के बोलने की स्वतन्त्रता की बात करता है। लेकिन श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि यह संगत नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी बात से सहमत है या नहीं। मुझे अपनी राय देने का अधिकार है। मेरे अनुसार संविधान में केवल यह एक ही उपबन्ध है जो इस मुद्दे से सम्बन्धित है। मैं अन्य खण्डों की बात

नहीं करूंगा। यह एकमात्र अनुच्छेद है जो विशेषरूप से, स्पष्ट रूप से और असंदिग्ध रूप से सदस्य को बोलने की स्वतन्त्रता की बात करता है। इस बात के बहुत ठोस कारण हैं कि संविधान तैयार करने वालों ने इस अनुच्छेद का प्रावधान क्यों किया है। अब आप क्या चाहते हैं कि हम अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 19 को भूल जाएं ? क्या आपके कहने का मतलब यह है कि सदस्य को कुछ भी कहने का अधिकार है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस बारे में कुछ व्याख्याएं उद्धृत करने की कोशिश की थी कि मैंने क्यों यह लिखा है कि वह अभी भी दल के सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि इन्द्रजीत गुप्त जानते हैं कि वे हमारे दल के बरखास्त सदस्य हैं। मैंने उन्हें केवल इतना ही बताया कि "आप दल में हैं और किसी भी विषय में दी गई हिदायतों को आपको पालन करना चाहिए।" और वह विषय क्या था ? मैंने उन्हें यह कहा था कि उन्हें अध्यक्ष की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने इस बारे में कोई विवाद नहीं किया जब मैंने कहा कि वे दल के सदस्य हैं। यहां तक रामधन जी ने भी कहा था कि···

[हिन्दी]

श्री रामधन : पार्टी के कांस्ट्यूशन में कोई प्रोवीजन नहीं है आपकी सस्पैंशन की कोई चिठ्ठी भी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : इसलिए, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि व्हिप की भाषा को उसी रूप में लिया जाना चाहिए जिस रूप में उसका प्रयोग किया गया है। मैं अंग्रेजी भाषा का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं भारत के साधारण से स्कूल और कालेज का पढ़ा हुआ हूं। इसलिए, मैं साधारण भाषा का प्रयोग करता हूं और मैं वास्तव में यह कहना चाहता था कि सदन की कारंवाई में बाधा न डाली जाए और अध्यक्ष महोदय के निर्णय की अवज्ञा न की जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहता था। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इसका दूसरा अर्थ क्यों लगाया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त कह रहे थे कि दल-बदल कानून मेरे मस्तिष्क में था। मेरे मस्तिष्क में जो बात थी वह मैंने स्पष्ट रूप से लिख दी है। इसके अतिरिक्त मेरे मस्तिष्क में कुछ नहीं।

महोदय, मैं अब जो कुछ हुआ था उसका सार—संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं चाहूंगा कि इसे रिकार्ड में रखा जाए।

मैं सदन के सम्मुख संक्षेप में यह दोहराना चाहूंगा कि 17 नवम्बर, 1987 को सभा की कार्यवाही के दौरान क्या घटना घटी थी। मैं पहले केवल एक और मुद्दा उठाना चाहूंगा। श्री दिनेश गोस्वामी, जो एक अच्छे वक्ता और विद्वान सदस्य हैं और मेरे एक अच्छे मित्र है, ने प्रश्न किया है कि यह विशेषाधिकार समिति के समक्ष क्यों न भेजा जाए और हम इस पर यहां चर्चा क्यों करें। पहले एक माननीय सदस्य ने उस सारे मामले का उल्लेख किया है जो इस सभा में घटित हुआ है। अतः, यह एक कारण है कि इस मामले की इस सभा में ही चर्चा की जानी चाहिए। दूसरे, हम भिन्न-भिन्न दलों से सम्बन्ध है और विशेषाधिकार समिति में भी मेरे दल के तथा अन्य दलों के सदस्य हैं।

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

और विशेषाधिकार के हनन का मामला इस सभा के सम्मुख सीधे पहली बार नहीं आ रहा है। मैं 'कौल और शकधर' की पुस्तक अंग्रेजी संस्करण के पृष्ठ 729 का उल्लेख करता हूं :

> "वर्ष 1967 में कथित विशेषाधिकार के हनन के एक मामले में सभा में मत-विभाजन हुआ था। उस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बजाए सभा में ही निर्णय ले लिया गया था।"

यह मामला पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई बार हो चुका है और विशेषकर उस समय मामला सदन में ही घटित हुआ था···(**व्यवधान**) मैं सभा के निर्णय का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। यह सभा ही इस पर निर्णय ले सकती है···(**व्यवधान**)

मैं केवल संक्षेप में दोहरा रहा हूं। 17 नवम्बर, 1987 को लगभग 12.10 बजे म० प० पर प्रश्नकाल के पश्चात्, माननीय सदस्य श्री दिनेश गोस्वामी ने नागालैण्ड सरकार द्वारा असम के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्दर कुछ मतदान केन्द्रों के स्थापन की कोशिश किए का जाने प्रश्न उठाने का प्रयास किया। अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी टिप्पणियां कीं। आपने भी सहर्ष कुछ टिप्पणियां की थी। बार-बार व्यवधान उत्पन्न किए गए और अनेक माननीय सदस्य अपने स्थानों से उठकर सभा कूप तक गए थे। श्री राज कुमार राय, श्री रामधन और प्रो० के०के० तिवारी ने कुछ टिप्पणियां की थीं। मैं यहां स्पष्ट करता हूं मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं कि सभा कूप में कौन गया था या उनका व्यवहार कैसा था, आदि-आदि। अध्यक्ष महोदय नियमों की बारीक तकनीकी व्याख्या से नहीं चलते हैं। हममें से अधिकांश कभी किसी नियम का कभी किसी नियम का उल्लंघन करते हैं। मैं 17 नवम्बर की कार्यवाही पर आता हूं। माननीय सदस्य लगभग आधे घण्टे तक इस तरह व्यवहार करते हैं कि सभा में कोई व्यवस्था नहीं थी और आपने सभा स्थगित कर दी थी।

सभा आपके अनुदेशों से 2.50 म० प० पर पुनः समवेत हुई। अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी टिप्पणियां की और उनमें प्रो० के० के० तिवारी और श्री रामधन शामिल थे। तत्पश्चात्, आपने अपना विनिर्णय दिया। आपका विनिर्णय जिसे श्री शिव शंकर ने भी उद्धृत किया था, निम्नलिखित है :—

> "मैं श्री रामधन और प्रो० के० तिवारी से दो स्पष्टीकरण सुन चुका हूं। मैं पाता हूं कि आशंकाएं हैं···इन सब बातों को देखते हुए, हमें यह मसला यहीं समाप्त कर देना चाहिए।"

आपने इस पर ध्यान दिया है कि क्या इसे विनिर्णय कहा जा सकता है या नहीं। चाहे इसे एक वक्तव्य या एक मत या एक निदेश मान लें, मैं तो केवल इसे विनिर्णय के रूप में ही लेता हूं। यह भी यही अर्थ रखता है। और इसका सम्मान होना चाहिए और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। विनिर्णय देने के पश्चात्, आपने गृह मंत्री महोदय को बोलने के लिए कहा जो माननीय सदस्य श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा उठाए गए मुद्दे के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। जब गृह मंत्री बोलने के लिए खड़े थे, तब श्री रामधन और श्री राज कुमार राय खड़े रहे और काफी समय तक आपके विनिर्णय का विरोध किया और अनेक टिप्पणियां कीं। आपने भी सभा में व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिए कुछ टिप्पणियां की।

महोदय, मैं सभी टिप्पणियों को उद्धृत करके आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं उस स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो उस दिन विद्यमान थी, निश्चित रूप से आपकी कुछ टिप्पणियों को उद्धृत करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि यह माननीय सभा भी इसे समझे। महोदय, आपने अत्यधिक आत्मसंयम बरता, अत्यधिक अनुरोध किया, अत्यधिक शांति रखी और अत्यधिक विवेक से कार्य किया। मैं 'फुसलाना' शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा चाहे यह असंसदीय ही हो। आपने माननीय सदस्यों को संयत रखने के लिए अपनी फुसलाने सम्बन्धी शक्तियां अत्यधिक प्रयोग कीं। श्री राम धन और श्री राज कुमार राय ने जो कुछ कहा था और सभापति ने जो कहा था वे बातें मैं कार्यवाही से वृत्तान्त में उद्धृत करूंगा जो इस प्रकार हैं :

[हिन्दी]

"**श्री रामधन** : अध्यक्ष जी, आपने अपना फैसला दिया है।"

यह क्लियर रेफलेक्शन आन दि चेयर था। (**व्यवधान**) आप जरा सुनिए।

"**श्री रामधन** : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है। यदि आपकी तरफ से कुछ नहीं होगा तो इस तरह हाऊस को चलने नहीं दिया जाएगा।"

आप किस हद तक गए, यह मैं कह रहा हूं।

"**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो मैं बन्द कर दूंगा। मुझे उसमें क्या तकलीफ है।"

(**व्यवधान**)

"**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप हाउस नहीं चलना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं।"

ऐसी बात नहीं है कि सिच्युएशन हाऊस रोकने की नहीं थी।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, वह धमकी दे रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या ऐसा लिखा है कि उन्होंने इसे ऊंचे स्वर से और गुस्से में कहा था ?

श्री एच० के० एल० भगत : मधु जी, आपको केवल विपक्ष का समन्वय ही नहीं करना है बल्कि आपको हमें भी सुनना चाहिए। हम आपसे ही सीखते हैं। कभी-कभी, मैं रिकार्ड से हट कर कहता हूं कि आप हम सबका समन्वय करते हैं। तब आप कभी-कभी इस तरह क्यों कार्य करते हैं ?

[हिन्दी]

"**श्री राज कुमार राय** : आपने खुद देखा है, आपने खुद कहा है। इससे ज्यादा क्या होगा।"

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

श्री राज कुमार राय : इसमें कौन सी बात है ? **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : बात यह है कि बार-बार कहने के बावजूद आप खड़े रहे और इस हाऊस की प्रोसीडिंग्ज को आब्स्ट्रक्ट किया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, बहस मत कीजिए।

श्री एच० के० एल० भगत : श्री राज कुमार राय ने कहा है कि आपने खुद देखा है, आपने खुद कहा है। इससे ज्यादा क्या होगा ? मैं यह कहता हूं कि इस हाऊस ने सब देखा है, इस हाऊस ने सुना है और फाइनली कानून में अधिकार इस हाऊस को है, तो यह हाऊस क्यों न डिसाइड करे। **(व्यवधान)** जरा सुनिए। आपको तकलीफ होनी चाहिए। मैंने आपको सुना है, सब को सुना है।

[अनुवाद]

"**अध्यक्ष महोदय** : प्रोफेसर साहिब, मैं आपसे सहमत हूं।" यह प्रो० दण्डवते के सन्दर्भ में है :

"मैं, आपने जो कहा है, उसका पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। मैं अपने कदम वापिस नहीं लौटाता और मैं किसी व्यक्ति के पीछे कोई बात नहीं छिपाता हूं। यदि मैं पक्षपाती हूं तो लाभ पाने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं है। मैं ऐसा नहीं हो सकता।"

इसका अर्थ है कि अध्यक्ष महोदय टिप्पणी या विनिर्णय दोहरा रहे हैं। इस समय, श्री रामधन क्या कहते हैं :

[हिन्दी]

"**श्री राम धन** : इसमें अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई शक नहीं है। अगर आप इंसाफ ठीक से करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, न मैं कुछ कहता।" **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : दूसरे शब्दों में प्रो० साहिब यह नहीं सोचते हैं कि आप सब कारणों के पात्र हैं। **(व्यवधान)**

सभापति पर पुनः यह आक्षेप लगाया गया है।

[हिन्दी]

यह ऐसा बोलते हैं कि "अगर आप इंसाफ ठीक से करते तो कोई आपत्ति नहीं थी और न मैं कुछ कहता।"

[अनुवाद]

इसका अर्थ है कि वह आप पर अनुचित होने का दोष लगा रहे हैं। क्या यह निन्दा नहीं है ? यह और क्या है ? तत्पश्चात्, महोदय, श्री रामधन।

[हिन्दी]

"**श्री राम धन** : अब इस तरह से किया जा रहा है। आपने जो पहले कहा था, मैं उस रूलिंग को मानता हूं।"

जो पहले कहा था, उस रूलिंग को मानता हूं।

[अनुवाद]

दूसरे शब्दों में, अध्यक्ष महोदय द्वारा आपने विवेक से मामला समाप्त किए जाने के पश्चात, वह इसे बार-बार चुनौती दे रहे हैं और अध्यक्ष महोदय पर पुनः अपनी टिप्पणी बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय की आलोचना कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय की निन्दा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

इसके बाद अध्यक्ष महोदय कहते हैं :

"**अध्यक्ष महोदय** : राम धन जी, आप बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़े सज्जन लगते थे आप तो। आप तो कहते थे कि मैं बड़ा भला आदमी हूं, बैठ जाइए अब।"

[अनुवाद]

वह आप पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं ? इसे जान लेना चाहिए। (व्यवधान)

जब तक मैं भाषण नहीं समाप्त कर देता, मैं रुकूंगा नहीं। आप मेरे विरुद्ध एक प्रस्ताव लाए हैं। आपको मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

इस पर राम धन जी क्या कहते हैं :

"**श्री रामधन** : मुझे आपकी कोई बात सुनाई नहीं पड़ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसा रिवाज कायम न करें कि यदि सदन में किसी सदस्य पर हमला किया जाता है..."

मैं फेथफुल्ली कोट रहा हूं।

[अनुवाद]

"**अध्यक्ष महोदय** : मैंने किसी बात की अनुमति नहीं दी है।"

[हिन्दी]

स्पीकर साहब ने कुछ एलाऊ नहीं किया लेकिन उनकी परमिशन के बिना खड़े हैं और बोले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर क्या कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं :

"**अध्यक्ष महोदय** : राम धन जी, कुछ तो थोड़ा सा ख्याल किया करते हैं सदन का, देश का भी, सबका ध्यान करके मैंने जो बात कही है, मैंने हिसाब से ही कहा है, मैंने कोई अनुचित

बात नहीं की, किसी के अहित की बात नहीं की, किसी के अपमान की बात नहीं की। सबका मान करने की मेरी पूर्ण इच्छा है, आपका मान ही मेरा मान है और सदन का मान ही सबका मान है, इसलिए जब आप मान गए हैं; तो अब भी आपको मान जाना चाहिए। अब और मत करिए, बैठ जाइए।"

इसके बाद न वे बैठते हैं और न मानते हैं और खड़े हैं और क्या बोलते हैं :

"**श्री राम धन** : इस तरह से केस को रफा दफा किया जा रहा है।"

इससे ज्यादा सीरियस रिफलेक्शन चेयर पर और क्या हो सकता है।

[**अनुवाद**]

राम धन जी, उनका सम्मान करते हुए, उन्होंने सभापति पर, न केवल एक बार बल्कि आधा दर्जन बार, आक्षेप किया है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय कहते हैं :

"**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास हाऊस एडजर्न करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

[**अनुवाद**]

मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने देख लिया है, अगर उसमें ऐसा कोई लफज होता, तो मैं उनसे माफी मंगवा लेता, कार्यवाही से निकलवा देता, इसमें वे कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, आपको देखने में गलतफहमी हुई है, अब इसमें क्या किया जा सकता है।"

[**हिन्दी**]

श्री राज कुमार राय : कायर आदमी में हिम्मत नहीं होती है।

[**अनुवाद**]

श्री राज कुमार राय भी अपनी बात जारी रखे हैं।

[**हिन्दी**]

स्पीकर के कहने के बावजूद वह कहते जाते हैं।

[**अनुवाद**]

आप बोलना जारी रख रहे हैं।

महोदय, यह बात कुछ ऐसी है कि श्री राम धन आपको सबक सीखा रहे हैं।

23 अग्रहायण, 1909 (शक) 17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

[हिन्दी]

राम धन जी क्या कहते हैं ? "आपकी सीट के ऊपर 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय' लिखा हुआ है । ऐसा नहीं होना चाहिए । जो अन्याय हमारे साथ बाहर होता है, वह अन्याय सदन में भी हो ।"

[अनुवाद]

वह पुनः लगातार आपकी अवज्ञा कर रहे हैं ।

इस समय एक प्रश्न उठता है, जैसे, इन दो माननीय सदस्यों को व्हिप क्यों दिया गया । साधारणतः व्हिप पूरे दल को जारी किए जाते हैं । (व्यवधान) मैं यह देख सकता हूं । पहली बात है कि मैं इसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं । जैसाकि अनेक माननीय मित्र कह चुके हैं कि एक क्षण के लिए दल बदल सम्बन्धी नए कानून को भूल जाएं । वहां, दलों को सांविधिक मान्यता दी गई है; लेकिन पूर्वोदाहरण से, हमारे विभिन्न नियमों से, दलों को मान्यता दी गई है और सभा में दलों के कार्यकरण संसदीय प्रजातन्त्र का सार है । महोदय, किस प्रकार आप उन्हें समय का आवंटन करते हैं और किस प्रकार वे अनेक कार्य करते हैं । आप किस प्रकार उनके नामों के लिए कहते हैं और किस प्रकार दलों को, 'हां' और 'नहीं', इस प्रकार या उस प्रकार मत डालने के लिए, पथ-प्रदर्शन करते हैं ।

[अनुवाद]

सभा में व्हिप लम्बे समय से जारी किया जाता रहा है ।

माननीय महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं । मैं पूछना चाहूंगा कि : यदि कोई माननीय सदस्य किसी भी तरीके से व्यवहार करता है या बोलता है तो क्या माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि नेतागणों और मुख्य सचेतक को किसी प्रकार का दखल नहीं देना चाहिए ? क्या आपके कहने का यही अभिप्राय है ? मैं आपको बता दूं कि वह दिन भारतीय प्रजातन्त्र के लिए अशुभ दिन होगा । (व्यवधान)

श्री वासुदेव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं जनवाणी कार्यक्रम में गया तो एक प्रश्नकर्त्ता ने मुझसे यह प्रश्न किया कि :

[हिन्दी]

"इन सदनों में क्या होता है, मेम्बर्स कैसे बिहेव करते हैं, आप क्या करते हैं रोकने के लिए ?"

मैंने कहा—"यह तो डेमोक्रेसी में होता ही है ।"

और आप देखिए, पढ़िए, जरा ध्यान से भी सुनिए । (व्यवधान)

बहुत अखबारों में, बहुत जर्नल्स में समय-समय पर लिखा गया है । हमारे बहुत से प्रेस ने लिखा है उसके बारे में जो हाऊस में बाज वक्त हुआ है । उसको क्रिटिसाईज किया है । उन्होंने कहा है कि रूल्स की अवहेलना है । कइयों ने कई बार यह कहा, लिखा है कि हाऊस के लीडर को यह देखना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि सारा आप ही करते हैं, कभी-कभी मेरे मेम्बर भी करते हैं । वे भी

खड़े हो जाते हैं, स्पीकर खड़े होते हैं तो वे भी खड़े रहते हैं। आपके यहां से अकसर होता है, हमारे यहां से कभी-कभी होता है। मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : फेअरफैक्स के बारे में प्रैस ने क्या लिखा है, वह सुना है आपने ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने भी देखा है। अब जरा उन बातों को न उठाइए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं यह कह रहा हूं। इस बात का ध्यान किए बिना, मुझे बोलने का अधिकार है और मैं बोलने जा रहा हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आप अपनी बात छोड़ दीजिए। इसके बाद भी कल, परसों दो-तीन बार आपने कहा है।

[अनुवाद]

"संसदीय कार्य मंत्री महोदय, यह क्या हो रहा है ?" क्या मुझे आपका जबाव देने तथा अपने सदस्यों को बैठने के लिए पूछने का हक नहीं है ? क्या मुझे उनसे नहीं कहना है कि : "कृपया बैठ जाइए; कृपया ऐसा मत कीजिए", यदि मैं इसे मौखिक रूप से कर सकता हूं तो मैं इसे लिखित रूप में भी जरूर कर सकता हूं। **(व्यवधान)** अब, कृपया, बैठ जाइए। नहीं, नहीं, व्यवधान मत डालिए।

श्री राज कुमार राय (घोसी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? श्री भगत जी, एक मिनट···

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था, सरकार के खिलाफ उस दिन आपने एक निर्णय दिया था और उसके खिलाफ आधे घण्टे से भी ज्यादा, एक घण्टे तक सारे उच्च मंत्रीगणों और प्रधान मंत्री तक आपके निर्णय के विरुद्ध बहस कर रहे थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : क्या उस समय डिसओबीडिएंस नहीं था, जब सब लोग कह रहे थे कि नहीं इसको बदलिए, इसको रिव्यू कीजिए, उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे। इस पर हम आपकी रूलिंग चाहते हैं, इससे बड़ा आकेजन और क्या हो सकता है जिस पर घण्टा डेढ़ घण्टा काऊंसिल आफ मिनिस्टर्स और स्वयं प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे···**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : बता दिया आपने, अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : तीन-चौथाई कैबिनट मंत्री व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य जानते हैं कि यहां कोई तुलना नहीं की गई है। क्या मुझे बताएंगे कि पार्टी के किसी सदस्य ने कहा है कि हम सदन में कार्य नहीं होने देंगे ? क्या किसी सदस्य ने चेतावनी, आलोचना···**(व्यवधान)**

श्री राज कुमार राय : सभी ने उस दिन अध्यक्ष को कार्य करने की इजाजत नहीं दी। आपने अध्यक्ष से सदन को स्थगित करने को कहा···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे मेरी अनुमति से बोले; उन्होंने मेरी अनुमति मांगी और सभी को बोलने की इजाजत दी गई। यही सब कुछ हुआ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उनको इजाजत दी गई थी; आपने उन्हें अपने विनिर्णय पर बोलने की इजाजत दी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बातों को सुन रहा था···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जब मैं उठा तो तीन-चौथाई कैबिनट मंत्री व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : परन्तु सत्य तो यह है कि आधे कैबिनट मंत्रियों ने आपके विनिर्णय का विरोध किया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे कुछ निश्चित विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री भगत जी, मैंने कहा था आपका व्हिप इस समय कहां है। आप यहां पर चुपचाप बैठे हुए थे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं इस बात को मत छेड़िए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप दोहरी नीति अपनाना चाहते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने कहा था कि अन्य मंत्रियों ने कहा कि वे आपके विनिर्णय से पहले कुछ अनुरोध करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने विनिर्णय दिया और आपने उसको चुनौती दी।

(व्यवधान)

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको रिकार्ड दिखा सकता हूं। उन्होंने विनिर्णय दिया था। (**व्यवधान**)

श्री वासुदेव आचार्य : उन्होंने विनिर्णय दिया था और आप विनिर्णय को बदलवाना चाहते थे। आप रिकार्ड देखें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मेरे अपने विचार हैं। मैं अपने ही विचारों से काम करता हूं। मैं किसी अन्य के विचारों का अनुकरण नहीं करता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : एक बात यह है कि पूरे दल को व्हिप जारी किया गया था किसी सदस्य विशेष को नहीं। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। केवल ये दो कांग्रेस (इ) से निलम्बित सदस्य ही नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं और अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं, अध्यक्षपीठ के विनिर्णय का विरोध करते हुए बिना आपकी अनुमति के बोलते जा रहे हैं। आपके विनिर्णय की आलोचना कर रहे हैं, आपके विनिर्णय की अवहेलना करते हुए और अध्यक्षपीठ पर आक्षेप करते हुए एक लम्बे समय से सभा की कार्यवाही में रुकावट भी डाल रहे हैं और इस प्रकार इन्होंने ही सभा की अवमानना की है। क्या इस समय मुझे श्री राजकुमार राय की गलती के लिए अपने सारे सदस्यों को व्हिप जारी करना चाहिए था ? (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राजकुमार राय : यह काम अगर आप करें···

अध्यक्ष महोदय : आपने फिर बोलना शुरू कर दिया।

श्री राजकुमार राय : हम कहें तो डिसओबे करते हैं और जब ये कहते हैं तब···।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठेंगे या नहीं ? बैठिए।

[**अनुवाद**]

श्री एच० के० एल० भगत : न तो मेरा और न ही मेरे दल का कोई इरादा है, न तो मैं इस मुद्दे की बारीकी पर विश्वास करता हूं, न तो मैंने किसी सदस्य से उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने को कहा, जो कि लाया जा सके। किन्तु मैं ऐसा नहीं करता हूं; न ही ऐसा करूंगा। एक बात जो कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने की मैं सोचता हूं वह यही है। यह कहना सही नहीं है कि वे केवल आपके विनिर्णय के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं; वे स्पष्ट रूप से इसकी अवहेलना कर रहे हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 352(आठ) में स्पष्टतया उल्लेख है कि "कोई सदस्य अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा" जैसाकि किया गया था। कौल और शकधर का उद्धारण (पृष्ठ 96) :

"कोई सदस्य जो अध्यक्ष के विनिर्णय का विरोध करता है वह सभा और अध्यक्ष की अवमानना करता है।"

प्रो० मधु दण्डवते : आप पृष्ठ 97 भी देखें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी आपकी बहुत बुरी आदत हो गई है बोलने की।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : इस स्थिति में, जबकि आपके बार-बार अपील करने के बावजूद स्थिति यहां तक पहुंच गयी कि दो माननीय सदस्य श्री रामधन और श्री रामकुमार राय, अन्य विपक्षी सदस्यों के साथ लगातार अध्यक्षपीठ के विनिर्णय की अवहेलना कर रहे थे, कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे और सभा की अवमानना कर रहे थे। मैंने एक लिखित व्हिप कांग्रेस (इ) के इन दो माननीय सदस्यों को भेजा कि वे अध्यक्षपीठ के विनिर्णय को स्वीकार करें। मैंने भी यह सभा में कहा। अन्त में आपने निम्न टिप्पणी के बाद सभा को 3.41 बजे म०प० पर स्थगित कर दिया :

"मुझे स्थिति ऐसी नहीं लगती कि हम कार्य कर सकेंगे···"

श्री एच० के० एल० भगत : यह स्थिति किसने पैदा की ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : आपने।

श्री एच० के० एल० भगत : नहीं ! आपने ! हमने नहीं।

"सदस्य का नाम लेने के सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं कार्य करना चाहता हूं। मैं सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

आप मजबूर करते हैं, आप काम करने नहीं देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

मैं सभा को कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित करता हूं।"

महोदय, ये परिस्थितियां थी जिनका उल्लेख मैंने शुरू में भी किया और किसी ने मुझे इस व्हिप को जारी करने के लिए प्रेरित नहीं किया। यह एक बात है। मेरे माननीय सहयोगियों और मित्रों को कानून और प्रक्रिया के बारे में अधिक ज्ञान हो सकता है। किन्तु मैं उनको बताना चाहता हूं कि वे बहुत वरिष्ठ हैं, शायद उनमें से कुछ मुझसे अधिक लम्बे समय तक सदन के सदस्य रहते आए हैं। मैं संसद में 1971 में आया। बचपन से मैं सार्वजनिक जीवन से सम्बद्ध रहा हूं। मैं उतना ही शिक्षित हूं जितना आप में से अधिकतर हैं। मैं लन्दन नहीं गया। (व्यवधान) किन्तु मैं दिल्ली में जनता के मंच पर कार्यरत रहा हूं, यद्यपि मैंने बहुत कुछ सार्वजनिक जीवन से सीखा है। किन्तु मैं कानून और नियम जानता हूं। मैंने पूर्व पैरा में, उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनके कारण व्हिप जारी करने को

विवश होना पड़ा। मैं संविधान के अनुच्छेद 105 के प्रावधानों के अनुसार माननीय सदस्य के वाक् स्वातन्त्र्य पर पूरा विश्वास करता हूं। व्हिप की भाषा बहुत स्पष्ट है। व्हिप केवल अध्यक्षपीठ के विनिर्णय की अवहेलना को रोकने के लिए जारी किया गया था, ताकि सभा की मर्यादा बनायी रखी जा सके। व्हिप जारी करने का यही कारण है। और कोई कारण होने का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने अपनी मौखिक टिप्पणियों में भी इसी बात पर जोर दिया था। अब कुछ साथियों ने कहा है··· (व्यवधान) श्री दंडवते बहुत तेज हैं। मैं यह कह दूं कि वे बहुत तेज हैं। वे कहते हैं कि मैंने यह शब्द जानबूझकर चुना है। (व्यवधान) कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैंने इन शब्दों का जानबूझ कर प्रयोग किया हैं। मैं इसे दोहराना चाहता हूं। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? परिणामतया, आप सदस्य का नाम ले सकेंगे। अध्यक्ष की ऐसियत से आप उन्हें सभा से बाहर जाने के लिए कह सकते थे। यदि उन्होंने इंकार किया होता, तो अपने दल के सदस्य होने के बावजूद मुझे उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाना पड़ता। यदि आवश्यक होता तो मैं यह करता—उन्हें सभा छोड़ने अथवा निलम्बन के लिए प्रस्ताव लाने हेतु कहता। अब, यदि मैं अपने सदस्यों को यह कहूं, "आपको अध्यक्ष के आदेश की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, और मेरे निदेशों का पालन करें···", यदि किसी सदस्य को अध्यक्ष के आदेश का पालन करने हेतु कहा जाए तो सदस्य, जोकि निरन्तर अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन कर रहा हो, अध्यक्ष को बार-बार चुनौती दे रहा हो और यदि वह पाप है तो मैं पापी हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप पश्चाताप न करने वाले पापी हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : अब, महोदय, इस संबंध में यह निवेदन करता हूं कि सभा की मर्यादा, गरिमा और अनुशासन बनाए रखने का अधिकार और जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। उन्होंने इस मुद्दे को उछालने की कोशिश की है। श्री दिनेश गोस्वामी, श्री इन्द्रजीत गुप्त और अन्य सदस्यगण, यह अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मैं आपके अधिकारों और विशेषाधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। वास्तव में अपने सदस्यों को अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करने हेतु कहने पर मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। मैं सभा की गरिमा और मर्यादा को मजबूत कर रहा हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं यह न करूं तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण यह मानना पड़ेगा कि न तो वे और न ही हम यह करते हैं और अनेक अवसरों पर भी हम यह नहीं करते हैं। इसीलिए, संसद का कार्यकरण भी बदनाम हो रहा है।

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री एच० के० एल० भगत : यही कर्त्तव्य सभा के माननीय सदस्यों का भी है। (व्यवधान) क्या आप व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी ने यह भी मालूम किया कि संसद में जो तेज तर्रार बातें हुई और एतराज हुए, वे किस बात पर हुए। क्या सदन को बतायेंगे।

[अनुवाद]

उन्होंने प्रोफेसर के० के० तिवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता है। अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, श्री आरिफ मोहम्मद खां मेरे अच्छे साथी हैं। वे भी काफी तेज हैं। मैं उनके लिए जानबूझ कर 'चतुर' शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। उन्होंने पूछा है, "इस बोफोर्स समिति के प्रति यह अनुराग क्यों, सभा के प्रति यह अनुराग क्यों ?" मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि विपक्ष ने ही बोफोर्स के सम्बन्ध में समिति गठित करने की मांग की थी। दूसरी बात यह है कि उसके समान और कोई समिति नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमें प्राप्त भाषण की स्वतंत्रता का कितना आदर करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : विशेषाधिकार का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : हम जानते हैं कि माननीय सदस्य हमारे दल के निलम्बित सदस्य हैं। वे क्या कहते हैं, यह हम सब जानते हैं। जब आप इस पक्ष में बैठे हुए थे तो आप अपनी बात कहते थे। अपने मुस्लिम महिला विधेयक के विरुद्ध बोला था। आप याद कीजिए, आपने इसके पक्ष में मत दिया था। आपने इसके पक्ष में मत क्यों दिया ? आपको अपना अंत:करण का पता करना चाहिए···**(व्यवधान)** आपने इसके पक्ष में मत क्यों दिया ? क्या आप मुसलमानों अथवा किसी अन्य समुदाय के समर्थक हैं। आपको स्वयं विचार करना चाहिए। मैं यह प्रश्न आपके अन्त:करण से और यहां जो अन्य माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे पूछ रहा हूं। अब, आप हमारे दल से बाहर हैं और मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। अन्य सदस्य, जिन्हें हमारे दल से निलम्बित किया है, यहां क्या-क्या कहते हैं, यह मैं जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि वे यहां क्या बातें करते हैं और क्या-क्या करते हैं और क्यों। यह ठीक है। चूंकि इस सम्बन्ध में कानूनी संवैधानिक विकल्प हैं मुझे कोई चिन्ता नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके अनेक सदस्य बाहर आपके कार्यों की आलोचना करते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : एक मिनट ठहरिए, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि सभा में मर्यादा, गरिमा और अनुशासन बनाए रखना अध्यक्ष का विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व है। सभा के माननीय सदस्यों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे नियमों और निर्देशों के अनुसार काम करें और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का आदर करें। मैं इसे पुन: दोहराता हूं कि सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने को सुनिश्चित करने हेतु सभा में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं/सचेतकों द्वारा किन्ही परिस्थितियों में अपने सदस्यों पर प्रतिबंध लगाकर अध्यक्ष की सहायता करना उन दलों/ग्रुपों के नेताओं/सचेतकों का कर्त्तव्य और जिम्मेदारी भी है।

अब मर्यादा और गरिमा बनाए रखने का प्रश्न—यह मेरा विचार नहीं है—सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के प्रश्न पर विभिन्न अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में चर्चा की गई है उसमें कई सिफारिशें स्वीकार की गई थीं। ये सम्मेलन मेरे दल से सम्बन्धित नहीं है उसमें आपके दल के सचेतक भी थे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम धन : उसको रूल में अभी तक नहीं लिया गया है।

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उल्लेख कर रहा हूं जनवरी, 1986 में :

"सम्मेलन में विधानमण्डलों में मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और यह सिफारिश की गई कि प्रतिनिधि संस्थाओं की उच्च स्तर पर प्रतिष्ठा कायम रखने को ध्यान में रखते हुए विधायकों और सांसदों को हमेशा मर्यादा और अनुशासन कायम रखने हेतु प्रयास करना चाहिए जिसमें प्रतिनिधि संस्थाओं की चर्चाओं में संयम और गरिमा भी शामिल है।"

आगे देखिए। अक्तूबर, 1967 में उन्होंने कहा :

"उन सदस्यों को, जो निरन्तर और जानबूझकर अध्यक्ष के विनिर्णय का उल्लंघन करते हैं और अनुचित रूप से अव्यवस्था पैदा करते हैं, निरूत्साहित किया जाना चाहिए।"

मैं निरूत्साहित कैसे कर सकता हूं ? यह आप सबकी और आपके दल की सिफारिश है।

महोदय, सितम्बर, 1969 में मद्रास में हुए सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में उन्होंने कहा था :

"उन सदस्यों को, जो निरन्तर और जानबूझकर कर अध्यक्ष के विनिर्णय का उल्लंघन करते हैं और अनुचित रूप से अव्यवस्था पैदा करते हैं, निरूत्साहित किया जाना चाहिए।"

"सदस्यों को पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही सभा में मामले उठाने चाहिए।"

"अध्यक्ष के विनिर्णयों का आदर किया जाना चाहिए और उसे सभा में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।"

ये सब आपकी और मेरी सिफारिश है।

इसलिए सचेतकों की जिम्मेदारी केवल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना और उन्हें दल के पक्ष में मतदान करने तथा समर्थन देने हेतु कहना ही नहीं है अपितु संबंधित सदस्यों द्वारा सभा की मर्यादा और गरिमा कायम रखने में अध्यक्ष की सहायता करना भी है। सभा में सचेतक कार्यशील संस्था हैं, वही वाद-विवाद में भाग लेने हेतु वक्ताओं नाम अध्यक्ष को भेजते हैं। इस सीमा के अन्तर्गत अन्य सदस्य यह शिकायत नहीं कर सकते हैं कि यदि उनका नाम सूची में नहीं दिया गया है और उन्हें भाषण करने से वंचित रखा गया है तो अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत वाक्-स्वातंत्र्य का उल्लंघन होता है। सभा के सुचारू कार्यकरण के लिए यह प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। सचेतक ही अपने दल के सदस्यों को बताता है कि वे किस तरह मतदान करेंगे। वे ही दल के सदस्यों को अध्यक्ष के साथ सहयोग करने हेतु कहते हैं और उन्हें राय देते हैं कि वे कोई विशेषाधिकार का हनन न करें। कई अवसरों पर अध्यक्षपीठ ने सभा में स्थिति की ओर मुख्य सचेतक (संसदीय कार्य मंत्री) अथवा उनके सहयोगियों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें सदस्यों को नियंत्रित करने हेतु कहा गया है। वस्तुत: ऐसे भी उदाहरण हैं जब सभा के मुख्य सचेतक/नेता द्वारा दलीय मंच पर स्थिति से निपटने हेतु तुरन्त और दृढ़तापूर्वक कार्य करने में विफल रहने के लिए उनकी भूमिका की आलोचना की गई

है। (भारत में संसदीय विशेषाधिकारों सम्बन्धी विधान—श्री वी०जी० रामचन्द्रन द्वारा लिखित पुस्तक पृष्ठ 617)

महोदय, मेरे साथी ने भी चैम्बर्स शब्द-कोश के अनुसार उल्लेख किया है—मैं दो पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूं : "सचेतक वह है जो दल की उपस्थिति और अनुशासन का काम देखता है।" महोदय, सभा में व्हिप कैसे जारी किया जा सकता है, मेरा विचार है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुख्य सचेतक/नेता को सभा में अपने दल के सदस्यों को व्हिप जारी करने से रोके। प्रथा यह रही है कि जब सभा में मत विभाजन होता है अथवा जब सभा पटल पर अचानक कुछ मामले उठाए जाते हैं तो मुख्य सचेतक/सचेतक अपने दल के सदस्यों को स्पष्ट संकेत देता है और इस सम्बन्ध में निर्णय लेना और तदनुसार अपने दल के सदस्यों को निदेश देना उसकी क्षमता के अन्तर्गत है। यदि यह दावा किया जाता है कि सभा में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है, तो प्रायः उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निबटना कठिन होगा। वास्तव में दल के सदस्य मुख्य सचेतक से ऐसे निदेश प्राप्त करते हैं।

मैं एक उदाहरण देता हूं। 7 अगस्त, 1975 को लोक सभा में जब संविधान (48वां संशोधन विधेयक पर विचार किया जा रहा था तो वाद-विवाद के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं निम्नलिखित टिप्पणी की थी :

मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं। तब शायद माननीय श्री ढिल्लों इस सभा के अध्यक्ष थे। और श्री रघुरमैय्या कांग्रेस के एक सदस्य की सीट के पास यह कहने के लिए गए कि अपना संशोधन न रखें। सदस्य ने संशोधन नहीं रखा। और उन्होंने यह मामला उठाया कि भाषण की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है। तब अध्यक्ष महोदय ने कहा था :

"···सचेतक को अपने दल के सदस्यों को अनुदेश जारी करने का अधिकार है।"

सभा में यह घटना हुई थी।

"···जहां तक सचेतकों का प्रश्न है, वे उन्हें अपने निर्णय की सूचना देते हैं। दोनों पक्षों द्वारा ऐसा किया जाता है। सचेतक का यह कार्य है···।"

ये टिप्पणियां सभा में हुई घटना से सम्बन्धित हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि सचेतक दल के सभी सदस्यों को अनुदेश जारी कर सकते हैं न कि किन्हीं सदस्यों को। उन दोषी सदस्यों के मामले में जो अध्यक्ष के विनिर्णय पर विवाद खड़ा करके सभा के विशेषाधिकार, उसकी गरिमा और अनुशासन आदि को भंग करते हैं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : अध्यक्ष जी, आप हम लोगों को बचाइए।

अध्यक्ष महोदय : अब तो मंत्रालय भी नहीं बचा सकता।

श्री एच०के०एल० भगत : आप खड़े होकर मान लीजिए कि कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उस दिन आपने स्वयं श्री रामधन जी और तिवारी जी दोनों को कुछ कहने की अनुमति दी थी। और वे उससे संतुष्ट थे। उस दिन श्री तिवारी अथवा किसी अन्य के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा था।

अध्यक्षपीठ की गरिमा सभा की तथा राष्ट्र की गरिमा है। इसे कायम रखा जाना चाहिए। मैंने उसे बनाये रखने में मदद की है। यदि सभा में गरिमा और अनुशासन कायम करने में अध्यक्षपीठ की सहायता करने की दल के नेताओं और सचेतकों की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया जाता है तो मेरे विचार से देश में लोकतंत्र के सुचारू ढंग से कार्यकरण पर इसका खतरनाक प्रभाव हो सकता है।

मैं पुन: निवेदन करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा सदस्यों को प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता के प्रति मेरी पूरी आस्था है और इस मामले के तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि यह संसद सदस्य के रूप में उन्हें अपने दायित्वों का निर्वाह करने से रोकने अथवा डराने का मामला नहीं था। मैंने तो केवल उनसे यही कहा था कि वे अध्यक्षपीठ के विनिर्णय की और अवहेलना न करें और सभा में गरिमा और अनुशासन कायम करने में मदद करें। माननीय सदस्यों के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। मेरी मंशा तो इस सम्मानित सभा में अनुशासन और गरिमा के उच्च मानदंड कायम करने की थी···(**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमुन्द) : श्री भगत ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। उन्होंने विशेषाधिकार समिति को भेजने के सन्दर्भ में यह एक बहुत अच्छा पक्ष प्रस्तुत किया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा का ध्यान नियम 226 की ओर आकर्षित करता हूं। इसके अनुसार :

> "यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दे दी जाए, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी।"

अत: यह सभा पर निर्भर है कि वह (क) मामले पर निर्णय करे अथवा (ख) उस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दे। (क) और (ख) में वर्णित कार्यवाही किसी सदस्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव द्वारा की जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य इस आशय का प्रस्ताव रखना चाहेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप प्रस्ताव रखें और मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार मुझे अब इसे सभा में रखना है···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मुझे एक बात कहनी है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस प्रस्ताव को रखने का कोई प्रावधान नहीं है···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : वे बहुमत में हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सवाल बहुमत का नहीं है। बहुमत अथवा अल्पमत का सवाल तो सब जगह मौजूद है···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अपनी सहमति दी है। मेरे पास इसे सभा में रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस तरह भी आप चाहें···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता है तो मैं कार्यसूची का अगला मद शुरू करूं···(**व्यवधान**) मैंने अपना यह काम कर दिया है और अब आप अपना काम कीजिए···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना कर्त्तव्य कर दिया है। मैंने इसे सभा में रख दिया है। मैं सभा से बढ़कर नहीं हूं। मैंने अपना काम कर दिया है। हमने इस विषय पर सम्भवतः चार घंटे से भी अधिक समय खर्च किया है क्योंकि मैंने इसे महत्वपूर्ण समझा था। अब इसे रखना आपका काम है···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रस्ताव नहीं रखते हैं तो मैं अगले मद को शुरू करूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप भाषण की स्वतंत्रता के मामले का फैसला बहुमत की मर्जी पर छोड़ रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा व्यस्था का एक प्रश्न है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिए। इस सभा में भाषण की स्वतंत्रता पर कभी भी रोक नहीं लगाई जाएगी। इस बात से आश्वस्त रहिए। इस विषय में कोई समस्या नहीं होगी···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं किया जाएगा···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, सदन में भाषण की स्वतन्त्रता और विशेषाधिकार का हनन किया गया है। हम इसका उपाय चाहते हैं।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप शोर करते हैं।

17 नवम्बर, 1987 को श्री रामधन और श्री राजकुमार राय को व्हिप जारी करके उन्हें कथित रूप से डराने और उनकी वाक् स्वतन्त्रता का दमन करने के कारण संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

14 दिसम्बर, 1987

[अनुवाद]

सभा में संसदीय प्रक्रिया और हमारे नियमों के अनुसार भाषण की स्वतन्त्रता पर रोक नहीं लगायी जाएगी। इस बात से आशवस्त रहें···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते ही चले जाते हैं। आप अपना करना चाहते हैं तो मूव करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अब यह मुझे नहीं आपको करना है। मैंने इसे सभा में रख दिया है। यदि आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रखिए अन्यथा मुझे परेशान मत कीजिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने नियम 226 उद्धृत किया है। परन्तु नियम 226 के बाद नियम 227 है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसका इस नियम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : नियम 227 के अनुसार : "इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न समिति को सौंप सकेगा···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने इसे सभा में रखा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप इस अधिकार का प्रयोग न करें पर आपको अधिकार तो है ही। आप उसका प्रयोग न करने का निर्णय ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं इसे सभा में प्रस्तुत कर रहा हूं तो अधिकार का इस्तेमाल क्यों करूं ? सभा यहां विद्यमान है और मैंने अपना काम कर दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, भाषण की स्वतन्त्रता को बहुमत की मर्जी पर मत छोड़िए। वे बहुमत द्वारा सभा में भाषण की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपने जो सूचना दी है उसमें कहा गया है : "अत: मैं नियम 223 के अन्तर्गत श्री एच० के० एल० भगत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना देता हूं और अध्यक्ष महोदय से नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने हेतु अनुमति चाहता हूं।" मैंने उसकी अनुमति दी है। अब यह आप पर निर्भर है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हमने आपसे इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रस्ताव रख सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जी हां, मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि हम अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध करते हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम अनुरोध करते हैं। यह हमारी आपसे अपील है। महोदय, हमें आपसे अपील करने का अधिकार है। आप हमारी भाषण की स्वतन्त्रता के रक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही तो किया है···

[**हिन्दी**]

आपके शोर करने से···

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप हमारी भाषण की स्वतन्त्रता के रक्षक हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति को अथवा भाषण की स्वतन्त्रता को खतरा नहीं है। बिल्कुल नहीं है···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, स्वतन्त्रता को बहुमत की मर्जी पर छोड़ने से क्या उसकी रक्षा हो सकती है ? (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई मोशन नहीं दे रहे हैं,

[**अनुवाद**]

तो मैं दूसरे पद पर आता हूं। श्री नामग्याल।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपको सभा की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है।

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने की है···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने को तैयार नहीं हैं···(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप इसे विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं सौंप देते ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं ? आप प्रस्ताव रखिए । अब आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्योंकि हमें सभा के क्रूर बहुमत पर कोई भरोसा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यदि आप बहुमत की बात करते हैं तो बहुमत और अल्पमत तो समिति में भी मौजूद है···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मौलिक अधिकारों की तरह भाषण की स्वतन्त्रता और सभा के विशेषाधिकार को अन्य शक्तियों के समान नहीं माना जा सकता ।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन डरता आप से भी नहीं हूं ।

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप संसद के किसी प्रस्ताव को और भाषण की स्वतन्त्रता की मांग के समकक्ष मानेंगे ? क्या उन्हें समान माना जा सकता है ? जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों और दूसरे मुद्दों को समान नहीं मानता है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कई बार इस सभा में यह आश्वासन देता रहा हूं कि सभा में भाषण अथवा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने का कोई प्रश्न नहीं है और ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है । अब इस बात के बारे में यही एक प्रश्न है । यदि आप कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो उसे दे दीजिए···

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या वे बहुमत से हमारी स्वतन्त्रता को छीन सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं ।

प्रो० मधु दंडवते : वे बहुमत द्वारा सभा में हमारी वाक् स्वतन्त्रता और विशेषाधिकार को छीन नहीं सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, इसे सहन नहीं किया जा सकता ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है कि···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मैंने इसे किया था ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, सिर्फ एक मिनट । महोदय, मैं एक मिनट भी नहीं लूंगा । महोदय, इस प्रश्न में संवैधानिक उपबन्धों की व्याख्या अन्तर्ग्रस्त है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह कर दी है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, केवल एक क्षण । कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए । उन सभी को, जिन्होंने विशेषाधिकार का नोटिस दे दिया है, आज प्रातः ही लोक सभा सचिवालय से सूचना मिली है । मेरे विचार से यह मामला बहुत गंभीर है । महोदय, यह मामला सबसे अधिक गंभीर है···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं ।

(**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैंने नोटिस दिया हुआ है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले—श्री नामग्याल ।

(**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया हुआ है कि माननीय अध्यक्ष महोदय नियम 227 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम आपसे अपील करते हैं (**व्यवधान**) यह सभा के लिए नहीं है । यह अपील आपसे है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, आप निर्णय कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं कर सकता । अब यह सभा के लिए है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति दे दी है । उन्होंने मुझसे इसे सभा में उठाने की अनुमति ही तो मांगी थी और मैंने ऐसा कर दिया है । अब यह सभा को निर्णय करना है कि इस बारे में क्या किया जाए ?

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या इसे मतदान के लिए रखा जाए ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है···

(**व्यवधान**)

इस समय प्रो० मधु दंडवते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के मामले, श्री नामग्याल।

3.01 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) लद्दाख सेक्टर में चल रही इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में सीटों की प्राथमिकता आधारित आवंटन की व्यवस्था की पुनरीक्षा करने की मांग

[अनुवाद]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : इण्डियन एयरलाइन्स की प्राथमिकता आधारित 27 सीटें पहले ही विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय सरकार के लद्दाख क्षेत्र स्थित संगठनों, जैसे लेह और कारगिल के उपायुक्त, भारत-तिब्बत सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, विशेष ब्यूरो और थल सेना आदि को आवंटित हैं। हाल में इण्डियन एयरलाइन्स ने 40 सीटें थलसेना को आवंटित कर दी हैं जिससे उन्हें आवंटित प्राथमिकता आधारित सीटों की कुल संख्या 67 हो गई है और पर्यटकों सहित आम जनता के लिए केवल 28 सीटें रह गई हैं; लद्दाख क्षेत्र के लिए चलने वाले बोइंग विमान में कुल क्षमता केवल 95 यात्रियों की है जबकि अन्य क्षेत्रों में विमानों में क्षमता 126 यात्रियों की है। जोजीला में बर्फ के कारण लेह-श्रीनगर मार्ग के यातायात के लिए बन्द कर दिए जाने के कारण आम जनता के लिए लद्दाख से बाहर जाने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। इससे जनता को अत्यधिक कठिनाइयां और असुविधा हो रही है। इसके अलावा थलसेना की लद्दाख के लिए और लद्दाख से अपनी नियमित उड़ाने हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप जनता के लिए 40 सीटें रखने की पहले की स्थिति को फिर से कायम किया जाए।

(दो) महाराष्ट्र में भण्डारा जिले के लिए दुग्ध क्रांति लाने हेतु अधिक धनराशि प्रदान करने की मांग

श्री केशव राव पारधी (भण्डारा) : इस तथ्य के बावजूद कि महाराष्ट्र का भण्डारा जिला एक पिछड़ा जिला है और वहां डेरी विकास की बहुत अधिक संभावना है, इस जिले की राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के आप्रेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत उपेक्षा की जा रही है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड महाराष्ट्र के पहले ही से सुविकसित जिलों जैसे कोल्हापुर, पुणे, जलगांव में अपने अधिकारियों को तैनात करता जा रहा है और उनके लिए भारी धनराशि लगाता जा रहा है। बोर्ड ने न केवल भण्डारा से अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया है, बल्कि उसने धन लगाना भी बन्द कर दिया है। बोर्ड ने कोल्हापुर के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं किन्तु भण्डारा के लिए इसकी एक प्रतिशत धनराशि भी नहीं है।

अत: मैं माननीय कृषि मंत्री से अपील करता हूं कि वे आप्रेशन फ्लड के अधिकारियों को भण्डारा जिले के विकास की ओर अविलम्ब ध्यान देने के लिए उपयुक्त सलाह दें।

(तीन) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कतिपय गांवों की परस्पर अदला-बदली के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें पता चला है कि हमारे मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ जिलों के अनेक गांवों को उत्तर प्रदेश में मिलाने तथा बदले में मध्य प्रदेश को कुछ गांव उत्तर प्रदेश के देने का प्रस्ताव किया जा रहा है जो पूर्णत: अनुचित है और न्यायसंगत भी नही है। कारण कि हमारे प्रान्त के जो गांव उत्तर प्रदेश को दिए जा रहे हैं वह अधिकांश विकसित क्षेत्र हैं जो कृषि एवं उद्योग की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के जो गांव तथा क्षेत्र मध्य प्रदेश को बदले में दिए जा रहे हैं वह पूर्णत: अविकसित क्षेत्र एवं गांव हैं जहां बिजली, सड़कों तथा अन्य प्राथमिक सुविधाओं का भी अत्यधिक अभाव है।

अत: इस क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र (मध्य प्रदेश) के गांवों को देने तथा बदले में प्रस्तावित गांव उत्तर प्रदेश के लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया जा रहा है। विगत 3 दिसम्बर, 1987 को निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सभापतियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों का एक वृहद सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें इस विलीनीकरण के प्रस्ताव का घोर विरोध एवं निन्दा की गई है। सरपंचों ने इस बात पर तीव्र रोष एवं क्षोभ प्रकट किया है कि हमारे विकसित गांवों को उत्तर प्रदेश को देकर तथा बदले में हमें अविकसित गांव उत्तर प्रदेश के देकर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है।

पूर्व में भी राज्यों के पुनर्गठन के समय हमारे बुन्देलखण्ड की अनेक देशी रियासतों को उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया था।

यदि प्रशासकीय दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के कुछ गांवों का एक दूसरे में विलय करना जरूरी ही है तो हमें उत्तर प्रदेश के वह क्षेत्र एवं गांव दिए जाएं जो हमारे प्रदेश की सीमा के अन्दर हैं जैसे मऊरानीपुर, सकरार, बरुआ-सागर तथा ललितपुर आदि।

यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मौजूदा की यथास्थिति को ही बनाए रखा जाए।

(चार) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए सिंचाई योजनाओं हेतु प्राथमिकताओं के आधार पर धनराशि आवंटित करने की मांग

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से छोटा-नागपुर बिहार का अत्यन्त सम्पन्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम, ग्रेफाइट, फाइनाइड, बाक्साइट आदि अनेक खनिज पदार्थ हैं जिस से राज्य एवं केन्द्र सरकार को दूसरे राज्यों की तुलना में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है किन्तु जहां तक यहां के भूमिपुत्रों तथा भूमि के विकास का प्रश्न है यह सर्वथा उपेक्षित रहा है। इन क्षेत्रों में खनिज का दोहन तो अत्यन्त सरलता और सम्पन्नता से किया जाता रहा है किन्तु विकास के कार्य अत्यन्त नगण्य हैं, विशेषकर जल स्रोतों की अनेक सम्भावनाएं रहते हुए भी सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। छोटा-नागपुर तथा उसके आसपास के पर्वतीय एवं पठारी इलाकों में उद्वहन सिंचाई योजना का चिन्तन होता रहा है किन्तु उसका कार्यान्वयन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है।

जहां तक नदी सिंचाई योजनाओं का सवाल है, आजादी के प्रारम्भिक काल से योजनाएं बनती रही हैं किन्तु उसे धरातल पर नहीं लाया जा रहा है। जैसे औरंगा जलाशय योजना, तिलैया ढाढर, मोहाने नदी, अम्बा खाट, भगिया नदी, निलाजन आदि योजनाएं ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। हमारे क्षेत्र में निलाजन नदी, जिसे फाल्गो भी कहा जाता है, अन्तः सलीली नदी के नाम से विख्यात है। उस नदी के नीचे पटवन हेतु अनेक पम्पिग सैट्स बिठाए जा सकते हैं जो हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से कुछ किसानों ने इसका प्रयोग किया है और काफी सफलता पाई है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं पर विशेष राशि आबंटित की जाय और कार्य को अविलम्ब अन्जाम देने का कार्य शुरू करें।

(पांच) भुवनेश्वर (उड़ीसा) के चाण्डक में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने के लिए शीघ्र मंजूरी देने की मांग

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक): भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण ने 1983 में देश में नए निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की थी। इन व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर उड़ीसा सरकार ने चाण्डका परमाणु औद्योगिक कम्पलेक्स में अथवा पारादीप में ऐसा एक निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया था। किन्तु खेद की बात है कि संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर सातवीं योजना में निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना के लिए इनमें से किसी भी क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।

उड़ीसा सरकार ने निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना के लिए चाण्डका में आवश्यक भूमि निर्धारित कर दी है। भारत सरकार को प्रारम्भिक व्यय के रूप में केवल 12 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस बीच शांताक्रूज और काण्डला में विद्यमान सुविधाओं के अलावा फालटा, मद्रास, कोचीन और नोहडा में ऐसे निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। कम से कम चाण्डक में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने का इस राज्य के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अनिवासी भारतीयों ने भी इसमें दिलचस्पी प्रकट की है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उड़ीसा में भुवनेश्वर के समीप चाण्डक में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें।

(छह) पूर्वी गोदावरी जिले में होप आइलैण्ड और पिचीकला लंका को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की मांग

श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री): कर्नाटक के निकट पहले होप आइलैण्ड के नाम से जाने जाने वाले बालू गर्त के सुन्दर पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए बहुत सुविधाएं विद्यमान हैं। बालू गर्त को, जो 16 कि०मी० लम्बा और 1 कि०मी० चौड़ा है, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुन्दरतम स्थल माना गया है। अब तक पर्यटन विकास विभाग को इस द्वीप का पता नहीं था। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में पिचिकला लंका एक ऐसा अन्य स्थान है जिसका वृन्दावन उद्यान की तरह विकास किया जा सकता है। मेरा पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इन स्थलों का निरीक्षण करे और इनका शीघ्र विकास करे।

(सात) मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में विजयपुर-करहाल में एक राष्ट्रीय उद्यान विकसित करने की मांग

[हिन्दी]

श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के चम्बल सम्भाग के मुरैना जिले के विकास खण्ड विजयपुर व करहाल क्षेत्र में विशाल पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर ऊंचे नीचे पहाड़ हैं जोकि बस्तर जिले के केसकाल से कम नहीं हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र के पहाड़ों में शेर, हिरण, बारहसिंगा, रीछ, चीता, सेई, वन विलबा तथा अन्य पशु पक्षी निवास करते हैं लेकिन इस पशु पक्षियों को बहुत कम देखा जाता है। कारण यह है कि इस क्षेत्र में सड़कों का भारी अभाव है। न अभी तक पहाड़ों का सुन्दरीकरण किया गया है। अगर इस विजयपुर व करहाल विकास खण्डों को सड़कों से जोड़ा जावे व एक नेशनल-पार्क की स्थापना की जावे व एक विश्रामगृह सरकार बनावे तो भारत के अलावा विदेशों के पर्यटक भी विजयपुर करहाल के पशु-पक्षियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में आते जाते रहेंगे।

(आठ) कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए नए साल में फसल के मौसम से लेकर खाद्य तेलों के आयात को सीमित करने की मांग

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : जुलाई-अगस्त में खाद्य तेलों के आयात सम्बन्धी नई नीति घोषित किए जाने के समय से बिनौले के मूल्य में, जो 420 रुपए से 500 रुपए प्रति क्विंटल था, 25 से 30 प्रतिशत तक की तेज गिरावट आई है। बिनौले का वर्तमान मूल्य 280 रुपए से 320 रुपए प्रति क्विंटल है। बिनौले के मूल्यों में इतनी तेज गिरावट होने से अनओटी रुई के मूल्य पर असर पड़ने की पूरी-पूरी संभावना है। इससे कपास उत्पादकों को कपास के लिए लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पाएंगे।

चूंकि कपास का मौसम आने वाला है, इसलिए सरकार को नए साल के कपास के मौसम से खाद्य तेल के आयात को सीमित करके कपास उत्पादकों की आपको रक्षा के लिए अवश्य ही सामने आना चाहिए।

———

3.15 म० प०

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद् संख्या 19 ले रहे हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी प्रस्ताव करेंगे कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनयम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह संशोधन विधेयक और इस विधेयक में किए गए उपबन्ध गत कई वर्षों से पूरे देश में वाद-विवाद और चर्चा का विषय रहे हैं। मुझसे पूर्व तत्कालीन वित्त मंत्री ने इसे अगस्त, 1986 में इस सभा पटल पर रखा था जोकि दीर्घावधि की वित्तीय नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने और उन्हें युक्तियुक्त बनाने से सम्बन्धित चर्चा-पत्र, जो इस सभा पटल पर रखा गया था, और वह समाचार पत्रों में, अर्थशास्त्रियों, वाणिज्य और उद्योग मण्डलों, वैयक्तिक करदाताओं तथा सांसदों के बीच चर्चा का विषय रहा था। यह विधेयक संसद सदस्यों और अर्थशास्त्रियों की इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर सर्वसम्मति से तैयार किया गया है। इसमें अनेक उपबन्ध समाविष्ट हैं, जिनके बारे में सदस्यों को चर्चा-पत्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी है जोकि वर्ष 1986 में इस सभा-पटल पर रखा गया था। इसमें यथास्थिति अनुसार आय-निर्धारण की अवधारणा को पूरी तरह समाप्त करके केवल अतिरिक्त कर निर्धारण अथवा कर की वापस अदायगी की अवधारण अपनाने का प्रस्ताव किया गया है। एक बार जब आयकर-विवरणी प्रस्तुत कर दी जाती है और उसकी प्राप्ति की सूचना जारी कर दी जाती है, तो कार्यवाही पूरी हो गई मानली जाती है और विभाग को प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्धारण आदेश नहीं भेजना पड़ेगा। तथापि, यदि कर-दाता विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व अग्रिम कर अथवा स्व-निर्धारित करके माध्यम से, सम्पूर्ण कर और ब्याज की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो वह करदाता तत्काल ही दोषी बन जाएगा और उसके विरुद्ध कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी। जहां अतिरिक्त धनराशी का भुगतान किया गया है, वहां उसे वापस भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात् कर निर्धारण प्रक्रिया का सरलीकरण करदाताओं में पुनः विश्वास प्रकट करने की नीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा ताकि इस प्रक्रिया के स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिल सके। अतः, इस सरलीकरण के बारे में काफी समय से चर्चा की जा रही थी और सरलीकरण तथा चर्चा सम्बन्धी पत्र की यह मुख्य विशेषता भी। अब हम इसके लिए भी प्रावाधन कर रहे हैं। इसमें अनिवार्य ब्याज की एक आसान प्रणाली लागू करने के निर्णय का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे सरकार राजस्व के घाटे की प्रतिपूर्ति कर सके और उसके साथ ही कर-निर्धारण अधिकारियों को एक ही दोष के लिए जुर्माना और ब्याज लगाने का विवेकाधिकार प्रदान करने वाले विद्यमान उपबन्धों को समाप्त करके करदाता को बार-बार दोषी बनाने से रोका जा सके।

इसके अतिरिक्त, इस विधेयक में कराधान के प्रयोजन के लिए आय के भिन्न-भिन्न स्रोतों के लिए भिन्न-भिन्न गणना वर्षों की स्वीकृति दिए जाने की विद्यमान प्रणाली को समाप्त करके एक समान गणना वर्ष का उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है जो आय के स्रोत को नजरअंदाज करते हुए सभी कर दाताओं पर लागू होगा। यह बात गत वर्ष के प्रस्तावित चर्चा-पत्र में भी स्पष्ट की गई थी। इस प्रकार के निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि समान श्रेणी के करदाताओं द्वारा समान अवधि के दौरान अर्जित की गई आय पर कर की समान दर लागू होगी। इससे कर-देनदारियों को कम करने के लिए गणना अवधि के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले दांव-पेचों का निराकरण भी किया जा सकेगा। विवरणियों के पेश किए जाने की निर्धारित तारीखों में अन्तराल रखा जाएगा, ताकि वर्ष के दौरान किसी अवधि विशेष में कार्य के भारी दबाव को कम किया जा सके। वहां ऐसी स्थिति नहीं आ सकेगी; क्योंकि विवरणियां पेश किए जाने की निर्धारित तारीखों में अन्तराल होगा।

अब, इस संशोधन में, मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान संघों, विश्वविद्यालय, कालेज अथवा अन्य संस्थाओं के साथ-साथ ग्रामीण विकास निधि को भुगतान के सम्बन्ध में छूट देने तथा धर्मार्थ संस्थाओं को दी जाने वाली दान सहायता की भांति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु मान्यताप्राप्त संघों और संस्थाओं को धनराशी का भुगतान करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

धर्मार्थ संस्थाओं को कर में राहत देने से सम्बन्धित एक नई योजना तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके अन्तर्गत लोकोपकारी तथा राष्ट्रीय महत्व के अन्य कार्यकलापों का संचालन करने वाली सभी संस्थाएं, न्यास आदि आ जाएंगे। यह योजना कानून को सरल बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि न्यास में व्यापारिक नियंत्रण होने पर भी उसका प्रमुख उद्देश्य परोपकार रहता है।

इसके अन्तर्गत न्यास/संस्था आदि के शासी निकाय में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक प्रतिनिधि शामिल करने का उपबंध भी किया गया है। व्यापारिक न्यास के दुरुपयोग के प्रचलित तरीकों के माध्यम से कर-अपवंचन रोकने के लिए यह एक रक्षोपाय सिद्ध होगा। इसमें उन न्यासों आदि को छूट देने से इन्कार करना भी शामिल होगा जो शेयरों और प्रतिभूति राशियों, सट्टेबाजी, लाटरियों आदि का जोखिम भरा कारोबार करते हैं। यदि यह संशोधन मंजूर हो जाता है तो यह कर-अपवंचन विरोधी उपाय भी सिद्ध होगा। दान-सहायता के सम्बन्ध में 5 लाख रुपए की अधिकतम वित्तीय सीमा समाप्त करके दान-सहायता संबंधी उपबंध को उदार बनाया जाएगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि वर्तमान सीमाओं के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 30ठ तथा धनकर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1क) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्यधीन संयुक्त निधियों की आय और पूंजी लाभों को आय-कर और धनकर से छूट प्रदान करके कर-रियायतें प्रदान की जाएं और इसके साथ ही पूंजी निवेश करने वाले व्यक्तियों को छूट का लाभ भी दिया जाए।

फर्मों के कराधान की योजना को युक्तियुक्त बनाने के एक उपाय के रूप में, फर्म की शेयर आय भागीदारों के हाथों में पहुंचने पर उस पर पुन: कर नहीं लगाया जाएगा। तथापि, फर्म द्वारा भागीदारों को ब्याज, पारश्रमिक आदि के रूप में किए गए भुगतान की राशि पर उसके भागीदारों के पास पहुंचने पर, कर लगाया जाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कि फर्मों के पंजीकरण की विद्यमान आवश्यकता समाप्त की जाएगी। यह एक अन्य सरलीकरण-उपाय है।

धन-कर अधिनियम और दान-कर अधिनियम में प्रक्रिया संबंधी उपबन्ध तथा अधिकार क्षेत्र, ब्याज, जुर्माने तथा मुकदमा चलाने सम्बन्धी उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें आय-कर अधिनियम में निहित संबंधित उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके।

प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित कानून और प्रक्रियाओं को सरल और युक्तियुक्त बनाना, मूल उद्देश्य होने के नाते उक्त प्रस्तावों में संयुक्त रूप से राजस्व को तटस्थ रखा गया है। कर में वृद्धि करने अथवा कर में छूट देने के बजाय सार्थक कर सुधारों पर मूल रूप से बल दिया गया है।

विधेयक के उपबन्ध पूरे भारत पर लागू होंगे। विधेयक के अधिकांश उपबन्ध 1-4-1989 से

लागू किए जाएंगे। तथापि, कुछ उपबन्ध, विशेषरूप से वे उपबन्ध जो शक्तियों के प्रत्यायोजन से सम्बन्धित हैं, 1-4-1988 से लागू होंगे। इन उपबन्धों के इस प्रकार लागू किए जाने से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति संशोधित कानून की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को अनुकूल बना सकेगा।

चूंकि यह सरलीकरण विधेयक कई वर्षों की सोच-समझ का परिणाम है और चूंकि यह एक सामान्य सर्वसम्मति का प्रतिनिधित्व करता है, अत: सभा को यह स्वीकार्य होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री माधव रेड्डी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० चिन्ता मोहन उपस्थित नहीं हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को, जिसमें 21 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्री वसुदेव आचार्य
(2) श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति
(3) श्री सोमनाथ चटर्जी
(4) श्री सैफुद्दीन चौधरी
(5) प्रो० मधु दंडवते
(6) श्री एच० ए० डोरा
(7) श्री दिनेश गोस्वामी
(8) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(9) श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर
(10) श्रीमती गीता मुखर्जी
(11) डा० ए० के० पटेल
(12) श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
(13) श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव
(14) श्री ई० अय्यपू रेड्डी
(15) श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
(16) श्री अमर रायप्रधान
(17) श्री माणिक सान्याल

(18) श्री पीयूष तिरकी

(19) श्री जनार्दन पुजारी

(20) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन, और

(21) श्री सी० माधव रेड्डी

इस अनुदेश के साथ सौंपा जाए कि समिति आगामी सत्र के प्रथम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसे सभा के समक्ष आज लाया गया है । किन्तु, इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के बारे में कुछ कहने से पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने पिछले सत्र में किया था जब अंतिम दिन व्यय कर विधेयक लाया गया था, आज भी उसी प्रकार का एक बड़ा विधेयक जिसमें 214 पृष्ठ, लगभग 190 खंड और पांच अध्याय हैं, हमारे समक्ष लाया गया है और हमें इस पर अपने विचार रखने को कहा जा रहा है । मुझे पता है कि विभिन्न समितियों की सिफारिशें कुछ समय से हमारे समक्ष थीं, प्रत्यक्षकर कानून के सरलीकरण से सम्बन्धित चर्चा-संबंधी पत्र भी हमारे समक्ष एक वर्ष से अधिक समय से था, किन्तु इन तीनों अधिनियमों के अनेक ऐसे खण्ड हैं, जिनमें संशोधन किया गया है, तथा चर्चा-सम्बन्धी पत्र में केवल कुछ आधारभूत नीतियों का ही उल्लेख है । मैं नहीं समझता कि यह हमारे लिए विधेयक के विभिन्न उपबंधों को समझने के लिए पर्याप्त है । चार अधिनियमो में संशोधन किए जा रहे हैं । महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि जल्दबाजी किस बात की है ? सत्र के आखिरी दिन अथवा सत्र की समाप्ति से एक दिन पूर्व इस विधेयक को लाने की जल्दबाजी आप क्यों कर रहे हैं ?

हमारे समक्ष रखे गए ज्ञापन का मैंने अध्ययन किया है जिसमें कहा गया है :

"प्रस्ताव के अनुसार 1-4-88 से आय-कर प्रयोजन हेतु कर-दाता द्वारा आय-निर्धारण के तरीके में अनेक परिवर्तन तथा आय-कर विभाग द्वारा अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए जाएंगे ।"

इस विधेयक को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था करने हेतु कर-दाताओं तथा प्रशासनिक विभागों को पर्याप्त समय देना आवश्यक है । नियम बनाने, प्रत्यायोजित विधान के अतिरिक्त और क्या प्रारम्भिक व्यवस्था की जानी है ? मैं नहीं समझता कि कोई प्रारम्भिक व्यवस्था की जानी है, और वह भी, आप 1988 में कितने खण्ड लागू करने जा रहे हैं । 1 अप्रैल, 1988 को केवल कुछ ही खण्डों को लागू किया जा रहा है । बहुत-से खण्ड 1 अप्रैल, 1989 से ही लागू हो रहे हैं जिसका अर्थ है कि आपके पास एक वर्ष से अधिक का समय है । आपके पास विभिन्न खण्डों को लागू करने, विभिन्न उपबंधों के अधीन सावधानीपूर्वक विचार करके नियम बनाने एवं इस विधेयक को लागू करने के लिए एक वर्ष से अधिक का समय है ।

महोदय, हमने कार्य-मंत्रणा समिति में इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि इस विधेयक को कितना समय आवंटित किया जाए । एक प्रस्ताव है कि दो घण्टे दिए जाए । कार्य-मंत्रणा समिति की अभी बैठक हो रही है । मैं समिति का सदस्य हूं और मैं वहां जाने में असमर्थ हूं क्योंकि मुझे यहां इस विधेयक पर बोलना है । मैं कहना चाहता हूं कि इस इतने व्यापक विधेयक को लाने की जल्दी क्या है । इसमें अनेक खण्ड हैं । अभी-अभी, माननीय मंत्री महोदय ने आय-कर सम्बन्धी अनेक खण्डों की ओर ध्यान दिलाया है । पिछले बीस वर्षों के दौरान आय-कर कानून पेचीदा हो गया है । जब आप

कानून को सरल बनाने तथा कानून को अनेक प्रकार से युक्तिसंगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए यह देखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए कि आपको पुन: इस सदन के समक्ष कोई संशोधन लेकर न आना पड़े ।

महोदय, हमारे सामने एक शुद्धि-पत्र है, जो लगभग सात पृष्ठों का है । इतनी अधिक गलतियां हैं कि मैं कुछ नहीं समझ सका । यह सब क्या है ? इस विधेयक में हुई इन सभी गलतियों, सात पृष्ठों में समाविष्ट मुद्रण की तथा अन्य गलतियों तथा प्रभावित होने वाले खण्डों की इतनी अधिक संख्या को देखते हुए हम इस विधेयक के साथ क्या न्याय कर सकते हैं ? आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं ? जैसाकि अभी मैंने कहा है, पिछली बार व्यय कर विधेयक के मामले में ऐसा किया गया था और यह दूसरी बार है । मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य इस पर विचार करें और यह देखें कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए तथा विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए और तब आप प्रवर समिति को यह कह सकते हैं कि रिपोर्ट बजट सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत की जाए ताकि इस विधेयक पर विचार करने के लिए आपको तीन महीने का समय मिल जाए ।

महोदय, मैं जो चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये, उसका एक और कारण यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, और ठीक ही है कि पिछले एक वर्ष के दौरान अथवा इससे पहले भी अनेक संस्थाओं से परामर्श किया गया है । ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारे सामने दीर्घावधि वित्तीय नीति थी । किन्तु, वे कौन लोग हैं जिनसे परामर्श किया गया है । निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश लोग करदाता हैं तथा उनमें से कुछ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन तथा अनेक अन्य संगठन आदि हैं जो कर-कटौती में दिलचस्पी रखने वाले हो सकते हैं । आपने कहा कि संसद सदस्यों से भी परामर्श किया गया है । इसका मुझे नहीं पता है, किसी भी मामले में मुझसे परामर्श नहीं किया गया है । किन्तु, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एजेंसियां राज्य सरकारें हैं जिनके साथ इस मामले में परामर्श किया जाना चाहिए था । जहां तक आय-कर का संबंध है, कम्पनी कर को छोड़कर, प्राय: सारी आय राज्य सरकारों को ही जाती है । आप तो मात्र वसूली करने वाली एक एजेंसी हैं । 85 प्रतिशत भाग राज्यों को चला जाता है । वे प्रभावित होते हैं । आपको उनके साथ क्यों नहीं परामर्श करना चाहिए । आपने उनके साथ कभी परामर्श नहीं किया, आपने यह विधेयक उनके पास कभी नहीं भेजा । आज ही, मैंने यह जानने के लिए अपने राज्य की सरकार से पूछा कि क्या उन्हें मंत्रालय से कोई विधेयक प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है ।

3.30 म० प०

[श्री शरद दीघे पीठासीन हुए]

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारें वैयक्तिक आय-कर राजस्व का लगभग 85 प्रतिशत प्राप्त करती हैं । निस्संदेह, हमें अधिभार से कुछ नहीं मिलता, इस तथ्य के बावजूद कि छठे वित्त आयोग, सातवें वित्त आयोग और आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि कम्पनी कर में वृद्धि हो रही है तथा वैयक्तिक कर से होने वाली आय में कमी आ रही है और राज्यों की इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि नौवां वित्त आयोग इस पर विचार करेगा ।

इसी प्रकार, हाल ही में, पांच प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है । वस्तुत:, अधिभार को

1986 में समाप्त कर दिया गया था और यह उचित ही था। सम्पूर्ण विचार यह था कि अधिभार को समाप्के करके इसे आय-कर में मिला दिया जाना चाहिए ताकि राज्यों को राजस्व की प्राप्ति हो सके। अब तक, सरकार अधिभार लगा रही थी ताकि राज्य इससे वंचित रहें और तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार को आय-कर से अधिक राजस्व प्राप्त होता रहे। ठीक है, आठवें वित्त आयोग की सिफारिश पर, इसे स्थगित कर दिया गया है। किन्तु, आपने पुनः अधिभार लगाना आरम्भ कर दिया है। निस्संदेह, अच्छे कारणों के लिए। वे कहते हैं कि ऐसा सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए थोड़ी अवधि के लिए किया गया है। उन्हें इससे लगभग 250 करोड़ रुपए अथवा 300 करोड़ रुपए मिलने की संभावना हैं। किन्तु, यह राजस्व निश्चित रूप से राज्यों के पास जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मेरा कहना यह है कि विधेयक को सभा के समक्ष लाने से पूर्व राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए तथा उनके विचार जान लेने चाहिए।

अब हम विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय ने विधेयक के मुख्य उद्देश्य की ओर ध्यान दिलाया है। यह बहुत प्रशंसनीय है क्योंकि इसे चर्चा-पत्र में ही बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। वह है कर-दाताओं में विश्वास को बनाए रखना। ठीक है, अब तक हमारा यह विचार था कि कर-दाता चोर होता है। किन्तु, अब हम अनुभव करते हैं कि यह नीति ठीक नहीं है और अब हम यह मानने लगे हैं कि कर-दाता एक बेईमान आदमी नहीं होता। उसकी ईमानदारी पर तब तक संदेह नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि प्रतिकूल बातें प्रमाणित न हो जाएं। यह एक बहुत अच्छा सिद्धान्त है।

तत्पश्चात्, हमने यह देखने के लिए कुछ बातों को सम्मिलित किया है कि स्वेच्छा सा अनुपालन किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक अनुपालन के सिद्धांत के अन्तर्गत आपने कहा कि विभाग की ओर से कर-निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। स्व-कर-निर्धारण उस समय किया जाना चाहिए जब करदाता कर-विवरणी प्रस्तुत करता है और इस स्व-करनिर्धारण को एक करनिर्धारण आदेश के रूप में लिया जाना चाहिए। हम केवल इस बात पर बल दे रहे हैं कि करदाता सर्वप्रथम कर की अदायगी करे, तत्पश्चात् अपनी कर-विवरणी प्रस्तुत करे। मुझे नहीं मालूम कि यह कार्य किस प्रकार होता है। हर किसी को ईमानदार मानकर कार्यवाही करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें यथार्थवादी होना चाहिए। आज की हालात क्या हैं? मैं यह इसलिए बता रहा हू क्योंकि हमें राष्ट्र के हित के प्रति सदा सजग रहना चाहिए जब राज्य सरकारों की ओर से आप कर जमा करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकारें अपने संसाधनों के लिए काफी हद तक आपके आयकर पर निर्भर हैं तो हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिसे आयकर राजस्व में कहीं कमी न आ जाए। इन बातों का कानूनी रूप प्रदान करने से पहले हमें अच्छी तरह इन पर विचार करना होगा।

दूसरा प्रशंसनीय कदम वास्तविक आय पर कर लगाना है। निस्संदेह इस कदम का समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि जो आय ही नहीं है उस पर कर नहीं लगाना चाहिए जैसाकि हम अब तक करते आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि आयकर विभाग कुल प्राप्तियों अथवा वेतन पर कर लगाता रहा है। मान लो एक कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का वेतन 5000/- रुपए निर्धारित किया गया है लेकिन किन्हीं कारणों से कम्पनी उसे इतनी राशि देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन क्योंकि वेतन की कुल प्राप्ति 5000/- रुपया है, आयकर विभाग इसी राशि पर कर लगाएगा। इन्हीं सब बातों पर विधेयक में अच्छी तरह विचार किया गया है लेकिन अन्य कई मुद्दे हैं जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

वास्तविकता तो यह है प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी राष्ट्रीय न्यायालय का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय न्यायालय की बात करता है और नीति संबंधी विवरण में भी इसका उल्लेख किया गया है कि एक राष्ट्रीय न्यायालय होना चाहिए ताकि आज विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े असंख्य मामलों—लगभग 35,000 मामले विचाराधीन हैं—को एक पृथक न्यायालय में निपटाया जा सके। मुझे नहीं मालूम कि इस संबंध में मंत्रालय में क्या किया गया। क्या इस पर विधि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कोई विवाद है ? मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव पर जबकि मंत्रालय द्वारा कोई आपत्ति करने में कोई औचित्य है। यदि वित्त मंत्रालय के समक्ष कोई अड़चन है तो वह हमारी सहायता ले सकता है। वह उक्त प्रस्ताव को प्रवर समिति को भेज सकता है। इसका निपटारा हम करेंगे। मेरा मतलब यह है कि यदि विभिन्न मंत्रालयों के बीच किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कोई मतभेद पैदा होते हैं तो उस प्रस्ताव को त्याग देना कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है।

मंत्री महोदय ने अभी कहा कि इस विधेयक से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा है। यह विधेयक ऐसा नहीं हो सकता कि इससे राजस्व पर कोई प्रभाव न पड़े। इसमें आप केवल छूट ही नहीं दे रहे हैं बल्कि धर्मार्थ न्यासों पर अधिक से अधिक कर भी लगा रहे हैं। इसके बाद आप साझेदारी वाली फर्मों पर भी अधिकतम कर लगा रहे हैं। मैं भी उन पर कर लगाने के पक्ष में हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि विभिन्न फर्म बोगस साझेदारी के आधार किस प्रकार आयकर का अपवंचन करते हैं तथा सरकार को कुछ नहीं देते। इस समय फर्मों पर कर नगण्य है। हम मानते हैं कि उन पर कर लगाया जाना चाहिए लेकिन मेरा कहना यह है कि यह ऐसा विधेयक नहीं है जिसका राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस विधेयक के कारण अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा। इस समय हमारे पास कर में छूट के लिए महानिदेशालय है। मैं समझता हूं कि इस निदेशालय ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। इस विधेयक के पारित होने से पहले ही यह महानिदेशालय बना दिया गया है। पहले ही इस कर छूट निदेशालय के लिए व्यय किया जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसकी द्विरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि हम अपने बोर्ड के अतिरिक्त एक अलग कर छूट महानिदेशालय बनाते हैं तथा उसमें अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और इससे द्विरावृत्ति होती है तो इस निदेशालय के बनाने से कोई सकारात्मक प्रयोजन हल नहीं होगा।

अब मैं व्यय कर की बात करता हूं। विभिन्न समितियों ने यह सिफारिश की है कि व्यय पर लगाया जाना चाहिए। डा० राजा चैलेय्या की अध्यक्षता में एक समिति ने यह सिफारिश की थी कि आयकर के स्थान पर व्ययकर नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि व्ययकर को आयकर का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। वर्तमान आय-कर ढांचे में व्यय-कर के सिद्धान्त को समाविष्ट कर दिया जाना चाहिए। डा० चैलेय्या समिति ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की है। उसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया है ?

हमने पिछले सत्र में एक छोटा सा विधेयक पारित किया था। लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, इस विधेयक के अन्तर्गत हम होटल के बिलों तथा विदेशी पयर्टकों को दी गई विदेशी मुद्रा पर कर लगा रहे हैं। इसके अन्तर्गत होटल के बिलों का दस प्रतिशत तथा विदेशी पयर्टकों को दी गई विदेशी मुद्रा का 15 प्रतिशत आता है जो कि नगण्य राशि है। इसे कोई व्ययकर नहीं माना जा सकता। इसे व्ययकर कहना गलत है। हमें तो समूचे रूप से यह देखना है काले धन पर नियन्त्रण

किस प्रकार लगाया जाय। व्ययकर को आयकर का एक हिस्सा माना जाय। इसके लिए आपको एक निर्णय लेना होगा। इस सभा के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए।

कर अपचवंन के प्रति कारगर निवारण करना दूसरा लक्ष्य है। कारगर निवारण के उपबन्ध क्या हैं ? इस विधेयक में बहुत कम उपबन्ध हैं जो कर अपवंचन के कारगर निवारण से सम्बन्धित हैं। कर अपवंचन कई दशकों से बेरोक टोक बढ़ता चला जा रहा है। हम अपवंचन को रोकने में सक्षम नहीं हैं।

इसी प्रकार कर में छूट देकर अथवा व्यय को कर से मुक्त करने जैसे कतिपय उपबन्ध शामिल करके चोरी रोकने का प्रयास किया गया है। मैं नहीं समझता कि इस देश में लगातार की जा रही राजस्व की चोरी को कारगर ढंग से रोका जा सकेगा।

जहां तक परेशानी का सवाल है, हर कोई जानता है कि परेशान किया जाता है। इस परेशानी को कम किया जाना चाहिए ताकि आयकर अधिकारियों के विवेकाधिकार को भी कम किया जा सके। इस प्रकार के विवेकाधिकारों को कम करके हम इस परेशानी को कम कर सकते हैं। परन्तु मुझे इस विधेयक में अधिकारियों के विवेकाधिकार को कम करने सम्बन्धी कोई विशिष्ट खण्ड दिखाई नहीं देते। आज अधिकारी किसी को भी बुला सकते हैं तथा कुछ भी कर सकते हैं। निर्धारण सम्बन्धी आदेश किए जाने उनके द्वारा जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो कुछ कर निर्धारण सम्बन्धी पत्र अथवा विवरणी आयकरदाता प्रस्तुत करता है उसे शंका की दृष्टि से देखा जाता है।

अधिकारियों को जांच पड़ताल उसी वित्तीय वर्ष में छः महीने के अन्दर या जो अवधि हम निर्धारित करने जा रहे हैं उसके अन्दर करनी पड़ेगी। उस अधिकारी के लिए लोगों को बुलाना, उन्हें परेशान करना, जांच-पड़ताल के लिए नोटिस जारी करना अर्थात् इस तरह के सभी कार्य करना सम्भव है। केवल एक यही बात है कि वह पिछले खातों की पूछताछ नहीं कर सकता। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मुझे स्पष्ट नहीं है कि वह पिछले समूचे लेखा-जोखा की पुनः जांच कर सकता है अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि वह इस विधेयक के अन्तर्गत ऐसा कर सकता है या नहीं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाना जारी है जिस पर नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए। मैं एक ऐसा मामला जानता हूं जिसमें कम्पनी ने समूचे देश में डीलर और वितरक नियुक्त किए हैं। लेकिन डीलरों तथा वितरकों द्वारा प्राप्त किए गए कमीशन को आय बिना कर लगाए मूल कम्पनी की आय में जो दिया गया है। ऐसी कई शिकायतें हमारी जानकारी में आई हैं। इसी प्रकार वे पुराने खातों को, जब भी उन्हें उन पर किसी प्रकार की शंका हो, पुनः खुलवा सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि इस विधेयक में और अधिक कारगर उपबन्ध शामिल किए जाएं ताकि कर अधिकारियों द्वारा की जाने वाली परेशानी को रोका जा सके। हमारी बेईमान करदाताओं से कोई सहानुभूति नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ करदाताओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार हो कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

अगला मुद्दा लाभांश पर कर लगाना है। इस सभा में अनेक सदस्य इसके बारे में कहते आए हैं कि इससे दोहरा कराधान होता है। कम्पनियों के लाभांश पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस विचार का समर्थन करूंगा कि उस लाभांश पर कर न लगाया जाय जो गैर-आयकरदाताओं को जाता है। यदि आयकरदाता को लाभांश

मिलता है और वह लाभांश उसकी आय में जोड़ दिया जाता है और उस पर कर लगाया जाता है तो इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि लाभांश के कारण वह आयकरदाता बन जाता है, यह स्वाभाविक ही है कि वह एक छोटा आदमी है, उसकी आयकर योग्य नहीं है लेकिन वह एक शेयरधारी है और उसे उस पर लाभांश मिलता है तथा वह लाभांश उसकी अल्प आय में जोड़ दिया जाता है तदउपरान्त वह आयकर दाता बन जाता है। इस प्रकार से कम आय वाले लोगों को करयोग्य आय सीमा में नहीं लाया जाना चाहिए तथा उन्हें आयकर की छूट दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है।

अब कर में छूट देने की बात आती है। हमारे पास आयकर छूट की सीमा 18,000 रुपए निर्धारित की गई है लेकिन कारगर छूट सीमा 28000 रुपए तक है। इस समय हम आयकर छूट सीमा को जीवनयापन लागत सूचकांक से नहीं जोड़ते, और यही कारण है कि प्रति वर्ष आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की जाती है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा मुद्रास्फीति तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण हो रहा है। जिस प्रकार वेतनों और महंगाई भत्तों को परस्पर जोड़ा जाता है, जिनमें स्वत: ही वृद्धि कर दी जाती है उसी प्रकार आयकर छूट सीमा को जीवनयापन लागत सूचकांक से स्थायी रूप से जोड़ दिया जाना चाहिए। प्रति वर्ष हम महंगाई भत्तों में वृद्धि करते जा रहे हैं। यदि आयकर छूट सीमा में वृद्धि करने की आवश्यकता है तो हमें उसमें वृद्धि करनी चाहिए। मैं इन्हीं सब बातों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर जल्दबाजी में विचार नहीं किया जा सकता।

मुझे इस बात का दुख है कर-कानूनों के बारे में बहुत जानकारी होने के कारण मैं अधिकांश प्रावधानों का मूल्यांकन नहीं कर सका; मेरे पास इसके लिए समय नहीं था और मुझे ऐसा करने में आठ दिन का समय लगेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास इस पर विचार करने का समय न हो तो वे इस प्रस्ताव को चयन समिति को भेज दें। अब इस विधेयक पर विचार आस्थगित कर दिया जाए। मैं देखता हूं कि ऐसे विधेयक के लिए मेरे द्वारा दिए गए नोटिस के अलावा एक भी संशोधन का नोटिस नहीं दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि सदस्यों के पास इतने बड़े विधेयक का अध्ययन करने का समय नहीं था। यह देखते हुए मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को चयन समिति को भेजा जाए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक को मूव करते वक्त जो बातें कहीं हैं, उनसे 3 बातें साफ होती हैं। एक तो सरकार कर-प्रणाली को इतना सरल बनाना चाहती है ताकि व्यक्ति स्वयमेव अपने को कर-अदायगी के लिए प्रस्तुत करे और उसे कम-से-कम हैरेसमैंट हो और हम करदाता पर यकीन करें।

दूसरी बात जो कर चोरी करते हैं, टैक्स इवेड करते हैं, उनको कठोर से कठोर दण्ड देने की व्यवस्था हो ताकि ऐसे लोग कानून में कुछ खामियां निकाल कर उससे बच न सकें।

तीसरी बात अनावश्यक क्षेत्रों में लोगों को कर देने के लिए हम कहें और उस पर खर्च ज्यादा हो तो ऐसे अनावश्यक क्षेत्रों को छोड़ने की बात इस विधेयक के जरिए कही गई है।

इस विधेयक पर निश्चित तौर पर एक लम्बे वाद-विवाद की आवश्यकता है। एक से अधिक

बार इस सदन में और सदन के बाहर भी जितने विशेषज्ञ लोग हैं, वह अपनी राय इस प्रकार के कर-कानूनों के संशोधनों के विषय में जाहिर कर चुके हैं। उसी के अनुसार जिस समय लांग टर्म फिजकल पालिसी इस सदन के समक्ष रखी गई तो उस समय आश्वस्त भी किया गया और प्रधान मंत्री जी ने जब वित्त विधेयक यहां प्रस्तुत किया था तो उस समय इसका जिक्र भी किया था। उसी के अनुरूप सरकार इस विधेयक को यहां पर लाई है।

विपक्ष के माननीय सदस्य जो यहां पर बोले हैं, उन्होंने भी इस बिल के मुख्य उद्देश्य से कहीं असहमति जाहिर नहीं की है। उन्होंने सहमति प्रकट की है और मैं समझता हूं कि असहमति प्रकट करने की कहीं कोई गुंजाइश वित्त मंत्री महोदय ने नहीं छोड़ी है। लेकिन देखने की बात यह है कि जो संशोधन हम इस विधेयक के जरिए करना चाहते हैं, वह प्रपोजल इतने इफेक्टिव होने चाहिएं ताकि कर-अपवंचना की जो हमारी मुख्य समस्या है, उससे हम बच सकें।

आज सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यह है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जितने कानून बनाए हैं, उनसे बचने के उतने ही रास्ते कर-चोरी करने वाले निकाल लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी पूरी सख्ती और ईमानदारी के साथ काम करता भी हो तो उसके बावजूद भी कर-चोरी करने वालों की ताकत इतनी बड़ी है कि वह लोग किसी न किसी तरीके से अपने को बचा लेते हैं। यही कारण है कि आज करोड़ों-करोड़ रुपया जो गरीबों के काम आ सकता था, देश के भाग्य-निर्माण के काम में लग सकता था, विकास कार्यों में लग सकता था, वह ब्लैक-मनी के रूप में लोगों के पास पड़ा है। ऐसे काले धन के मालिक आज समाज में सम्मान की नजर से देखे जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह कि हम कर-कानूनों के साथ लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों की मानसिकता को नहीं जोड़ पा रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें जो कर-दाता की नियत पर हम पहले अविश्वास करके चलते थे, उस अविश्वास की जगह विश्वास जगाया है और यह करदाता पर छोड़ा है कि वह ईमानदारी के साथ अपने को प्रस्तुत करे, अपनी रिटर्न इत्यादि ईमानदारी के साथ समय पर प्रस्तुत करे, मगर इस बात को उन्हें देखना पड़ेगा कि बरसों की लोगों की कर-चोरी की आदत है और जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके लिए कर-चोरी एक प्रकार का स्वभाव है। कई ऐसी कम्पनीज हैं, जिनको कर देने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने अपने यहां इस तरह के प्रावीजन करके रखे हैं। उन्होंने अपने यहां इस तरीके से प्रोवीजन कर रखे हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? उस पर आपको विचार करना चाहिए। इसमें एक डायरैक्टोरेट बनाने की बात भी कही गई है जो टैक्स एग्जम्पशन के मामलों को देखेगा और जिन क्षेत्रों में कर पर छूट दी गई है उनमें शामिल किया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, रूरल डवलपमैंट प्रोग्राम के लिए, कैरिंग आउट एनी प्रोग्राम आफ कंजर्वेशन आफ नेशनल रिसोर्सेज और एफोरेस्टेशन आफ वेस्ट लैण्ड के लिए, इस काम में करीब दो करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए छूट देने की जो बात कही गई है उसमें यदि कोई उद्योग, कोई प्राइवेट उद्यमी अपने प्रोडक्ट के अपग्रेडेशन के लिए, उसको ज्यादा बिक्री योग्य बनाने के लिए, इसके लिए कि लोगों में वह ज्यादा स्वीकार्य हो सके, किसी कन्ज्यूमर आइटम विशेष के लिए यदि कोई साइंटिफिक रिसर्च करता है तो उससे उसका मुनाफा बढ़ता है। यदि उस पर हम छूट देंगे तो मैं समझता हूं कि वह छूट उचित नहीं है। यदि यह छूट इस बात के लिए देते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी ईजाद करता है टैक्नोलोजी, या उस क्षेत्र में काम करता है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का भाग्य बदल सके, मान लिया कोई

उद्यमी हमारी परम्परागत बैलगाड़ी को कैसे और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके, ज्यादा फलप्रद बनाया जा सके उस क्षेत्र की टैक्नोलोजी की ईजाद करता है, कोई ऐसी खोज करता है, उसमें पैसा खर्च करता है तो उसमें तो छूट दी जानी चाहिए लेकिन केवल अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बिक्री योग्य बनाने के लिए कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट रिसर्च इत्यादि में पैसा खर्च करता है और उसको उस पर छूट दी जाती है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हमने वनीकरण इत्यादि के नाम पर उद्यमियों को छूट देने की जो बात कही है, आज बड़े-बड़े उद्यमी नैनीताल में ही नहीं उत्तर प्रदेश के तराई में भी ऐसी-ऐसी चीजों का वनीकरण कर रहे हैं जो उनके अपने उद्योग में काम आ सकती हैं, विमको वाले कर रहे हैं और उनको अगर कर इत्यादि में वनीकरण के नाम पर छूट दी जाती है तो उसके लिए वे अपने को पात्र बताएंगे। जिन बड़े लोगों ने कागज के उद्योग लगा रखे हैं उन लोगों को आप यूक्लिप्टिस के वनीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं उससे देश को नुकसान हो रहा है और वाटर लेविल नीचे जा रहा है। हर प्रकार से जमीन और खुशक हो रही है, ऐसे लोगों को भी इसके अन्तर्गत छूट देने की बात कही गई है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे क्षेत्रों में लोगों को छूट न मिले। ऐसे वनीकरण में छूट मिलनी चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो सके, यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रामीण इलाके में स्थानीय लोगों के उपयोग के ईंधन की लकड़ी का वनीकरण करता है, उनके लिए चारे की प्रजातियों के विकास के लिए वनीकरण का काम करता है, वेस्ट लैण्ड को डवलप करने का काम करता है, उनको आप छूट दें तो सब उसका स्वागत करेंगे लेकिन यदि ऐसे आदमी को छूट मिलती है जिसने अपना कागज का उद्योग लगा रखा है, उसके लिए उसको यूक्लिप्टिस की लकड़ी चाहिए, उसके लिए वनीकरण करता है, यूक्लिप्टिस के बड़े-बड़े फार्म्स को जंगलों में बदल देता है, पामुलर प्लाण्टेशन में बदल देता है तो मैं समझता हूं कि उसके लिए छूट नहीं मिलनी चाहिए।

आपने इसमें जिक्र किया है कि इसके लिए अलग डायरैक्टोरेट बनाया जाएगा, इस डायरैक्टोरेट का फंक्शन केवल असेसमैण्ट करके छूट देना है तो मैं समझता हूं, इसका मकसद पूरा नहीं होगा। यदि इसका उद्देश्य असेसमैण्ट के बाद छूट का ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं, यह देखना भी हो, मोनिटरिंग करना भी हो तो यह डायरैक्टोरेट ज्यादा उपयोगी हो सकती है नहीं तो यह डायरैक्टोरेट भी एक प्रकार से जो व्यवस्था इस समय चल रही है, उस व्यवस्था से अलग हटकर नहीं होगी, अलग हटकर तभी हो सकती है जब इसमें मोनीटरिंग का भी व्यवस्था हो, जो यह देखने का काम करे कि उद्यमी इत्यादि, जिनको इसके अन्तर्गत छूट दी जा रही है केवल कर अपवंचना के लिए और उससे बचने के लिए, सरटेन लिमिट में आने के लिए तो कोई इस क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इन बातों को देखने की जरूरत है।

मैं यह समझता हूं कि यह बिल चाहे जल्दबाजी में ही लाया गया हो लेकिन इस बिल के जरिए लोगों को जो एक लम्बे समय से उम्मीद थी और लोग लम्बे समय से मांग कर रहे थे उस मांग की पूर्ति होती है। हम सब को इसका स्वागत करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नारायण चौबे, आप अपनी बात रख सकते हैं और कुछ ही समय बोलें क्योंकि 4 बजे हमें नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा शुरू करनी है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, हर कोई अपनी टांगों पर ही खड़ा होता है, सर के बल नहीं।

महोदय, यह काफी बड़ा विधेयक है, इसे 11 नवम्बर, 1987 को ही परिचालित किया गया था और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं···

सभापति महोदय : आप अगली बार बोल सकते हैं।

———

जिन घटनाओं और परिस्थितियों के कारण फेयरफैक्स ग्रुप इंकारपोरेटेड के साथ व्यवस्था की गई, उनकी जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन पर चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन घटनाओं और परिस्थितियों के कारण, जिनकी वजह से फेयरफैक्स ग्रुप इंक० के साथ व्यवस्था की गई थी, की जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन, जो 9 दिसम्बर, 1987 को सभा पटल पर रखा गया, पर चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं। जब कभी आयोगों की रिपोर्टों को सभा के पटल पर रखा जाता है तब सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह उस पर की गई कार्रवाई का एक ज्ञापन भी उसके साथ संलग्न करे। इस वर्तमान मामले में रिपोर्ट को बिना ज्ञापन के ही सभा के पटल पर रखा गया है।

सभापति महोदय : इस बारे में की गई कार्रवाई से सम्बन्धित ज्ञापन संलग्न है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं महोदय, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं कि इसमें क्या लिखा है :

> "सरकार ने समिति के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है। समिति की विभिन्न सिफारिशें विचाराधीन हैं···"

समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने मात्र से इन पर कार्यवाही नहीं हो जाती। रिपोर्ट के आधार पर अन्य क्या कार्रवाई की गई है ? मैं इस सन्दर्भ में ही कह रहा हूं···(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : देख लीजिए कि संसद में कानून का किस प्रकार मजाक उड़ाया जा रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं इसे पूरा पढ़कर सुनाता हूं :—

> "सरकार ने समिति के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है। समिति की विभिन्न सिफारिशें विचाराधीन हैं और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3(4) के अधीन निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।"

इसलिए, की गई कार्रवाई से सम्बन्धित ज्ञापन रिपोर्ट के साथ अवश्य संलग्न होना चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री जी इस संबंध में आपका क्या कहना है ?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं अधिनियम की धारा 3(4) को पढ़ रहा हूं :

"योग्य सरकार···(व्यवधान)

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? वह चर्चा में बाधा डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमने ही इस विषय पर चर्चा की मांग की थी। हम इसमें बाधा नहीं डाल रहे हैं। हमने तो चर्चा के लिए कहा था।

सभापति महोदय : उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है। जो वह कहना चाहते हैं उन्हें कहने दें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, जांच आयोग अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार :

"योग्य सरकार लोक सभा में या राज्य की विधान परिषद में जैसी भी स्थिति हो, आयोग द्वारा उप धारा (1) के अधीन अगर कोई रिपोर्ट हो, तो उस पर आयोग द्वारा की गई जांच को योग्य सरकार को प्रस्तुत करने की छः महीने की अवधि के अन्दर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखेगी।"

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? वह चर्चा का विरोध क्यों कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : आपने स्वयं पढ़ा है कि की गई कार्रवाई से सम्बन्धित ज्ञापन को छः महीने की अवधि के अन्दर सदन के पटल पर रखा जा सकता है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसलिए इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई सम्बन्धी ज्ञापन छः महीने की अवधि के अन्दर सभा में प्रस्तुत करना होता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के ज्ञापन के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : यह दोनों के अर्थ में है। इनमें से किसी को भी सभा पटल पर रखा जा सकता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब रिपोर्ट को सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है तो इसके साथ इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है।

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध की गई कार्रवाई से संबंधित ज्ञापन को छः महीने की अवधि के अन्दर सभा पटल पर रखा जा सकता है। तुरन्त रखना आवश्यक नहीं होता है। सरकार से यह अपेक्षा करना पूर्णतः अव्यावहारिक है कि वह उसी तारीख को रिपोर्ट के साथ-साथ उस पर की गई

कार्रवाई संबंधी ज्ञापन को भी सभा पटल पर रखा जाए। इसलिए, मैं कहता हूं कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। हम इस रिपोर्ट पर बहस कर सकते हैं।

अब श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, फेयरफैक्स मामले के जांच सम्बन्धी न्यायमूर्ति ठक्कर और नटराजन आयोग की रिपोर्ट, जिसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा थी, हमें प्राप्त हो गई है और जैसाकि अभी आपने कहा कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट बाद में आएगी, तथापि कुछ टिप्पणियां करने का अवसर हमें मिल गया है क्योंकि अब रिपोर्ट हमारे सामने है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को केवल यह स्मरण कराना चाहूंगा कि जिस संदर्भ में सारा फेयरफैक्स मामला बना है, वह है विदेशों में विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन। यह चर्चा योग्य मामला नहीं है। यह बात अनेक बार इस सभा में और अनेक प्रतिवेदनों में स्वीकार की जा चुकी है कि भारी मात्रा में धन अवैध रूप से विदेशों में ले जाया जा रहा है तथा विदेशों में जमा किया जा रहा है। यह भी स्वीकार किया गया है कि कुछ कारणों से हम अकेले इन अपराधियों को पकड़ना या दण्ड देना तो दूर रहा इनका पता भी नहीं लगा सके। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि यह बड़े पैमाने पर देश के संसाधनों का पलायन है जिसके कारण हमारे जैसे देश में, जहां संसाधनों के अभाव में देश के विशेषकर सामान्य गरीब वर्गों को लाभान्वित करने के लिए बने अनेक कार्यक्रमों को समाप्त करना पड़ता है। यह इसी संदर्भ में जिसमें यह फेयरफैक्स छानबीन या जांच या जो भी यह है, प्रारम्भ की गई थी और निस्संदेहपूर्ण नहीं हुई थी क्योंकि बीच में ही यह सारा हुल्लागुल्ला इस बाबत आ गया कि यह फेयरफैक्स क्या है, यह कहां से आया, इसका स्वरूप क्या है, इसकी नियुक्ति किसने की, नियुक्ति का क्या तरीका था, आदि, आदि। अतः, मैं, प्रारम्भ में ही यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस आयोग की चाहे कुछ भी हो या न हो, इसमें एक बात अवश्य उल्लिखित है कि विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने वाले और विशेषकर रिलायंस कम्पनी लिमिटेड के श्री धीरुभाई अम्बानी, जिनके विरुद्ध जांच करनी है, मुक्त हो गए हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार जब वाद-विवाद का उत्तर दे तो हमें यह जरूर स्पष्ट करे कि इन अपराधियों को पकड़ने के बारे में सरकार का क्या विचार है—मैं उन्हें अपराधी कहता हूं क्योंकि वे देश के संसाधनों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं ? मैं सरकार से उत्तर सुनकर प्रसन्न होऊंगा। इस समय तक, हमारे सामने इस तथ्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि कुछ कानून हैं जो लागू हैं लेकिन जहां तक इन व्यक्तियों को पकड़ने का सम्बन्ध है ये कानून निरर्थक सिद्ध हुए हैं।

इस आयोग के प्रतिवेदन में मुख्यतः दो या तीन मुद्दों पर विचार किया गया है। आयोग के कार्य के स्वरूप पर और कुछ भ्रांतिओं को हटाने पर चर्चा करते हुए, आयोग ने पृष्ठ 49, अध्याय-चार में स्वयं ही कहा है कि :

> "...जांच आयोग का कार्य अपने लिए सामग्री एकत्र करना है, उनके गुणों और संगतता के अनुसार उनकी छान-बीन करना, और, तब मालूम करना कि मामले के तथ्य क्या हैं। आयोग का कार्य..."

महोदय, यह महत्त्वपूर्ण है,

"आयोग के कार्य, कार्य का स्वरूप, तथ्यों का पता लगाने जैसा न कि निर्णायक का है।"

इसका मतलब यह है कि आयोग अपने आपको मूलत: निर्णायक न मानकर तथ्यों की जांच करने वाला, तथ्यों का पता लगाने वाला मानता है। विवाद में निर्णय किया जाता है। जब विवाद में दो या अधिक पार्टियां शामिल हों और मामला निर्णायक को सौंपा जाए, तत्पश्चात्, निर्णायक, जांच करने के पश्चात फैसला या निर्णय देता है चाहे यह किसी के पक्ष में हो और चाहे किसी के विरुद्ध हो। लेकिन उन्होंने कहा है कि "हम निर्णायक निकाय नहीं हैं। हम तो तथ्यों का पता लगाने सम्बन्धी निकाय हैं।"

इस आयोग के विरुद्ध मेरी मुख्य शिकायत यही है, वास्तव में मैं इस प्रतिवेदन के अनेक पृष्ठों के उद्धरण नहीं दे सकता, मैं यह कार्य कर सकता हूं लेकिन इसमें कुछ अधिक समय लगेगा। मैं इसे सावधानीपूर्वक पढ़ चुका हूं। मेरा मुख्य शिकायत आयोग के विरुद्ध यह है कि इसकी कार्यवाहियों में तथ्यों का पता लगाने का इसका कार्य बहुत कम है, और इसका मुख्य कार्य पूर्णत: राजनैतिक उपदेश है। मैं नहीं जानता कि यदि वे ऐसा सोचते हैं कि यही उनका कार्य है, यही आयोग का प्रमुख कार्य है, अर्थात्, मुझे कहना चाहिए कि उनका कार्य सभी प्रकार के राजनैतिक उपदेश प्रसारित करना है। उदाहरणार्थ, इसको गलत न समझें — विदेश में किए गए आर्थिक अपराधों की जांच के लिए किसी विदेश, गैर-सरकारी एजेंसी की नियुक्ति की अवांछनीयता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वे जिन निष्कर्षों पर पहुंचे उनमें से एक यह है कि ऐसी विदेशी एजेंसी को कभी नहीं लगाया जाना चाहिए था। और क्यों? इसके बारे में उन्होंने सभी बातें राजनैतिक कहीं हैं जैसे कि सी० आई० ए० के साथ संबंधों की संभावना, भारत जैसे देश को अस्थिर बनाने वाली ताकतों से सम्पर्क की संभावना।

इस समय फेयरफैक्स की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। फेयरफैक्स की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में अनेक प्रश्न किए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब 6 अप्रैल को इस सभा में इसी विषय पर जब वाद-विवाद हुआ था, यह बहुत समय पहले की बात है, मैंने जो कहा था, यदि आप नाराज न हों तो उसमें से कुछ वाक्यों का मैं उद्धरण देता हूं :—

"एक बड़ा प्रश्न है जो इस देश में गम्भीर समस्या बनता जा रहा है, वह है कि क्या किसी विदेशी जांच एजेंसी को इस प्रकार के कार्य के लिए नियुक्त करना सही है, परामर्शयुक्त है या नहीं है। मेरा कहना यह है : क्या आपके पास विदेशों में हमारे लोगों द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जांच करने के लिए कोई स्वतंत्र तंत्र है? क्या आपके पास कोई सक्षम नहीं है? आपके पास कोई तंत्र नहीं है। इस देश से वर्षों से करोड़ों रुपया अवैध ढंग से देश से बाहर ले जाया जा रहा है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन करके कंपनियों, निगमित निकायों और व्यक्तिगत रूप से विदेशों में गैर-कानूनी रूप से राशि जमा की जा रही है।"

अत: जिस मुद्दे पर मैं यहां बहस कर रहा था, वह यह है कि भारत सरकार के पास विदेशों में ऐसी जांच करने के लिए अपनी कोई स्वतन्त्र एजेंसी नहीं है। लेकिन तब मैंने कहा था—मैं उद्धृत करता हूं :

"लेकिन मैं सहमत हूं : यदि सरकार यह निर्णय करती है कि विदेशी एजेंसी को नियुक्त

करना आवश्यक है तो हमें इसके पूर्ववृत्त, सम्बन्धों और इसकी शर्तों जिसके आधार पर उन्हें भाड़े पर रखा गया है, के बारे में बहुत ही जागरूक रहना चाहिए···।"

"···निस्संदेह, हमें इन सबकी जांच करनी होगी। लेकिन साधारणत: कहने के लिए केवल यह कह देना कि विदेशी एजेंसी क्यों नियुक्त की गई, एक ऐसा सिद्धांत है जिसका मैं अनुमोदन नहीं कर सकता जब तक आप अपनी स्वतन्त्र एजेंसी नहीं विकसित कर लेते।

यदि कोई प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है और कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का बार-बार उल्लंघन होता है और पर्याप्त सूचना के अभाव में आप अपराधियों के पकड़ने में असमर्थ हैं तो विदेशी एजेंसी नियुक्त करना आवश्यक है, बशर्ते कि आप उस एजेंसी के स्वरूप के बारे में पूर्णतया सजग रहें।"

अत:, अप्रैल में, मैंने यह सब कहा था और मैं देख रहा हूं कि श्री ब्रह्म दत्त इस समय यहां नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह इसे बहुत ही अपमानजनक पाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता, लेकिन श्री ब्रह्म दत्त ने उसी दिन अप्रैल 6 को उसी चर्चा में बोलते हुए कहा था कि :

"एक अन्य बात जो बार-बार कही गई है वह यह है कि मेरे वक्तव्य और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के वक्तव्य के बीच विरोधाभास है। यह कहा गया है कि उन्होंने कल कुछ और कहा था। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान केवल इन वाक्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा : इस कार्य के लिए सरकार द्वारा किसी विदेशी एजेंसी की नियुक्त असाधारण, अवैध और अनैतिक नहीं है।"

यह एक उद्धरण है, मैं समझता हूं कि श्री वी० पी० सिंह ने यही कहा था जिसका मैंने उद्धरण प्रस्तुत किया है। फिर पृष्ठ 517 पर उन्होंने इस प्रकार कहा है :

"मैंने यह भी कहा है कि उनके साथ हमारा सम्बन्ध यह रहा है कि वे हमें जानकारी प्रदान करेंगे और हम उन्हें उसके बदले में अदायगी करेंगे।

इसका दर्जा 'रॉ' अथवा 'सी० बी० आई०' का नहीं था। इसका दर्जा केवल एक सूचना देने वाले का था जो कि केवल सूचना प्रदान करेगा और उसे सूचना प्रदान करने के लिए अदायगी की जाती है। अन्य जो महत्वपूर्ण सूचना मैंने दी थी वह यह थी कि फेयरफैक्स ग्रुप ने भारत सरकार को कोई उपयोगी सूचना प्रदान नहीं की थी।

तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने कही थी कि हमने विदेशों में स्थित कम्पनियों को एक प्रश्नावली दी थी जो भारत स्थित कुछ कम्पनियों से सम्बन्धित थी। हमें उनके उत्तर सीधे ही प्राप्त हो गए थे और कम्पनी के माध्यम से भी प्राप्त हुए थे। उस समय मैंने कहा था कि उसने संदेशवाहक का काम किया था···"

'कोरियर' का अर्थ है संदेशवाहक जो एक कंपनी से कोई जानकारी प्राप्त करके उसे सरकार को देता है। फिर आगे उन्होंने इस प्रकार कहा है :

"हमने उन्हें एक पैसे की भी अदायगी नहीं की है।"

शायद उन्हें वहां से कोई जानकारी नहीं मिली अथवा वह जानकारी एक पैसे की भी अदायगी करने लायक नहीं थी। अतः, इन्हीं सब बातों के लिए श्री ब्रह्म दत्त का नाम रिकार्ड में है। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि यह गलत काम किया गया है। आखिरकार, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जांच कर रहे हैं जो एक तरह से अपराध जगत है। तस्करी करने वाले लोग हैं, जो देश को लूट रहे हैं, जो देश से बाहर धन ले जाने के लिए सभी प्रकार के धोखाधड़ी वाले तरीके अपना रहे हैं। मेरा विचार है; यदि गृह मंत्री जी यहां होते तो वह अवश्य इस बात से सहमत होते कि जब हमें अपराधियों, चोरी छिपे काम करने वालों की गतिविधियों की जांच करनी होती है तो कभी-कभी आपको उन्हें पकड़ने के लिए अपराधियों का ही उपयोग करना पड़ता है। मेरे विचार से यहां किसी अपराधी को नियुक्त नहीं किया गया। परन्तु ऐसा किया जाता है, पुलिस में सभी को पता है ऐसा किया जाता है; प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि अपराध जगत में, आपको हमेशा एक सज्जन व्यक्ति की तरह का व्यवहार करना होता है। परन्तु मैं अभी भी कहता हूं जिस प्रकार से फेयरफैक्स को इस कार्य को करने के लिए नियुक्त किया गया वह केवल एक जानकारी देने वाले का था। रिकार्ड में कही गई सभी बातों से यह पता लगता है कि उनसे जो समझौता किया गया था वह केवल कुछ जानकारी एकत्र करने और उसे भेजने का था और यदि वह जानकारी महत्वपूर्ण समझी गई तो उन्हें मुखबिरों की तरह पुरस्कार दिया जाएगा। मेरे विचार से इस कंपनी को नियुक्त करने में जो बड़ी कमी थी—हालांकि यह अपरिहार्य थी—वह थी कि कुछ भी रिकार्ड नहीं रखा गया। लिखित में कुछ भी नहीं है। यह सब मौखिक ही था। आयोग ने भी भूरे लाल और विनोद पांडे की सदाशयता पर संदेह नहीं किया है और मैं जानता हूं—कम से कम कुछ वर्ष पूर्व यह दोनों अधिकारी और विशेष रूप से भूरे लाल आर्थिक अपराधियों के लिए आतंक बन गए थे। वे उन लोगों के लिए जो देश के इन कानूनों और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए एक आतंक बन गए थे। इस रिपोर्ट में आयोग ने कहीं भी इन अधिकारियों के प्रयोजन पर संदेह व्यक्त नहीं किया है अथवा चोरी करने वाले का पता लगाने का प्रयत्न करने की मंशा के अलावा किसी अन्य बात की आशंका नहीं की है। परन्तु इस सारे मामले की विडम्बना यह है कि इस सारी रिपोर्ट में जिसमें सभी प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं, और इन दोनों अधिकारियों पर जोर यह जांच कर रहे हैं संदेह व्यक्त किया गया है, निष्कर्ष यह निकला है कि उन अपराधियों को जिनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं, मुक्त कर दिया जाए। इससे पता चलता है कि इस देश में हम किस स्थिति में हैं। मैं वास्तव में श्री भूरे लाल और विनोद पांडे द्वारा फेयरफैक्स कंपनी को नियुक्त करने के तरीके का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं इस फेयरफैक्स कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं।

पहले हमें बताया गया था कि श्री हर्षमैन संयुक्त राज्य अमरीका में वाटरगेट कांड की जांच से सम्बद्ध रहे हैं और इस प्रकार तकनीकी रूप से उन्हें इस जांच के लिए सबसे सक्षम व्यक्ति समझा गया था। मुझे इस बारे में पता नहीं है। इन सब मामलों के बारे में हमने पढ़ा था। परन्तु सारे मामले में जो कमी है वह यह है कि किसी बात का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया। अब, यदि आप यह कहते हैं कि गोपनीयता के प्रयोजन से और अन्य ऐसी किसी बात की वजह से हम लिखित में ऐसा

कुछ नहीं रखना चाहते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी का कारण बने अथवा किसी प्रकार से उलझन वाला सिद्ध हो।

तथ्य यह है कि इस मामले से सीधे सम्बद्ध रहने वाले इन अधिकारियों को यदि हटा दिया जाता अथवा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता अथवा वे वहां न होते या उनमें से किसी एक के साथ कोई घटना घटित हो जाती जिससे वह उपलब्ध न होता और रिकार्ड में, फाइलों में कुछ भी न हो तो उससे वास्तव में एक कठिन और परेशान करने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहां यह कहा गया है कि श्री वी० पी० सिंह ने आयोग के समक्ष स्वयं गवाही दी है कि फेयरफैक्स के बारे में उन्हें वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित किए जाने के पश्चात् ही पता चला। उससे पहले उन्होंने एक मौखिक आदेश दिया था कि यदि आवश्यक समझा जाए तो ऐसे मामलों की जांच में विदेशी एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है। किसी विशिष्ट कंपनी अथवा एजेंसी को नियुक्त किए जाने के विषय में मुझे मालूम नहीं है। यही सब उन्होंने कहा था। रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित किए जाने के पश्चात ही उन्हें यह पता लगा कि फेयरफैक्स को नियुक्त किया गया है। अतः जब वह वित्त मंत्रालय में थे तब उन्होंने यह सामान्य मौखिक आदेश दिया होगा—परन्तु उन्हें इस विशिष्ट एजेंसी के बारे में बताया नहीं गया था। श्री वी० पी० सिंह के अनुसार जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बाद में प्रधान मंत्री को बताया और प्रधान मंत्री ने इस विषय में कभी आपत्ति प्रकट नहीं की, श्री ब्रह्मदत्त ने भी कभी आपत्ति नहीं की। उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। इसमें कहा गया है कि उन्होंने वास्तव में हमें कोई सूचना नहीं दी। हमने भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी। अतः, सुरक्षा को खतरे का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है; जिसका कि आयोग के इन दो सदस्यों ने इतना अधिक जिक्र किया है। यदि उन्हें हमने कोई सूचना दी होती और जिसका उपयोग वह हमारे विरुद्ध कर सकते थे तो यह बात हमारी समझ में आती थी। परन्तु आयोग ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है।

अब यह तर्क दिया जा सकता है कि अमरीका में स्थित कोई भी कंपनी सी० आई० ए० से सम्बद्ध हो सकती है। वास्तव से ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका में प्रत्येक कंपनी का 'सी० आई० ए०' का एजेंट होना आवश्यक नहीं है। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है किसी विशिष्ट एजेंसी को नियुक्त करने से पूर्व आपको इसकी पृष्ठभूमि तथा इसके विषय में सब बातें जान लेनी चाहिए। मेरे विचार से इन अधिकारियों ने ऐसा किया होगा। मुझे नहीं मालूम। रिकार्ड में कुछ नहीं है। महोदय, यदि वास्तव में यह सुरक्षा को खतरा था तो उसके दो महीने पश्चात—श्री वी० पी० सिंह को इस मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित किए जाने के दो महीने पश्चात भी—मई के अंत तक फेयरफैक्स के साथ जो भी प्रबन्ध किए गए उन्हें जारी रहने दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : उन्हें जनवरी में बदला गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस समय वित्त मंत्रालय का कार्यभार स्वयं प्रधानमंत्री के पास था। यदि कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार रहा हो कि जिस समय उन्हें यह पता लगा कि एक अमरीकी गुप्तचर एजेंसी को यह काम सौंपा गया है और इससे देश की सुरक्षा को खतरा है तो इन प्रबन्धों को तुरन्त समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। मई के अंत में ऐसा किया गया। उन्हें चार महीनों तक

कार्य करते रहने दिया गया। क्यों ? स्पष्टतः, उस समय यह नहीं समझा गया था कि इससे सुरक्षा को भारी खतरा होगा । मुझे नहीं मालूम। उस ओर से किसी को उत्तर देना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : मई के महीने में सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, हम श्री तिवारी के 'सी० आई० ए०' के 'एजेंट' के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहते क्योंकि उसके बारे में हम अत्यधिक सचेत रहते हैं। तथ्य यह है कि आपको प्रधान मंत्री पर अविश्वास नहीं करना चाहिए जबकि उनके वाशिंगटन के पिछले दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जार्ज बुश ने यह आश्वासन दे दिया है कि 'सी० आई० ए०' भारत में अस्थिरता लाने के किसी भी कार्य में संलग्न नहीं है। उन्होंने उनका विश्वास कर लिया है। उन्होंने वहां से वापस आकर बड़े विश्वास सहित ऐसा कहा है। अब आप 'सी० आई० ए०' के बारे में शोर मचा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप अपने प्रधानमंत्री पर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं तथा आपको अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : परसों संकल्प पारित करने के पश्चात से।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं श्री जार्ज बुश से सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री इन्द्रजीत जी, आप अध्यक्षपीठ को क्यों नहीं संबोधित करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं श्री तिवारी की ओर इतना आकर्षित हूं कि मैं वस्तुतः अपनी आंखें उनसे हटा नहीं पा रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : किसी महिला को अध्यक्षपीठ पर बैठाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि मैं इस विशेष कम्पनी को नियुक्त करने के तरीकों के विषय में अत्यधिक चिंतित हूं क्योंकि उसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं। अब जैसाकि आप जानते हैं, प्रेस में सार्वजनिक रूप से एक विवाद चल रहा है कि केवल मौखिक प्रबंध किए गए थे। मैं उस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं। यह सारी रिपोर्ट एक जासूसी कहानी की तरह है। वह एक छद्म नाम से यहां आए और होटल ओबेराय में ठहरा और ठीक उसी समय श्री नुसली एन० वाडिया आए उनका बिल बाम्बे डाइंग ने अदा किया। मेरा विचार है, यह कोई संयोग नहीं है। इन लोगों में यह हिम्मत है और यह ऐसा कर सकते हैं। मैंने वाद-विवाद के दौरान पहले भी ऐसा कहा था कि इस देश की दो बड़ी निगमित कम्पनियों के बीच आधारभूत विवाद भी यही था।

(**व्यवधान**)

प्रो० के०के० तिवारी : अब यह इतिहास का विषय है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, हमारी इसमें रुचि नहीं है कि कौन जीतता है और कौन हारता है—कुछ लोग इस ओर होंगे और कुछ उस ओर। यह पूंजीवादियों के कायदे-कानून हैं। एकाधिकारवादी ग्रुपों में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई चलती रहती है और वे एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे तरीके अपनाते रहते हैं। (**व्यवधान**)

फिर भी, मैं जो कह रहा था वह यह है कि विवाद की बात उठती है। महोदय, उदाहरण के तौर पर, रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि सभी सौदे मौखिक रूप से हुए थे और लिखित रूप में कुछ

भी नहीं किया गया था । मिस्टर ड्रियू मैकके एक साहब हैं जो फेयरफैक्स ग्रुप के मुख्य सलाहकार हैं। उन्होंने 11 दिसम्बर को वाशिंगटन से एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें कहा गया है : "हमने लिखित समझौता किया है", और पूर्व दावों को दोहराते हुए कहा है कि एजेंसी को भारत सरकार द्वारा भाड़े पर लिया गया था । वह कहते हैं कि उनका लिखित समझौता है । वह सच बोल रहे हों या झूठ बोल रहे हों। श्री हर्शमैन धमकी देते रहते हैं कि "जो सामग्री मेरे पास है मैं उसे प्रस्तुत कर दूंगा ।"

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : वह झांसा दे रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक झांसा हो सकता है । हमें ऐसी आशा है। अगर वह ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत करते हैं जिसे हर बार छिपाया जा रहा है, तो यह उनमें से किसी के लिए हितकर नहीं होगा जो इसमें शामिल हैं ।

इस तरह से सरकार कार्य कर रही थी । श्री वी० पी० सिंह सरकार में थे । वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते और न ही सरकार अपनी सामूहिक जिम्मेदारी से बच सकती है । अब यह बताने का कोई लाभ नहीं है कि सरकार किस तरह कार्य कर रही थी अर्थात् कुछ नौकरशाह अपनी मनमर्जी करने के लिए स्वतंत्र थे । इसका मतलब है, मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच क्या संबंध है ? हालांकि, हम भली प्रकार से जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से कार्य करती है और हमें मालूम है कि कितने मंत्री, सभी नहीं, नौकरशाहों पर पूर्णतया निर्भर हैं अथवा बिल्कुल निर्भर रहते हैं। नौकरशाह भी बदलते रहते हैं, क्योंकि उनका स्थानांतरण, इत्यादि होता रहता है। अतः सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, मेरी राय में, वास्तव में वह अव्यवस्थित है । इस बारे में भी सरकार को ध्यान देकर यह देखना चाहिए कि क्या उसे अपनी कार्य प्रणाली में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

इस तथ्य पर बहुत कुछ कहा गया है और आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि "हम श्री वी०पी० सिंह अथवा श्री भूरेलाल अथवा श्री विनोद पांडे को नहीं बुला सके और नहीं बुलाया, क्योंकि उनके द्वारा अपनाए गए कट्टर रुख के कारण हमने समझा कि वे हमें कोई जानकारी नहीं देना चाहते ।" मेरा कहना है कि आयोग की टिप्पणियों का यह अंश बिल्कुल गढ़ा हुआ है और इसे उनके अपने ही प्रतिवेदन से सिद्ध किया जा सकता है । वे ऐसा कैसे कह सकते हैं और उन्हें नहीं बुलाने की बात मेरी समझ में नहीं आती । आयोग ने भी श्री वी०पी० सिंह और अन्य लोगों को एक प्रश्नावली, एक लम्बी प्रश्नावली, भेजी है । जो प्रश्नावली उन्हें मुहरबन्द लिफाफे के अंदर भेजी गयी थी उसके प्रत्येक प्रश्न का पूरा उत्तर यहां है । मुझे बताया गया है कि श्री भूरे लाल और श्री विनोद पांडे ने भी आयोग द्वारा भेजी गयी प्रश्नावली के उत्तर दिए थे और आयोग यह कहता है "उनके कट्टर रुख के कारण, हमने जो निष्कर्ष निकाला, वह उनके द्वारा जानकारी देने से मना करने अथवा जानकारी देने में हिचकिचाहट थी, अतः हमने उन्हें नहीं बुलाया ।" आयोग के दो न्यायाधीशों की यह दलील आश्चर्यजनक है ।

जांच आयोग अधिनियम के नियम 8(ख) और 8(ग) के अन्तर्गत यह अनिवार्य है—आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं—कि आयोग को जिस किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की आलोचना करनी है अथवा आयोग के निष्कर्षों से जिनकी ख्याति को नुकसान होने की संभावना है, उन व्यक्तियों को नोटिस दिए जाएं । तत्पश्चात्, वे आयोग के सामने आते हैं अथवा नहीं, यह उन पर निर्भर करता है । लेकिन उन्हें

नोटिस अवश्य दिए जाने चाहिए। अर्थात् उन्हें आयोग के सामने प्रस्तुत होकर अपनी बात कहने और राय व्यक्त करने तथा आयोग द्वारा पूछे जाने वाले किसी प्रश्न का उत्तर देने का एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। अधिनियम के एक अनिवार्य उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका उल्लंघन किया गया है और ये दो न्यायाधीश अन्य लोगों से प्रक्रियाओं और कानूनी उपबंधों का पालन करने की आशा करते हैं जबकि स्वयं उनके पास देने के लिए कोई स्पस्टीकरण नहीं है सिवाय यह कहने की उनका रुख कट्टर था···

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : यह प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर है···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस प्रकार की बातचीत की अनुमति नहीं दे सकता। उन्हें अपनी बात कहने दें।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, वह अपनी अज्ञानता के मूल अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं···

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री भोलानाथ सेन, आप एक प्रसिद्ध वकील हैं। आप मेरा अनुचित लाभ उठाने का प्रयास न करें जिसने अपने जीवन में कानून की कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी है। परन्तु आप कृपया इस प्रतिवेदन में से यह दिखायें कि उनकी तथाकथित 'कट्टरता' का क्या साक्ष्य मौजूद है। मैं आपका बहुत आभारी हूंगा। वे आयोग के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। केवल एक व्यक्ति जिसे नोटिस भेजा गया था, जैसाकि कानूनी तौर पर अपेक्षित था, वह श्री नुस्ली वाडिया था। हो सकता है कि वह बहुत से मामलों से जुड़ा हुआ हो लेकिन वह निश्चित रूप से इस मामले से जुड़े हुए मुख्य व्यक्तियों में से नहीं हैं। उसका अपना इरादा सिर्फ इतना हो सकता है कि एक व्यापारी के रूप में वह अपने प्रतिद्वन्द्वी व्यापारी को कठिनाई में डालने का हो। उसे नोटिस भेजा गया था।

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : आप प्रतिवेदन के किस पृष्ठ से 'कट्टरता' का हवाला दे रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : घबड़ाइए मत, मैं आपको बता दूंगा। महोदय, आपकी अनुमति से—क्योंकि मेरे ख्याल से वह अभी मेरी बात का उत्तर नहीं देने जा रहे हैं—जैसे ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, मैं उन्हें पृष्ठ संख्या बता दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय मिला है इसमें मैं अपनी बातों को नहीं कह पाऊंगा। सिर्फ दो या तीन बातें मैं कहना चाहूंगा।

महोदय, अगर आप प्रतिवेदन को पढ़ें तो सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि यह एक बहुत ही उच्च कोटि का राजनीतिक दस्तावेज है। अचानक, इस लम्बे प्रतिवेदन इत्यादि में इतने महीने लेने के पश्चात्, इन ये दो महानुभावों—आयुक्तों ने—प्रतिवेदन के अन्त में पृष्ठ 289 पर बाद में एक आलेख जोड़ा है। इसका मतलब यह है कि पूर्व पृष्ठ 288, जहां पर उन्होंने अपना प्रतिवेदन समाप्त किया था, उनके साथ ऐसी कोई बात हुई जिसकी वजह से उन्हें बाद में एक आलेख जोड़ना पड़ा। अगर आप

बाद में जोड़े गए अंश को पढ़ें, जोकि $1\frac{1}{2}$ पृष्ठ से भी कम हैं, आपको इसमें कोई नई बात नहीं मिलेगी जिसे बाद में सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह पहले की ही पुनरावृत्ति है जिसे उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कई बार कई जगह कहा है···(**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप क्यों···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपको किस प्रकार स्पष्ट करूं ?

एक माननीय सदस्य : यह संभव नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि सिर्फ इस एजेंसी की सेवाएं ली जाती हैं, जैसाकि बीच में श्री ब्रह्मदत्त ने स्वीकार किया है कि ऐसा किया गया था—कि उन्हें एक सूचना देने वाले अथवा एक सन्देशवाहक अथवा इसी प्रकार के किसी व्यक्ति के समान समझा जाता है जिन्हें भुगतान सिर्फ कार्य पूरा करने के बाद ही किया जाएगा—तो क्या सिर्फ उस जांच एजेंसी की राष्ट्रीयता के नाते इतना बड़ा सुरक्षा का खतरा है—वे बहुत बड़े धोखेबाज हो सकते हैं; मुझे इसमें कोई शक नहीं है अगर वे इस प्रकार का गुप्त कार्य कर रहे हैं—फिर किस तरह से उदाहरण के तौर पर, प्रशिक्षण हेतु विशेष सुरक्षा दल, सुरक्षा दल विदेशों में भेजकर, किस तरह से उनकी सुरक्षा के साथ कम समझौता हुआ है ? क्या यह करने से उनकी सुरक्षा के साथ कम समझौता हुआ है ? क्या उसी अमरीका में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को भेजने के इस नए प्रस्ताव में उनकी सुरक्षा के साथ कम समझौता है ? उन्हें प्रशिक्षण के लिए अवश्य भेजा जाए और फिर हार्वर्ड अथवा जो भी जगह है वहां से उन्हें वापस बुलाया जाए। क्या हार्वर्ड ऐसा स्थान है जिसके बारे में आप गारंटी दे सकते हैं कि वह सी० आई० ए० के सम्पर्क से पूरी तरह से मुक्त है ? अतः जो यहां कहा जा रहा है उसे कोई कैसे स्वीकार कर सकता है ? हां, कुछ तरीकों, कुछ परम्पराओं का अनुसरण किया गया था जिन्हें मैं अनियमित और अवांछनीय समझता हूं। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन लोगों के इरादों पर कभी उंगली नहीं उठायी गयी थी, और एक मिनट के लिए मैं उन पर उंगली नहीं उठाता। लोगों के बारे में पता लगाकर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जिस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, वह हमारे देश के हित में था, उसे बीच में ही खत्म कर दिया गया है। इन दो न्यायाधीशों ने, जिनको हमारी सुरक्षा इत्यादि से बहुत चिन्ता है, अपने प्रतिवेदन के किसी भी पृष्ठ पर, आर्थिक अपराधियों और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का जो उल्लंघन हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। वे उसके बारे में चिन्तित नहीं हैं। उन्होंने इस पृष्ठ में कहीं भी नहीं कहा था कि आर्थिक विस्थापन, आर्थिक साधनों के विस्थापन के द्वारा हुआ। नहीं, आप उस सज्जन के बारे में क्यों चिन्तित हैं ? वह कौन हैं ? उनकी हस्ती क्या है ?

एक माननीय सदस्य : वह उच्च अधिकारी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां, हां। अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए, उच्च अधिकारी सभी प्रकार के अयोग्य व्यक्तियों और अपराधियों से निबटेंगे और इसलिए कभी-कभी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि सलाहयुक्त नहीं है। मैं इससे सहमत हूं। परन्तु उस मुख्य बात का क्या हुआ जिसके सन्दर्भ में मैंने शुरूआत की ? अतः, यदि आप सोचते हैं कि हजारों-करोड़ों की राशि को देश से बाहर ले जाने की

अनुमति दी जाती है और इससे आर्थिक-विस्थापन को कोई खतरा नहीं है तो यह विस्थापन सी०आई० ए० की राजनीतिक गतिविधियों के कारण है। जो कुछ हो रहा है वह सब क्या है ? हमें इसकी बिल्कुल भी चिन्ता नहीं है। इन लोगों को पकड़ने के लिए हम कोई गम्भीर प्रयास नहीं करते हैं। अत: पिछले कुछ दिनों में अनेकों बातें कही जा रही हैं। वित्त मंत्री महोदय, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं ? आपको किसी और मंत्री की अपेक्षाकृत अधिक चिंतित होना चाहिए क्योंकि हर समय आप अपने बजट, आबंटन तथा व्यय, जो कि बढ़ता ही जा रहा है, के लिए संसाधन जुटाने में प्रयासरत हैं। किन्तु आप इन लोगों को इस राशि को देश से बाहर ले जाने की इजाजत दे रहे हैं और इस बारे में कोई भी चिंतित नहीं है। जब एक प्रयास जो कि शायद पूर्ण रूप से सही नहीं था, किया जा रहा था तो उसे भी नष्ट कर दिया गया। जिस व्यक्ति को खुश होना चाहिए, वह धीरूभाई अम्बानी तथा कुछ और लोग हैं। यहां इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दो अमेरिकन कम्पनियों डूपोन्ट-डूपोन्ट—जो कि विश्व विख्यात बहुराष्ट्रीय कम्पनी है—तथा केमोटेक ने सरकार को बताया कि वे सरकार द्वारा पूछी गयी सूचना देने को तैयार हैं। परन्तु वे इस सूचना को फेयरफैक्स के जरिए नहीं देंगे, वे सीधे सरकार को देने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक ने कहा, "आपको सरकारी लेटर हैड पर सरकारी तौर पर पत्र भेजना चाहिए और हम आपको सूचना देने के लिए तैयार हैं।" इसमें कहा गया है कि श्री भूरे लाल ने इसी कारण से ऐसा किया और बाद में वाशिंगटन में हमारे दूतावास की मदद से एक सरकारी पत्र उन्हें भेजा गया। मैं नहीं जानता कि उन कम्पनियों से हमें क्या सूचना प्राप्त हुई। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय इस सूचना को प्रकट कि इस सूचना से जांच कार्य में किसी प्रकार की मदद मिली है।

महोदय, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि शायद ही यह रिपोर्ट, एक कागज के टुकड़े मात्र है। यह एक अर्थहीन रिपोर्ट है जिसके द्वारा आर्थिक अपराधियों को शरण देकर उन अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया गया है जो कि देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जांच करने का उपहास मात्र है और हम किसी भी परिस्थिति में इस रिपोर्ट को समर्थन नहीं दे सकते तथा सरकार से हम यह मांग करते हैं कि वह और अधिक कठोर कदम उठाए और हमें बताए कि अपराधियों को पकड़ने के लिए जो मुख्य प्रयोजन है उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। महोदय, इसके बिना, हम इस तरह की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सभापति महोदय, इस कमीशन का निर्णय 31 मार्च, 1987 को, जब इस सदन में फेयरफैक्स पर वाद-विवाद हुआ था, उसके बाद हुआ था। हमारे पूर्व विद्वान वक्तव्य ने सारे संसार की यात्रा की, जिन-जिन बातों को उल्लेख "टर्म्स आफ रेफरेंस" में नहीं था, अधिक उन्होंने उन बातों पर जोर दिया। टर्म्स आफ रेफरेंस की बात नहीं की, कमीशन को क्या पता लगाने के लिए कहा गया था, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने यह जरूर कहा कि कमीशन को क्या क्या अपनी तरफ से करना चाहिए था।

आज तक कोई ऐसा कमीशन बहाल नहीं हुआ जिसके दो सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा करते कि उनको जो बातें नहीं कही गई हों, उनकी भी वह जांच करते, मगर टर्म्स आफ रेफरेंस में जिन बातों को कहा गया है, उसकी वह जांच नहीं करते। इनको नाराजगी इस बात से है कि कमीशन

ने उन बातों पर क्यों जोर दिया, नुस्ली वाडिया, मूरे लाल की जांच पर, कोई रिकार्ड नहीं, सारी बातें जो सच हैं उन बातों का उल्लेख बड़े हल्के ढंग से कर दिया, होशियार वक्ता हैं लेकिन जिनका उल्लेख इसमें नहीं है उन बातों पर जोर दिया। यह नहीं बताया कि वित्त मंत्रालय उस समय किसके द्वारा चलाया जा रहा था लेकिन यह कहा कि इसमें जवाबदेही प्रधान मंत्री की भी है···(**व्यवधान**)··· मैं कहता हूं, है, मैं बताता हूं जवाबदेही कहां तक होती है, ज्वाइंट रैस्पोंसिबिलिटी और कलैक्टिवनैस का क्या अर्थ होता है, अगर इसका अर्थ माननीय सदस्य सिर्फ यह लगाते हों कि प्रधान मंत्री सैक्रेटेरिएट जितना बड़ा ईस्ट ब्लाक और वेस्ट ब्लाक अपने यहां भी बना लें और हर मंत्री सिर्फ एक्ट प्रपोज करे बाकी वह करें, अगर यह अर्थ है तो क्षमा कीजिएगा, कलैक्टिव रैस्पोंसिबिलिटी का यह अर्थ नहीं है। कलैक्टिव रैस्पोन्सिबिलिटी का यह अर्थ है कि प्रधान मंत्री ने तत्कालीन वित्त मंत्री को इतना अधिकार दिया था कि वह जांच करें, एजेंसी रखें लेकिन उसको जरा लिख पढ़कर, ढंग से रजिस्टर पर, रिकार्ड पर करके रखें, यह कलैक्टिव रैस्पोंसिबिलिटी का अर्थ होता है यह नहीं कि आप जो नया इण्टरप्रिटेशन देना चाहते हैं।

उस दिन की डिबेट को आप जरा ले लीजिए, माननीय सदस्यों ने उस दिन इस डिबेट में, सब पार्टी इंक्लूडिंग गुप्ता की पार्टी के, क्या चाहा था सरकार से, वे क्या चाहते थे, उनमें से सबसे पहले सोमनाथ चटर्जी ने कहा—

[**अनुवाद**]

> "अब यह स्वीकार किया गया है कि भारत सरकार ने सरकार के कुछ कार्य-कलापों की जांच करने के लिए एक विदेशी जांच ऐजेंन्सी को नियुक्त किया था। इस पर कोई विवाद नहीं है। किन्तु हमारी सबसे बड़ी चिन्ता है कि एक देश की ऐसी संस्था को चुना गया जिसका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण सभी जानते हैं। अमेरीका इस देश की सुरक्षा और एकता को अस्थिर करना चाहता है···"
>
> "क्या यह एक उचित और उपयुक्त संस्था थी अथवा क्या इसका सम्बन्ध अमेरिका की सी० आई० ए० और एफ० बी० आई०, जैसी एजेन्सियों के साथ है, इस बारे में लगता है इसे कोई नहीं जानता···"
>
> "मैं इस प्रकार की एजेन्सी की नियुक्ति का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, क्योंकि उस देश की एक एजेंसी को नियुक्त करना, जो विभिन्न तरीकों से सरकारों और देश की कार्य-प्रणाली को अस्थिर करता है, विशेषरूप से हमारे देश को, जो सर्वविदित है।"

[**हिन्दी**]

सी० पी० एम० पार्टी के मैम्बर ने इस बात पर जोर दिया था, इस बात पर कि ऐसी एजेंसी बहाल क्यों की गई, इस पर नहीं कि फेरा वायलेशंस, इकोनोमिक आफेण्डर्स को पकड़ा जाय, मैंने इस डिबेट में तो भाग नहीं लिया था लेकिन हर्शमैन का बयान आने के साथ ही, उनके बयान के नैक्स्ट 2-3 डेज में ही हमने इस बात पर जोर दिया था और इसी डिबेट में हमारे युवा सदस्य कुमारमंगलम् ने भी जोर देकर कहा था फिर फेरा वायलेशन और आर्थिक अपराध की जांच की जाय और आज भी हम यह बात कहते हैं कि जितनी तेजी से सरकार ने पिछले 3 वर्षों में फेरा वायलेशन, इकोनोमिक

आर्फेसेज की जांच की है और किर्लोस्कर, बाटा तमाम के यहां रेड हुई हैं, यह रेड···(**व्यवधान**)··· कहिए, माधव राव सिन्धिया, यह आप बोलियेगा, रेड की आवश्यकता हो तो। आपका कोटा यह है, मेरा कोटा यह है।

मैं आपको यह बताऊं कि पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार ने कितनी कड़ाई के साथ फेरा और इकोनोमिक आर्फेसेज पर हमला किया वह बात तो स्पष्ट है और आज मैं फिर मांग करता हूं, मैं इन्द्रजीत के साथ एक हूं, या इन्द्रजीत मेरे साथ एक हैं, मैं क्यों कहूं कि मैं उनके साथ हूं, हम सरकार से चाहते हैं कि फेरा और इकोनोमिक जो आर्फेसेज हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय लेकिन प्रश्न यह है, क्या इस कमीशन का टर्म्स आफ रेफरेंस यह था ? क्या इस कमीशन को इस बात के लिए नियुक्त किया गया था कि वह अमेरिका के या हिन्दुस्तान के फेरा वायलेशंस, इकोनोमिक आर्फेसेज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसकी जांच करे ? सभापति महोदय, टर्म्स आफ रेफ्रेंस आप देख लीजिए। (**व्यवधान**)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : इसके टर्म्स आफ रेफ्रेन्स उस वक्त वी० पी० सिंह साहब ने ही ड्राफ्ट किए थे।

श्री भागवत झा आजाद : मैं कहने वाला था लेकिन आपने ही यह कह दिया। अब कन्फर्मेशन हो जाएगा क्योंकि मंत्री की बात ज्यादा मानी जाएगी, मेरी कम मानी जाएगी।

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : एक टर्म जो छूट गया था, उसको जोड़वा भी दिया था। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारे प्रकरण की शर्तें क्या थी जो सुझाए गए थे। आप श्री वी० पी० सिंह पर इतने आवेश में क्यों हैं ?

[**हिन्दी**]

श्री भागवत झा आजाद : आप जरा चुप रहियेगा, इनके लिए मैं ही काफी हूं। मैं बता दूं इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफ्रेन्स जो कहा था वह एक ही कमीशन के अन्तर्गत पहली बात तो यह थी कि सदन में दो प्रश्न उठाए गए थे--एक तो यह कि फेरा, एकोनामिक आर्फेसेज के खिलाफ हमला किया जाए, यही हमने भी कहा था और इनमें भी कुछ लोगों ने कहा था, सबने नहीं कहा था, कुछ लोग तो मौन थे और कुछ लोग टंग इन द चीफ बोले थे कि हां, हुआ होगा लेकिन श्री इन्द्रजीत गुप्त का ऐसा कम्प्रोमाइजिंग भाषण हमने कभी नहीं सुना। उनकी पार्टी की ही श्रीमती गीता मुकर्जी ने कहा था :

[**अनुवाद**]

"प्रथम मैं पूर्णरूप से सहमत हूं कि अमेरिकी ऐजेंसी की नियुक्ति हमारे देश के हित में नहीं है। क्योंकि इससे···

[**हिन्दी**]

और आज अगर आप भाषण पढ़िए श्री इन्द्रजीत गुप्त का, तो देखिए कि कितना कम्प्रोमाइजिंग है। वाह रे, सी० पी० आई० के मैम्बर शानदार मैम्बर हैं। इनके एक मैम्बर ने कहा :

[अनुवाद]

मैं फेयरफैक्स की नियुक्ति से सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

और दूसरा मैम्बर कहता है कि हां, हुआ होगा, सम्भव है, पासिबल है। वे बहुत विद्वान हैं, उन्होंने शायद आक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ा है, मैं तो मामूली म्युनिसिपल कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ा हूं, उनकी भाषा नहीं जानता हूं और इसीलिए उनके डर से हिन्दी में बोल रहा हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय दो बातें कही गई थीं। एक तो एकोनामिक फेरा वायलेशंस की जांच हो। हमने भी जोर से कहा था, कुमारमंगलम् जी ने जोर से कहा था। और दूसरी बात जिस पर जोर दिया गया था वह यह थी कि जैसा मैंने कोट किया, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्रीमती गीता मुखर्जी, इविन श्री दिनेश गोस्वामी ने कहा था :

[अनुवाद]

"....सभा में दोनों पक्षों के सदस्यों की बहुत गलत लगती है—फेयरफैक्स की नियुक्ति।"

[हिन्दी]

हर मैम्बर ने इस बात पर जोर दिया था।

अब प्रश्न आता है सरकार के लिए काम करने की बात का। दो बातें कही गई थीं। लेकिन यह सम्भव नहीं था कि एक कमीशन जिसको फेयरफैक्स के बारे में जांच करने के लिए दिया जाए, कमीशन को फेरा वायलेशंस, एकोनामिक वायलेशंस को भी दिया जाए। सच तो यह है कि अगर सरकार कहती कि फेरा वायलेशंस, एकोनामिक वायलेशंस नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए कमीशन की जांच होती लेकिन सरकार तो खुद मानती है और कर भी रही है। उदाहरण के लिए श्रीमानजी, लीजिए, जिन वी० पी० सिंह साहब की आप तारीफ करते हैं उन्हीं के वित्त मंत्रालय के राज में इस देश में फेरा वायलेशंस, एकोनामिक वायलेशंस के खिलाफ किरलोस्कर पर, टाटा पर, बाटा पर कितने बड़े-बड़े रेड्स हुए। श्रीमानजी, आप सच्चाई को झुठलाना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यही कारण है कि उनको जाना पड़ा।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : जी नहीं, श्रीमानजी। उन्हें इसलिए जाना पड़ा कि उनके एडवाइजर आप जैसे काबिल लोग थे जिन्होंने गलत रास्ता बतला दिया और उनकी तरफ से आपने ऐसी पैरवी की कि उनका गलत कदम पड़ गया और उन्हें जाना पड़ा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं। पहली फेरा और एकोनामिक वायलेशंस की तो सरकार इसको तब भी करती थी और आज भी कर रही है और हम जोर लगाते हैं कि इसको और जोर से किया जाए। लेकिन आज की डिबेट-ठक्कर नटराजन कमीशन की फाइंडिंग्ज पर हैं। ठक्कर-नटराजन कमीशन की फाइंडिंग्ज जिस आधार पर हैं और उसकी टर्म्स

आफ रेफ्रेंस के लिए जैसाकि बूटासिंह जी ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने उनको बनाया था और उसमें एक बात छूट गई थी तो जैसाकि मिसेज वाजपेयी जी ने कहा, उसे जोड़ दिया था प्रधान मंत्री ने। टर्म्स आफ रेफ्रेंस मैं पढ़कर सुनाऊं ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, विद्वान सदस्यों ने उनको जरूर पढ़ा होगा। और इस टर्म्स एण्ड रेफ्रेंस में है कि क्या फेयरफैक्स को बहाल किया गया था ? अगर किया गया था, तो किसने किया था, अगर किसी ने किया था, तो किस आधार पर किया था और अगर किया गया था तो वह कितना काबिल था, इसकी जांच की गई थी और अगर जांच की गई थी, तो बहाल होने के बाद कितनी रिपोर्टें इन्होंने आपको दी और अगर रिपोर्ट दी, तो पैसे देने के क्या टर्म्स थे और तब यह अन्तिम प्रश्न रखा गया था। लास्ट वाला बड़ा इम्पोर्टेन्ट है :

[अनुवाद]

"क्या इस प्रकार की व्यवस्था से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा था ?"

[हिन्दी]

यह सरकार ने अपने मन से नहीं किया था, जो मैंने कोट किया। श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री कुमारमंगलम और श्री दिनेश गोस्वामी, सारे विरोधी मैम्बरों ने कहा था ···(व्यवधान)···जांच के लिए सब ने कहा था और हमने भी मांग की थी।

[अनुवाद]

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमुन्द) : रंगराजन।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : सौरी, रंगराजन। मैं अपने स्वर्गीय दोस्त का नाम ले रहा था। असल बात यह है कि सदन में और मैम्बर, एक, दो और तीन बार वाले होंगे लेकिन मैं सात-सात बार से हूं। मैंने इनके पिता के साथ भी काम किया था और उनके पुत्र के साथ भी काम कर रहा हूं। यह मेरी कठिनाई है।···(व्यवधान)···पोते के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए कठिनाई हो गई कुमारमंगलम के नाम से, क्षमा करें। मैंने कोट किया है कि सरकार ने अपने मन से यह टर्म्स आफ रेफ्रेन्स नहीं दिया था।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि इसका सुरक्षा से क्या सम्बन्ध है।

[हिन्दी]

हमारे माननीय इन्द्रजीत गुप्त ने इसका बड़ा मजाक किया।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा यह राजनीतिक उपदेश क्या है ?

[हिन्दी]

वह अपने मन से नहीं किया···(व्यवधान)···यस, मत बोलो, आचार्य जी। तुम्हारे नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कहा था, उसको मैंने कोट कर दिया। और कोट कर दूं। वह बड़ा सीरियस

है। एक बात श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह कही थी···(**व्यवधान**)···अमल दत्ता जी, आप अपना मुंह बन्द रखें और कान खुले रखें वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं यह कह रहा था कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने और श्रीमती गीता मुकर्जी ने और उसके साथ-साथ श्री दिनेश गोस्वामी ने, सभी ने यह मांग की थी कि इस कम्पनी के बहाल करने से इस देश की सेक्यूरिटी को खतरा हो गया है।

सरदार बूटा सिंह : सेक्यूरिटी के साथ इन्टरफिरेंस नहीं होना चाहिए···(**व्यवधान**)···श्री भागवत झा आजाद को याद दिलाने का मेरा मन्तव्य यह था कि कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कसिस्ट) के पोलिटब्योरो ने भी इसी बात को कहा था।

श्री बसुदेव आचार्य : और भी बोला था।

श्री भागवत झा आजाद : मैं बता दूं कि क्या था। आप लोग चुप रहिए, मुझे इनसे बात करने दीजिए। पोलिटब्योरो ने यह भी बोला था और इस सदन में सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा था कि फेरा और इकोनामिक जो ओफेंसेज हैं, उनके खिलाफ जांच हो और मैंने आपको कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि तीन वर्ष से किरलोस्कर पर कितनी बार···(**व्यवधान**)···आप सुनते नहीं ठीक से। फिर सुन लीजिए इस बात को, किरलोस्कर पर, बाटा पर, टाटा पर और जो दूसरी फर्में हैं, हिन्दुस्तान में राजीव सरकार के अन्तर्गत एकोनामिक ओफेन्सेज के लिए एक्शन हुआ।···(**व्यवधान**)···इसके बाद हुए हैं और हो रहे हैं।

[**अनुवाद**]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उनको श्री वी० पी० सिंह का एक उदाहरण उद्धृत करने दें।

[**हिन्दी**]

श्री भागवत झा आजाद : मैं जयपाल रेड्डी से यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस के उदाहरण दें कि उसके बाद किन-किन पर एक्शन हुआ।···(**व्यवधान**)···मैं भूरे लाल नहीं हूं, मैं जयपाल रेड्डी नहीं हूं कि सूंघता फिरूं कोरीडोर्स में कि कहां क्या हुआ। मैं यह रोजगार नहीं करता हूं। मेरे पास कोई कम्पनी वाले नहीं आते हैं रिपोर्ट देने के लिए कि हमारा फैसला लोक सभा में करा दो। यह काम श्री जयपाल रेड्डी का है कि सरकार के नोटीफिकेशन की खोज में निकलते हैं कि कहां क्या हुआ। वह कम्पनियों को बुलाएं।

लेकिन वित्त मंत्री जी इसे नोट करें और यह बताएं कि (**व्यवधान**)

5.00 म० प०

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : शोर-शराबा मत कीजिए। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, उसका नाम चौबे है। चौबे में चार गुण होने चाहिएं—सुनने का, अच्छी तरह से बोलने का, मुस्कराने का। लेकिन इनमें एक ही गुण है चिल्लाने का। (व्यवधान)

सारा मुद्दा आज इस बहस में एक बात का है कि सरकार ने कमीशन को जो टर्म्स आफ रेफरेंस दिया था, जो मैंने अभी कोट किया है कि इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वह उस टर्म्स आफ रेफरेंस पर दी है या नहीं। आप देख लीजिए कि हर रेफरेंस पर कमीशन ने क्या कहा है।

हमारे सदस्यों ने, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सबसे प्रमुख बात यह कही कि इसमें पोलिटिकल सरमन है। इसमें कोई पोलिटिकल सरमन नहीं है। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वह रेफरेंस पर दी है जिन पर इसे फेक्ट फाईंड करने से लिए कहा गया था। यह फेक्ट फाइंडिग कमीशन था। लेकिन इसके बारे में कहा गया कि इसमें फेक्ट फाइंडिग कम है, पोलिटिकल सरमन अधिक है। मैं कहता हूं कि इसमें फेक्ट फाइंडिग ही है।

इसके सामने यह प्रश्न था कि फेअरफैक्स की बहाली किसने की, जिस लेबुल पर यह काम हुआ? यह इसने बताया है। यह न पोलिटिकल डाकुमेंट है और न इसमें किसी को परेशान करने की बात है। बात सीधी सी है कि फेयरफैक्स की बहाली हुई लेकिन कैसे हुई। **(व्यवधान)**

सबसे बड़ी बात इन्द्रजीत गुप्त ने आपके समक्ष यह कही कि कमीशन ने यह कहा कि वी० पी० सिंह को इंट्रासीजेंस कहा। यह झूठ बात है। मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है, प्रो० मधु दण्डवते। मैं जानना चाहता हूं कि इंट्रासीजेंस की बात कमीशन ने किस जगह पर कही है?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते: महोदय, चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा। यह पृष्ठ 9 पर है।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद: मुझे रिपोर्ट पढ़ने दो। कमीशन ने विश्वनाथ प्रताप सिंह, भूरेलाल और अन्य किसी के बारे में पेज 128 पर कहा है कि—

[अनुवाद]

"जो कुछ भी हो, आयोग इस मामले की जांच करने और श्री गुरुमूर्ति द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाने में असमर्थ है तथा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में उसके प्रयास का प्रयोजन अधर में लटका हुआ है। और अतर्कसंगत तकनीकी सफाई दे रहे श्री गुरुमूर्ति के दुराग्रहपूर्ण रवैए को देखते हुए यह संभव नहीं हुआ है।"

[हिन्दी]

यह गुरुमूर्ति ने इंट्रासीजेंस किया है। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह, भूरेलाल और विनोद पांडे को क्वेश्चनेअर भेजा गया। क्वेश्चनेअर का जवाब आया। अब प्रश्न यह है कि क्वेश्चनेअर के जवाब में जो आया वह क्या था। क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह को बुलाना आवश्यक था? विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोई चार्जशीट नहीं किया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पोलिटिकल गलती की थी। कोई इकोनोमिक ओफेंस, कोई क्रीमल ओफेंस की बात नहीं की थीं। उन्होंने पोलिटिकल गलती की थी जिसके बारे में मैं आगे कहूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने जवाब में यह कहा कि मैंने मौखिक रूप से कहा था। उन्होंने इस बात को माना है। सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि जब सरकार चलती है, चाहे हिन्दुस्तान की सरकार हो, चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, या किसी म्युनिसिपैलिटी का शासन हो, मौखिक आदेश का क्या अर्थ होता है ? जैसे मंत्री जी यहां बैठे हैं। वे अपने किसी आफिसर को आफिशियल गैलरी में यह मौखिक आदेश देते हैं कि आज डिबेट में यह प्रश्न उठाए गए, इनके बारे में नोट तैयार करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मौखिक आदेश मौखिक ही रह जाए।

[अनुवाद]

"प्रायः तत्काल ही अथवा सुविधानुसार किसी समय अथवा यथासंभव शीघ्र ही वह रिकार्ड में शामिल कर लिया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

दैट इज मौखिक आदेश, लेकिन यह मौखिक आदेश तो कमाल का निकला। इस मौखिक आदेश में वित्त मंत्री ने राजस्व सचिव विनोद पांडे से कहा, उन्होंने भी इसको रिकार्ड नहीं किया, वित्त मंत्री जी को तो हो सकता है कि समय न मिला हो डिसकस करने का, बिजी रहे हों, लेकिन विनोद पांडे को भी समय नहीं मिला और उन्होंने आगे मौखिक आदेश भूरे लाल को दे दिया और भूरे लाल को भी समय नहीं मिला रिकार्ड करने का, उसने आगे मौखिक आदेश फेयरफैक्स को दे दिया कि जाओ तुम काम करो। इस तरह से सारा मौखिक आदेश चलता रहा, क्या इस तरह से सरकार चलती है ? इन्द्रजीत जी ने भी इस बात को कहा लेकिन जरा दबकर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए किसी सदस्य का ट्रांस्फर हो जाता तब क्या करते, लेकिन उन्होंने बड़े हलके से कहा, दब कर कहा, जोर से नहीं कहा, बाकी बातें तो जोर से कहीं, इसलिए सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि इन्द्रजीत जी इस बात को भी जोर से कहते कि यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए था।

पोलोटिकल डिक्शनरी में भी मौखिक आदेश की परिभाषा दी हुई है कि अगर कन्वीनिएंट या आपर्चुनिटी के लिहाज से किसी होम सेक्रेट्री को होम मिनिस्टर ने किसी एयर पोर्ट पर या जब आ रहे हैं लंच के बाद सब कोरीडोर में मौखिक आदेश दे दिए हैं तो आलमोस्ट इमीजिएटली या एज अरली एज पासीबल उसको पुट इनटू राइटिंग करें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी ने आदेश दिए रेवेन्यू सेक्रेट्री को और उन्होंने डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने अमरीका में आदेश दे दिए कि काम करो। इसलिए कमीशन ने कहा कि यह बड़ा गलत है। इसलिए कमीशन को यह रेफरेंस दिया गया था। इसलिए सबसे बड़ी बात जो इसमें है वह यह है कि इस एडहाकिजम का फिनांस मिनिस्ट्री में चलना बहुत दुख की बात है। इस पर हमारे एक मित्र ने ठीक कहा कि फिर प्रधानमंत्री भी इसमें जवाब-देह है, कलेक्टिव रेसपोंसबिलिटी है। कलेक्टिव रेसपोंसिबिलिटी का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री को एक्शन लेना पड़ा और वही काम उन्होंने किया, लेकिन यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि प्रधानमंत्री कलेक्टिव रेसपोंसिबिलिटी में हर मंत्री के प्रति सदन में उत्तरदायी हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रधानमंत्री हर मंत्रालय, हर मंत्री या सचिव के आदेश को बराबर देखते रहें, यानी वे एक पेरलल सेक्रेट्रीएट बना लें, हर जगह देखें कि आदेश दिया है या नहीं दिया है, मौखिक दिया है या राइटिंग में दिया है, आप कलेक्टिव रेसपोंसिबिलिटी की परिभाषा

यह समझते हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने इतनी स्वायत्तता दी, यह इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने हर मंत्री को अपने दायरे में कार्य करने की पूरी छूट दी और इसी कारण से इतनी बड़ी गलती हो गई कि सारा काम वित्त मंत्रालय में एडहाकिजम पर चल रहा था। वित्त मंत्रालय को कौन चला रहा था, आपने कहा कि नस्ली वाडिया का मत कहो, डिडेक्टिव स्टोरी का मत कहो, गुरुमूर्ति का मत कहो, लेकिन मैं कहूंगा, बड़ा वाइटल है यह, इसी बात से संदेह मन में पैदा हो जाता है, आप कहेंगे कि क्यों आप भूरेलाल पर संदेह करते हैं, क्यों विनोद पांडे पर संदेह करते हैं, मैं संदेह नहीं करता, सरकमस्टेंसेस करते हैं। यह हर्षमैन कौन था, इस टर्म्स आफ रेफरेंस में कहा गया है इस फेयरफैक्स के बारे में, सोमनाथ जी ने ठीक कहा, जयपाल जी को याद होगा कि लोग अपने घर में डोमेस्टिक सरवेंट रखते हैं तब भी उसकी एंटीसीडेंट पता करते हैं। कहां से आया है, पहले किसके पास था, उसने क्यों हटा दिया, क्या गलती की थी, कहां रहता है, किस गांव का है, किस जगह का है, लेकिन भारत सरकरार ने उन तमाम बड़ी-बड़ी कंपनीज, जिन्होंने फेरा वायलेशन किया और करोड़ों रुपए खा गए, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन इसकी जांच जिस फेयरफैक्स को सौंपी, उसका कोई एंटीसीडेंट नहीं पूछा। कितनी काबिल है, क्या है, कौन है, यह व्यक्ति, जब मैं सिक्यूरिटी वाली परिभाषा में आता हूं तो यह कहना आवश्यक है कि यह अमरीका की कंपनी है। वह अमरीका, कुछ लोगों को मालूम है या नहीं लेकिन मैंने उस दिन भी उदाहरण दिए थे कि सन् 1954 से आज तक किसी मामले में उसको चूकते हुए नहीं देखा है, जब उसे हिन्दुस्तान को एंबेरस करने का मौका मिला, मैं इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। मैंने इस सदन की प्रक्रिया में अमरीका के व्यवहार को इस सदन की डिबेट में 1954 से देखा है, मैंने एक-एक करके उस दिन इंडो-यू एस डिबेट में दस उदाहरण दिए थे। आज फिर उदाहरण देता हूं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अमेरीका जैसे बड़े डेमोक्रेसी से हम दोस्ती चाहते हैं। लेकिन दोस्ती चाहने के बावजूद जब भी मौका मिलता है तो वह कभी सेवन्थ फ्लीट भेज देता है, कभी धमकी देता है और कभी जहाज भेजता है। और तो और हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो बुश के बारे में कहा, वह स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स था। उसने प्रधान मंत्री जी की कसम खाई और यह कहा कि हम कोई डिस्टेबीलाइज नहीं करते हैं। प्रधान मंत्री जी ने वह बात देश को कह दी। प्रधान मंत्री जी का यह कहना कि मैं विश्वास करता हूं, कभी ब्यान नहीं दिया। आप उस ब्यान पर जोर दे रहे हैं कि इन्होंने मान लिया। ऐसी बात नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने जो कहा वह तो स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स था। जो बुश ने कहा, वही कहा कि हमको बुश ने यह कहा और यह इसलिए कहा ताकि संसार और हिन्दुस्तानवासी जानें कि बुश ने कहा कि हम डिस्टेबीलाइज नहीं करते। इनका व्यवहार देखिए, अमेंडमेंट आ गया। इसीलिए आज मैं यह कहना चाहता हूं कि फेयरफैक्स की बहाली जिसका हैड कौन हर्शमैन। कौन है, यह हर्शमैन। सी०आई०ए० में काम करने वाला, उसने क्वाइटली काम किया और उसने वाटरगेट की जांच की थी।...(**व्यवधान**) जो आप कह रहे हैं, वह मैं जानता हूं। आप नहीं मानते हैं तो चलो वापिस किया। मैंके जो उनका लीगल एडवाइजर था। उसने यह कहा कि हम अमेरीकन इंटेलिजैंस एजेंसी से, सी० आई० ए० और एफ० बी० आई० से बराबर अपनी इन्फारमेशन का आदान-प्रदान करते हैं। इसलिए, सारे सदन में दोनों तरफ इस बात पर जोर पड़ा कि सिक्योरिटी आसपेक्ट को भी देखा जाए। मैं समझता हूं, अगर यह कमीशन सिर्फ इसी एक प्वाइंट के लिए बहाल होता तो इसका हम स्वागत करते। हम लोगों को यह जानना चाहिए कि आज 4·02 बिलियन डालर अमरीका ने पाकिस्तान को रिलीज कर दिया। उसको रिलीज करने के लिए यह सारा

नाटक था। आज हम प्रस्ताव पास करते हैं और रीगन की बड़ी तारीफ करते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। मैं काफी समय से सदन में हूं और अमरीका के दांवपेच को जानता हूं। वह कभी नहीं चाहता है कि हिन्दुस्तान से दोस्ती हो, क्योंकि अमेरीका को दोस्त नहीं चाहिए, क्लाइन्ट चाहिए, गुलाम चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं इससे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : जयपाल जी मुझसे एग्री करते हैं। इस आरग्युमेंट को आगे बढ़ाते हुए मुझसे फिर एग्री कीजिए। अमेरीका जैसे देश की फेयरफैक्स एजेंसी को बहाल करना जरूर सिक्योरिटी रिस्क था। न केवल वह आपको इन्फारमेशन देता फेरा वायलेशन की बल्कि इसके साथ वह अपना भी उपयोग करता। इसलिए, कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, वह बिल्कुल सही रिपोर्ट दी है कि इससे सिक्योरिटी रिस्क था। आप सब सदस्यों ने देखा ही होगा कि कमीशन ने इस संबंध में क्या कहा है। कमीशन ने कहा है :

[अनुवाद]

"आयोग की राय है कि विदेशी गैर सरकारी गुप्तचर एजेंसी की सेवा लेना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आयोग ने यह भी राय व्यक्त की है कि फेयरफैक्स अथवा हर्शमैन की सेवा लेना असुरक्षित था, जैसाकि परवर्ती घटनाओं से सिद्ध हुआ है।"

[हिन्दी]

क्या इवन्ट सबसीक्वेंटली थे। आप सब याद कीजिए जब हर्शमैन ने धमकी देना शुरू कर दिया और भण्डाफोड़ कर दिया और कहा कि हम देख लेंगे।

[अनुवाद]

मैं परवाह नहीं करता। आयोग की राय में यह असुरक्षित है क्योंकि श्री हर्शमैन ने भारत सरकार के प्रति स्वत: चिन्ता प्रकट की है और उसने अपमानजनक टिप्पणियां की हैं।

[हिन्दी]

सारे सदन में, आपने और हम लोगों ने डेरोगेटरी रिमार्क का विरोध किया था। आप सोचिए, आपने ऐसे फेयरफैक्स को बहाल किया जिसने आपको इन्सल्ट किया। जो बात हम लोग कह रहे हैं वही आप लोग भी कह रहे हैं। आपने ऐसा कहा कि क्यों बहाल किया जिसमें वहां की एफ०बी० आई० और सी० आई० ए० के लोग कनेक्टेड थे या जिन्होंने धमकी दी या आपका अपमान किया। यही बात हम लोग कह रहे हैं। हम और आप एग्रीड हैं कि कमीशन ने ठीक कहा है। कमीशन ने एक प्रश्न पूछा है और प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को कहा है। सारा काम वित्त मंत्रालय का एडहाकीजम पर चलता रहा, कितना गंभीर काम किया, आप इसे भी नहीं मानते हैं। यह लीगल नहीं है कि इस तरह की परिस्थिति प्रोसिक्यूट करो। हमें प्रोसिक्यूट किया जाए, कौन करेगा। यह तो पोलिटिकली

एनाउंसमेंट है कि वित्त मंत्रालय ने अपना एडहाकिजम किया । वित्त मंत्रालय का काम कौन चला रहा था, वित्त मंत्रालय का काम गुरुमूर्ति चला रहे थे रैंक आउट साइडर । नुस्ली वाडिया जी बाम्बे डाइंग फेम के । वित्त मंत्री जी बाम्बे डाइंग पर हमला करो जिसका नुस्ली वाडिया मालिक विदेशी नागरिक बैठा हुआ है, उस पर हमला करो । मैं आपके साथ हूं जयपाल जी रेड्डी, लेकिन मैं पोलिटिकल मोटिवेशन से कि अमुक व्यक्ति वहां पर है इसलिए करो इसलिए नहीं कहता, मैं तो मैरिट आफ दी फैक्ट पर बोलता हूं । यह नुस्ली वाडिया जिसने हर्षमैन को हिन्दस्थान बुलाया, एक साथ रहे, उसका बिल पे किया, गुरुमूर्ति से मिलाया और भूरेलाल ने उसी गुरुमूर्ति की और गुरुमूर्ति ने उसी नुस्ली वाडिया की सिफारिश पर यह सब बहाल किया । आप कहते हैं कि जासूसी तथा मालूम पड़ती है । इन्द्रजीत जी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, मुझे तो यह मालूम पड़ता है कि सारी कहानी कांसीपिरेसी है और थी···

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : हमने उसकी भी जांच कराने की मांग की ।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : अच्छी बाह है । मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन आप भी मेरा संमर्थन कीजिए कि यह रिपोर्ट पोलिटिकल नहीं है···(**व्यवधान**) फिर बेताल उसी शाख पर जा लटका···(**व्यवधान**) इसमें जो रेफरेंस दिया गया है एक सिक्योरिटि का वह मैंने पढ़कर सुनाया, दूसरा रेफरेंस दिया गया है नो रिकार्ड, कमिशन कहता है :—

[अनुवाद]

"श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल के दौरान कथित मौखिक स्वीकृति अथवा विदेशी गुप्तचर एजेंसी की कथित रूप से सेवा लिए जाने के बारे में कोई रिकार्ड विद्यमान नहीं है और सभी रिकार्ड काफी समय के पश्चात तैयार किए गए ।"

[हिन्दी]

कितने दुर्भाग्य की बात है कि वित्त मंत्री को जब उन्होंने वित्त मंत्रालय छोड़ दिया और रक्षा मंत्रालय में चले गए तो मालूम हुआ कि कैसे अंगेजमेंट हुआ फेयरफैक्स का । श्रीमान विनोद पांडे इतने काबलियत सचिव थे राजस्व के कि उन्हें 10 मार्च को दो रिपोर्ट मिलीं । उनके पास रिपोर्ट गई भूरेलाल की तब उन्हें मालूम हुआ कि ऐसा कोई हुआ है । क्या शानदार काबलियत का नमूना है । कि मालूम ही नहीं हुआ । हां, वित्त मंत्री ने जनरल क्लियरेंस दी थी । जनरल क्लियरेंस का क्या यह मतलब था कि ऐसे देश की एक ऐसी एजेंसी बहाल कर ली जाये । जासूसी कहानी की बात में बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कमिशन ने कहा :—

[अनुवाद]

"महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विदेशी गैर-सरकारी गुप्तचर एजेंसी की सेवाएं श्री गुरुमूर्ति की पसन्द से ली गईं, जो एक बाहरी व्यक्ति थे, और उक्त एजेंसी का चयन उसकी

विश्वसनीयता, सक्षमता अथवा किसी भी स्रोत से निभाई जाने वाली वफादरी के बारे में कोई जांच किए बिना ही कर लिया गया है।"

[हिन्दी]

यह सीरियस बात नहीं है। जो कहा सोमनाथ जी ने, कि अपने घर में एक सहयोगी बहाल करते हैं, चाहे टाइपिस्ट हो या क्लर्क हो या घरेलू नौकर आप जांच करते हैं उसके बारे में, लेकिन इतना बड़ा काम किया और कुछ नहीं पूछा जो नुस्ली वाडिया और गुरुमूर्ति ने कर दिया, वह कर दिया। यानि सारा काम हिन्दुस्थान के वित्त मंत्रालय का इनकी एडवाइज से चल रहा था। यह कम्पीटेंट था या नहीं, फेयरफैक्स कितनी कम्पीटेंट है या नहीं तो मैं कहूं :—

[अनुवाद]

"आयोग ने यह मत प्रकट किया है कि फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन को जो कार्य सौंपा गया था वे उसके संचालन के लिए सक्षम नहीं थे और फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन की सेवाएं प्राप्त करना बुद्धिमानी तथा समझदारी का कार्य नहीं था।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह उनका मत है।

श्री भागवत झा आजाद : हम आयोग की राय पर विचार कर रहे हैं, न कि आपकी राय पर।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कुछ तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : जब आप यहां उपस्थित नहीं थे, मैंने सभी तथ्यों का वर्णन किया था।

[हिन्दी]

यहां एक बात बिल्कुल ठीक कही गयी कि जब कमीशन बहाल कर लिया गया, एक पेपर पर लिखकर दे दिया गया : "टू व्हूमसोएवर इट मे कन्सर्न" तो दो व्यक्तियों ने कहा कि हर्शमैन, मैं तुमको नहीं सूंगा। हर्शमैन ने सरकार को कोई इन्फार्मेशन नहीं दी, सिर्फ एक पोस्ट-ऑफिस की तरह काम करते हुए दोनों कंपनियों के पेपर्स को भिजवाया। जब कमीशन ने भी कहा तो उसने यही जवाब दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के लैटर-पैड पर लिखकर लाओ तो मैं उत्तर भेज दूंगा। अब सवाल यह है है कि जब हमारे विद्वान् ऑफिसर ने कंपनी को लिखकर दिया :—

[अनुवाद]

जिससे यह संबंधित हो, उसको रद्द करने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगा।

[हिन्दी]

इस आधार पर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम तीन महीने लग गए, दो महीने लगने चाहिए थे, या एक महीना लगना चाहिए था। लेकिन किसी विदेशी कंपनी को निकालने में, जिसको एक बार बहाल कर लिया गया हो, थोड़ा सोचना पड़ता है, यही मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं। इसलिए मैं इसे वाइटल प्वाइंट नहीं मानता, जिस पर आप इतना जोर दें। आखिर इसमें क्या वाइटैलिटी है।

सही बात के हम भी खिलाफ नहीं हैं। सारी बातों को देखते हुए, इसलिए मैं समझता हूं कि कमीशन ने बिल्कुल सही और दुरुस्त रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में उन सभी प्वाइंटस का जवाब दिया गया है, जो उसके सामने रखे गए थे। लेकिन दुख की बात है कि आज उसको यहां चैलेंज किया जा रहा है, यह कहते हुए कि :—

[अनुवाद]

न्यायाधीश जनता को स्पष्टीकरण दें।

[हिन्दी]

किस बात का एक्सप्लेनेशन। यदि आप सैक्शन 8बी और 8सी की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और दो अन्य अधिकारियों को एक प्रश्नावली भेजकर उसका उत्तर देने के लिए कहा गया था। प्रश्नावली के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने ओरल परमीशन दी थी। प्रश्नावली के जवाब में स्पष्ट कहा गया है कि इस ओरल परमीशन को मैंने एक महीने बाद रिकार्ड किया। यही तो उसका टर्म्स ऑफ रैफरैंस था। इसलिए कमीशन ने उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। दूसरी ओर यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते और उस मैंडेटरी प्रोवीजन के तहत उनका हक भी था, वे कह सकते थे कि मैं स्वयं कमीशन के सामने उपस्थित होना चाहता हूं और उस अवस्था में यदि कमीशन कहता कि हम तुम्हें बुलाना उचित नहीं समझते, तब आपका चार्ज ठीक था। इसलिए आप खाली एक तरफ की बात मत कीजिए। चूंकि कमीशन ने उनके ऊपर कोई लीगल या क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ पोलिटिकल रिस्पौंसिबिलिटी की बात कही कि आपने अपने मंत्रालय में जिसे बहाल किया, ओरली इस तरह नहीं करना चाहिए था।

इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया और सभी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए अपनी रिपोर्ट दी। अब मैं सरकार से कहूंगा कि आप जरा यह जांच कर लीजिए वित्त मंत्री जी कि जैसा कमीशन ने भी कहा कि तीन महापुरुषों ने जिस तरह के अधिकारों के डैलीगेशन का आदर्श हमारे सामने रखा, वह आदर्श क्या उचित था, वह डैलीगेशन ऑफ पावर्स कितना न्यायोचित था कि एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को पावर्स डैलीगेट कर दीं और तीसरे ने खुले रूप में कहा दिया : जाओ, घूमो पता लगाओ। इसकी आप जांच कराइये। इसके साथ-साथ आप रिवैन्यू इंटैलीजैंस की एक मजबूत शाखा भी बनाइये ताकि देश में जितने इकौनौमिक औफैंडर्स आज खुले घूम रहे हैं, उनको मजबूती से पकड़ा जा सके। वित्त मंत्री जी, इसके बाद हम लोगों को यह कहने का अवसर न मिले कि वित्त मंत्रालय एडहौकिज्म पर चल रहा है, वह स्थिति फिर न आये, हमें एडहौकिज्म चलाने वाला रिवैन्यू सैकेटरी फिर न मिले, वैसा डायरैक्टर फिर न मिले। कितना विद्वान था मिस्टर गुरुमूर्ति, वाह रे, कितना नचाया, जैसे वह कोई मदारी हो और हम सब बंदर।

5.25 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन बातों की, जो-जो मैंने कही हैं और जो-जो मैंने प्रश्न किए

हैं, जांच कर लीजिए। एक और बात मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो यह बात लोग कह रहे हैं कि :—

[अनुवाद]

न्यायाधीश जनता को स्पष्टीकरण दें।

[हिन्दी]

तो इसके बाद कोई जज आपके कहने पर इन्क्वायरी को तैयार नहीं होगा। जब कभी इस सदन में आप जुडीशियल इन्क्वायरी मांगेंगे, तो कोई भी जज तैयार नहीं होगा। आप विरोधी बंधुओं की महिमा तो अपरम्पार है। हम कहें जुडीशियल इन्क्वायरी तो आप कहेंगे, हाउस कमेटी, यदि हम कहें कि हाउस कमेटी, तो आप कहेंगे जुडीशियल इन्क्वायरी।···(व्यवधान)···आप इतना मत बिगड़िए। अगर आपने जुडीशियल कमीशन नहीं कहा था और मैं अपने मन से कह रहा हूं, तो फिर यह अपमान क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी तो महिमा अपरम्पार है।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब हमने जुडिशियल कमीशन कहा, तो आपने कहा हाउस कमेटी और जब हमने हाउस कमेटी कहा, तो आपने नॉन-कोआपरेट कर दिया। जुडीशियल कमीशन की रिपोर्ट अगर आपके कहने पर लिखी जाए, तब वह पक्की। ऐसे कोई जज नहीं लिखेगा। न सरकार के कहने पर और न आपके कहने पर। अब जो भूतपूर्व मंत्री नागपुर में अपनी मीटिंग में एक्सप्लेनेशन मांगते फिरते हैं उससे तो आपको जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए आगे कोई नहीं मिलेगा। इसलिए कृपा करके इस देश में ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिए कि अगर आप जुडीशियल कमीशन बनाना चाहें, तो यह बात न हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह न हो क्योंकि इसके परिणाम आगे आने वाले दिनों में बहुत भयंकर होंगे। अतः इस बात पर विरोधी दल विचार करें।

हम यह समझते हैं कि ठक्कर, नटराजन कमीशन ने जो एक-एक टर्म्स एण्ड रेफरेंस कोट किया है और जो लिखा है और उसने जो एक-एक बात के ऊपर पूरी सफाई से रिपोर्ट दी है तथा यह रिपोर्ट बतलाती है कि इसमें भारत सरकार, हमारे प्रधान मंत्री की और हमारे व्यक्तियों की परोक्ष तो क्या अपरोक्ष रूप में भी कोई इन्वाल्वमेंट नहीं था। था, तो एक मंत्रालय के एडहॉकिज्म का, था; तो इस देश में कुछ-एक कंपनियों के भयंकर षडयन्त्र का और एक आदमी को गलत करने की कोशिश थी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं समझता हूं हम लोगों को कमीशन द्वारा इतनी सुन्दर और अच्छी रिपोर्ट के लिए बधाई देनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 31 मार्च, 1987 को मैंने फेयरफैक्स के मामले पर चर्चा शुरू की थी। उसके बाद भी हमने एक बार और चर्चा की थी। इन दो चर्चाओं में जो विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे उसके परिणामस्वरूप जांच आयोग अधिनियम के तहत, एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। विचारार्थ विषयों को निश्चित कर लिया गया था। हमने तो एक संसदीय समिति का सुझाव दिया था लेकिन तब भी जांच आयोग अधिनियम के तहत एक आयोग नियुक्त कर दिया गया। हमने उस समय भी यह महसूस किया था कि इसके विचारार्थ विषय अपर्याप्त और असंतोषजनक हैं।

जहां तक आयोग के इस प्रतिवेदन का संबंध है इसमें सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा सभी

प्राकृतिक न्याय के सभी मापदण्डों के उल्लंघन का गम्भीर आक्षेप है। यह एक मानी हुई बात है कि जांच आयोग अधिनियम की धारा 8(ख) और 8(ग) जोकि अनिवार्य उपबन्ध हैं उनके तहत सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं किए गए थे। यह आयोग के सदस्यों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि वह इन उपबन्धों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करें। यह अनिवार्य उपबन्ध है और इसका कारण अत्यन्त स्पष्ट है। जब संसद ने कानून बनाया और उसमें संशोधन किया था तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि यदि कभी कोई ऐसे व्यक्ति हों जिन पर जांच से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो तो संबंधित व्यक्तियों को नियमित परामर्शदाता के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और साक्ष्य की जांच करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। यदि आयोग अपनी बात एवं साक्ष्यों को कुछ वक्तव्यों यहां तक कि प्रधान मंत्री के बारे में दिए गए कुछ वक्तव्यों पर आधारित हो तो धारा 8(ग) के अन्तर्गत संबंधित व्यक्ति को जिरह करने का लाभ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री तक से भी जिरह की जा सकती है। किन्तु इन दो धाराओं का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया और धारा 8(ख) और (ग) जोकि अनिवार्य है उनके तहत नोटिस नहीं दिए गए। अब प्रश्न यह उठता है कि इन अनिवार्य उपबंधों 8(ख) और 8(ग) के उल्लंघन के लिए, आयोग के सदस्यों ने क्या कारण बताए हैं। माननीय वित्त मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त से पूछ रहे थे कि क्या ये शब्द 'दुराग्रह' आदि पहले भी प्रतिवेदन में कहीं आए हैं। मेरे पास आयोग का प्रतिवेदन है। मैं पृष्ठ 9 से उद्धृत करता हूं। ऐसा नहीं है कि यह आरोप विशेष किन्हीं विशेष व्यक्तियों के सम्बन्ध में लगाए गए हों ये उन सभी व्यक्तियों के बारे में हैं जो किन्हीं पूर्वाग्रहों के कारण प्रभावित हुए हैं। इसलिए इसी रिपोर्ट में प्रस्तावना वाले अध्याय में पृष्ठ 9 पर दिए गए आयोग के समक्ष आयी समस्याएं नामक शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है जो इस प्रकार है :—

> "कई मामलों में आयोग निम्नलिखित दो कारणों की वजह से संबंधित अधिनियम की धारा 8ख/8ग के अधीन मौखिक साक्ष्य दर्ज नहीं कर सका और/अथवा कार्यवाही नहीं कर सका :
>
> (1) सम्बन्धित व्यक्ति जिनसे जानकारी मांगी गई थी उन्होंने जानकारी नहीं दी; तथा
>
> (2) जिनसे जानकारी मांगी गई थी उनका अनिश्चित दृष्टिकोण था।

यह शब्द आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तावना वाले अध्याय में पहले से ही हैं। अब वे इन तथ्यों से बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं। विशेषकर जहां तक श्री भूरे लाल, श्री विनोद पांडे और श्री वी०पी० सिंह का संबंध है। इसी रिपोर्ट में श्री भूरे लाल, श्री विनोद पांडे तथा श्री वी०पी० सिंह द्वारा दिए गए लिखित उत्तर भी शामिल हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से पूछताछ को जान-बूझ कर टालने के लिए जिससे कि उन्हें आयोग के समक्ष शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ सकता था, धारा 8(ख) और (ग) को बिल्कुल नजरन्दाज कर दिया गया। समाचार-पत्रों तथा समाज के कुछ वर्गों द्वारा यह राय व्यक्त की गई थी कि यह एक खुली जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को तथ्यों का पता चल सके। यदि कुछ व्यक्ति वास्तव में अपराधी हैं और कुछ देश में होने वाले सुरक्षा जोखिमों के लिए कथित रूप में उत्तरदायी हैं तो जनता को यह मालूम हो सकेगा कि पूछताछ की गयी है, साक्ष्य लिया गया है; सभी संबंधित व्यक्तियों को कानूनी परामर्श तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं भी

प्रदान की जाएंगी। प्रश्न यह है कि धारा 8(ख) और (ग) की अनदेखी क्यों की गयी है। मेरा तर्क यही है कुछ और सदस्य इसे नापसन्द भी कर सकते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक रिपोर्ट पढ़ें तो देखेंगे प्रधान मंत्री द्वारा अपनायी गयी कुछ नीतियों के कुछ पहलुओं तथा श्री वी०पी० सिंह द्वारा प्रधान मंत्री के बारे में दिए गए कुछ वक्तव्यों, जोकि उन्होंने 11 मार्च को उनके कार्यालय में दिए, के बारे में जान सकेंगे। उन वक्तव्यों तथा श्री वी०पी० सिंह द्वारा प्रधान मंत्री के बारे में दी गई जानकारी के सही अथवा गलत होने का निर्णय करने के लिए आयोग द्वारा प्रधान मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए था। सम्भव है इससे प्रधान मंत्री को शर्मिन्दगी उठानी पड़ती। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि धारा 8 (ख) और (ग) की अनदेखी कर दी गयी है। रिपोर्ट के हर पृष्ठ को पढ़ने से पता चलेगा कि इसमें देश में आर्थिक अपराधियों सम्बन्धी मूल एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्न को छुआ तक नहीं गया है बल्कि गैर-जरूरी और सतही बातों पर ही ध्यान दिया गया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने सिर्फ इसी प्रश्न पर चर्चा की है कि वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आदेश मौखिक थे अथवा लिखित रूप में थे।

मुझे एक अंग्रेजी के प्रोफेसर की दिलचस्प कहानी याद आ रही है। एक अंग्रेजी के प्रोफेसर की पुत्री उनके कार के शोफर के साथ भाग गई तथा माता-पिता के लिए एक अंग्रेजी में नोट लिख कर छोड़ गई उसमें लिखा था कि वह उनकी गाड़ी के शोफर से प्यार करती है और उसके साथ भाग रही है। जब परिवार के सदस्यों ने उस नोट को देखा तो सभी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। शाम को जब अंग्रेजी के प्रोफेसर घर आए और पूछा : "आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं?" सभी परिवार के सदस्यों ने कहा : "आपकी लड़की ने जो नोट लिखा है उसे देखिए।" अंग्रेजी के प्रोफेसर ने नोट देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया कि जब उनके सहयोगी ने पूछा आप क्यों चीख-चिल्ला रहे हैं, उन्होंने कहा : "कितने शर्म की बात है। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं और मेरी पुत्री ने अंग्रेजी में नोट लिखा है कि मैं शोफर के साथ भाग रही हूं। उसने 'रनिंग' शब्द अशुद्ध वर्तनी में लिखा है, उसने दो 'एन' लिखने के बजाय एक 'एन' ही लिखा है। इसलिए मुझे इतनी तकलीफ है।" मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि मेरी पुत्री शोफर के साथ भाग गई है उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि नोट लिखने तथा संदेश लिखने में, मेरी पुत्री ने अशुद्ध हिज्जे लिखे जोकि उसने अपने पिता को सम्बोधित किया है और वह व्यक्ति अंग्रेजी का प्रोफेसर है। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।

सरदार बूटा सिंह : सभी प्रोफेसर ऐसे ही होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : सभी प्रोफेसर नहीं; मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए।

सबसे पहली बात तो मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर नहीं हूं; मेरे पास कार नहीं है, इसलिए मेरे पास शोफर भी नहीं है और मेरी कोई लड़की भी नहीं है।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : वह भौतिकी के प्रोफेसर हैं। उनके एक पुत्र है और सम्भावना यह है कि उनका पुत्र किसी और की पुत्री के साथ भाग जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां पर भी मेरी स्थिति मजबूत है। मेरा पुत्र पहले ही विवाहित है।

मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने असली मुद्दे को तो लिया ही नहीं है। जिन लोगों ने यहां पर फेयरफैक्स मुद्दे को उठाया—कम से कम मैं और इन्द्रजीत गुप्त ने तो बात स्पष्ट कर दी है कि हम

समाज के प्रति वचनवद्ध हैं तथा विभिन्न पूंजीपति समूहों के बीच हो रहे आन्तरिक गृह युद्ध से बिल्कुल भी चिन्तित नहीं हैं।

सरदार बूटा सिंह : और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, यह सिर्फ आपकी अकेले की चिंता नहीं है। हम इसके लिए लड़ रहे हैं और इसमें भागीदार हैं।

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध है उस पर सदन के दोनों पक्षों को ही समान चिन्ता है। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक समाजवाद का संबंध है, हम पूंजीपतियों के बीच गृह युद्ध के इच्छुक नहीं हैं। यह मेरा तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त का कहना है। जब हम प्रश्न करते हैं तो हम किसी दूसरे की कीमत पर किसी औद्योगिक ग्रुप विशेष का बचाव नहीं करना चाहते। हमें तो इस बात की चिन्ता है कि पूरी रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है जिससे सरकार को तथा संसद को यह सुनिश्चित करने में मदद मिले कि आर्थिक अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए; इसकी कोई बात नहीं कि वह किस समूह के हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये उद्योगपति कौन हैं; ये बिजनेसमैन कौन हैं चाहे वे फिल्म कलाकार हों, कोई भी व्यक्ति क्यों न हों उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : और चाहे वे समाचार पत्रों के मालिक ही क्यों न हों।

प्रो० मधु दंडवते : मैं सहमत हूं। सहमति किए जाने का दायरा कितना है। यदि मैं और बूटा सिंह सहमत हों तो इसमें कौन असहमत हो सकता है?

श्री वी० पी० सिंह ने विदेशी ऐजेंसी के बारे में स्वीकृति दे दी थी; उन्होंने मौखिक निदेश दिए थे। बाद में 11 मार्च, 1987 को श्री वी० पी० सिंह ने लिखित नोट दिया था। आयोग इस बात से अत्यधिक विक्षुब्ध है कि पहले तो श्री वी० पी० सिंह ने मौखिक अनुमति दी थी और फिर बाद में 11 मार्च, 1987 को उन्होंने इसे लिखित रूप में लिखकर फाईल में डालने की कोशिश की। महोदय, इस तरह का आभास पैदा किया गया था जैसे कि यह एंट्री पहले किसी तारीख में की गई थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिखित में उन्होंने कहा है "कि, मैंने मौखिक रूप में स्वीकृति दे दी थी। लेकिन इस विवाद के पैदा होने के बाद, उनके अधिकारीगणों को कोई दिक्कत न हो, मैंने लिखित रूप में यह बताया कि मैं मौखिक स्वीकृति पहले ही दे चुका हूं। यह विशेष तथ्य जो कि उन्होंने बताया उसे प्रधान मंत्री को बता दिया गया था। श्री वी० पी० सिंह 11 मार्च को रात में प्रधान मंत्री से उनके कार्यालय में मिले और उन्हें बताया—यह सभी उन्होंने अपने लिखित उत्तर में बताया है—कि फाईल प्रधान मंत्री को भेजी जा चुकी थी तथा विदेशी ऐजेंसी को स्वीकृति दिए जाने के आधारों को भी उन्हें बता दिया गया था। तथा प्रधान मंत्री ने इसे गलत नहीं पाया। श्री वी० पी० सिंह ने यह कहा था, यह मौखिक रूप में नहीं अपितु लिखित रूप में कहा था जोकि आयोग द्वारा भेजी गयी प्रश्नावली के उत्तर में भेजी गयी है। इतना ही नहीं। श्री ब्रह्मदत्त ने इस सदन में कहा है और उनके द्वारा की गई व्यवस्था का, मैं हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों के कार्यवाही-वृत्तान्त से उद्धृत करूंगा : अर्थात् सूचना आने के बाद भुगतान किया जाएगा। श्री बह्म दत्त ने कहा :

[हिन्दी]

"मैंने जो अरेंजमेन्ट किया था, उससे सेटिस्फाइड हूं। भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार की इजाजत दी है, वह बिल्कुल सही थी।"

[अनुवाद]

और संसद की कार्यवाहियों के अंग्रेजी संस्करण में यह कहा गया था :

"जो व्यवस्था की गई है, उससे मैं संतुष्ट हूं। भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ने जो इजाजत दी है, वह बिलकुल सही थी।"

यदि धारा 8(ख) और 8(ग) के अधीन सूचना दी गई थीं तो इस विशेष वक्तव्य, जिसे मैं श्री वी० पी० सिंह द्वारा आयोग को दिए गए लिखित उत्तर के आधार पर सभा में दे रहा हूं, की जांच की जा सकती थी क्योंकि अन्ततः श्री वी० पी० सिंह कहते हैं कि :

"11 तारीख को रात्रि को मैंने यह जानकारी प्रधान मंत्री को मौखिक रूप से दी थी और उन्होंने कहा था कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है..."

खाते का निर्णय करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता कि श्री वी० पी० सिंह को जिरह के लिए बुलाया जाता, प्रधान मंत्री को भी जिरह के लिए बुलाया जाता और जिरह के दौरान आयोग के सदस्य सच्चाई का पता लगाने में समर्थ होते। किन्तु यह नहीं किया गया क्योंकि जांच आयोग अधिनियम की धारा 8 (ख) और 8(ग) बिल्कुल भी लागू नहीं की गई। प्रश्न उठता है कि मौखिक साक्ष्य क्यों लिए गए ? हमारे साथी श्री भगवत झा आजाद ने यह प्रश्न उठाया है और आज श्री वी० पी० सिंह ने पुनः लिखित उत्तर में, जोकि आयोग की रिपोर्ट में भी शामिल है, कहा है :

"कई बार प्रधान मंत्री ने स्वयं मौखिक आदेश और सहमतियां दी हैं जिन पर वित्त मंत्री ने नाजुक मामलों पर कार्यवाही की।"

और कल उन्होंने दावा किया तथा खुलकर कहा कि :

"यदि मुझे जिरह के लिए बुलाया जाता है और यदि प्रधान मंत्री को भी जिरह के लिए बुलाया जाता है तो मैं अनेक उदाहारण बताने के लिए तैयार हूं जिनमें प्रधान मंत्री ने मौखिक संदेश के आधार पर आदेशों को स्वीकृति देने के बारे में मौखिक रूप से निर्देश तथा सहमतियां दी हैं।"

श्री वी०पी० सिंह के अनुसार एजेंसी के बारे में निर्णय लेना प्रशासनिक मामला है और यह नीति सम्बन्धी मामला नहीं है। मैं यहां दूसरे रक्षा राज्य मंत्री का उल्लेख करूंगा। जब पनडुब्बी सौदे के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी तो आपको याद होगा कि श्री अरुण सिंह वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे क्योंकि रक्षा मंत्री को पहले ही उनके पद से हटा दिया गया था और श्री अरुण सिंह तथा श्री के० सी० पन्त का भी यही विचार था कि जब पनडुब्बियों के सौदे के मामले में विभागीय जांच गठित की गई थी तो गठित की जा रही जांच के बिलकुल भी खिलाफ नहीं थे। उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने यह जानकारी समाचारपत्र को क्यों बताई। इसलिए यह मामला उस अंग्रेजी के प्रोफेसर के सामने है जो

अपनी पुत्री को केवल उसकी वर्तनी पर ही दोषी मानता है । उन्होंने स्वयं ही सिद्ध किया है कि अनेक अवसरों पर जांच गठित की गई थी । जब मैं रेल मंत्री था तो जब कभी हमने विदेशों से ठेके करने पड़े अनेक नाजुक मामले सामने आए थे । यह मैं आपको अपने निजी अनुभव के आधार पर बता रहा हूं । जब विश्व बैंक ऋण के बारे में बातचीत चल रही थी तो कुछ अधिकारियों ने दबाव डालने की कोशिश की कि ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ उच्च शक्ति के रेल इंजन आयात किए जाने चाहिएं । इस प्रकार के नाजुक मामलों पर प्रधान मंत्री अथवा मंत्रीमण्डल से सम्पर्क किए बिना मैंने इस टीम को मौखिक निर्देश दिए जो ऋण के बारे में विश्व बैंक से बातचीत कर रही थी । मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इन बातों तथा उन अधिकारियों के बारे में जानता था जो दबाव डलवाकर चालाकी करना चाहत थे । मैं आपको बता दूं कि काम उसी तरह हुआ जिस तरह मैं चाहता था । हम उच्च शक्ति के रेल इंजनों के आयात के बारे में कुछ अधिकारियों के दबाव में नहीं आए । और हम विश्व बैंक से बिना किसी शर्त पर ऋण लेने में समर्थ हो गए थे ।

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : बिना बताए, सी० आई० ए० को नहीं देना था ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैडम, मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं । थोड़ा धैर्य रखिए । मैं हर बात बताऊंगा ।

उसके बाद सुरक्षा जोखिम का प्रश्न है । आयोग का आरोप है कि फेयरफैक्स में सुरक्षा जोखिम है । मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि सुरक्षा जोखिम की तरह कतिपय राजनीतिक तथा अर्ध-राजनीतिक प्रश्न हैं और उन्हें इस तरह के न्यायिक आयोग को नहीं सौंपा जाना चाहिए । इन कठिनाईयों पर मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए । ये राजनीतिक तथा अर्ध-राजनीतिक मसले हैं और इन्हें ऐसे आयोग को कभी नहीं सौंपना चाहिए ।

प्रधान मंत्री के पास फाइल 11 मार्च, 1987 से थी और उन्होंने मई, 1987 में, लगभग मई के अन्त में, फेयरफैक्स एजेन्सी की सेवाएं समाप्त कीं । तब तक प्रधान मंत्री ने यह नहीं सोचा था कि उसमें सुरक्षा जोखिम है । क्या सुरक्षा जोखिम महीने में निर्भर था ? 11 मार्च को उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि इस-इस एजेन्सी की नियुक्ति की गई है । वह एजेन्सी मई तक चलती रही और मई के अन्त में फेयरफैक्स के साथ व्यवस्था समाप्त कर दी गई । क्या आप इसे मानते हैं कि प्रधान मंत्री ने महसूस किया कि मई के अन्त तक किसी प्रकार का सुरक्षा जोखिम नहीं था और सोच-विचार के बाद वे इन निष्कर्ष पर आए कि इसमें सुरक्षा जोखिम था ? इसलिए यह तर्क भी भ्रामक है ।

जांच नियुक्त करने के लिए आयोग द्वारा सुझाई गई अपेक्षाएं क्या हैं ? आयोग का अभिप्राय यह था कि फेयरफैक्स की विश्वसनीयता और अनुभव की जांच नहीं की गई थी । श्री ब्रह्म दत्त ने स्वयं फेयरफैक्स जांच के स्तर की पुष्टि की और कहा कि इसका स्तर एक 'सूचक' का है । उन्होंने 31 मार्च, 1987 को द्वारा शुरू किए गए वाद-विवाद में क्या कहा था, उसे मैं यहां उल्लिखित करता हूं । उन्होंने 31 मार्च, 1987 को यह कहा था :

"सोमनाथ चटर्जी जी ने यह पूछा कि फेयरफैक्स के क्रिडैंशियल्स क्या हैं, उनकी ट्रैडिशन्स क्या हैं और उनका अनुभव क्या है ? मान्यवर, यह बातें तभी पूछी जाती हैं, जब हम किसी को घर में नौकर रखते हैं, हमने तो उनको नौकर भी नहीं रखा । एक 'इन्फारमर' की हैसियत से हम किसी से कभी पूछते नहीं । तुम 'इन्फार्मेशन' दोगे, तो पैसा पाओगे । इसलिए कुछ पूछा नहीं गया···"

महोदय, यह उनके द्वारा इस सभा में दिया गया वक्तव्य है । मैंने इसे सभा की कार्यवाही से लिया है । इस वक्तव्य में श्री ब्रह्म दत्त ने कहा था कि उन्हें इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे केवल सूचना प्रदान करने वाले (इनफारमर) थे ।

महोदय, जासूसी के मामलों में भी कभी-कभी इस प्रकार की बातें होती हैं । जो व्यक्ति जानकारी देता है वह अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं होता । नैतिक दृष्टि से भी वह बहुत योग्य नहीं होता है । किन्तु यदि उसके पास कुछ जानकारी है और सरकार महसूस करती है कि उस जानकारी का फायदा उठाना उचित है और यदि आवश्यक हुआ तो अन्ततः उसे धोखा देकर सरकार जानकारी देने वाले से उस जानकारी का प्रयोग कर सकती है । श्री ब्रह्म दत्त का ठीक यही अभिप्राय था । एक प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु दो प्रतिद्वंद्वियों का प्रयोग किया जा सकता है अथवा क्या इसे अनैतिक समझा जाएगा । यहां मैं यह कहूंगा कि अनेक बार यह सहारा लिया गया है और इसके बारे में आप वित्त मंत्रालय के अधिकारियों तथा वित्त मंत्री जी को पूछ सकते हैं । जब तस्करी के मामले पकड़े जाते हैं तो कभी-कभी इस तरह की कार्यवाही की जाती है । कम-से-कम मैं कुछ ऐसे मामलों को जानता हूं जिनमें एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी दो तस्करों का सरकार द्वारा फायदा उठाया गया था । उन्होंने एक तस्कर से दूसरे तस्कर के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उसका फायदा उठाया और जिस तस्कर ने वास्तव में उन्हें जानकारी दी थी, उसके विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्यवाही की । उसके लिए उन्होंने तीसरे तस्कर से सम्पर्क किया । इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है । यह अनैतिक हो सकता है । किन्तु आसूचना क्षेत्र व कार्य में इस प्रकार की नीतियां अपनानी पड़ती हैं । आयोग की रिपोर्ट में फेयरफैक्स एजेन्सी के बारे में असंगत सुझाव दिए हैं । यदि आप सम्पूर्ण रिपोर्ट पर ध्यान से नजर डालें और उन्होंने इस एजेन्सी के कार्यकरण के बारे में दिए गए निष्कर्षों को देखने के पश्चात अनुमान लगाने की कोशिश करें और यह देखें कि ईमानदार अधिकारियों ने किस ढंग से कार्य किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आयोग ने एक अनौपचारिक नियमावली तैयार की जिससे आप इन अपराधों का पता लगा सकें । पहली बात यह है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा मंत्रिमण्डल के सामूहिक निर्णय अथवा प्रधान मंत्री की अनुमति से क्या करना चाहिए ? दूसरी बात यह है कि नीचे जो आदेश दिए जाएं वे लिखित में हों । यदि बहुत से लोगों को इनकी जानकारी मिलती है तो कोई बात नहीं । सूचनादाता के चरित्र की जांच अवश्य होनी चाहिए । आप उसे कह सकते हैं कि यदि आपको चरित्र उत्तम है और आप समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं तो इसके बाद ही हम आपसे सूचनादाता के रूप में सूचनाएं प्राप्त करेंगे । व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता की जांच भी जरूरी है । आप जांच करके देखिए कि क्या व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता है । अन्यथा उनमें से किसी को भी मत लीजिए । सूचनादाता के साथ लिखित रूप में समझौता होना चाहिए । मैं नहीं जानता कि क्या इस शर्त पर कोई व्यक्ति सूचनादाता के रूप में कार्य करेगा । उसे कार्यालय से बाहर मिलने से इंकार कर दीजिए ताकि हर व्यक्ति इसके बारे में जानें । जब सूचनादाता कार्यालय में आता है तो उसका

नाम कार्यालय में प्रवेश के समय रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए ताकि हर बात रिकार्ड में रखी जा सके। जिससे, भगवत झा आजाद को शिकायत नहीं होगी कि कोई उचित व्यक्ति आया है या नहीं। सूचनादाता की बातचीत का वृतान्त अवश्य रखा जाना चाहिए। विभाग में जानकारी रखी जानी चाहिए और उसे सभी संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उसे विभाग के सामान्य दस्तावेजों के साथ रखा जाना चाहिए न कि किसी गुप्त स्थान पर। इसे सभी अन्य दस्तावेजों के साथ रखा जाना चाहिए। अधिकारियों को विदेशों को सामग्री भेजने हेतु नियुक्त किया जाना चाहिए। आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए राजनयिक माध्यम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रिपोर्ट से उत्पन्न हो रहे इस प्रकार के प्रतिबन्धों को आप सावधानीपूर्वक देखें जब हम इस खास रिपोर्ट पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देते हैं तो आपको लागता होगा कि मैं बेतुकी बातें कर रहा हूं चूंकि न तो आर्थिक अपराधियों को और न ही जासूसी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़ा जा सकता है। खोज और खुफिया कार्य निजी तर्क के आधार पर चलता है। आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। उस पर पर्दा डालकर निष्कर्ष प्राप्त होने की आशा नहीं की जा सकती। यदि आप नैतिक परिणाम चाहते हैं तो यह निर्णय करें कि हम किसी का फायदा नहीं उठाएंगे। अत: अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जासूस और उनके पीछे दूसरे जासूस लगे हुए हैं। जासूसों की जासूसी करना नैतिक दृष्टि से गलत हो सकता है। परन्तु देश की सुरक्षा के लिए प्रति-जासूसी की प्रथा को विश्व भर में मान्यता प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा का क्या हुआ ? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था कायम रहे। इन्दिराजी के साथ क्या हुआ है ? परन्तु हमें क्या अनुभव हुआ है ? क्या इस मामले में हम कोई अव्यावहरिक प्रवृत्ति अपना रहे हैं ? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु विदेशी प्राइवेट एजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया गया था ? अन्तत: यह गृह मंत्रालय का अनुमान है—मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। यदि हमारी सरकार और गृह मंत्रालय किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हैं तो इसका निर्णय मैं उन पर छोड़ता हूं। अब आप इस आयोग के निष्पक्ष रूप से कार्य न किए जाने पर गौर करें। केन्द्रीय जांच ब्यूरो का इस्तेमाल छानबीन करने वाली एजेंसी के रूप में किया गया। क्या आप इस मामले के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कोई प्रतिबद्ध एजेंसी मानते हैं ? सरकार का विधि अधिकारी इस आयोग का एक सलाहकार था। सरकार स्वयं कटघरे में खड़ी है। उनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं और सरकार का विधि अधिकारी कहता है कि 'मैं आयोग की मदद करूंगा और उसे सलाह दूंगा।'

साक्ष्य अटकलों पर आधारित हैं। मैंने आपको अटकलों के बारे में बताया है। मुखबिरों की सूचना की सत्यता जांच करने के लिए अजीबोगरीब मानदण्ड अपनाने के सुझाव दिए गए हैं।

अब मैं हर्शमैन की चर्चा करूंगा। मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उनका हवाला नहीं दिया है; परन्तु मैं देना चाहूंगा। नुसली वाडिया जो कि रिलायंस समूह के कट्टर विरोधी औद्योगिक समूह के प्रमुख व्यवसायी हैं, के माध्यम से श्री हर्शमैन का दिल्ली के ओबेराय होटल में जो सत्कार किया गया उसके बारे में पूरी रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है। मुझे पता है। परन्तु कहानी गढ़ी गई कि ओबेराय होटल में हर्शमैन का सत्कार स्वयं नुसली वाडिया ने किया।

महोदय, आप जानते हैं कि स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार किसी मुखबिर को इनाम के तौर

पर कितनी राशि अदा की जाती है। यह सूचना के माध्यम से बतायी गई राशि पर निर्भर करती है। मुझे वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों से पता चला है कि मुखबिर को अधिकतम 20% इनाम दिया जाता है। इससे कम तो हो सकता है, परन्तु अधिकतम 20% है। इस मामले में, 100 करोड़ रुपए की राशि का आर्थिक अपराध किया गया था। अत: यदि उन्होंने कोई सूचना देनी भी थी तो उन्हें अधिकतम 20% राशि प्राप्त होती। परन्तु रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कितनी राशि प्राप्त हुई है? केवल ओबेराय होटल में सत्कार। अर्थात् केवल 8,000 रु० से 10,000 रुपए—लगभग 1,000 डालर। अत: हर्शमैन जैसा व्यक्ति जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाली 100 करोड़ रुपए की राशि की धोखाधड़ी वाले सौदों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा है कि यदि उसे 20% कमीशन अथवा 20% इनाम मिलना है तो उसे 10,000 रुपए की क्या चिन्ता होगी? अब कुछ और तथ्य हैं: मेरे पास यहां लिखित प्रमाण हैं। फेयरफैक्स ग्रुप के हर्शमैन ने ओबेराय होटल में प्रवेश किया और वहां वह 15 नवम्बर से 18 नवम्बर तक रहे। मेरे पास ओबेराय होटल में हर्शमैन द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रेशन कार्ड की एक प्रति है। वे इस होटल में 15 नवम्बर से 18 नवम्बर तक रहे। कमरे में रहने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हर्शमैन के हैं। कम्प्यूटर में यह जानकारी दी गई थी कि 'फेयरफैक्स के हर्शमैन कमरे में हैं।' इसलिए यह नाम फेयरफैक्स के हर्शमैन का था। उसमें सारी बातों का जिक्र था।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। वे 15 से 18 नवम्बर तक वहां थे; तब उनसे यह प्रश्न पूछा गया: "ओबेराय होटल से पूछा गया कि आपके रजिस्टर बाद में इसे हर्शमैन से बदल कर नुसली वाडिया किस प्रकार कर दिया गया? और तब उन्होंने कहा 'एक दिन हमारे यहां एक टेलीफोन आया कि यहां एक कमरा हर्शमैन के नाम से है। कृपया इसे हर्शमैन से बदल कर नुसली वाडिया कर दें।' तब कम्प्यूटर में यह नई सूचना डाल दी गई; नई सूचना के अनुसार हर्शमैन के स्थान पर नाम डाला गया, नुसली वाडिया।"

किसने यह चाल खेली होगी? मैंने संकेत कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी छानबीन करें। महोदय, भगवान के लिए इसे किसी आयोग के हवाले न करें। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि सरकार को स्वयं इसकी जांच करनी चाहिए। मेरा संकेत क्या है? हर्शमैन 15 से 18 नवम्बर तक अपने नाम, फेयरफैक्स के नाम पर रहे और फिर एक टेलीफोन आया। यह किसने करवाया होगा? मैं एक संकेत देता हूं। गुरुमूर्ति का मामला जब न्यायालय में विचाराधीन था और जब उन्होंने जमानत की अर्जी दी थी तो दो 20 नवम्बर के, दो जाली पत्र दिखाए गए थे। पहला पत्र 20 नवम्बर को दिखाया गया था और उसमें हर प्रकार की जानकारी दी गई थी। दूसरे पत्र में भी यह कहा गया था कि सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति ने गुरुमूर्ति से पूछा था:

> "यदि आपके पास अजिताभ बच्चन और अन्य लोगों के बारे में कोई जानकारी है तो मुझे दें।"

ये दो जाली पत्र मौजूद थे। वस्तुत: सरकार और केन्द्रीय जांच ब्यूरो का कहना था कि: 'गुरुमूर्ति की जमानत पर न छोड़े क्योंकि यह पत्र व्यवहार उनका किया हुआ है और यह दावा किया गया था कि ये पत्र जाली हैं।'

इन जाली पत्रों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये पत्र किस प्रकार पहुंचे उन्हें इस संबंध

में कोई छानबीन नहीं करनी है। मुझे लगता है कि जिन व्यक्तियों और एजेंसियों अथवा समूहों का न्यायालय में जाली पत्र प्रस्तुत करने में हाथ था उन्होंने ही ओबेराय होटल में टेलीफोन किया होगा और रजिस्टर में हर्शमैन का नाम बदल कर नुसली वाडिया करने के लिए कहा होगा। मुझे इसमें कोई शंका नहीं प्रतीत होती है।

6.00 म० प०

मेरे पास रजिस्टर कार्ड की एक प्रति है और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसे सभा पटल पर रखूंगा।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : क्या वे यह जताना चाहते हैं कि वे दो कथित जाली पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए? क्या वे यह सिद्ध करना चाहते हैं अथवा वे वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर यह कहना चाहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी है परन्तु वे उसकी जानकारी दे नहीं सकते हैं? यदि वे इसे सिद्ध करने को तैयार हैं तो मैं उसे चुनौती देना चाहूंगा? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : जी, हां। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि दो कथित जाली पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। क्या श्री दण्डवते उस वक्तव्य पर कायम रहना चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसे स्पष्ट करूंगा। **(व्यवधान)** श्री गुरुमूर्ति की ओर से जब वकील ने जिरह की तो दावा किया गया—न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया···**(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : अभी आपने ऐसा कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं कह रहा हूं कि यह तर्क दिया गया था कि पत्र जाली थे; समाचारपत्रों में ऐसा छपा था। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : मेरे विद्वान मित्र यह भी बताएंगे कि मजिस्ट्रेट ने क्या आदेश दिया था? श्री राम जेठमलानी ने क्या शपथपत्र दायर किया था? **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप क्यों नहीं बताते हैं? **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : पहले उन्हें कहने दीजिए? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : मैं कहूंगा; आप चिन्ता न करें। जब आप खुद ही कटघरे में खड़े हैं तो मुझे उसमें क्यों डालते हैं? **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : मैं चाहता हूं कि आप सही वक्तव्य दें। यदि आपको गलत जानकारी हासिल हुई है तो उसे न दोहरायें। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सही वक्तव्य दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सही स्थिति क्या है? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय गृह मंत्री के पास ब्यौरा होना चाहिए। मैं उस विस्तृत जानकारी,

पूरी रिपोर्ट पर यकीन कर रहा हूं जो कि समाचारपत्रों में छपी थी। समाचारपत्रों में इसकी फोटो प्रति भी छपी थी। और उसमें यह बताया गया था कि इन पत्रों के आधार पर, प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के लिए उन्हें कहा गया है कि जमानत करने से इंकार किया जा रहा है···(**व्यवधान**) मजिस्ट्रेट ने ऐसा क्यों किया; मैं ऐसी कानूनी पेचीदगी में नहीं पड़ना चाहता कि उन्होंने इसे स्वीकार किया, उस पत्र के आधार पर उन्होंने यह आदेश दिया। (**व्यवधान**) जो भी हो उनकी जमानत हुई।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रो० दण्डवते का अभारी हूं कि उन्होंने अपने पिछले वक्तव्य को स्पष्ट किया और यह नहीं दोहराया कि भारत सरकार की किसी एजेंसी ने किसी न्यायालय के समक्ष कोई कथित जाली पत्र पेश नहीं किया।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसे फिर दोहराऊंगा। सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया गया है कि जाली पत्र तैयार करने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का अवश्य ही हाथ होगा; जैसाकि वकील ने बताया है। अब मजिस्ट्रेट ने क्या कहा है और जो जमानत मंजूर की गई वह जिस आधार पर दी गई···(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : क्या अब वे यह आरोप लगा रहे हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाली पत्र तैयार किया ? यदि वे कोई आरोप लगा रहे हैं तो ठीक है वे ऐसा करें। उसका स्वागत है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं समाचारपत्रों में छपी खबर के आधार पर कह रहा हूं। इसे स्पष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें आरोप लगाने दीजिए। हम उनका उत्तर देंगे। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : आतिथ्य के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं—आप मेरे शब्दों की जांच करें—कि मुझे आशंका है कि कोई एजेंसी या कोई व्यक्ति अवश्य ही इन पत्रों को तैयार कर रहा है; संभवतः कोई ऐसी एजेंसी जो किसी व्यापार गृह से संबंधित है; मैं इसका विरोध नहीं करता। मैंने कहा कि मुझे शंका थी कि उन्हीं लोगों ने ही टेलीफोन से छेड़ाछाड़ की होगी। किन्तु जो भी हो यह सही है; यह बात रिकार्ड में दर्ज है कि ओबेरॉय ने यह स्वीकार किया है कि पहले हर्शमैन के नाम से एक कमरा बुक किया गया था और बाद में कम्प्यूटर पर वह नाम बदल दिया गया था, यह सच है। अब यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह इस मामले की जांच करे। मेरे पास एक पंजीकरण कार्ड है जिसे मैंने उद्धृत किया है। कल, यदि अध्यक्ष महोदय ने मुझे आज्ञा दी, तो मैं सभा पटल पर इस कार्ड का प्रतिदर्श रखने को तैयार हूं।

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : आप यह कहानी क्यों गढ़ रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह कपोलकल्पित नहीं है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सच क्या है (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : यह सच है (**व्यवधान**)। इससे पता चलता है कि हर्शमैन के नाम से कमरा दर्ज किया गया था, कम्प्यूटर में इसकी प्रविष्ट थी और स्वयं उन्होंने यह स्वीकार किया है कि बाद में एक टेलीफोन आया था और उसके बाद उसके स्थान पर दूसरा नाम दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप मामले की जांच करें और इसके परिणाम बताएं।

श्री वसन्त साठे : हम इस बारे में शंका होने की बात कह रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : साठे जी, प्रलेखों के आधार पर।

श्री वसन्त साठे : हम उन विषयों पर बात कर रहे हैं जिनके लिए हमें कहा गया है, जिनके बारे में आपको शंका थी।

प्रो० मधु दंडवते : इस पर सार्वजनिक वाद-विवाद हुआ है। उन्हें तथ्यों को सामने लाने दीजिए। इस बारे में दस्तावेज हैं।

श्री वसन्त साठे : आप शंकाओं को न तो उचित ठहरा पा रहे हैं और न उन्हें सिद्ध कर पा रहे हैं। उसका केवल मजा ही लिया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे देश में अपराधों की जांच के लिए नियुक्ति की जा रही विदेशी एजेंसियां और इससे देश की सुरक्षा को खतरा होने के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है।

मैं पुन: ऐसे चार उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें विदेशी एजेंसियों को नियुक्त किया गया अथवा किराए पर लिया गया।

मैं यह दोहराना चाहता हूं कि 1975 में जब महारानी गायत्री देवी संयुक्त राज्य अमरीका गई थी और अपने आभूषण खो बैठी थी, उस समय श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थी; एक अमरीकी एजेंसी को उसकी जांच करने के लिए कहा गया था और उनके आभूषणों के मूल्य का आकलन करने का प्रयास किया गया था।

दूसरा, कुख्यात तस्कर चार्ल्स शोभराज, जब वह तिहाड़ जेल से फरार हो गया था और उस समय भी···

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : वह इसे दोहरा रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे इसका जिक्र करना ही है। जैसाकि आपने कतिपय बातों को दोहराया है।

जब चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल से फरार हुआ था तो यह जानने के लिए कि भारत के बाहर उसके साथी कौन-कौन हैं। मामला जांच के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस को सौंपा गया था।

फिर, पूना में जब दो आतंकवादियों ने जनरल वैद्य की हत्या की थी, तो उस हत्याकांड से संबंधित सभी आतंकवादियों का पता लगाने के लिए एक अमरीकी एजेंसी का सहारा लिया गया था और चौंका देने वाला चौथा मामला बोफोर्स का है। सभा-पटल पर रखे गए पत्राचारों से यह एकदम स्पष्ट है कि भारत सरकार ने स्वीडन की सरकार से इस मामले की जांच करने और वस्तुस्थिति का पता लगाने का अनुरोध किया था। जब हम बोफोर्स के संबंध में संसदीय समिति बनाए जाने की मांग कर रहे थे, तब वह समिति नियुक्त क्यों नहीं की गई? यह समिति बाद में क्यों नियुक्त की गई? हमें एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि जब स्वीडन से राष्ट्रीय लेखापरीक्षा ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी, तब बोफोर्स सौदे के बारे में कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य बनता था और इसलिए बाद में सरकार ने संसदीय समिति बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, हां उसे, जैसाकि हमने चाहा था, जांच की पर्याप्त शक्तियां प्रदान नहीं की गई।

अस्थिरता, स्थिरता को खतरा के बारे में कुछ कहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों का भण्डाफोड़ का उद्देश्य देश में अस्थिरता पैदा करने में योगदान देना था। क्या मैं अपने पिछली दलील को दोहरा दूं ? निक्सन के वाटरगेट काण्ड में और जापन के लाकहीड काण्ड में—एक मामले में अमरीका के राष्ट्रपति अन्तर्ग्रस्त थे और दूसरे मामले में जपान के प्रधान मंत्री अन्तर्ग्रस्त थे—भ्रष्टाचार की जांच से संबंधित क्षेत्रों की असुरक्षा और उनकी स्थिरता को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ।

महोदय, जहां तक मुखबिरों को दिए गए पारितोषिक का सम्बन्ध है मैं वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर यह बताना चाहूंगा कि दुबई और हागकांग के मुखबिरों को 1982, 1983 और 1984 में 3,18,000 रुपए दिए गए थे। दुबई के एक मुखबिर को 23 जून, 1982 को 25,000 रुपए दिए गए थे। हांगकांग के अन्य मुखबिर को 12 अक्तूबर, 1983 को 5,000 रुपए; दुबई के एक मुखबिर को 30 दिसम्बर, 1983 को 18,000 रुपए और दुबई के ही एक और मुखबिर को फरवरी और अप्रैल 1984 में क्रमः 10,000 रुपए और 2,60,000 रुपए दिए गए थे।

जहां तक मुखबिरों का संबंध है, सरकार इनके मामले में यह तरीका अपना रही है और जब उसने दुबई और हांगकांग के मुखबिरों को धन दिया, तो उन्होंने यह फिक्र नहीं की कि वे चरित्रवान व्यक्ति हैं या नहीं। सरकार ने तो बस वही सोचा था कि हमें इन मुखबिरों से कोई सूचना मिल जाए। न्यायाधीश ठक्कर और नटराजन की रिपोर्ट का परिणाम क्या निकला ? ईमानदार अधिकारियों पर अभियोग लगाया और आर्थिक अपराधी बेदाग आजाद हो गये हैं।

महोदय, मेरा निष्कर्ष यह है कि ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट को न्यायपालिका के सदस्यों पर इससे लगे कलंक, देश के कानून को इससे हुई क्षति, कानून पसंद नागरिकों में इससे उत्पन्न रोष को देखते हुए, और आर्थिक अपराधियों को इससे मिल गए निःशुल्क लाइसेंसों को देखते हुए, इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए।

अपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान तिवारी।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, आज हमें कितनी रात तक बैठना होगा ? **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री चिदम्बरम, आप कुछ कह रहे हैं···**(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : जब मैं कहूंगा, आप जान जायेंगे **(व्यवधान)** मैं यह आज्ञाप्रेरित रूप से कार्य नहीं कह रहा हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री तिवारी को बात जारी रखने को कहा था। श्री जयपाल रेड्डी, कुछ नहीं **(बोलो)**। श्री तिवारी को जारी रखने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : जब मैं बोलूंगा, उस समय जानकारी दे दूंगा। अमल दत्ता जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा, जब मैं बोलूंगा, जानकारी दे दूंगा।···**(व्यवधान)**···मेरे शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। मैंने कहा था जब मैं बोलूंगा, जानकारी दे दूंगा। महोदय, श्री अमल दत्ता मेरे

शब्दों को तोड़-मरोड़ रहे हैं। मैंने कहा था जब मैं बोलूंगा, जानकारी दे दूंगा। मैं श्री जयपाल रेड्डी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वे आराम से उत्तर दे सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने कहा था मैं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी !

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० दंडवते से प्रभावित हुआ हूं जिन्होंने इतनी जल्दी आयोग, आयोग का गठन करने वाले उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों तथा माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मसलों के बारे में श्री वी० पी० सिंह से सबक ग्रहण किया है।

महोदय, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि श्री इन्द्रजीत गुप्त और प्रो० दंडवते, जो सम्भवत: इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आयोग की रिपोर्ट में बताए गए गम्भीर प्रभाव के प्रति इतने भोले अथवा अनभिज्ञ अथवा असावधान हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को मार्क्सवादी पार्टी के श्री नम्बूदरीपाद जैसे व्यक्ति ने एक रहस्योद्घाटन का नाम दिया है। इसलिए, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में आयोग ने जो अपनी चिन्ता व्यक्त की है, मैं उस रहस्योद्घाटन पर अधिक निर्भर रहना चाहता हूं।

महोदय, जिस प्रकार से यह सारा कार्य किया गया है, इससे गहरे निश्चित षड्यंत्र, अप्रत्यक्ष राजनैतिक लाभ के लिए सरकारी तन्त्र के उपयोग का पता चलता है और मैं इस अभिधारण का समर्थन नहीं करूंगा कि आयोग की इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है और हमें केवल इसके तकनीकी पहलुओं अथवा कुछ असंगत बेकार के प्रश्नों पर, जिन्हें प्रो० दंडवते इस वाद-विवाद में समाविष्ट करना चाहते हैं, वाद-विवाद करना चाहिए। महोदय, जब से फेयरफैक्स मामले को इस सदन में उठाया गया है, प्रेस में इसकी चर्चा की गई है, वस्तुत: हम इस सभा की चिन्ता और कुछ सदस्यों, और कुछ राजनैतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर बहुत सावधानीपूर्वक निगाह रखे हुए हैं।

फेयरफैक्स के बारे में कुछ प्रकाशनों की ओर मैं, इस सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जोकि गुप्त लेन-देन तथा भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल भारत सरकार के तथा-कथित उच्च-अधिकारियों के बारे में काफी कुछ लिख रहे हैं। ये रिपोर्टें श्री भूरे लाल द्वारा जनवरी, 1986 के प्रथम सप्ताह में फेयरफैक्स एजेंसी को औपचारिक रूप से काम में लगाने से थोड़ा पूर्व प्रकाशित होनी आरम्भ हो गई थीं। यदि आप पूरी स्थिति पर नजर डालें—प्रो० दंडवते इसे स्वीकार करेंगे—श्री वी० पी० सिंह को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी जो मानदंडों, नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करता है। मैं इस अवधारणा अथवा सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री वी० पी० सिंह ने केवल मौखिक आदेश दिया था और उसके पश्चात् उनपर विस्मृति का दौरा आ गया तथा वे इसके बारे में सारी बातें भूल गए। सारा कार्य-व्यवहार बहुत संदिग्ध है। बहुत संदिग्ध खानदान और वंश-परम्परा के व्यक्ति सरकारी अधिकारियों के कार्य से सम्बद्ध रहे हैं। सरकारी अधिकार श्री रामनाथ गोयनका को और उनके निकटवर्ती व्यक्ति श्री गुरुमूर्ति, को दिए गए रामनाथ गोयनका, भारतीय राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, और प्रेस के मालिक हैं। नुसली वाडिया जोकि एक विदेशी नागरिक हैं तथा जिनकी इस प्रकार के कार्यों में पर्याप्त व्यावसायिक रुचि है, भी इसमें शामिल हैं। इन व्यक्तियों के साथ-साथ

फेयरफैक्स एजेंसी के हर्शमैन का नाम आता है जिसके बारे में मार्क्सवादी पोलितब्यूरो ने इस प्रकार का मत व्यक्त किया है :

> "फेयरफैक्स की नियुक्ति एक राष्ट्र-विरोधी कार्य है तथा हम इसकी नियुक्ति का विरोध करते हैं···यह सी० आई० ए० तथा एफ० बी० आई० के साथ अपने सम्बन्धों के लिए बदनाम है।"

मार्क्सवादी पोलितब्यूरो द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। किन्तु, जिस बात से इस समय चोट पहुंच रही है तथा देश में जो हो रहा है, वह है एक बहुत गहरे षडयंत्र का पर्दाफाश किया जाना। भारत सरकार तथा हमारी पार्टी की सरकार की विश्वसनीयता पर औरकेस्ट्रा प्रयास के प्रभारी व्यक्ति के रूप में हर्शमैन को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। मैंने माननीय सदस्यों को इसी सभा में प्रायः घृणास्पद होने तक ध्यान दिलाया था कि इस देश की लगाम एक ऐसे व्यक्ति को दे दी गई है, जिसे एक ऐसे समूह द्वारा नियुक्त किया गया है जिसके इरादे नेक नहीं हैं, बहुत स्पष्ट नहीं है।

हर्शमैन अमरीका से किसी एक कम्पनी विशेष कंपनी (क) अथवा कंपनी (ख) के बारे में बयान नहीं देता है। वह नैतिकता की बड़ी-बड़ी बातें करता है, वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नैतिक संकट की बात करता है और जिस दिन हर्शमैन बयान देता है, उसी दिन से हम सभा में चर्चा और वाद-विवाद के लिए आंदोलन आरंभ कर देते हैं। साथ-साथ बाहर भी दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मैं एक ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं—यह भी इस रिपोर्ट का एक भाग है कि इस सारे समूह श्री गोयनका, श्री गुरुमूर्ति, श्री नुसली वाडिया—के साथ श्री वी० पी० सिंह ने इस काम के सामूहिक जिम्मेवारी स्वीकार की है। जैसाकि मैंने कहा, संदिग्ध खानदान के अपराध का रिकार्ड रखने वाले व्यक्तियों के साथ श्री वी० पी० सिंह ने सामूहिक जिम्मेवारी ली है। उनके पास इस बात के लिए समय नहीं था कि वे भारत सरकार के एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को चलाने के लिए एक बहुत संवेदनशील मामले के संबंध में अपनी सामूहिक जिम्मेवारी लेते अर्थात् विदेशी बैंकों में चोरी-छुपे जमा किए गए करोड़ों रुपए के काले धन को पकड़वाते अथवा पता लगाते। यदि वे वास्तव में विदेशों में जमा किए गए इस धन का पता लगाने के बारे में गंभीर होते, तो उन्हें अति सावधान रहना चाहिए था, जिस प्रकार वे अन्य बातों को लेकर अति सावधान रहते थे। वे इस मामले को अपने दल के नेता, प्रधानमंत्री के ध्यान में ला सकते थे और उन्हें यह बता सकते थे कि "महोदय, मेरे पास यह जानकारी है।" वे इस कैबिनेट के समक्ष ला सकते थे। यदि कैबिनेट उनकी बात नहीं सुनता, यदि प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुनते, तो वे इस मामले को पार्टी में उठा सकते थे अथवा वे प्रधानमंत्री को विश्वास में ले सकते थे। इस सभा को, इस गरिमामय सभा को, भारतीय जनता की इस संप्रभुता संपन्न, सर्वोच्च सभा को विश्वास में लिया जा सकता था कि इतनी धन-राशि विदेशों में जमा की गई है। यह सज्जन किसानों, मजदूरों की भागीदारी और तथाकथित सरकारी धन की लूट के नाम पर सारे देश का चक्कर लगा रहा है, उसी मुंह से अंग्रेजों द्वारा भारत की लूट की बात करता है, तथा उसकी तुलना वर्तमान स्थिति से करता है। महोदय, क्या आप विश्वास के लिए तैयार हैं, क्या यह सभा विश्वास करने के लिए तैयार है कि ऐसा उत्साही व्यक्ति अथक उत्साह वाला व्यक्ति इस मामले

को भारत सरकार के मात्र एक संयुक्त सचिव अर्थात् श्री भूरे लाल द्वारा निपटाए जाने के लिए उसके पास छोड़ देगा तथा वह श्री भूरे लाल को उसकी इच्छानुसार मंत्रालय चलाने की अनुमति दे देगा ताकि श्री भूरे लाल व्यक्तियों के इस समूह को, जो निश्चित रूप से अपराधी है, जानकारी एकत्र करने के लिए नियुक्त कर सके और वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के कार्यों का संचालन कर सके, तथा विदेशों में जमा की गई भारी धन-राशि का पता लगाया जा सके। मैं तो कहूंगा उनका यही उद्देश्य था। मैं एक निश्चित बयान दे रहा हूं कि श्री वी० पी० सिंह और उनके दोस्त, दोनों के उद्देश्य अलग थे, जैसाकि हर्शमैन के बयानों से पता चलता है। हर्शमैन एक गुप्तचर एजेंसी का चेयरमैन है। मैं नहीं जानता कि उसकी आत्मा अचानक भारत में नैतिक मानदंडों तथा लोकतान्त्रिक संस्थाओं, राजनैतिक दलों, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, के पतन, प्रत्येक व्यक्ति के भ्रष्ट हो जाने से इतने चिंतित कैसे हो उठी, तथा उसकी आत्मा पर इस भार के कारण वह जानकारी एकत्र करना चाहता है। इस प्रकार के खतरनाक कार्य के लिए वह मात्र भारत सरकार के नियमों को स्वीकार करता है। प्रो० दंडवते, क्या आप इस सम्पूर्ण कार्य-व्यवहार को समझ रहे हैं? क्या आप वास्तव में, इस मामले के प्रति गंभीर हैं? अतः, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इस संयुक्त सचिव अथवा निदेशक, श्री भूरे लाल ने जब इस मामले को अपने हाथ में लिया, तो वस्तुतः फेयरफैक्स की नियुक्ति के निर्देशपद क्या थे? क्या एक कंपनी की जांच की जानी थी अथवा अनेक कंपनियों की? यह भी विवादास्पद है अथवा आयोग के समक्ष श्री पांडे तथा श्री भूरे लाल द्वारा परस्पर-विरोधी बयान दिए गए हैं।

तत्पश्चात्, महोदय, क्या प्रो० दंडवते श्री वी० पी० सिंह द्वारा सुप्रचारित दस्तावेज, में दिए गए बयाने को अथवा उनके दृष्टिकोण और उस चुनौती को समर्थन कर रहे हैं जो वह न्यायपालिका लगा रहे हैं? क्या हम इसका विश्वास करेंगे? प्रो० दंडवते, भूरे लाल अमरीका गया था। प्रवर्तन निदेशक एक सरकारी अधिकारी विदेशी बैंकों में छुपी करोड़ों रुपए की धन-राशि का पता लगाने के लिए विदेश जाता है, और वित्त मंत्री को इसका पता तक नहीं होता। क्या आप समझते हैं कि उन्हें इसका पता नहीं था? वे कहते हैं कि उन्हें इसका तब पता चला जब उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि ऐसा व्यक्ति या तो दोहरे व्यक्तित्व का है या उसे पता नहीं चलता कि उसके दिमाग का एक हिस्सा क्या सोचता है और दूसका हिस्सा क्या करता है अथवा वह एक बड़े षडयन्त्र का हिस्सा है तथा षडयन्त्र सिद्ध हो गया है। यदि फेयरफैक्स की जांच के साथ-साथ श्री मूलगावंकर की भूमिका की जांच की जाए तो श्री गोयनका सी० आई० ए० और सी०आई०ए० के समर्थकों के सबसे बड़े समर्थक के रूप में सामने आएंगे। हम उन महीनों को, दिनों को याद करें जब इस सभा में भ्रष्टाचार के आरोप पर सरकार की आलोचना पर हंगामे हुए करते थे, यह वह समय था जब गणतंत्र खतरे में था, जब संविधान खतरे में था, यह वही समय था तथा वही अवसर था जिसकी चर्चा की गई है और इंडियन एक्सप्रेस के भूतपूर्व सम्पादक श्री मूलगावंकर ने स्वीकार किया है कि राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार के प्रमुख के बीच हुए पत्र व्यवहार का मसौदा उनके द्वारा ही तैयार किया गया था। उक्त पत्र रहस्योदघाटन की इस सभा में भारी चर्चा हुई थी। इस प्रकार यह उन लोगों का षडयन्त्र था जो इस सरकार को निन्दात्मक तरीके से अफवाहों के आधार पर हटाना चाहते थे तथा उनका यह प्रयास इस राष्ट्र के लिए राजनैतिक अस्थिरता पैदा करना था। इस रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप से इस स्थिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का पता चलता है और उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को उन लोगों के बारे में जानने का अधिकार है जिन्होंने ऐसे नाजुक मामलों को इतनी लापरवाही या षडयन्त्रकारी तरीके

से निपटाया है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सरकार को संवैधानिक तरीके से चलाने, प्रशासकीय मानदण्डों एवं सरकार के प्रशासनिक सिद्धान्तों की रक्षा करने की शपथ ली है। यदि वे ही लोग विदेशी ऐजेंसी से सांठगांठ करके, वह भी ऐसी घृणित ऐजेंसी से, जिसने समूचे तृतीय विश्व में विघटनकारी तरीके से सरकारों को गिराया है, सत्ता हथियाने, भ्रांतिजनक तरीके से सरकार को हटाने का प्रयास करें तो उनका भण्डाफोड़ करना ही चाहिए।···मुझे खेद है, कि इससे श्री जयपाल रेड्डी को आघात पहुंचेगा परन्तु मैं कहने के लिए विवश हूं। महोदय, मैं अमेरिका से प्रकाशित एक प्रसिद्ध पत्रिका 'फोरिन एफायरस' को पढ़कर सुनता हूं। यह लेख सी० आई० ए० के सलाहकार श्री पॉल क्रीसबर्ग द्वारा लिखा गया है। यह लेख 1985 में प्रकाशित हुआ। यह लेख "इंडिया आफ्टर इंडिया" नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यदि आप इस लेख को पढ़ेंगे तो आपको श्री वी० पी० सिंह के सारे कारनामों का पता चल जाएगा। हार्डग्रेव रिपोर्ट इस सभा में प्राप्त हुई थी। मैंने उक्त रिपोर्ट के बारे में उसी समय चर्चा की थी। इन्दिरा गांधी की सम्भावित हत्या पर यह रिपोर्ट अमेरिका विदेश विभाग द्वारा तैयार की गई थी। मैंने उस रिपोर्ट से उद्धृत किया था जिसमें उन सभी स्थितियों का वर्णन किया गया था कि भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे, भारत विखंडित हो जाएगा। इस बात का समर्थन बाद में श्रीमती कीपैट्रिक ने अपने प्रसिद्ध शोध प्रबन्ध में भी किया है। श्री क्रीसवर्ग के लेख में कहा गया है :

"लेकिन उन्होंने (राजीव गांधी) अपने सामान्य आयु वर्ग में श्री वी०पी सिंह जैसे, जोकि अपनी 45-46 वर्ष की आयु में एक आकर्षक और चतुर कांग्रेसी सांसद हैं, परम्परागत राजनीतिज्ञों को भी बढ़ावा दिया है। राजीव गांधी के वित्त मंत्री श्री सिंह ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के 1980 के बाद के शासन काल में कई मंत्री पदों पर कार्य किया तथा हाल के चुनावों में महत्त्वपूर्ण उत्तरी भारत राज्य उत्तर प्रदेश में, जिसमें 119 मिलियन की जनसंख्या तथा 84 संसदीय सीटें हैं, कांग्रेस की विजय का नेतृत्व किया। उनका जनता से गहन सम्पर्क है जिसका प्रधान मंत्री में, भारतीय मतदाताओं से उनकी भावनात्मक अपील के बावजूद, अभाव है और फिर भी वे ईमानदार, सक्षम तथा आधुनिक सरकार के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। सिंह वह व्यक्ति हैं जिनसे भविष्य में अपेक्षा की जा सकती है।"

इससे अनुवर्ती घटनाओं का काफी पता चलता है। उस व्यक्ति ने जो विरोधी था तथा सदा कांग्रेस (आई) का विरोधी रहा है, एक षडयंत्र रचा।

प्रो० मधु दंडवते : एक लेख में आपका भी जिक्र किया गया था।

प्रो० के०के० तिवारी : महोदय, उस समूचे नाटक का, विदेशी ताकतों की सहायता से अस्थिरता पैदा करने वाले उस नाटक के पात्रों का तथा हमारी पार्टी के ही उन लोगों का जिन्होंने उनके सुझाव को गम्भीरता से लिया, पर्दाफाश हो चुका है। ऐसा सम्भव है कि एक एजेंसी हो तथा उनके लिए काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप हो। अन्यथा इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि श्री वी०पी० सिंह जैसा व्यक्ति सारे देश में घूमकर विदेशी बैंकों में करोड़ों रुपया जमा होने की बात करता है। उन्होंने एक भारी दिखावा करके भारत सरकार के संयुक्त सचिव को मौखिक रूप से यह काम सौंपा। इस धन का पता कैसे लगाया जाएगा इसके लिए उनके पास कोई विचार नहीं था। उसके बाद कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सारा कारनामा एक बहुत बड़ा जाल था, एक स्वांग था, एक दिखावा था तथा इसका एकमात्र प्रयोजन भारत सरकार तथा प्रधान मंत्री के

विरुद्ध प्रचार करना था। इस प्रकार महोदय यह काफी लम्बे समय तक चलता रहा। अब मैं आपको श्री हर्शमैन के बारे में बताता हूं—यदि मैं प्रो० मधु दण्डवते का तर्क मान लूं कि वास्तव में हर्शमैन ही आए थे तथा वह अपने वास्तविक नाम हर्शमैन से ही आए थे, उन्होंने कोई गुप्त यात्रा नहीं की थी तो श्री भूरे लाल, गुरुमूर्ति तथा नुसलि वाडिया को उनसे पार्कों तथा होटलों में मिलने की क्या आवश्यकता थी ? महोदय, श्री वी०पी० सिंह ने अपने वक्तव्य में तथा इन अधिकारियों ने भी बताया है कि यह एजेंसी क्यों नियुक्त की गई ? उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विदेशों में भारतीय दूतावासों से सूचनाएं गुप्त रूप से आगे दे दी जाती हैं इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध पर विश्वास नहीं किया जा सकता। संसद पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और प्रधान मंत्री पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि आप इसका विश्लेषण करें तो उनका कहना है कि सरकारी एजेंसियां सरकारी गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए विदेशी एजेन्सी की आवश्यकता पड़ी। महोदय, श्री वी०पी० सिंह तथा उनके सहयोगियों के अनुसार, जो वित्त मंत्रालय में इस मामले पर कार्यवाही कर रहे थे, हमारे कार्यकरण की सारी पद्धति अविश्वसनीय हो गई थी। अब विपक्ष में उनके समर्थकों को देखिए। इसलिए मेरा कहना है कि जिस व्यक्ति को अपने तन्त्र में विश्वास ही नहीं है—तो वित्त मंत्रालय में प्रतिदिन गोपनीय कार्यवाहियां कैसे निभायी जाती हैं ? वे फाइलों में दर्ज नहीं किया जाता और जैसा सभा के वरिष्ठ सदस्य और भूतपूर्व मंत्री श्री आजाद ने बताया—मैं मौखिक आदेशों के आशय में नहीं जाना चाहता। लेकिन महोदय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 'षडयन्त्रकारी वातावरण', अत्यंत गोपनीयता जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए मेरा कहना है कि सारी कार्यवाही एक सुनियोजित बड़े षडयंत्र का हिस्सा थी। अन्यथा श्री भूरेलाल अथवा श्री वी०पी० सिंह उक्त तथ्यों की जांच के लिए कम से कम अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध को जरूर कहते। उन्हें वहां भारतीय दूतावास पर विश्वास करना चाहिए था, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार जो कुछ भी करती है वह उसके लिए इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। श्री वी०पी० सिंह के प्रशंसक अब सब प्रकार के बेकार बेतुके तथ्यों को प्रस्तुत करते फिर रहे हैं और अपने अनर्गल तर्कों को बार-बार दिए जा रहे हैं। यदि कोई बात होती है और सरकार सभा में पूरा ब्यौरा लेकर पेश नहीं होती है तो तुरन्त सरकार की निन्दा की मांग की जाती है, सभा में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। आज यहां एक ऐसा व्यक्ति है भूतपूर्व मंत्री है जो अब चारों ओर मसीहा की तरह मुक्तिदाता की तरह घूम रहा है। वह हरेक व्यक्ति से एक सशक्त नया समाज देने का वायदा कर रहा है और विपक्ष उसका पिछलग्गू बना हुआ है क्योंकि भविष्य में इससे ही कुछ हासिल कर सकते हैं। वामपंथी चाहते हैं कि वह हमारी तरफ मिल जाए। दक्षिण पंथी भी उसे अपनी ओर खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति उस व्यक्ति के लिए हो रही है जो एक भूतपूर्व मंत्री है जिसने कभी सब प्रशासनिक मानदंडों की बात की थी, जो शासकीय सिद्धांतों की बात किया करते थे तथा प्रधान मंत्री से लेकर अवर सचिव स्तर तक, उच्चतम न्यायालय तथा संसद तक प्रत्येक स्तर पर एक समुचित जिम्मेदारी की बात किया करते थे। क्या आप यह समझते हैं कि श्री वी०पी० सिंह जो एक मुख्य मंत्री थे, जो केन्द्र में मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री थे, जिन्होंने कई महत्त्वपूर्ण ओहदों पर काम किया, इन सब बातों से बेखबर हैं ? क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं ?

अब एक और सवाल उठाया गया है, जिसमें पुन: पूरे मामले से हटने का प्रयास किया गया है। आयोग के वास्तविक जांच को, निर्णय को गड़बड़ाने का प्रयास किया गया है। और अब राजनैतिक प्रचार जोरों पर है और इसी झूठी अफवाह से सरकार को बदनाम किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस एजेंसी से अपना अनुबन्ध तोड़ने में विलम्ब क्यों किया गया ? फेयरफैक्स एजेंसी को 6 जनवरी को अनुबन्धित किया गया था। इससे पहले की बात मैं नहीं जानता, इसे श्री तिवारी जी बताएंगे। इससे पहले शायद यह कम्पनी कुछ भारतीय कम्पनियों, मुख्यत: विदेशी राष्ट्रिक श्री नुसली वाडिया के लिए कार्य कर रही थी। मैं उसे भारत-विरोधी नहीं कहूंगा क्योंकि वह भारतीय नहीं है। उनकी गतिविधियां भारत-विरोधी के बजाय "राष्ट्र-विरोधी" के अन्तर्गत आती हैं। वे उसके लिए काम कर रही थी। एकाएक 6 जनवरी, 1987 को उन्हें नियुक्त किया गया अथवा अनुबन्धित किया गया। उसके बाद श्री भूरे लाल दौरे पर अमेरिका गए और शायद वहां उन्होंने कुछ अन्य कम्पनियों से भी सम्पर्क किया। 10 फरवरी को श्री पांडे, तत्कालीन राजस्व सचिव को इसकी जानकारी मिली क्योंकि श्री भूरे लाल एक महीने बाद अपने दौरे से लौटने के बाद अपने दौरे का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तदुपरांत श्री वी०पी० सिंह मार्च के प्रथम सप्ताह में, जब वे रक्षा मंत्री थे, एकाएक जागते हैं उन्हें महसूस होता है। मैं समझता हूं उस मंत्री के लिए उस विभाग से फाइल मंगाना प्रशासनिक मानदंडों के तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के विपरीत है जिस विभाग से उसका कोई संबंध नहीं है। यदि श्री वी०पी० सिंह की धारणा में सच्चाई थी तो वे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते थे, "हां, मौखिक रूप से मैंने आदेश दिए थे।" लेकिन जब वे वित्त मंत्रालय में थे तो वहां उक्त आदेश देना आवश्यक क्यों नहीं समझा गया ? और अब कार्य संचालन संबंधी सभी मानदंडों तथा नियमों की अवहेलना कर फाइ को मंगाना क्यों आवश्यक हो गया था ?

प्रो० मधु दंडवते : अधिकारियों को अत्याचार से बचाने के लिए।

प्रो० के०के० तिवारी : श्री वी०पी० सिंह द्वारा प्रधान मंत्री को इस बारे में मार्च में सूचित किया गया था। मैं सभा से निवेदन करता हूं कि अब इस बीच, हर्शमैन देवदूतों जैसी बातें करने लगा और वह भारत के प्रत्येक संस्थान को चुनौती दे चुके हैं।

श्री दण्डवते जी, आप चाहे सही हों या गलत, चाहे अच्छे हों या बुरे, इस संस्था का निर्माण भारतीय जनता द्वारा, आप जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा और भारत में अन्य लाखों लोगों द्वारा किया गया है। अगर यह संस्था श्री हर्शमैन और विदेशों में उसके संरक्षकों जैसे व्यक्तियों के ऐसे प्रहार के कारण नष्ट हो जाता है तो वह दिन इस देश के लिए सबसे बुरा दिन होगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह नष्ट नहीं होगा क्योंकि यह श्री हर्शमैन से अधिक मजबूत है। चिन्ता मत कीजिए।

प्रो० के०के० तिवारी : लेकिन, हर्शमैन वक्तव्य दे रहे हैं और वक्तव्य अमरीका से आ रहे थे। भारतीय समाचार-पत्र छाप रहे थे और इस सभा के सामने श्री हर्शमैन के वक्तव्यों पर चर्चा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं था।

श्री भगवत झा आजाद : विपक्ष इसे उठा रहा था।

प्रो० के०के० तिवारी : श्री हर्शमैन सम्पूर्ण देश के लिए देवदूत था जैसे यह हमारे राजनैतिक

चिन्तन को दिशा दे रहा हो। अब वह कहते हैं कि "यह जांच आयोग निरर्थक है।" वह कहते हैं, "जनता जितना सोचती है, मैं इससे कहीं अधिक रहस्योद्घाटन करूंगा।"

प्रो० मधु दण्डवते का यह कहना रिकार्ड में दर्ज है कि "भारत में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे ऐसे आयोग का अध्यक्ष बनना चाहिए तो वह है श्री वी०पी० सिंह है।"

श्री वी०पी० सिंह तब अस्वीकृति का एक शब्द भी नहीं बोले थे लेकिन सम्पूर्ण देश की निन्दा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही थी जिसका पूर्ववृत्त अज्ञात है और ऐसे घने रहस्यों से घिरा है। यह व्यक्ति हमारी संस्थाओं के बारे में, हमारे राजनैतिक दलों के बारे में और हमारी सरकार के बारे में इस प्रकार बोल रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : अभी तक उन्होंने श्री हर्शमैन के विरुद्ध एक भी वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह श्री हर्शमैन के व्यवहार की निन्दा कर चुके हैं।

श्री भागवत झा आजाद : नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने श्री हर्शमैन की अपेक्षा श्री वी०पी० सिंह पर अधिक आरोप लगाए हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उनमें श्री वी०पी० सिंह जैसी हिम्मत नहीं है।

प्रो० के०के० तिवारी : मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा उठाए गए अनावश्यक मुद्दे 8(ख) और 8(ग) के बारे में कुछ कहता। लेकिन मैं यह बात अपने मित्र के लिए छोड़ रहा हूं जो इस बारे में बाद में बोलेंगे।

तब संविदा को समाप्त क्यों नहीं किया गया था। क्योंकि इसी बीच, सभा की स्वीकृति से इस आयोग की नियुक्ति की गई थी और एक बार आयोग की नियुक्ति होने पर, यह निर्णय करना आयोग पर निर्भर हो जाता है कि वह इस फेयरफैक्स कम्पनी और श्री हर्शमैन के साथ कैसा व्यवहार करता है। उनके लिए उससे पूछताछ करना और आगे सूचना प्राप्त करना बिल्कुल सम्भव था। अतः यह बात इस आयोग पर छोड़ दी गई थी। इसके बाद, फेयरफैक्स कम्पनी की सेवाएं समाप्त करना भारत सरकार के हाथ में नहीं था और जब षड्यन्त्र के वास्तविक आयाम का पता चला और सामने आया तब भारत सरकार भी यह जानने के लिए सतर्क और सावधान हो गई कि श्री हर्शमैन का मामला क्या है और हर्शमैन के सम्बन्ध क्या-क्या हैं और क्या घटित हो रहा है जो दुर्भाग्य से प्रकट हो चुका है, जैसाकि श्री नम्बूद्रीपाद इस आयोग के बारे में कह चुके हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : जब जांच जारी थी, उस दौरान आयोग को समाप्त कर दिया गया था।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सेलम) : आयोग की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि आयोग की स्वीकृति मांगी गई थी तो इसे सरकार द्वारा समाप्त किया जा चुका होता।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : वैधानिक स्थिति क्या है, आप कृपया बताइए। सरकार आयोग की अनुमति के बिना इसे समाप्त क्यों नहीं कर सकी ?

प्रो० मधु दंडवते : वह लोक लेखा समिति के सभापति हैं ।

श्री अमल दत्त : वह प्रमाणित किए बिना कुछ शुष्क वक्तव्य देते हैं । वह प्रमाणित करने के लिए अवश्य ही समर्थ होने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसने जो भी कहा था, आप उसमें सुधार कीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

प्रो० के०के० तिवारी : श्री दण्डवते चाहते हैं कि हम इस पर विश्वास करें चूंकि मेजबानी की गई थी, इसलिए श्री हर्शमैन के बारे में मामला यहीं खतम हो गया । श्री हर्शमैन मेजबानी के लिए नहीं थे, धन के लिए नहीं थे । प्रो० दण्डवते, श्री हर्शमैन कुछ इससे बड़े काम के लिए थे । षड्यन्त्र का आयाम अब सामने आ गया है कि यह एक व्यापक षड्यंत्र था । राज्याध्यक्ष के पत्र एक स्तम्भ लेखक द्वारा, एक विश्वसनीय भरोसेमन्द मित्र द्वारा जो भूतपूर्व सम्पादक थे और अब श्री गोयनका के एक कर्मचारी हैं, लिखे जाते रहे थे और उस पर आपने सरकार की बर्खास्तगी की मांग की थी। उसी समाचार पत्र, इंडियन एक्सप्रेस और उसी लेखक ने हैरीटेज फाऊन्डेशन और विश्व बैंक से संबंध रखने वाले धन लोलुप पत्रकार ने राज्याध्यक्ष को राजीव गांधी की सरकार बर्खास्त करने को कहा, हालांकि हमारी इस सभा में 415 सदस्यों का भारी बहुमत है । यह···भाग था···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे बारे में ईमानदारी बरतें । मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि संविधान के उपबन्ध के अनुसार, सरकार को जब तक संसद का विश्वास प्राप्त है, राष्ट्रपति तक को इसे बर्खास्त करने के लिए उस खण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए । मैंने ऐसा सार्वजनिक रूप से कहा था।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि मेरे सी० पी० एम० मित्र····· (**व्यवधान**) प्रो० दण्डवते, मैं पोलितब्यूरो को उद्धृत करता हूं, मैं इस बारे में उन पर दोष नहीं डालता । वह बहुत ही धीमे स्वर मे बोले थे लेकिन इस आधार पर···

प्रो० मधु दण्डवते : कठोरता के साथ···

प्रो० के० के० तिवारी : लेकिन उसी लेखक के आधार पर और, पुनः, वही समाचार-पत्र, वही पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस में लेख के बाद लेख छाप रहा है । अतः, मैं बताता हूं कि क्या घटित हो रहा था । इस समय, सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, भारत में तथाकथित वामपन्थी, मैं श्री दण्डवते की तरह नहीं कहता, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आपने कहा था कि फेयरफैक्स सी० आई० ए० की इकाई है और यह सी० आई० ए० को लगाना एक राष्ट्रविरोधी गतिविधि थी । अपने संपूर्ण पोलितब्यूरो प्रस्ताव के बारे में कहा था···(**व्यवधान**) और मैं उद्धृत कर चुका हूं। लेकिन क्योंकि आप नहीं जानते···(**व्यवधान**) मुझे पोलितब्यूरो के बारे में और वहां क्या घटित हुआ, इस बारे में कुछ अधिक नहीं कहना है···(**व्यवधान**)

अतः उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि श्री वी० पी० सिंह अब···

एक माननीय सदस्य : राजऋषि···

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, राजऋषि या ब्रह्मऋषि या उदीयमान राम राज्य या वह जो भी कर रहे हैं, वह उनका स्वाभाविक साथी है। यह मेरे प्रिय साम्यवादियों का भारत के वामपंथी दलों का पुराना इतिहास है। वे गलत समय पर गलत साथी चुनते हैं। वर्ष 1941-42 में, उनका स्वाभाविक मित्र ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे···(**व्यवधान**)

इस समय, यह श्री वी० पी० सिंह के साथ है जिसने सी० आई० ए० को नियुक्त किया है या मैं अवश्य कहूंगा कि सी० आई० ए० के साथ गुप्त सहयोग किया है। वह उनका स्वाभाविक साथी है।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : उनका साथी कौन है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : श्री वी० पी० सिंह और आप। (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : श्री नम्बूद्रीपाद आगे स्पष्ट करते हैं जिससे सारा राजनैतिक दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है···(**व्यवधान**) वह कहते हैं : "उन्होंने मंत्री के रूप में जो किया मैं उस पर नहीं जा रहा हूं वह आज क्या कर रहे हैं। मैं उस दृष्टिकोण से उनका मूल्यांकन कर रहा हूं।" आप कृपया इसे देखिए। यह सी० पी० एम० का रुख है। यह वामपंथियों का रुख है। मंत्री के रूप में उन्होंने गुप्त समझौता किया और उन्होंने सी० आई० ए० को नियुक्त कर दिया। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : महोदय, वह क्या कह रहे हैं ? (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। मेरे वामपंथी मित्र कह रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : यदि किसी को समझना है तो उसे अपना मुंह बन्द रखना होगा और आंखें खुली रखनी होंगी।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक दिमाग ना सम्बन्ध है, प्रश्न ही नहीं उठता। (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : इस समय, श्री वी० पी० सिंह ने मंत्री के रूप में जो कुछ किया, इस पर ध्यान देना है। यही हर्शमैन करता है; यही हर्शमैन का परामर्शदाता करता है; ये एजेन्सियां अस्थिरता पैदा करने के लिए क्या-क्या करती हैं···(**व्यवधान**) महोदय, आज वर्तमान परिस्थितियों में, हमारी सीमाओं पर बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, सभी प्रकार के आक्रमणों का—पिछले गत एक वर्ष से—हम सामना कर रहे हैं और इसके साथ-साथ इन शक्तियों द्वारा आन्तरिक गड़बड़ियां, जातिगत, भाषायी और क्षेत्रीय हिंसा बहुत मात्रा में फैलाई जा रही है। इसलिए हमें इन मुसीबतों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसी एजेन्सियों तथा ऐसे व्यक्तियों ने सारे संसार में अपने गम्भीर प्रचार से सरकार को गिराया ही हैं। यदि श्री वी० पी० सिंह मूलरूप से ईमानदार ही होते···(**व्यवधान**) वहां कम्पनी का नाम दिया गया है। मैं यह सवाल श्री नारायण दत्त तिवारी, वित्त मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं जिनकी योग्यता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनके मंत्री के रूप में लम्बे अनुभव पर किसी को अशंका नहीं हो सकती तथा जिनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। वित्त मंत्री

महोदय इन आरोपों की झड़ी से आप किस तरह निपटेंगे ? जैसाकि मैंने शुरू में कहा कि यह एक सिविल अथवा अपराधिक जांच आयोग नहीं था, इसमें तथ्यों का पता लगाया जाना था। आयोग ने नुसली वाडिया जैसे व्यक्ति के सम्पर्कों का पर्दाफाश किया—वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है—आपको मालूम होगा कि उनके सम्पर्क पाकिस्तान में, अमेरिका में तथा उन कम्पनियों से है जिनमें इन्होंने पैसा लगाया है। श्री नुसली वाडिया ने बैंक का 500 करोड़ रुपया लौटाना है, उन पर संसद सदस्यों ने कई आरोप लगाए हैं। मैं यह पत्र पढ़कर सुनाता हूं और मैं ससझता हूं कि यदि वित्त मंत्री जी के पास तथ्य हैं वे इन आंकड़ों पर आपत्ति कर सकते हैं। श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1985 से 1986 तक एक वर्ष के लिए जब पाराम्सीलीन आयात शुल्क की पूर्ण रियायत दी गई थी, उन्होंने 15 करोड़ रुपया अर्जित किया। दूसरे निर्णय में, डी० एम० टी० का उत्पादन करने के लिए प्रतिकारी-शुल्क समाप्त कर दिया गया जिसके फलस्वरूप उन्होंने 9 करोड़ रुपया अर्जित किया। एक दूसरे निर्णय में डी० एम० टी० आयात को ओ० जी० एल० से परिशिष्ट III में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा स्वदेशी माल के मूल्य में 1500 रुपए प्रतिटन की वृद्धि कर दी गई जिससे उन्होंने 10 करोड़ रुपया अर्जित किया। एक और निर्णय में पी० टी० ए० पर आयात शुल्क 140 प्रतिशत से बढ़ाकर 190 प्रतिशत कर दिया गया जिसमें उन्होंने 9 करोड़ रुपया बनाया। पी० टी० ए० पर आयात शुल्क में प्रति किलोग्राम 3 रुपया की वृद्धि की गई जिसमें उन्होंने 18 करोड़ रुपया बनाया। पाराक्सीलीन आयात शुल्क में 40 प्रतिशत की कटौती पर उन्होंने 20 करोड़ रुपया बनाया···

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर)। कम्पनी का मुख्य शेयरधारी कौन है ? **(व्यवधान)**

के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय यह कम्पनी नुसली वाडिया की है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कम्पनी का नाम क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : ये सब रियायतें दि बम्बई डाइंग कम्पनी को मिली···**(व्यवधान)** और ये सब रियायतें श्री नुसली वाडिया को दी गई क्योंकि उनकी श्री रामनाथ गोयनका से मिलीभगत थी और उनके समाचार पत्र श्री वी० पी० सिंह की तरफदारी कर रहे थे तथा ये सी० आई० ए० और श्री हर्शमैन के षड्यन्त्र पर चल रहे थे। इस व्यक्ति को यह लाभ दिया जा रहा था क्योंकि यह इस देश की राजनैतिक अस्थिरता के लिए धन दे रहा था। इसलिए मेरा आरोप है कि श्री वी० पी० सिंह वित्त मंत्री के रूप में इन सब घटनाओं से बेखबर नहीं थे और उन्होंने सरकार को गिराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया···**(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो० के० के० तिवारी : इस आयोग ने क्या किया है ? इस आयोग ने एक आश्चर्यजनक कार्य किया है। इस आयोग ने विशेषकर एक षड्यन्त्र की पोल खोल दी है। अब श्री वी०पी० सिंह तथा उनके सहयोगियों के चेहरे से नकाब उठ गया है···**(व्यवधान)** मैं दिल से आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करता हूं तथा श्री नारायण दत्त तिवारी और भारत सरकार से श्री नुसली वाडिया के पासपोर्ट को जब्त करने सम्बन्धी कदम उठाए जाने की अपेक्षा करता हूं—वह एक विदेशी राष्ट्रिक है—ताकि वह देश से बाहर न भाग सके।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री अमिताभ बच्चन भी।

प्रो० के० के० तिवारी : हां, उक्त मामले को भी जांच की जानी चाहिए। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि उनकी जांच पहले ही हो चुकी है।

इसलिए श्री नुसली वाडिया पर लगाए गए सभी आरोपों की श्री गुरुमूर्ति के अपराधिक दायित्व की तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों की गहराई से जांच की जानी चाहिए तथा राष्ट्र की सुरक्षा को बचाया जाना चाहिए। इन सब व्यक्तियों का जिनके मुखिया श्री वी० पी० सिंह तथा जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता किया जनता के समक्ष पर्दाफाश करना चाहिए**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उन्होंने बम्बई ड्राइंग के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। मैं उन आरोपों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : लेकिन, महोदय, उन्होंने बिना किसी आधार के श्री वी० पी० सिंह पर आरोप लगाए। ये बेतुके आरोप हैं जिनकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए···मैं एक विनिर्णय चाहता हूं। यदि उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाता है तो हम ऐसे हजारों मामले बता सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आरोप हो···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह श्री वी० पी० सिंह को** रूप में पेश कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, यदि इसमें कोई आरोप लगाया गया है तो मैं इसकी जांच करूंगा। यदि यह इस दायरे से बाहर की बात है तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ? पहले मैं आपका मामला ही निपटाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आरोप है तो मैं उसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे श्री वी० पी० सिंह पर एक वाद-विवाद कह सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री तिवारी ने ठीक ही कहा कि बम्बई डांइग के द्वारा इस देश का करोड़ों रुपया लूटा गया है। क्या सरकार अब खुलकर इसकी जिम्मेदारी लेती है कि इस देश को लूटा गया है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : एक पर तो मुकदमा चला दिया और दूसरे को मन्त्रिमण्डल में बिठा दिया।

श्री बी० सोभनाद्रीश्वर राव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान साथियों—श्री इन्द्रजीत गुप्त और प्रो० मधु दण्डवते ने सविस्तार रिपोर्ट पर चर्चा की। अब उसके कुछ पहलुओं पर ही मैं बोलना चाहता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम मुझे यह कहना है कि न्यायमूर्ति ठक्कर-नटराजन जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से सारा राष्ट्र विक्षुब्ध है। इस आयोग ने जिसका गठन दो वर्तमान न्यायाधीशों से किया गया था 8 माह का समय लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वे नई कौन-सी बातें हैं जिन्हें इस आयोग द्वारा प्रकाश में लाया गया है ? कुछ ही दिन पहले इस सभा को बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय में लाखों मामले लम्बित पड़े हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : कई लाख मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े हैं और जबकि कई प्रतिष्ठित न्यायाधीश और भी हैं। सरकार ने दो वर्तमान न्यायाधीशों को ही नियुक्ति किया तथा 8 महीने के कीमती समय के बाद देश को एक अत्यन्त निराशाजनक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

महोदय, रिपोर्ट से सिवाय उन बातों के जो कि आयोग के गठन से पहले ही ज्ञात थी, कोई भी नई बात मालूम नहीं हुई है। विदेशी गुप्तचर एजेंसी की सेवाएं लेने के बारे में आयोग ने यह निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार की सेवाओं से राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। महोदय, यह देखकर बहुत दुःख होता है कि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। मैं आपका ध्यान रिपोर्ट में अध्याय 15, पृष्ठ 266 में आयोग की विचारधारा पर दिलाना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है :

> "क्या किसी कम्पनी का चोरी करके अथवा उसके कर्मचारियों को रिश्वत देकर उसका रिकार्ड प्राप्त किया जा सकता है ? अथवा उस व्यक्ति को जिससे सूचना प्राप्त की जानी है ब्लैकमेल करके सूचना प्राप्त की जा सकती है ? इस बात पर आश्चर्य होता है कि एक विदेशी गैर-सरकारी गुप्तचर एजेंसी को अनुबन्धित करके क्या विशेष उपलब्धि हांसिल हो पाएगी। यदि विदेशों में स्थापित व्यवसायों की कोई जांच करने अथवा उनसे कोई सूचना प्राप्त करने में कोई औचित्य है तो यह प्रयोजना राजनयिक माध्यमों से तथा कानूनी साधनों द्वारा सूचना एकत्र करके हल किया जा सकता है। यदि एक देश की सरकारी एजेंसियां, जिसके साथ हमारे राजनयिक संबंध हैं, अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं कर सकती तो गैर-सरकारी गुप्तचर एजेंसियां ऐसा कैसे कर सकती हैं ? और एक ऐसे देश के बारे में जिसके साथ भारत के राजनयिक और व्यापारिक संबंध है, यह सोचना बड़ा कठिन है कि वह भारतीय अधिकारियों को देश के कानून का उल्लंघन किए बिना वैधानिक तरीके से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में सहयोग देने से इन्कार करें। और निश्चित रूप से भारत उस देश से जिससे उक्त सूचना प्राप्त की जानी है, अत्यन्त गोपनीय तरीके से वह सूचना प्राप्त नहीं करना चाहेंगे।"

आयोग की विचारधारा इस प्रकार की है। यह एक कसाई को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के सिवाय

कुछ भी नहीं है जो रोजमर्रा कई बकरों को हलाल करता है। जहां इस तरह की विचारधारा हो, क्या सरकार को सूचना प्राप्त हो सकती है ? क्या इसे पहले कोई सूचना मिली है ?

7.00 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

क्या आपको विश्वास है कि यह सरकार विभिन्न औद्योगिक घरानों के संबंध में, जो हमारे देश के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके अपनी परिसम्पत्तियां और पूंजी विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त कर सकती है ? हाल ही में एक परेशानी भरी रिपोर्ट आयी है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अध्ययन के अनुसार स्विस बैंकों में वर्ष 1985 के अन्त तक भारतीय जमा राशि 1322 करोड़ रुपया थी और अकेले वर्ष 1985 में इनमें 373 करोड़ रुपए की भारतीय धनराशि जमा की गई—जो कि हाल के पिछले वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष से सबसे अधिक थी।

क्या यह सही नहीं है कि अपनी घृणित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीयों द्वारा ...ारों करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में जमा किए गए हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के प्रयास अब तक वैधानिक तरीके से उक्त सूचना को प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पिछले समय में ऐसे प्रयासों को कोई सफलता नहीं मिली और यही कारण है कि उक्त प्राधिकारियों ने विदेशी गुप्तचर एजेंसियों की सहायता लेना उपर्युक्त समझा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभा की कार्यवाही 7 बजे म० प० तक चलाने का निर्णय लिया गया था। अब सभा की कार्यवाही को देखते हुए इसका समय बढ़ा सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : सभा की कार्यवाही 8 बजे म० प० तक चलाने का निर्णय लिया गया था और इसके बाद भी आवश्यकता हुई तो हम इस चर्चा के समाप्त होने तक सभा की कार्यवाही चलाएंगे। मैं सभी संसद सदस्यों को 8 30 अथवा 8.45 बजे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करती हूं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, आयोग ने अपने इस निर्णायक बात पर तत्कालीन सचिव (राजस्व) श्री वी०सी० पांडे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर की है। उन्होंने 26 जून, 1987 को धारा 5(2) के अंतर्गत मांगे गए अपने जवाब में विदेशी गुप्तचर एजेंसी को अनुबंधित करने के प्रयोजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

"1 सितम्बर/अक्तूबर, 1986 में वित्त मंत्रालय में तत्कालीन राजस्व सचिव श्री पांडे ने आर्थिक अपराधियों के संबंध में जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के, जहां भारत से बाहर जांच करने की आवश्यकता पड़ रही थी, समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में तत्कालीन वित्त मंत्री (श्री वी० पी० सिंह) से वार्तालाप आरम्भ की। एक विदेशी गैर-सरकारी गुप्तचर एजेंसी को अनुबंधित करने की आवश्यकता विगत समय के अनुभव के परिप्रेक्ष्य में महसूस की गई क्योंकि विगत समय में कुछ मामले विदेशों से अपेक्षित सामग्री प्राप्त करने की असमर्थता के कारण असफल हो गए। उनके अनुसार श्री वी० पी० सिंह ने उन्हें ठोस प्रमाण प्राप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एक विदेशी

गुप्तचर एजेंसी की सेवाओं को लेने की मौखिक मंजूरी दी थी बशर्ते उस एजेंसी को भुगतान इस प्रकार का प्रमाण उपलब्ध होने पर ही किया जाए। यह मंजूरी रिलायन्स की जांच से संबंधित थी। लेकिन उस स्तर पर किसी विशेष गुप्तचर एजेंसी का उल्लेख नहीं था।"

इस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य द्वारा भूतपूर्व वित्त मंत्री की आलोचना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यवाही वृत्तान्त से इसे निकाल देना चाहिए। यह बेतुका और अनुचित है। एक भूतपूर्व वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है कि अपेक्षित सूचना एकत्र करने के लिए एक विदेशी एजेंसी को अनुबंधित करना भारत सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने भी 30 मार्च, 1987 को यही बात कही थी जो 31 मार्च, 1987 को इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई थी। मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "यह कोई नई या अप्रत्याशित बात नहीं है। मेरे वित्त मंत्री काल में भी एक विदेशी एजेंसी अनुबंधित की गई थी।"

उन्होंने बताया कि जब श्रीमती गायत्री देवी ने अमेरिका में अपने जेवरातों की चोरी की रिपोर्ट की तो सरकार द्वारा 1975 में एक विदेशी एजेंसी को श्रीमती गायत्री देवी की परिसम्पति की जांच करने के लिए कहा गया था। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि जरूरत पड़ने पर किसी विदेशी जांच एजेंसी को सूचना एकत्रित करने के लिए कहना कोई नई बात नहीं है।

श्री भूरे लाल द्वारा भारतीय राजदूत को सूचना न देने की कार्यवाही के संबंध में दूसरे पक्ष के एक जाने-माने सदस्य ने हमारे दूतावास को इस तरह अंधेरे में रखने की आलोचना की है। इस बारे में तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक ने स्पष्ट कहा है कि :

> "यह उनका अनुभव था कि जब भी उन्होंने राजदूतों से पूछताछ की तो संबंधित पक्षों को इस बारे में जानकारी हो गई है और इसी कारण उन्होंने राजदूत को फेयरफैक्स के बारे नहीं बताया।"

इन तथ्यों के अलावा आयोग का यह कथन है कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है। क्या हमारे देश की सुरक्षा तब खतरे में नहीं थी जब कि हमने एक तकनीकी समिति की सिफारिशों के विरुद्ध बोफोर्स हाबिटजर तोप खरीदने का निर्णय लिया। जैसाकि मेरे मित्र, श्री उन्निकृष्णन कुछ दिन पहले ही बता चुके हैं कि इस समिति के 15 सदस्यों ने उन तोपों को खरीदने की सिफारिश नहीं की है।

श्री पी० चिदम्बरम : क्या आपने फील्ड मार्शल मानेक शा के वक्तव्य का अध्ययन किया है ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या तब देश की सुरक्षा खतरे में नहीं थी जब एक प्राइवेट विदेशी एजेंसी को प्रधान मंत्री की सुरक्षा हेतु कर्मचारी लाने के लिए नियुक्त किया गया था ? क्या देश की सुरक्षा तब खतरे में नहीं होती है जब दूसरे विभाग कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों की मदद लेते हैं ? क्या देश की सुरक्षा तब खतरे में नहीं होती जब हमारे आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य विदेशी राष्ट्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है ? क्या आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया जाना चाहिए ? श्री भूरे लाल तथा श्री वी० सी० पांडे द्वारा दी गई जानकारी के बावजूद भी आयोग का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है।

यह भी स्पष्ट बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा फेयरफैक्स को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तब भी आयोग को यह टिप्पणी करने की क्या वजह थी कि देश की सुरक्षा खतरे में है। इस आयोग की रिपोर्ट उन बड़े औद्योगिक गृहों या व्यापारिक गृहों के लिए ही सुखद समाचार है जिनकी अपार सम्पति या धनराशि विदेशी बैंकों में जमा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग द्वारा धारा 5(2) के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के जवाब में विस्तृत ब्यौरा दिए जाने के बावजूद भी आयोग ने श्री वी० पी० सिंह (भूतपूर्व वित्त मंत्री), श्री वी० सी० पांडे तथा श्री भूरे लाल (प्रर्वतन निदेशक) पर प्रतिकूल टिप्पणी की है।

मैं टिप्पणी करने के लिए बाध्य हूं कि आयोग ने जांच अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जनता सोच रही है कि इन वर्षों में आयोग कुछ ऐसे व्यक्तियों, जो उच्च निष्ठा तथा इमानदारी के लिए माने जाते हैं, पर आक्षेप लगाने तथा कीचड़ उछालने के लिए सत्ता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गया है। क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री को तथा अन्य उन दो अधिकारियों को सर्वोत्तम कार्य करने के लिए यही सम्मान दिया गया है जो कि दृढ़ संकल्प तथा लगन से काला धन वसूल करने के लिए "फेरा" अपराधियों तथा आर्थिक अपराधियों का सामना कर रहे थे ? क्या हमें कई बड़ी कम्पनियों तथा व्यक्तियों द्वारा "फेरा" उल्लंघन करने सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने के प्रयासों को अलबिदा कहना चाहिए ? इसे हमें अलग से हटकर नहीं लेना चाहिए। इसे पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं आंका जाना चाहिए कि यह दो बड़े व्यक्तियों के बीच का द्वन्द है। हमें उन सभी बड़े औद्योगिक गृहों या व्यापारियों या व्यक्तियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए जो "फेरा" का उल्लंघन करते हैं तथा भारतीय बैंकों की पूंजी विदेशी बैंकों को भेजते हैं।

सरकार ने की गई कार्यवाही ज्ञापन में कहा है कि उसने आयोग को निष्कर्षों के स्वीकार कर लिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अत: मैं सरकार से उसके निर्णय को पुनर्विचार करने की प्रार्थना करता हूं।

यद्यपि धारा 8(बी) तथा 8(सी) से स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा पर जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उन व्यक्तियों को आयोग अपने बचाव-पक्ष से बोलने का तथा प्रमाण प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा। फिर भी श्री वी० पी० सिंह, श्री वी० सी० पांडे तथा श्री भूरे लाल को धारा 8(बी) के अंतर्गत नोटिस क्यों नहीं जारी किए गए ? क्या आयोग ने जानबूझकर ऐसा किया ? क्या यह समझ लें कि यदि इन व्यक्तियों से आयोग द्वारा धारा 8(बी) के अंतर्गत पूछताछ की जाती है तब आयोग के सामने अनेक परेशान करने वाले प्रश्न आते जो सत्ता में बैठे व्यक्तियों को पसन्द न होते। क्या यह वास्तविक कारण है ? यह विचित्र बात है जब आयोग स्टेट्समैन में 20 मार्च, 1987 को "नो रिलायन्स ऑन मिस्टरी लैटर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित 'महत्वपूर्ण' रिपोर्ट पर विचार कर चुका है। इसका एक विचित्र निष्कर्ष जान पड़ता है। रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 95 से उद्धृत करता हूं :

> "....यदि यह सही था, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक विदेशी एजेंसी को लगाने की पहल भारत सरकार के उच्च अधिकारियों ने नहीं की, किन्तु उन्हें अन्य व्यक्तियों के प्रासंगिक निजी प्रयोजनार्थ प्रोत्साहित किया गया अथवा उपयोग किया गया, यहां तक कि श्री गुरुमूर्ति ने इस एजेंसी को किराए पर लेना बहुत खर्चीला समझा।"

इस प्रकार से आयोग ने टिप्पणी की है। आयोग ने धारा 8(ख) के अंतर्गत श्री गुरुमूर्ति को नोटिस क्यों नहीं दिया, जबकि उन्होंने इस धारा के अंतर्गत नोटिस दिए जाने के लिए आयोग से कहा था ? रिलायन्स की एक फाइल श्री भूरेलाल को सौंपे जाने के बारे में, आयोग ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सदस्यों को भेजा और दबाव डालकर सूचनाएं भी प्राप्त की। आयोग ने उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, आयोग द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर देने के लिए धारा 8(ख) के अंतर्गत नोटिस क्यों नहीं दिया ? तब सत्यता का पता लग जाता। आयोग ने यह कदम क्यों नहीं उठाया ? यह कहा गया है कि जब तक श्री गुरुमूर्ति ने संदिग्ध तरीकों का सहारा नहीं लिया, पृष्ठ 128 में आयोग ने लिखा है, "सूचनाएं एकत्र करने के लिए संदेह सहित तरीकों का सहारा।" क्या यही तरीका है ? आप वर्तमान प्रधान मंत्री के पिता फिरोज गांधी का स्मरण कीजिए। उन्होंने एक बहुत बड़े काण्ड का पता लगाया था जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। क्या आपका यही मतलब है कि सूचनाएं प्राप्त करने का यह संदिग्ध तरीका था ? यदि हम आयोग के निष्कर्ष पर जाएं, तो हमें अनुमान लगाना होगा कि श्री फिरोज गांधी ने संदिग्ध तरीके अपनाए थे। क्या यह उचित है ? पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सदन के सदस्यों को सूचनाएं देने से मना किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों का अशोध्य ऋण कितना था जो भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृत था। इस सदन के सदस्य इसकी सूचना प्राप्त नहीं कर सके।

इसलिए जब तक कुछ अतिरिक्त प्रयास न किए जाएं इस तरह की सूचनाएं नहीं मिलेंगी। यहीं से जांच करने वाली एजेंसी प्रकाश में आयी। आयोग ने एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार के रूप में श्री गुरुमूर्ति की नेकनीयती पर प्रश्नचिह्न लगा दिया, उन्होंने रिलायन्स उद्योग द्वारा की गई कुछ गंभीर कमियों को प्रकाश में लाने की कोशिश की थी। मैं आपसे कहता हूं कि श्री गुरुमूर्ति के धारा 8(ख) के अंतर्गत नोटिस दिए जाने का निवेदन करने के बावजूद, उन्हें मना किया गया।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में श्री गुरुमूर्ति की गिरफ्तारी को, फेयरफैक्स के अरैकी द्वारा श्री गुरुमूर्ति को लिखे गए कुछ पत्रों का बाद में प्रैस में प्रकट होना कहा गया। बार-बार स्मरण कराए जाने के बावजूद इस पत्र की कोई जांच नहीं की गयी। आयोग ने यह जांच करना उचित नहीं समझा कि यह जाली पत्र कैसे आया, इस पत्र का लेखक कौन है, इससे किसके उद्देश्य की पूर्ति हुई, यह ठीक उस समय प्रकाश में क्यों आया। इस तरह की जांच आयोग ने नहीं की।

यह सारा कार्य कुछ लोगों विशेषरूप से श्री वी० पी० सिंह को बदनाम करने के लिए किया गया, जो बोफोर्स सौदे, पश्चिम जर्मनी पनडुब्बी सौदे, बड़े व्यापारिक घरानों और कुछ व्यक्तियों जिनके पास स्विट्जरलैंड में पांच शयनकक्ष के फ्लैट्स हैं, जैसे विषयों पर अपने रवैये के कारण सत्ताधारी दल के सरकारी दृष्टिकोण से अलग हो गए। यहीं से वे गलत हो गए। महोदय, इसीलिए आपको दोषी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ऐसे लोगों को बदनाम करना है इसलिए आयोग सत्ता-दल के हाथों का औजार बन चुका है। पृष्ठ 222 को देख कर बड़ा दुःख होता है, आयोग ने श्री भूरेलाल जिनकी विश्वसनीयता बहुत ऊंची है, के प्रति कठोर टिप्पणी की है। मंत्री महोदय उनकी कोई भी कमी बताएं। श्री भूरे लाल ने इस वित्त मंत्रालय की बड़े उत्साह के साथ सेवा की है।

मैं आपका ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ 222 की ओर आकर्षित करता हूं, जो निम्न प्रकार से है :

"यह पूर्णत: सिद्ध हो गया है कि श्री वाडिया की चालाकी और धोखेबाजी के कारण श्री भूरेलाल को फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन की सेवाएं लेनी पड़ीं।"

क्या इससे झूठी और कोई बात हो सकती है ? क्या आप एक अच्छे अधिकारी को यही इनाम दे रहे हैं ? यह इससे स्पष्ट पता चलता है···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : वे सबसे ईमानदार अधिकारियों में से एक थे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : आयोग ने तथ्यों का पता लगाने के लिए धारा 8(ख) के अन्तर्गत श्री भूरेलाल को आयोग के सम्मुख उपस्थित होकर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नोटिस क्यों नहीं दिया ? क्या आयोग इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकता था ?

आयोग ने सार्वजनिक रूप से कार्य नहीं किया; अधिकतर उसने गुप्त रूप से कार्य किया। यद्यपि उच्चतम न्यायालय के न्यायालय संख्या 9 में स्थान उपलब्ध था, यह आश्चर्यजनक बात है कि आयोग ने गुप्त रूप में लगभग दो माह तक न्यायाधीश टक्कर के घर पर गैर-सरकारी रूप से अघोषित बैठकें करना उचित समझा : दुर्भाग्य से, श्री भूरे लाल को अवसर नहीं दिया गया था। अल्प सूचना पर उसे आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था और वह भी बिना किसी वकील के। यह यह सहज न्याय के विरुद्ध है। क्या आयोग को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए ? ऐसा लगता है कि यह पक्षपातपूर्ण था और इस संबंध में, मैं एक स्पष्ट असंगति की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रतिवेदन के पृष्ठ 139 पर, यह कहा गया है :

"उसके अनुसार, सितम्बर 1986 के आसपास, श्री पांडे ने उसे विदेशी एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने के बारे में मौखिक स्वीकृति दी थी परन्तु उसने श्री पांडे को श्री हर्शमैन से हुई अपनी बातचीत के बारे में नहीं बताया और न ही उसने श्री पांडे को फेयरफैक्स की सेवाओं का उपयोग करने के अपने विचार से अवगत कराया था।"

उसे सितम्बर-अक्तूबर, 1986 में स्वीकृति मिल गई थी और श्री हर्शमैन नवम्बर में आए थे। श्री भूरे लाल को श्री पांडे को यह सूचित करने की क्या आवश्यकता थी कि उसने श्री हर्शमैन से बातचीत की है ? आयोग ने इस प्रकार से कार्य किया था। आयोग पक्षपातपूर्ण था और इसने गलत निष्कर्ष निकाले हैं।

इसी प्रतिवेदन के पृष्ठ 148 पर यह कहा गया है :

"नवम्बर 1986 में, श्री भूरे लाल ने उन्हें बताया था कि उसने अमरीका के एक गुप्तचर डा० हेरिस (श्री हर्शमैन) के साथ बैठक की थी।"

श्री भूरे लाल ने किसी को अंधेरे में नहीं रखा था। वह जो कहते थे इसके बारे में अपने अधिकारियों को सूचित करते रहते थे।

अन्त में, सरकार को इस प्रतिवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए; यह और कुछ नहीं बल्कि देश के साथ धोखा-धड़ी है, इस देश के लोगों के साथ धोखा है। सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, अगर आवश्यकता पड़े तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों

और आर्थिक अपराधियों के बारे में विदेशी गुप्तचर एजेंसियों की सहायता लेने संबंधी बातों को भी शामिल कर सकती है, ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इससे हम उस धनराशि का उपयोग अपने लोगों के कल्याण और अपने देश के विकास हेतु कर पाएंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, इस बहस का क्या मकसद है मेरी समझ में नहीं आया। आपको मालूम होगा फेयफैरक्स की नियुक्ति पर विरोध पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि किन परिस्थितियों में उसकी बहाली हुई और उससे देश पर कोई खतरा होता है या नहीं। उसके बाद सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के दो जजों का इंक्वायरी कमीशन बनाया गया जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उसने सिफारिश की है कि यह फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी है और इससे अधिक और कोई रेकमेंडेशन नहीं की है। मुझे आश्चर्य है कि आज विरोध पक्ष की ओर से कमीशन की टीका-टिप्पणी हो रही है, समालोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसे बिल्कुल अस्वीकार कर देना चाहिए, रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। यह आश्चर्य की बात नहीं है, दुःख की भी बात है। ये दो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और इनकी रिपोर्ट पर हमें कुछ ज्यादा गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इसके सम्बन्ध में जब हम बात करें तो जिस भाषा का इस्तेमाल करें उसमें कुछ आदर होना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर दण्डवते, जिनके लिए मुझे बहुत आदर है, स्नेह है, वे नुसली वाडिया की वकालत करने लगे।···(**व्यवधान**)··· वह बात तो सही है लेकिन जब आपने कहा कि हर्शमैन ठहरा हुआ था ओबेराय होटल में और उसको बदला गया किसी के फोन पर, तो उसके विषय में जाने की क्या आवश्यकता थी, मेरी समझ में यह नहीं आया। इस मामले में जैसाकि कमीशन ने कहा है नस्ली वाडिया के साथ विचार करके उसने कहा कि यह संदेह की बात है कि होटल चार्जेज जो था, वह 24 हजार रुपए का था और उनका जो रूम चार्जेज था, वह हर्शमैन ने दिया और बाकी चार्जेज 24 हजार नस्ली वाडिया ने दिए और जब ओरीजीनल बिल मांगा गया, तो बिल नहीं दिया। फिर नस्ली वाडिया को बुलाया गया और उन्होंने उनसे स्टेटमेंट मांगा। वह भी देने से इन्कार किया और बहुत विलम्ब किया। इन सब चीजों को लेकर उनके मन में संदेह हुआ कि नस्ली वाडिया का भी इसमें हाथ है। भूरे लाल ने तो साफ तौर से मान लिया है कि गुरुमूर्ति के साथ उनकी मुलाकात होती रही है अपने आफिस में नहीं, कभी इस होटल में और कभी उस होटल में और यह गलत इसलिए मालूम होता है कि एक आफीसर जो अपने कमरे में बैठा हुआ है, उनका अलग कमरा था, वहां उनसे मिल सकते थे और तरीका यह है कि एक जगह बैठ कर काम किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के आफीसर, चाहे वह सेक्रेटरी के लेविल का हो और चाहे ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के लेविल का हो, का काम यह नहीं है कि वह होटल में जाकर या किसी दूसरी जगह जाकर मुलाकात करे। इस तरह से फंक्शन करने का, काम करने का तरीका मेरी जानकारी में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डा : क्या हर्ज है ?

[हिन्दी]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है। वे इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, मैं नहीं जानता लेकिन मेरा अनुभव यह है कि हमारे अफसर बाहर जाकर लोगों से मुलाकात करते रहें, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से हर्शमैन से भी मुलाकात कराई गुरुमूर्ति ने और जब हर्शमैन से इनकी बातचीत हुई और जब ये अमेरिका गए, तो हर्शमैन तैयार हो गया काम करने के लिए और तैयार हुआ इन्होंने जो रिवार्ड रूल्स निकाले, उसके आधार पर, 20 पर सेन्ट आफ दि इवेलुएटेड इन्फार्मेशन है, उसके आधार पर लेकिन एक्सपेंसेज क्या होंगे, वे खर्च कहां से करेंगे, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। इन्फार्मर के तौर पर जब कोई खबर देंगे, तो वह उनको मिलेगी लेकिन हर्शमैन ने इतनी दिलचस्पी दिखाई कि जब भूरे लाल अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उनके साथ हर्शमैन हर जगह पर अपने खर्चे से गए। यह सारा खर्च कहां से आता था, कौन इसको देता था जबकि खुद हर्शमैन का बयान है कि हर घंटे के अनुसार वे फीस लिया करते थे। तो इतनी बड़ी रकम उनको कहां से मिल रही थी और इतनी दिलचस्पी उनको कहां से हो गई कि भूरे लाल के साथ हर जगह घूमने लगे, उनके साथ जाने लगे। यह सोचने की बात है और विचार करने की बात है। जब इस तरह की बातें होती हैं, तो सोचना पड़ता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। गुरुमूर्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह इनका दाम दे सके, चुकता कर सके और जब उनकी फीस दे सके। इसलिए नसली वाडिया पर संदेह गया, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कमीशन ने कहा कि हम इन पर संदेह करते हैं और अगर नसली वाडिया को कोई ग्रीवान्स है, तो कोर्ट में जाए और कोर्ट में अपने को निर्दोष साबित करे कि उनका कोई हाथ नहीं रहा है और उनका हर्शमैन से कोई ताल्लुक नहीं रहा। कमीशन जो बना, तो इसमें सबसे तकलीफ की बात जो हमें मालूम होती है, वह यह है कि सारा काम जुबानी हुआ। मधु दंडवते जी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी भी तो जुबानी आदेश दिया करते थे। जुबानी आदेश देना कोई गलत काम नहीं है लेकिन अफसर लोग लिख देते हैं, वे दर्ज करते हैं और उसका रिकार्ड होता है। जुबानी आदेश देना गलत बात नहीं है। यहां तक कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने आदेश दिए पांडे जी के साथ बातचीत के सिलसिले में और उनसे सहमत हो गए कि यहां आप प्राइवेट डिटेक्टिव एजेन्सी को रख सकते हैं। ऐसी हालत में कहीं न कहीं जिक्र करना चाहिए था और फाइल में लिख देना चाहिए कि यह वित्त मंत्री का आदेश हुआ है। यह भूरे लाल ने कहीं नहीं लिखा। यहां तक कि भूरे लाल जब बाहर गए तो उन्होंने कह दिया कि काम करने के लिए बाहर गए हैं और उसके बाद वे लौट कर आते हैं जनवरी महीने में। और कोई अपनी रिपोर्ट पांडे जी को दे देते हैं। यह काम करने का सिलसिला जो है उससे मुझे आश्चर्य मालूम होता है। लेकिन यह काम होता था। प्रो० दंडवते जी भी मंत्री रहे हैं। वे भी इस बात की ताईद करेंगे कि यह काम कोई ठीक तरीके से नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि अनौपचारिक ढंग से काम हुआ, कोई औपचारिक ढंग से काम नहीं हुआ।

मैं भूरेलाल जी की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं करता लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि श्री भूरेलाल गुरुमूर्ति के मैनिपुलेशन में आए। उनका खुद का बयान है कि गुरुमूर्ति ने कहा और मैं उनके कहने पर सहमत हुआ। आप रिपोर्ट पढ़िए जिसमें यह है कि गुरुमूर्ति के बतलाने पर हमने सम्पर्क किया और उनके बतलाने पर हमने फेयरफैक्स को एंगेज किया। यह उन्होंने बयान दिया

है। एक ईमानदार आदमी किसी के मैनीपुलेशन में आ सकता है इस बात को दंडवते साहब भी मानेंगे। इस पर हम भूरेलाल जी की ईमानदारी पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहते हैं। यह काम जो हुआ वह गलत काम हुआ जिसकी वजह से इतनी टीका-टिप्पणी हुई थी।

इस कमीशन ने क्या किया है? कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, जांच करने के बाद यह कहा कि फाईनेंस मिनिस्ट्री का काम करने का जो तरीका रहा है, कार्य प्रणाली या कार्य-पद्धति रही है वह ठीक नहीं रही है। कुछ डिस्टरबिंग फीचर्स उसमें मालूम होते हैं। इतना बड़ा डिसीजन हो रहा है, इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है और कहीं इसके बारे में लिखा-पढ़ी न हो, यह आश्चर्य की बात है। कमीशन ने उस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। मैं समझता हूं कि विरोध पक्ष के किसी सदस्य को इसमें एतराज नहीं होगा, हर कोई इस बात की ताईद करेंगे, इसको समर्थन देंगे। इसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम हुआ है, वह जबानी, ओरली होता है। वह सही नहीं होता रहा है। कहीं पर भी किसी ने कुछ लिखने की तकलीफ गवारा नहीं की। यह सबसे गलत काम हुआ है।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन होगा कि इस कार्य-पद्धति को बदलना चाहिए। जब बिल्कुल जबानी आदेश दिए जाते हैं तो फौरन उनको दर्ज कर दिया जाता है और उसका रिकार्ड बन जाता है। वहां पर कहीं कोई रिकार्ड नहीं बना।

भूरेलाल जी जब लौट कर आते हैं तो वह कोई रिपोर्ट पेश नहीं करते। 6 फरवरी को जा कर वे डिक्टेशन देते हैं और 10 फरवरी को विनोद पांडे को रिपोर्ट मिलती है। इस बीच में हमारे वित्त मंत्री को मालूम हुआ। तब वे डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे। उन्हें मालूम हुआ कि फेयरफैक्स की नियुक्ति हो चुकी है। इससे बढ़ कर ताज्जुब की बात क्या हो सकती है? कोई भी मंत्री इसको कैसे पसंद करेगा? अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो ताज्जुब हुआ। हो सकता है कि उन्होंने रजामंदी दे दी हो, सहमति दे दी हो कि आप रख सकते हैं। वे यह समझते हों कि यह काफी है लेकिन मैं समझता हूं कि यह नाकाफी है, यह गलत काम हुआ है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह राय जाहिर की है और यह कहा है कि यह डिस्टरबिंग फीचर हुआ है, इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सही है और विरोध पक्ष को भी इसका समर्थन करना चाहिए। विनोद पांडे और यह अफसर श्री भूरेलाल कहीं भी कुछ नहीं लिखते, यह उनकी गलती है।

जब इस बात की चर्चा चलने लगी तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह फाईल देखनी चाही। जैसाकि वे कहते हैं, उन्होंने विनोद पांडे से बात की कि वे यह फाईल देखना चाहते हैं। विनोद पांडे ने यह लिखा है कि रक्षा मंत्री फाईल देखना चाहते हैं। फाईल उनके पास चली गयी और श्री ब्रह्मदत्त जी को सूचना उन्होंने फोन पर दी कि वे यह चाहते हैं कि रिकार्ड ठीक कर दें और उनकी जो ओरल क्लीयरेंस थी, उसको वे कहीं पर दर्ज कर दें। इसके लिए तो उन्हें प्रधान मंत्री को ही पत्र लिखना चाहिए था कि फेयरफैक्स के बारे में जो चर्चा हुई, इसकी बहाली कैसे हुई, इसमें किसका आदेश था। जो यह बात उन्होंने लिखी यह बात प्रधान मंत्री जी के पास वह चिट्ठी में भी लिख कर भेज सकते थे। जहां तक मेरा अनुभव है और अपने अनुभव के आधार पर जो मुझे जानकारी है जो रूल्स आफ बिजनेस ट्रांजिकशन है, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि जब वे वित्त मंत्री नहीं रहे और रक्षा

मंत्री की हैसियत से चले गए तब वित्त मंत्रालय की फाईल पर उनको नहीं लिखना चाहिए था। यह बात दण्डवते जी भी मानेंगे और हर आदमी इसको मानेगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : श्री ब्रह्मदत्त से परामर्श करने के बाद।

[हिन्दी]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : कंसल्ट करके तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कंसल्ट नहीं किया गया था कि मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, सिर्फ यह कहा था कि देखने के लिए चाहिए, इसलिए उनको लिखना नहीं चाहिए था, जो उन्होंने लिखा वह गलत काम हुआ।

दूसरी बात पेमेंट के बारे में है, मैंने पहले भी कहा है कि फेयरफैक्स को कोई पेमेंट नहीं हुआ, यह सोचने की बात है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : आयोग ने एक बात कही थी। यह फाइलें देखना चाहता था।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : नहीं, इसने यह नहीं कहा है। श्री वी० पी० सिंह ने यह कहा था—"उन्होंने विनोद पांडे को कहा था, जब वह बजट प्रस्तुत होने के बाद बजट पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मिलने गए थे।"

श्री वी०पी० सिंह ने कहा था, मैं फाईलों को देखना चाहूंगा। आप कृपया मुझे फाइलें दिखाएं। उन्होंने यह कहा था। श्री विनोद पांडे ने फाइल पर यह दर्ज किया था।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री फाइल देखना चाहते हैं, इसलिए फाइल उनके यहां भेज दी जाए और बाद में उन्होंने श्री ब्रह्मदत्त जी को सूचना दी, यह गलत इसलिए है कि रूल्स आफ बिजनेस में आप पढ़ेंगे कि डायरेक्ट फाइल नहीं जा सकती, स्टेट गवर्नमेंट में भी यही रूल है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर श्री ब्रह्मदत्त को पता होता तो उन्होंने एतराज नहीं किया होता।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : बाद में उन्होंने एतराज नहीं किया था। आप उनसे पूछ सकते हैं। हर कार्य बाद में किया गया था। उन्होंने यह नहीं बताया था कि वह इस पर लिख देंगे। श्री ब्रह्मदत्त यहां मौजूद हैं, उन्हें यह स्पष्ट करने दें, क्या उन्हें बताया था कि वह इस पर दर्ज करेंगे।

सभापति महोदय, वित्त राज्य मंत्री, श्री ब्रह्मदत्त यहां मौजूद हैं और यह स्पष्ट करना उनका फर्ज है कि क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री ने उनसे कहा था कि वह फाइल पर एक नोट दर्ज करना चाहते हैं इसलिए इसकी आवश्यकता है। उन्हें ऐसा कहने दें।

सभापति महोदय : आप पीठ को सम्बोधित करें। आप अपना भाषण पूरा करें। प्रश्न-उत्तर इस तरह से नहीं किए जा सकते।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : सभापति महोदय, वह स्पष्ट करना चाहते हैं। उन्हें स्पष्ट करने दें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : आप इसे स्पष्ट कर दें।

सभापति महोदय : प्रश्न-उत्तर का तरीका ठीक नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : दूसरी बात यह मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि गुरुमूर्ति ने रिलायंस पर काफी लेख लिखे हैं, दूसरी जगह भी फिनांस डिपार्टमेंट की फाइल्स रखी गई हैं, यहां भी बहुत से कागजात रखे जाते हैं जो कि क्लासीफाइड हैं, इंपोर्टेंट हैं, यह जो तरीका चल रहा है, इस पर सरकार को देखना चाहिए कि कैसे ये सब फाइलें निकल जाती हैं, इनका क्या कारण है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इससे बहुत नुकसान होता है, हर तरह से नुकसान होता है, जिस तरह से हम सिक्यूरिटी रिस्क की बात फेयरफैक्स के लिए करते हैं, इससे भी देश का नुक्सान होता है, इससे बहुत सारे सीक्रेट्स निकल जाते हैं, लीक होते हैं।

अभी मेरे साथियों ने कहा और मैं उनसे सहमत हूं कि जो फेरा वायलेटर्स हैं, बड़े-बड़े टैक्स इवेडर्स हैं, इन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, आपने कड़ी कार्यवाही की भी है और करते जा रहे हैं, बड़े-बड़े हाउसेस पर रेड की है, उन पर कार्यवाही कर रहे हैं, कल प्रो० दण्डवते जी थापर के बारे में कह रहे थे, उन्होंने जिक्र किया था। जब उन्होंने माफी मांगी···

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने वाडिया का नाम भी लिया, मैंने साहू, जैन के बारे में भी कहा, मैंने अजिताभ के बारे में भी कहा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : आपने नस्ली वाडिया का नाम भी लिया, ठीक है, तो आपको यह जानकारी होगी कि सरकार इस मामले में किसी से नर्मी का व्यवहार करना नहीं चाहती। सरकार उनके खिलाफ काफी कड़ी कार्यवाही करना चाहती है। आपने देखा होगा कि जितने रेड्स हुए हैं, उससे एक हंगामा हो गया था, हिन्दुस्तान टाइम्स में इण्डस्ट्रियलिस्ट की तरफ से एक आर्टिकल आया था कि रेड्स की वजह से काफी अनसरटेनिटी हो गई है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद कौन सा रेड हुआ है, एक का नाम बताइए।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अभी हमारे वित्त मंत्री जी आपको जवाब देंगे। (**व्यवधान**) फारेन एजेंसी के बारे में यह है कि बहाली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फारेन एजेंसी इसलिए बहाल की गई थी, कोई हमारा पूरा अरेंजमेंट नहीं था यह मैं मानता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि फेयरफैक्स की बहाली हुई, हर्शमैन की बहाली हुई, लेकिन इनकी बहाली करते हुए हमको इनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए थी कि वे क्या हैं, उनके एंटीसीडेंट की जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। इससे बढ़कर हमारा दोष क्या हो सकता है कि हमने कुछ पता करने की कोशिश नहीं की। जो कुछ गुरुमूर्ति ने बता दिया, हमने उसको रख लिया। हमने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वे सी० आई० ए० के पुराने एम्पलाई रहे या नहीं और उनका क्या संबंध

रहा है। अगर उनके हाथ में इन्क्वायरी देते हैं तो उससे हमारे देश के लिए नुकसानदेह बात होगी या नहीं। यह संभव नहीं कि सारी बातों की जानकारी हो जाये। बड़े-बड़े लोगों के बारे में जानकारी हो तो उनकी खबर बेच सकते हैं ताकि वे ब्लैकमेल कर सकें।

इस तरह से देश के लिए अशांति पैदा कर सकते हैं। कमीशन ने डिस्टेबिलाइजेशन के मायने क्या बताए हैं। उन्होंने यह कहा है कि रोजाना हमारे प्रधान मंत्री और सरकार के खिलाफ कहते रहें तो विश्वसनीयता घट जाएगी। अगर विश्वसनीयता घट जाएगी तो सरकार काम करने में असमर्थ हो जाएगी। जो भी आदेश होंगे, उनका अनुपालन नहीं हो पाएगा। हम देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे, शांति व्यवस्था रखना चाहेंगे तो नहीं रख सकेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, काफी मेहनत करके दी है और जो फाइंडिग्स दी हैं उन पर विचार करना चाहिए। विरोध पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि उसको फेंक देना चाहिए, बड़े अफसोस की बात है। मैं सदन से कहूंगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बधाई देनी चाहिए कि कमीशन ने जो काम किया है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री अमल दत्त बोलेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, एक बात : सिंह जी ने पूछी थी : 'फाइल मंगाते समय, क्या प्रक्रिया का पालन किया गया था ?' (**व्यवधान**) ये ही सिर्फ प्रश्न और उत्तर हैं—केवल दो लाइनें··· (**व्यवधान**) आयोग द्वारा प्रश्न···(**व्यवधान**) महोदय, श्री सिंह ने मेरा हवाला दिया था; इसी कारण।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है।

सभापति महोदय : नहीं, कृपया; दण्डवते जी, आपको उनका उत्तर देने का अधिकार नहीं है। (**व्यवधान**) आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसे श्री अमल दत्त को सौंप दें।

प्रो० मधु दंडवते : धन्यवाद, इस बार आपने एक समझदारीपूर्ण सुझाव दिया है।

सभापति महोदय : व्यास जी, उन्हें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। अब, श्री अमल दत्त बोलेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, फेयरफैक्स पर, मेरे विचार से, छोटा वाद-विवाद काफी था लेकिन इसने बहुत समय ले लिया है। अतः, मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा।

मैं इसे छोटा वाद-विवाद इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रतिवेदन का एक अंश ही सभा-पटल पर रखा गया है तथा सदस्यों को उपलब्ध कराया गया है। स्वयं प्रतिवेदन में कहा गया है, अथवा प्रतिवेदन के लेखकों, उच्चतम न्यायालय के दो विख्यात न्यायाधीशों का कहना है कि यह मुख्य प्रतिवेदन है। इस मुख्य प्रतिवेदन के अतिरिक्त, तीन अन्य खंड और हैं : खंड 1(क), खंड 1(ख) और खंड 2।

उनमें क्या है ? उनमें नुस्ली वाडिया से संबंधित कार्यवाही-वृत्तांत है, खंड 1(क) में उसके प्रार्थना-पत्र इत्यादि हैं।

7.44 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खंड 1(ख) में अन्यों को जारी की गई मांग पर्चियां और उनसे प्राप्त प्रतिक्रियायें हैं।

अतः, इस समय हमें यह नहीं मालूम कि अन्यों से हमें क्या प्रतिक्रियायें प्राप्त हुई हैं। हम सिर्फ उस हिस्से पर निर्भर कर रहे हैं जिसे आयोग ने अपनी दलीलों को उचित ठहराने के लिए चुना है। बाकी के पत्रों को खण्ड 2 में शामिल किया गया है। मैं वित्त मंत्री से, अभी नहीं बल्कि उचित परामर्श लेने के पश्चात्, उनको उत्तर के समय यह बताने के लिए कहूंगा कि इन अंशों को सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया है, तथा आज के वाद-विवाद में उपयोग करने से वंचित क्यों रखा गया है।

अतः, मैंने इसे फेयरफैक्स पर एक छोटा वाद-विवाद कहा है और आशा है कि हमें सभी पत्रों को उपलब्ध कराके अगले सत्र में इस पर अधिक वाद-विवाद कराया जाएगा, और मात्र 2 या 3 दिन का समय न देकर काफी समय दिया जाएगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रतिवेदन होगा।

मैं अपने सामने के विद्वान साथियों का बिल्कुल अनुसरण नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस मुहावरे में विश्वास करता हूं कि शैतान के साथ भी न्याय करो, ठीक-ठीक शैतान नहीं बल्कि विख्यात न्यायाधीशों के साथ। परन्तु मुहावरा ऐसा ही है। अतः, मैं क्या करूं ? आयोग इन दो विख्यात न्यायाधीशों का बनाया गया और उन्होंने उसी दिन से कार्य करना शुरू कर दिया। उन्हें 10 अप्रैल, 1987 को वित्त सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ था। आयोग को राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति वित्त सचिव से प्राप्त हुई थी और उसी दिन, 20-4-1987 से आयोग ने अपना कार्य चेयरमैन के आवास पर शुरू कर दिया था। एक मिनट भी नष्ट नहीं किया गया था। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन 25 तारीख तक ही आयोग का सचिव नियुक्त किया गया था और उसने पदभार संभाल लिया था, आश्चर्यजनक बात है। आयोग के सचिव उसी दिन पदभार संभाल सकते थे जिस दिन उन्हें नियुक्त किया गया था। लेकिन आयोग ने अपना कार्य पांच दिन पहले शुरू किया था। आयोग ने जिस तत्परता के साथ अपना कार्य शुरू किया था वह बात ध्यान देने योग्य है; और आयोग का स्टाफ 7 मई को नियुक्त किया गया था। यह बड़ी अद्भुत बात है। क्या यह ठीक नहीं है कि हमारे न्यायाधीशों ने बिना किसी के नियुक्त हुए कार्य करना शुरू कर दिया था और वह भी अपने आवासों पर।

उसके बाद सरकार जो इस आयोग को नियुक्त करने की इतनी इच्छुक थी—जबकि हम इसके लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करने की मांग कर रहे थे क्योंकि यह मामला हमारे अनुसार किसी जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने लायक नहीं था—इस अधिसूचना को जारी किए जाने के दो महीने बाद ही इस आयोग को एक कार्यालय उपलब्ध करा दिया गया। इस अधिसूचना को 6 अप्रैल को जारी किया गया था और 4 जून को उन्हें कार्यालय उपलब्ध करवा दिया गया था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है ? आयोग ने कितनी उत्सुकतापूर्वक काम किया और उन्होंने 8 महीने के समय में ही रिपोर्ट बना दी, इसके लिए उन्होंने सिर्फ दो बार समय अवधि बढ़ाई, जबकि उन्होंने वित्त सचिव से पत्र प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया था ?

मैं इस रिपोर्ट के विरुद्ध बहुत कुछ न कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि शायद यह इस बात का बहुत बढ़िया उदाहरण है कि न्यायपालिका को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किस प्रकार राजनीतिक छलयोजना से प्रभावित किया जाता है, शायद यह इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण है जो इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण भी है कि जैसाकि स्वयं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कैसे सरकार को चालाकी से प्रभावित किया जा सकता है। आयोग के अनुसार फेयरफैक्स को नियुक्त करने में सरकार से छलयोजना की गई थी और यह रिपोर्ट कहती है कि वही सरकार, शायद अन्य दो अधिकारियों, अन्य मंत्रियों को उस व्यक्ति को दोषमुक्त करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की छलयोजना की गई थी जिसके विरुद्ध इस एजेंसी को नियुक्त किया गया था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है ? यह सरकार दो बड़ी कंपनियों की आंतरिक और अन्तर-सामूहिक लड़ाई में कैसे शामिल है; आयोग के अनुसार, एक कम्पनी ने अपनी विरोधी कम्पनी के विरुद्ध कुछ तथ्यों को प्राप्त करने के लिए एक विदेशी राष्ट्र में एक जासूसी कम्पनी नियुक्त करवाने के लिए सरकार पर दबाव डाला था ? जब विरोधी कम्पनी को इस बात का पता चला तो उसने इसका मुकाबला करने के लिए उस विशेष एजेंसी को नियुक्त करने के तरीके में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के लिए सरकार पर दबाव डाला। लेकिन आयोग इस बारे में कुछ नहीं कहता हालांकि इसके विचारार्थ विषयों में यह शामिल है। आयोग के पहले सत्र में स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से उन परिस्थितियों के बारे में नहीं बताया गया है जिनमें फेयरफैक्स एजेंसी को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार यह इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है सिवाय इसके कि श्री भूरे लाल के अनुसार उन्होंने विदेशी धन और विदेशी लेन-देन के बारे में यहां तक कि किर्लोस्कर नामक एक कम्पनी—जिसका उन्होंने यहां जिक्र किया है उसके तुलन पत्र के सम्बन्ध में वह सूचना लेने में सफल नहीं हो सके और जब कभी दूतावासों में इस सम्बन्ध में जानकारी पाने के लिए प्रयास किया गया तो इसका पता उन लोगों को चल गया जिसके खिलाफ जांच की जानी थी। श्री भूरेलाल ने अपनी सफाई में यह कहा है। लेकिन आयोग का कहना है कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि यह विश्वासोत्पादक नहीं है। आयोग द्वारा ऐसा ही कहा गया है। इसका हवाला देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आयोग का यह कहना है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन क्या आयोग ने इसका पता लगाने की कोशिश की ? आयोग के लिखित प्रश्नों के जवाब में भूरेलाल के लिखित उत्तरों की। विश्वासोत्पादक न होने के कारण अस्वीकार करने, उन्हें गलत कहने या दूसरे अर्थों में उन्हें भूरेलाल का झूठा बयान कहने से पहले उन्होंने उसे साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाया ताकि उससे जिरह की जा सके दूसरी ओर जिस व्यक्ति के दावे अनुसार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भूरेलाल झूठ बोल रहा है तो भूरेलाल को उस व्यक्ति से धारा 8बी के अन्तर्गत जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

मेरे बहुत से माननीय मित्रों ने इसे धारा 8बीं का उल्लेख किया है, मुझे इस बारे में सिवाय इसके ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है कि आयोग ने गुरु मूर्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत न होने के बारे में बड़ा शोर मचाया है और वह केवल धारा 8बी के नोटिस देने पर ही आएगा जिसे आयोग ने देने से मना कर दिया है। आयोग लिखित सूचना मांगता है। अब गुरुमूर्ति स्पष्टतया सही साबित होता है। मैं कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब गुरुमूर्ति कहता है कि अगर मैं आपको कोई बात बता दूं जिसका आप मेरे विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं तब भी आप मुझे धारा 8बी के अन्तर्गत उन व्यक्तियों से जिरह करने का अवसर नहीं देंगे जो मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा रहे हैं।

आयोग ने गुरुमूर्ति की इस बात की अपेक्षा की। दूसरी ओर, क्योंकि अन्य मामले में वह एक मुख्य व्यक्ति है जिसके विरुद्ध आयोग ने एजेंसी को नियुक्त करने का आरोप लगा के फंसाया है, आयोग ने उनके द्वारा आयोग के लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के बावजूद उन्हें धारा 8बी के अन्तर्गत अवसर दिए बिना दोषी ठहराया है। पहले रखे गए मुद्दे से यह मुद्दा थोड़ा अलग है। क्योंकि इससे पता चलता है कि शायद गुरुमूर्ति सही था और आयोग पूछताछ के स्तर और जांच के स्तर जब एक अवसर दिया जाएगा में अन्तर करने में गलत सिद्ध हुआ था। श्री गुरुमूर्ति ने कहा, "आप मुझे कोई मौका नहीं देंगे, जब तक आप मुझे धारा 8बी के अन्तर्गत नोटिस जारी नहीं करेंगे मैं आयोग के समक्ष नहीं जाऊंगा।" दूसरे व्यक्ति के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और एक मामले में, श्री वी० पी० सिंह के मामले में आयोग ने एक दूसरा प्रश्नपत्र भेजा और उसके उत्तर में श्री वी० पी० सिंह ने कुछ बातों को खोला था। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि इसका कोई भी अंश आयोग की रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। मैं इस प्रश्नावली की एक प्रति को पढ़ रहा हूं जिसे श्री वी० पी० सिंह ने प्रमाणित किया हुआ है। यह एक जीरोक्स प्रति है। इसके अनुसार, इस प्रश्नावली में, "मैंने इस प्रश्न के संदर्भ में मौखिक स्पष्टीकरण 11-3-1987 को दिया, मैं प्रधान मंत्री जी से उनके कार्यालय में रात को मिला और उन्हें बताया कि मैंने वह फाईल भेज दी है जो श्री गोपी अरोड़ा ने मांगी थी और उन्हें वे सब कारण भी बताये जिनके आधार पर मैंने मंजूरी दी थी।" यहां तक कि वे कारण भी बता दिए गए थे।

मैं प्रश्न को जारी रखता हूं। उन्होंने कहा, कि उन्होंने मेरे द्वारा दी गई मंजूरी में कोई गलती नहीं बताई।

दूसरी बात, जो मैं इसके दूसरे अंश से उद्धृत करना चाहता हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह सब कहने के बाद, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि फेयरफैक्स की नियुक्ति सही नहीं थी।

श्री अमल दत्त : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। अब आप मुझे फंसाने की कोशिश न करें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपको एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : उन्होंने यह इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि, "उन्होंने उस फाइल में अपनी टिप्पणी क्यों लिखी, जब वह वित्त मंत्री नहीं रहे थे?" "मैंने श्री ब्रह्मदत्त, वित्त राज्य मंत्री तथा राजस्व सचिव से यह इच्छा व्यक्त की थी कि मैंने जो मौखिक मंजूरी दी थी उसे मैं रिकार्ड में लाना चाहता था, मैंने राजस्व सचिव से फाइल सीधे ही मेरे पास भेजने के लिए नहीं कहा था।" इस बात पर आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया और यह पता लगाने में लगा रहा कि जैसे उन्होंने राजस्व सचिव से गुप्त रूप से उस फाइल को देखने के उद्देश्य से प्राप्त किया और उस पर अपनी टिप्पणी लिख दी, जिसे वह नियमों के अधीन करने के लिए अधिकृत नहीं थे। महोदय, क्या यह सम्भव नहीं है कि एक मंत्री, इस मामले में श्री ब्रह्मदत्त रेड्डी अन्य मंत्री से जो कि उनके भूतपूर्व मंत्री थे, यह कहते कि "ठीक है, अगर आपने यह निर्णय लिया है तो कृपया इसे फाइल में लिख दें।" आयोग के समक्ष अपनी गवाही

में तथा लिखित बयान में उन्होंने ऐसा कहा है। इसके प्रत्येक पृष्ठ को श्री वी० पी० सिंह द्वारा अधिप्रमाणित किया गया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने अपनी सुविधा अनुसार साक्ष्यों और लिखित उत्तरों को चुनकर रखा है और बाकी अन्य की अपेक्षा कर दी है। दूसरे शब्दों में आयोग ने अपने आपको पूर्णतः पक्षपात करने वाला दिखा दिया है।

आयोग के निष्कर्षों में मुख्य बल इस बात पर दिया है कि प्रक्रिया में कुछ कमी रही है जिसका सरकार का ऐसे मामलों में अनुसरण करना चाहिए। क्या सरकार ने ऐसी बातों के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं? मैं आशा करता हूं कि गृहसचिव या वित्तसचिव इस बात को सदन के समक्ष स्पष्ट करेंगे। लेकिन आयोग की रिपोर्ट के बारे में अजीब बात यह है कि आयोग ने यह जानने के लिए कोई गवाही नहीं ली कि वह प्रक्रिया क्या थी, क्या इसमें कोई प्रक्रिया निहित थी और अगर थी तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति या परियुक्ति या अनके साथ कोई व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही थी जो अधिक मात्रा में राजस्व के समाहरण के लिए साक्ष्य देंगे। मैं समझता हूं कि वे आदतन ऐसे व्यक्तियों को बाह्य नहीं तो कम से कम आंतरिक उद्देश्यों के लिए नियुक्त करते हैं। इसके लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या वे इन मुखबिरों के बारे में प्रत्येक सूचना को लिखते हैं? क्या वे ऐसी सूचनाओं की अलग फाइल बनाते हैं? क्या वे इन फाइलों में उनके आने की उनसे पूछताछ की, उनके जाने की, उनसे मिलने की जगह आदि सम्बन्धी सूचनाएं दर्ज करते हैं। इसलिए, आयोग को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया है। यह आयोग की भूल है अगर आयोग ने यह पता लगाया होता कि क्या सरकार के इस बारे में कोई निश्चित प्रक्रिया है और अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है तो क्या इसमें कोई कमी रही है, और इससे सम्बन्धित तीनों व्यक्तियों में दोष ढूंढने का क्या आयोग को अधिकार है। अगर इस बारे में कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है तो अगर इन मामलों को गुप्त रखा जाना है। अगर इन मामलों को फाइलों में दर्ज नहीं करना है, अगर इस मामलों को रिकार्ड में नहीं रखना है, हमें अब इस बातों का पता नहीं है। यह सब इन्हीं लोगों को बताना है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप इसे बदल रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : मैं कुछ बदल नहीं रहा हूं। आप फिर उसकी बात कर रहे हैं। जहां तक इस नियुक्ति की प्रक्रिया का सम्बन्ध है मैं केवल यही कहता कि आयोग···इसे काम कर डालना चाहिए था, अटकलें नहीं लगानी चाहिए थी। हम हमेशा ही संसद में इस प्रकार की अटकलें लगाते रहे हैं क्योंकि हम किसी भी तरह जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे। आयोग भारत सरकार के पास उपलब्ध सभी जानकारियां प्राप्त कर सकता था। उसने जानकारी लेनी नहीं चाही बल्कि अटकलें लगाना पसन्द किया। क्या यह आयोग अपने नाम के अनुरूप है? क्या इस आयोग को न्यायायिक आयोग कहा जा सकता है?

8.00 म० प०

प्रो० मधु दंडवते : इसे एक चूक कहना चाहिए।

श्री अमल दत्त : मेरा विनम्र निवेदन है कि आयोग ने जिन तथ्यों का पता लगाया है, उनके आधार पर आयोग द्वारा जांच के लिए जिन मामलों का उत्तरदायित्व दिया गया, उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। वह कहता है कि भूरेलाल ने एजेण्टों को भुगतान करने के लिए भारत सरकार को

अनिश्चित राशियों के भुगतान के लिए बचनबद्ध किया। एक निष्कर्ष यह भी है। क्योंकि हम नहीं जानते कि यह 20% 20 करोड़ बनता है, यह 2000 करोड़। किन्तु 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत है। यदि भारत सरकार को 40,000 करोड़ रुपए का पता चलता है, जो ऐसी धनराशि मानी जाती है जो निकाली गई और गुप्त रूप से कहीं भेज दी गई, तब तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्या वस्तुत: भूरेलाल को रिलायंस, दोसी और तीन अथवा चार कम्पनियों के विरुद्ध जांच करने के प्रयोजन से नियुक्त किया गया था ? अथवा क्या उसे भारत के बाहर धन ले जाने वाले व्यक्तियों और बैंकों के खातों का पता लगाने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए थे ? यही बात अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं उन कागजातों के बारे में जानना चाहता हूं जो सभा में उपलब्ध नहीं किए गए हैं। यह संभव है, क्योंकि सरकार ने जिस जल्दबाजी से भूरेलाल और विनोद पाण्डे का स्थानान्तरण किया और मंत्री का भी स्थानान्तरण किया और अन्तत: निस्संदेह उन्हें निकाल दिया, उससे शंका होने लगती है कि इसकी नियुक्ति का आधार बहुत व्यापक था। अन्तत: केवल यही चार व्यक्ति ही नहीं बल्कि देश में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति लपेट में लिए जाएंगे। इसीलिए सरकार ने घबराहट भरी प्रतिक्रिया दर्शायी है। ऐसा क्यों है ? हम केवल अटकल लगा सकते हैं क्योंकि हम उन पत्रों के बारे में नहीं जानते जो, स्वीकार्यत:, सरकार के पास हैं। उसने नहीं चाहा कि ये पत्र हमें सुलभ कराए जाएं।

प्रो० मधु दण्डवते : लोक लेखा समिति को उनकी मांग करनी चाहिए।

श्री अमल दत्त : मुझे जरा विषयान्तर की अनुमति दें। वस्तुत: एक जांच के बारे में एक बार प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित करने की बजाय मामले की जांच सदन की एक वर्तमान समिति, उदाहरणार्थ लोक लेखा समिति द्वारा की जाए। बेशक बाद में किन्हीं कारणों से, जिन्हें वे ही बेहतर जानते हैं, उन्होंने लोक लेखा समिति को कुछ नहीं दिया।

प्रो० मधु दंडवते : अमल दत्त जी में इतना विश्वास है।

श्री अमल दत्त : मुझे इस पर फिलहाल कोई शिकायत नहीं है। मेरे पास बहुत काम है।

आयोग ने दो स्थानों पर श्री सोमनाथ चटर्जी के कथन को उद्धृत किया है। और उन्हें इस सभा में भी उद्धृत किया गया है। वे हमारे नेता हैं, वे हमारे माननीय सहयोगी हैं। हम उनके कथन का समर्थन करते हैं। न हम उनके विरुद्ध चलते हैं न ही हम उनकी अवज्ञा करते हैं। उन्होंने केवल यही तो कहा था। जिस तरीके से एक अमरीकी जासूस एजेंसी को चुना गया है, अमरीकी जासूसी एजेंसी का चुनाव और जिस प्रकार इसका चुनाव किया गया है, दोनों समान रूप से बुरा और घृणित है; देश के हित के लिए हानिकारक है।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने कुछ और भी कहा था।

श्री अमल दत्त : मैं शतप्रतिशत सहमत हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं। मैं आयोग से केवल एक बात पर सहमत हूं कि ऐसा करने में पूरा जोखिम था। संभव है कि इससे कोई हानि नहीं हुई क्योंकि एजेंसी ने कोई कार्य नहीं किया। हो सकता है इसने कोई कार्य नहीं किया, मुझे पता नहीं। सरकार हमें कुछ भी नहीं बताएगी। किन्तु उन्होंने अधिक व्यापक प्रश्नों की ओर ध्यान दिलाया है और मैं उनके भाषण से इन व्यापक प्रश्नों को उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि इन्हें पुन: कार्यवाही वृत्तान्त में रखा जाना है। वे कहते हैं :

"दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि स्वतन्त्रता के 40 वर्ष बाद भी···भारत सरकार भारतीय कानून के अन्तर्गत जांच करने के लिए भारत में ही कोई एजेंसी नहीं खोज सकी।"

आगे वे कहते हैं : "अतः यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि हम विदेशों में भारतीयों और अनिवासी भारतीयों द्वारा हमारे कानून के उल्लंघन की जांच के लिए न्यूनतम अवस्थापना का भी निर्माण नहीं कर सके हैं···" **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : अभारतीय निवासी ?

श्री अमल दत्त : नहीं, अनिवासी भारतीय। आगे वे कहते हैं : "····आप अपने दिलों से ही क्यों नहीं पूछ लेते और अपने ही घर को व्यवस्थित क्यों नहीं बना लेते और देश के लोगों के सामने इसे स्पष्ट क्यों नहीं कर देते।" अतैव महोदय, वे व्यापक परिप्रेक्ष्य को लेकर चल रहे थे, उससे कहीं अधिक व्यापक जितना कि उस तरफ के हमारे माननीय सदस्य समझते हैं। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद साल दर साल आर्थिक अपराध पहले से कई गुना बढ़ रहे हैं, ऐसा सरकार की उदारीकरण की नीति के कारण हो रहा है जिससे व्यापारियों को धन विदेशों में ले जाने के लिए अत्यधिक अवसर मिल गए हैं। इन आम बदमाशों का पता है।

महोदय, यह सरकार वस्तुतः 1985 से आई यह सरकार ही नहीं बल्कि इससे पहले की सरकार को भी—यह देखना चाहिए था कि कोई भारतीय एजेंसी विदेशों में जांच कर सकती है। ऐसा नहीं किया गया है और हम यही चाहते हैं। जब हम अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर क्यों नहीं होना चाहिए ? हम इन जांचों के लिए विदेशों में अपनी ही एजेंसी क्यों नहीं बना सकते ?

इस भाषण में इसी बात पर मुख्य रूप से बल दिया गया था। ऐसा केवल फेयरफैक्स ही के कारण नहीं है बल्कि इसलिए है कि यह सरकार अक्षम, अयोग्य है और यदि कोई इसे बचाने की कोशिश करता भी है तो यह उसके विरुद्ध कार्यवाई करती है।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल आत्मनिर्भरता के लिए ही काला धन देशा में रखा जाना चाहिए।

श्री अमल दत्त : महोदय, इस रिपोर्ट के बाद में एक लेख है और यह एक बहुत दिलचस्प है। यह पृष्ठ 289 पर है। स्पष्टतः उपसंहार की समाप्ति के बाद कुछ और जोड़ा गया है। कुछ इस तरीके से जोड़ा गया है इससे पूर्ववर्ती विषयवस्तु से कुछ भिन्न है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह उपसंहार के बाद नहीं है।

श्री अमल दत्त : इसे उपसंहार का अंश दिखाने की कोशिश की गई है, किन्तु यह···नहीं है···

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह एक गलत व्यक्तव्य है।

श्री अमल दत्त : मैं एक वाक्य पढ़ूंगा। पहला वाक्य इस प्रकार है···**(व्यवधान)** यह मेरा निष्कर्ष है। वे इसे चुनौती नहीं दे सकते।

प्रो० मधु दंडवते : उसके बाद केवल आभारोक्ति है।

श्री अमल दत्त : पहला वाक्य इस प्रकार शुरू होता है : "आयोग के 'उपसंहार' अध्याय को समाप्त करने से पहले एक अन्तिम शब्द कहने की आवश्यकता है" किन्तु इसका शीर्षक है "मूल लेखोपरान्त"···(**व्यवधान**) ठीक है, आप अपने निष्कर्ष निकालिए मैं अपने निष्कर्ष निकाल चुका हूं क्योंकि अंग्रेजी की शैली भिन्न है। जिस प्रकार यह लिखा गया है, वह भिन्न है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूललेखोपरान्त के क्या मायने हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : विचारार्थ विषयों के उत्तरों के मूललेखोपरान्त। किसके मूललेखोपरान्त ? यह संख्या 1, 2, 3, 4, 6 और अध्याय के समाप्त होने से पहले···(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : मुझे पढ़ने दीजिए, महोदय···(**व्यवधान**) "विदेशी गैर सरकारी जासूसी एजेंसी की सेवाओं का उपयोग सरकार के नाम पर और उसकी ओर से किया जा रहा था, न कि उन अधिकारियों की ओर से जिन्होंने ऐसा किया" अब मुख्य भाग आता है : "और सरकार और यहां तक की प्रधानमंत्री जी को भी हम महत्वपूर्ण मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।" केवल प्रधान मंत्री ही क्यों ? वित्त मंत्री तक को जानकारी नहीं थी। यदि अन्य मामलों के लिए अथवा आन्तरिक जांच पड़ताल के लिए एजेंटों अथवा मुखबिरों की नियुक्ति करने के मामले में सरकार की कार्य-शैली इसके तरीके से भिन्न है, तो निश्चित रूप से आदेश देना पड़ेगा कि यह किस प्रकार होनी चाहिए। यहां प्रधानमंत्री जी का नाम क्यों लेते हैं ? स्पष्ट है कि 11 मार्च को श्री वी० पी० सिंह ने प्रधानमंत्री जी को सूचित किया था और प्रधानमंत्री जी ने जवाब में कहा था "इसमें कोई गलत बात नहीं है" इसलिए ऐसा करना पड़ा और मूल लेखोपरान्त जोड़ा गया।

महोदय, आयोग को उन अपराधों का पता लगाना था जिसकी जांच की जानी, जिनकी जांच की सम्भावना थी, जिसके लिए फेयरफैक्स की नियुक्ति की गई। आयोग ने यह नहीं पता लगाया कि भारत या विदेश में, अगर सूचना देने वालों की नियुक्ति की गई है तो, वह नियुक्ति कैसे की गई। यह जवाब उनसे मिलना चाहिए था। विगत में अगर कोई इस प्रकार मामला है तो उस मामले में क्या किया गया है ? आयोग इस निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि फेयरफैक्स की नियुक्ति वास्तव में की गई या नहीं। इसमें केवल यह कहा गया है कि इसकी सेवाओं के उपयोग की व्यवस्था की गई। किसी जगह कहा गया है कि इसकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। महोदय, इसकी सेवाओं का तभी उपयोग किया जाएगा जब यह सूचना देगा। भारत सरकार और अन्य जगहों पर आयोग का यह निश्चित मत है। लेकिन लिखित में यह कहा गया है कि "जी हां, सेवाओं का उपयोग किया गया।" अगर उपयोग किया गया था तो हमें यह नहीं बताया गया कि इस आदमी ने क्या सूचना दी थी। मालूम नहीं यह सूचना आयोग के समक्ष प्रकट की गई या नहीं। इसलिए इस मामले विशेष में रहस्य को अभी कायम रखा जा रहा है। बहुत सी बातें अभी सदन में छुपी हुई हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये सभी मामले हमें उपलब्ध कराए और उसके बाद उपयुक्त चर्चा की व्यवस्था करें क्योंकि सारा देश इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है कि इस आयोग ने सच का पता लगा लिया है। दूसरी ओर लोगों को लगता है कि जो कुछ बताया गया वह सच के सिवाय सब कुछ है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, टक्कर-नटराजन आंच आयोग की रिपोर्ट पर विस्तृत

चर्चा हो रही है। इससे इस मुद्दे पर प्रकाश पड़ता है कि स्थिरता बनाए रखना विपक्ष का स्वभाव नहीं है।

श्री अमल दत्त : इस पर आपका एकाधिकार नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, इस साल के शुरू में सदन में जब इस प्रश्न को पहली बार उठाया गया था तो हमने बहुत से प्रमुख सदस्यों को एक अलग ही आवाज में बोलते सुना था। आवाज आरोप भरी और जिज्ञासापूर्ण थी। उसमें इस सरकार की विश्वसनीयता और अखंडता को चुनौती दी गई थी। यह उन दिनों की बात है जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सदन में सत्ता पक्ष में थे। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दल बदल लिया है और विपक्ष में चले गए हैं···

श्री विद्या चरण शुक्ल : चले नहीं गए। एकदम नहीं, उन्होंने दल बदल नहीं की है।

श्री पी० चिदम्बरम : वे दल बदल करके विपक्ष में चले गए हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : महोदय, यह गलत वक्तव्य है। एक बार निकाल दिए जाने के बाद सदस्य दल नहीं बदलता है। दूसरे निकाले जाने के बाद उन्होंने दल बदल नहीं किया है।

श्री पी० चिदम्बरम : आज विपक्ष की छोटी बड़ी मछलियां उनके जाल में फंस गई हैं।

श्री अमल दत्त : आपने मुहावरा क्यों कहा है। (**व्यवधान**)

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुद्धि का एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। गृह राज्य मंत्री को संसदीय शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। संसदीय शब्दावली में एक दल से दूसरे दल में जाने का क्या अर्थ है। यह किसी के द्वारा दल बदल का प्रश्न नहीं है और व्यवहार, मौजूदा कानून के वर्तमान प्रथा, वर्तमान कानून और पुरानी प्रथा के अनुसार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए या कुछ भी करते समय शब्द का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, अब श्री वी० पी० सिंह के जाल में बहुत लोग फंस गए हैं इसलिए आप उन्हें वित्त मंत्रालय में सब कुछ ठीक है लेकिन ठक्कर-नटराजन आयोग की हर बात गलत है।

महोदय, मैं शुरू से घटनाक्रम बताता हूं। मार्च, 1986 और फरवरी 1987 के बीच व्यवसाय से चार्टर्ड ऐकांउटेंट और खुद को खोजी पत्रकार कहने का दावा करने वाले श्री गुरुमूर्ति ने 'इंडियन एक्सप्रेस' में लगातार 25 लेख लिखे जिसमें उन्होंने जो कुछ वह महसूस करते हैं उसका उल्लेख किया। किसी भी पत्रकार के इस मत से मेरा मत अलग नहीं है कि एक कम्पनी विशेष ने बहुत गम्भीर अनियमितताएं की हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 18 अक्तूबर, 1986 के बीच उन्होंने अमरीका की यात्रा की।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कौन ?

श्री पी० चिदम्बरम : अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो जान जाएंगे। वह कौन है ? मैंने केवल श्री गुरुमूर्ति का नाम लिया है। अपने ईयर फोन हटा दीजिए आप ठीक हो जाएंगे। (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह भ्रम में पड़ने तथा दूसरों को भ्रम में डालने की क्षमता रखते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : आप मुझे भ्रम में नहीं डाल सकते। कोई भी ऐसा नहीं कर सका और आप भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। (**व्यवधान**)

श्री गुरुमूर्ति ने 18-10-86 से 25-10-86 के बीच न्यूयार्क की यात्रा की और मेरी सूचना के अनुसार इसका उद्देश्य सप्लायर द्वारा **इंडियन एक्सप्रेस** को कुछ उपकरणों की सप्लाई न करने से संबंधित कुछ रिपोर्टों की जांच करना था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूयार्क में एक अप्रवासी भारतीय दम्पत्ति के बारे में भी पूछताछ की और अपनी सहायता तथा पूछताछ के लिए अमकीका में कुछ प्रमुख गुप्तचर ऐजेंसियों के नामों का भी पता लगाया। हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि अपने साथ वह कितने विदेशी डालर, विदेशी मुद्रा ले गए थे और मेरी जानकारी के अनुसार अपनी अमरीका यात्रा के लिए उन्होंने हवाई अड्डे से प्रस्थान करते समय 20 अमरीकी डालर लिए। इस अवधि के दौरान, श्री भूरेलाल जुलाई 1986 से नवम्बर 1986 के बीच श्री गुरुमूर्ति से मिले। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री गुरुमूर्ति की अमरीका यात्रा से लगभग तीन महीने पूर्व और यात्रा से लौटने के एक माह बाद श्री भूरेलाल उनसे मिले। यह जानना दिलचस्प होगा कि वह उनसे कहां मिले। वह उनसे जनपथ होटल में, ताज होटल में मिले। उसके बाद वे अन्य स्थानों पर मिले जिनमें से एक स्थान नेहरू पार्क है जहां वे मिले और अन्त में उन्होंने सुन्दर नगर के एक होटल में उनसे मुलाकात की।

प्रो० मधु दण्डवते : नेहरू पार्क में तो लोग प्रेम के चक्कर में मिलते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : ये वे स्थान हैं जहां भारत सरकार का एक अधिकारी एक स्वयंभू खोजी पत्रकार से मिला। और श्री भूरेलाल के अनुसार इस सभी बैठकों में श्री गुरूमूर्ति श्री भूरेलाल को एक कम्पनी समूह से संबंधित कागजात देते थे और वे उन्हें लेते थे।

इस समय हम देखेंगे कि श्री गुरूमूर्ति को कौन से कागजात मिले और कैसे मिले। श्री गुरूमूर्ति के सुझाव पर श्री भूरेलाल को श्री हर्शमैन नामक व्यक्ति से मिलने के लिए बुलाया गया। श्री गुरूमूर्ति की भारत वापसी के तत्काल बाद श्री हर्शमैन भारत में आए। उन्हें 15 नवम्बर से 18 नवम्बर, 1986 तक ओबराय होटल में ठहराया गया। और मेरे ख्याल से श्री नुसली वाडिया के कट्टर समर्थक भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि उस समय श्री नुसली वाडिया होटल में मौजूद थे। आयोग के समक्ष एक बिल को, प्रस्तुत नहीं किया—यदि यह वही बिल है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने कागजात का मिलान नहीं किया है; तो वह बिल प्रो० दण्डवते के पास पहुंच गया है। मुझे यह जरूर कहना चाहिए कि वह अधिक उद्यमी हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा कहना है कि यह रजिस्ट्रेशन कार्ड है, बिल नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम् : वह ठक्कर-नटराजन आयोग से अधिक उद्यमी हैं।

प्रो० मधु दंडवते : पर मेरी नियुक्ति आयोग में मत करना।

श्री पी० चिदम्बरम् : श्री हर्शमैन जब यहां थे तो उस अवधि के दौरान क्या हुआ था ? 20 मार्च, 1987 के स्टेट्समैन में बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में इण्डियन एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता के साथ हुए साक्षात्कार का उल्लेख हैं। मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

जिन घटनाओं और परिस्थितियों के कारण फेयरफैक्स ग्रुप इंकारपोरेटेड के साथ व्यवस्था की गई, उनकी जांच संबंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा

14 दिसम्बर, 1987

"बहरहाल प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि श्री गुरूमूर्ति ने फेयरफैक्स से संपर्क बनाए रखा और अमरीका की एक यात्रा के दौरान रिलायंस ग्रुप आफ बम्बई की जांच करने के लिए एक एजेंसी की नियुक्ति की संभावना की जांच की। उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रर्वत्तन निदेशालय के तत्कालीन निदेशक श्री भूरेलाल ने एजेंसी से संपर्क बनाए रखा जबकि गुरुमूर्ति ने पाया था कि इस एजेंसी की नियुक्ति काफी महंगी पड़ेगी। प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि मैसर्स गोयनका, पांडेय, भूरेलाल और गुरुमूर्ति और फेयरफैक्स के एक प्रतिनिधि की बैठक नई दिल्ली में यह पता लगाने के लिए हुई कि क्या सरकार एजेंसी को किराए पर ले सकती है।"

यह रिपोर्ट **इन्साइट** नामक एक संगठन ने दी। मैं समझता हूं कि स्टेट्समैन के साथ उनकी किसी तरह की व्यवस्था है—और 20 मार्च, 1987 को वह प्रकाशित हुई। अगले ही रोज स्टेट्समैन के एक विशेष संवाददाता ने इस कहानी से, इस बैठक से इनकार किया। श्री ठक्कर-नटराजन आयोग द्वारा यह पूछे जाने पर कि प्रवक्ता कौन था—श्री गोयनका ने अक्तूबर, 1987 के अपने उत्तर में बताया कि स्टेट्समैन के **इन्साइट** रिपोर्ट को साक्षात्कार देने वाला प्रवक्ता श्री अरुण शोरी था। श्री गोयनका की अनुमति मिलने पर श्री अरुण शोरी ने एक साक्षात्मार दिया जिसमें उसने कहा कि एक बैठक हुई थी। प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि श्री गोयनका, श्री पांडेय, श्री भूरेलाल, श्री गुरुमूर्ति और फेयरफैक्स के एक प्रतिनिधि की बैठक हुई थी। प्रो० दण्डवते जी की होटल पंजीकरण कार्डों तक पहुंच है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अगर उन्हें मालूम है तो वह सभा को सूचित करें कि फेयरफैक्स का यह प्रतिनिधि कौन था। वह होटल ओबराय और पंजीकरण कार्डों से पता लगाने का प्रयास करें कि फेयरफैक्स का यह प्रतिनिधि कौन था। 20 मार्च के दिन, श्री अरुण शोरी ने पुष्टि की कि इन पांच लोगों की बैठक हुई थी। अगले दिन, 21 मार्च को, एक खास संवाददाता ने स्पष्ट किया कि बैठक की बात गलत है। ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। हम किस पर विश्वास करें? हमारा विश्वास है कि बैठक हुई थी। हमें यह निष्कर्ष निकालने का अधिकार है कि बैठक हुई थी। हमें यह निष्कर्ष निकालने का हक है कि यह षड्यन्त्र उस समय रचा गया था। श्री गोयनका से आगे की जानकारी देने के लिए कहा गया था और उनसे पूछा गया था "आपने इन्कार क्यों नहीं किया?" उनका उत्तर है "प्रेस में मेरे बारे में बहुत सारी रिपोर्टें छपती हैं। अगर मैं उनका उत्तर देना शुरू कर दूं तो मैं कुछ और काम ही नहीं कर पाऊंगा।" यह एक विशिष्ट वक्तव्य है जिसे श्री अरुण शोरी जैसे बड़े व्यक्ति ने दिया है जोकि श्री गोयनका के अनुसार एक प्रवक्ता थे जिन्होंने एक "इनसाइट" दल से पुष्टि की थी कि एक बैठक हुई थी जिसमें श्री गोयनका, श्री भूरे लाल, श्री पांडे, श्री गुरुमूर्ति और फेयरफैक्स के एक प्रतिनिधि ने भाग लिया था। फिर भी, एक के बाद एक सदस्य यह कहते जा रहे हैं कि श्री भूरेलाल से अधिक ईमानदार अधिकारी का मिलना मुश्किल है और श्री पांडे जैसा भी कोई ईमानदार अधिकारी मिलना कठिन है।

प्रो० मधु दंडवते: वित्त विभाग में ईमानदार अधिकारियों के लिए कार्य करना मुश्किल है।

श्री पी० चिदम्बरम: श्री भूरे लाल ने इस बैठक से इन्कार क्यों किया है? श्री पांडे ने इस बैठक से इन्कार क्यों किया है? या तो आप साहस करके कहिए कि श्री भूरे लाल और श्री पांडे ने

इस बैठक में भाग लिया था और इस बात को गुप्त रख रहे हैं या फिर आप साहस करके कहिए कि इन्हें श्री अरुण शोरी गढ़ रहे थे।

प्रो० मधु दंडवते : आप जांच कीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : यह कहिए कि श्री अरुण शोरी इन्हें गढ़ रहे हैं। यह कहिए कि श्री गोयनका इन्हें गढ़ रहे हैं। एक तरफ तो आप जो अरुण शोरी और स्टेट्समैन लिखते उस पर विश्वास नहीं कर सकते और दूसरी तरफ आप श्री भूरे लाल और श्री पांडे पर विश्वास नहीं कर सकते। उनमें से एक सच नहीं बोल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप पता लगाएं कि कौन सच नहीं बोल रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : आप पता लगाइए।

श्री पी० चिदम्बरम : एक सच नहीं बोल रहा है। आप हमें बताएं।

प्रो० मधु दंडवते : आप पता लगाइए।

श्री पी० चिदम्बरम : आप हमें बताएं।

प्रो० मधु दंडवते : आपके पास पूरा सरकारी तंत्र है। आपकी सरकार में वित्त मंत्री हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आपको पता लगाना है।

श्री पी० चिदम्बरम : हमें विश्वास है और यह अनुमान लगाने का अधिकार है कि दिल्ली में एक षडयंत्र हुआ था। जब श्री हर्शमैन यहां थे तो निगमित क्षेत्र के और प्रचार माध्यम के बहुत शक्तिशाली लोग मिल गए थे, हो सकता है कि उनकी मंशा अच्छी रही हो, परन्तु तथ्य यही है कि भारत सरकार के अधिकारियों ने, वित्त मंत्री की जानकारी के बिना प्रधान मंत्री की जानकारी के बिना, सरकार की जानकारी के बिना, ऐसे लोगों के साथ बैठकर बैठकें की, वह भी गुप्त रूप से बैठकें की।

प्रो० मधु दंडवते : विभाग में श्री भूरे लाल की प्रतिष्ठा के बारे में जांच-पड़ताल कीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : हम प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहे हैं। हम आचरण की बात कर रहे हैं। हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। हम बैठकों की बात कर रहे हैं। कौन, किससे कब और कहां मिला, हम इस संबंध में बात कर रहे हैं।

21 दिसम्बर, 1986 को मद्रास में श्री गुरुमूर्ति के घर पर छापा मारकर कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे।

खोजबीन में जो बरामद किया गया था वह रिलायन्स टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज की 40.84 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस के प्रार्थना पत्र से संबंधित मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात के कार्यालय की पूरी फाइल, जिसमें 99 पृष्ठ हैं, की फोटो कापी थी।

15-11-86 के यू० ओ० की फोटो कापी, अनुलग्नकों सहित जो पी० टी० ए० के आयात के लिए अनुपूरक लाइसेंस आवेदन पत्र से संबंधित थी और अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार, डी० जी० टी० डी० द्वारा रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के नाम प्रेषित थी बरामद की गई।

जिन घटनाओं और परिस्थितियों के कारण फेयरफैक्स ग्रुप इ कारपोरेटेड के साथ व्यवस्था की गई, उनकी जांच संबंधी प्रति वेदन के बारे में चर्चा

14 दिसम्बर, 1987

इण्डियन एक्सप्रेस में छपे चार लेखों के प्रूफ, 10-9-1986 को इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख से संबंधित एक टेलेक्स संदेश, जिस पर श्री गुरुमूर्ति के हाथ से गलतियां ठीक की हुई थी, सहित बरामद किए गए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, श्री ज्योतिर्मय बसु के पास वांचू आयोग की रिपोर्ट थी जिसे उन्होंने सभा-पटल पर रखा था। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : जिस दिन श्री गुरुमूर्ति के घर छापा मारा गया था उस दिन श्री भूरेलाल अमरीका में थे—21 दिसम्बर, 1986 और 3 जनवरी, 1987 के बीच। यह विश्वास करना कठिन है कि श्री भूरे लाल को इस छापे के बारे में मालूम नहीं था। यह 21 दिसम्बर, 1986 को छापा मारा गया था। श्री भूरे लाल 12 दिनों के लिए अमरीका गए हुए थे। इसके बाद, 7 जनवरी, 1987 को, उन्होंने अधिकार पत्र जारी किया। हम सभी अब उस विख्यात अधिकार पत्र के बारे में जानते हैं और मुझे इसके बारे में आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं उस विख्यात पत्र को पढ़ सकता हूं ? आयोग को यह अनुलंग्नक के तौर पर दिया गया था। यह इस प्रकार है : "जिस किसी से इसका संबंध हों। प्रवर्तन निदेशालय, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, भारत सरकार, लोक नायक भवन, छठा तल, खान मार्किट, नई दिल्ली रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बम्बई, भारत के विरुद्ध एक जांच कर रहा है। डा० हेरिस—कृपया शब्दों पर ध्यान दें। यह श्री हर्शमैन नहीं बल्कि **डा० हेरिस** हैं—जो 7369, **मैक ह्वोर्टन** प्लेस, अनन्डेल, विरजिनिया—22003, यू० एस० ए०, दूरभाष संख्या आदि-आदि···के निवासी हैं और 'श्री गोरडन एन्डर्यू मैक के' जांच में हमारी सहायता कर रहे हैं। वे हमारी तरफ से सूचना एकत्रित करने के लिए अधिकृत हैं। हम आपके आभारी होंगे अगर आप उन्हें आवश्यक सहयोग करें।"···महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पत्र में फेयरफैक्स का नाम कहीं नहीं आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दो व्यक्ति हैं जो भारत सरकार को सहयोग दे रहे हैं और सूचना एकत्रित करने के लिए अधिकृत हैं। जब श्री भूरे लाल से पूछा गया था : क्या कोई पूर्व दृष्टांत है···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, ये एक ऐसे दस्तावेज से उद्धृत कर रहे हैं जिसे सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह आयोग के पास है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : लेकिन उसे सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री पी० चिदम्बरम : पूर्व वाद-विवादों में श्री ब्रह्म दत्त द्वारा इसका उल्लेख किया गया था।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, मंत्री जी···

श्री अमल दत्त : क्या इसे सभा-पटल पर रखा गया है ? (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसे सभा-पटल पर नहीं रखा गया है। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : इस दस्तावेज को आयोग के पास भेजा गया है···(**व्यवधान**) यह आयोग के पास है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह बात श्री अमल दत्त द्वारा भी उठायी गई थी। वे दस्तावेज जो अनुलंग्नकों का हिस्सा हैं सभा-पटल पर नहीं रखे गए हैं। मंत्री महोदय स्पष्ट करें। नियम के अनुसार, वह उस दस्तावेज से उद्धृत नहीं कर सकते जिसे सभा को उपलब्ध नहीं कराया गया हो।

(व्यवधान)

श्री विद्या चरण शुक्ल : महोदय, जिस दस्तावेज को सभा में उद्धृत करना हों, उसे माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर प्रस्तुत करना होता है। उन्हें इससे उद्धृत नहीं करना चाहिए··· **(व्यवधान)** अगर वह सभा में किसी दस्तावेज से उद्धृत करते हैं तो उन्हें इसे सभा-पटल पर रखना होगा।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : इसे सभा-पटल पर रखने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा था कि इस दस्तावेज को आयोग के सामने प्रस्तुत किया गया है···**(व्यवधान)** सभा पटल पर दस्तावेज रखने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : क्या आप प्रतिवेदन के भाग 1-क को उपलब्ध करायेंगे जो इस समय उपलब्ध नहीं है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक हवाला देना चाहता हूं। दो दिन पहले, हमने श्री उन्नीकृष्णन द्वारा दस्तावेज रखने के मामले पर चर्चा की थी। उस समय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी थी कि कोई भी इसे ला सकता है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अत:, अब मंत्री जी इसे अपना हक समझकर उद्धृत कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो वह इसे सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हैं। वह यही कह रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हम केवल यह मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष के निदेश के तहत—निदेश 118 —मैंने मांग की थी कि उन्होंने जो कुछ उद्धृत किया है उसे प्रमाणीकृत करने के बाद सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : आप वह मुद्दा उठा रहे है। जो नहीं है अगर अध्यक्ष यह चाहते हैं तो मैं इसे सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं···**(व्यवधान)** केवल अगर वह निदेश देते हैं, तो मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आप रिपोर्ट के सभी खंडों को सभा पटल पर रखेंगे ? **(व्यवधान)**

श्री विद्या चरण शुक्ल : चाहने का कोई प्रश्न नहीं है उन्हें इसे सभा पटल पर रखना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने इसे निदेश 118 के अधीन रखे जाने के लिए कहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, आप कृपया इसे देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। नियम 368 कहता है :

"यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषणपत्र या अन्य राजपत्र को उद्धृत करें जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया है तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा बशर्ते···"

"मैं उपबन्ध का सहारा नहीं ले रहा हूं···।"

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इसे सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। वे किस बारे में बहस कर रहे हैं। मैं इसे सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे अभी सभा पटल पर रखिये।

श्री पी० चिदम्बरम : अगर मैं इसे अभी सभा पटल पर रखता हूं तो इससे फिर उद्धृत नहीं कर सकता। इसे मुझे अभी उद्धृत करने दीजिये मैं इसे बाद में सभा पटल पर रखूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे पूरी तरह से उद्धृत कीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : आप बिना बात के बहस कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उनके लिए प्रक्रिया कोई मुद्दा नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : आप बेकार की बात कर रहे हो। मैं इसे सभा पटल पर रखने के लिए सहमत हूं लेकिन आप इसे बार-बार उठा रहे हैं। मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : 1-अ, 1-ब, खंड II···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बाकी के तीन खंड के विषय में आपका क्या कहना।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया दूसरे खण्डों से भी इसे उद्धृत कीजिए जिससे कि हम इन्हें सभा पटल पर रखने की मांग कर सकते हैं···

श्री पी० चिदम्बरम : चिंता न कीजिए। अगर मुझे आवश्यकता होगी तो मैं उद्धृत करूंगा।

अनुज्ञप्ति पत्र 7 जनवरी, 1987 को जारी किया गया था। इसे बड़े ध्यानपूर्वक बनाया गया था। यह फेयरफैक्स का हवाला नहीं देता। इसमें लिखा है : लोगों को इसमें लगाया गया है और वे भारत सरकार की जांच में सहायता कर रहे हैं और उन्हें सूचना इकट्ठी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। श्री भूरेलाल से फेयरफैक्स के दर्जे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि फेयरफैक्स का दर्जा एक मुखबिर का है। लेकिन आप पृष्ठ 132 देखें जिसमें आयोग कहता है :

"श्री भूरेलाल ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भुगतान के लिए श्री हर्शमैन को एक मुखबिर के रूप में नियुक्त किया था।"

जो उन्होंने अपनी 'टूर रिपोर्ट' में कहा है वह महत्वपूर्ण है। अपनी टूर रिपोर्ट में···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 'टूर रिपोर्ट' कहां है ?

श्री पी० चिदम्बरम : आप इसके विषय में केवल तभी पूछ सकते हैं अगर मैं इससे उद्धृत करूं। अगर मैं उसमें से उद्धृत नहीं करता तो आप इसके लिए नहीं पूछ सकते···

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमुन्द) : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर सर्वप्रथम, जब भारत

सरकार के अधिकारी यहां अपने बचाव के लिए नहीं है, उन पर इस प्रकार आरोप नहीं लगाया जा सकता (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : दूसरा, श्री वी०पी० सिंह ने वक्तव्य दिया है कि श्री विनोद पाण्डे और श्री भूरेलाल द्वारा की गई कार्यवाही का सारा दायित्व अपने पर लेते हैं। तब वे ईमानदार और अच्छे अधिकारियों के नाम क्यों ले रहे हैं। जिनकी हमेशा अच्छी साख रही है। वे व्यर्थ में उनका नाम यहां घसीट रहे हैं। मेरे विचार से यह ठीक होगा अगर मंत्री जी केवल भूतपूर्व मंत्री श्री वी०पी० सिंह के हवाले तक ही सीमित रहें। जब उन्होंने यह कहा कि उनके नियन्त्रण और निदेश के अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का दायित्व उन पर है तो यह न केवल बिल्कुल अनियमित और अनुचित है कि मंत्री जी इन अधिकारियों पर सदन में आरोप लगाएं। वे यहां अपना बचाव करने के लिए नहीं हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : किसी अधिकारी पर प्रहार कौन कर रहा है। मैंने तो रिकार्ड से पढ़ा था।

उपाध्यक्ष महोदय : भूतपूर्व मंत्री ने उत्तरदायित्व लिया होगा। लेकिन उनके नाम रिकार्ड में हैं। अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जा सकता है। लेकिन यह आरोप नहीं है···(व्यवधान)

श्री सी० जयपाल रेड्डी : मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। मेरा मुद्दा यह है। अगर ठक्कर-नटराजन आयोग द्वारा आरोप लगाये गये थे या विपरीत अनुमान लगाये गये थे तो आयोग को 8(ख) और (ग) के अधीन नोटिस जारी करने पड़ते। इस तथ्य से कि ऐसे नोटिस जारी नहीं किये गये थे, स्पष्ट हो जाता है कि आयोग ने स्वयं इस पर विचार किया था कि वह कोई आरोप नहीं लगा रहा। अतः जब उन्होंने आरोप लगाये ही नहीं तब लोगों का हवाला लेकर वे क्या चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री चिदम्बरम कृपया आप बोलते रहिए।

प्रो० मधु दंडवते : वे मंत्री जी को बचाएंगे और अधिकारियों को फांसी देंगे। यही उनका नया परिवर्तन है।

श्री पी० चिदम्बरम : 7 जनवरी, 1987 को श्री भूरे लाल ने अनुज्ञप्ति पत्र "चाहे इसका किसी से सम्बन्ध हो" जारी कर दिया और वह भारत वापिस लौट आए। एक महीने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जो अब एक बहुत प्रसिद्ध 'टूर रिपोर्ट' है। 6 फरवरी, 1987 को उन्होंने अपनी बहुत रुचिकर 'टूर रिपोर्ट' लिखी। आयोग की रिपोर्ट में भी इसका हवाला दिया गया है पहले चार अनुच्छेदों में फेयरफैक्स का कोई जिक्र नहीं है। फेयरफैक्स का हवाला 'डयूपाट' के संबंध में दिया जाता है और वे कहते हैं "मैं 23 दिसम्बर, 1986 को 'दिलवारे गया और एफ०डी० ओलयर, निर्देशक डयूपाट और श्री जॉफरे केम्पबेल, कानूनी सलाहकार, डयूपाट से मिला। मेरी फेयरफैक्स ग्रुप लिमिटिड ने सहायता की थी। श्रीमन्, किसी सूचना प्राप्त करने के लिए या खोज करने के लिए, सरकारी

अधिकारी द्वारा मुखबिर को नियुक्त किया जाता है। एक मुखबिर गुप्त रूप से, सामने आए बिना, चुपचाप सूचना देता है और इसी प्रकार अपना इनाम पाता और चुपके से चला जाता है। यह तथाकथित मुखबिर कौन था जो सरकारी अधिकारी के साथ गया और मुखबिर शब्द टूर रिपोर्ट में नहीं है। उनका कहना है कि "फेयरफैक्स लिमिटिड द्वारा मुझे सहायता प्राप्त हुई थी" वह अपनी रिपोर्ट यह कहते हुए समाप्त करते हैं "मुझे अमुक-अमुक ने इस मामले में सहयोग देने का वचन दिया है। मैं उनसे सम्पर्क बनाए हुए हूं तथा इस कार्य को प्रभावी रूप से करने के लिए मैंने फेयरफैक्स ग्रुप लिमिटिड की सेवाएं प्राप्त कीं। यदि सरकार इस बारे में सहमत नहीं है तो वह मुझे सलाह दें।" महोदय, अंतिम वाक्य, "यदि सरकार इस बारे में सहमत नहीं है तो वह मुझे सलाह दे" यह 6 फरवरी, 1987 को लिखा गया, लेकिन आज श्री वी०पी० सिंह, श्री पांडे और भूरे लाल एक नई कहानी बना रहे हैं। वे सोचते हैं कि राष्ट्र को आसानी से धोखा दिया जा सकता है कि इसके लिए मौखिक स्वीकृति सितम्बर-अक्तूबर 1986 में दी गयी थी। अगर मौखिक स्वीकृति सितम्बर-अक्तूबर 1986 में दी गयी थी अगर श्री वी०पी० सिंह ने श्री पांडे को स्वीकृति दी थी अगर श्री पांडे ने श्री भूरे लाल को स्वीकृति दी थी और भूरे लाल ने स्वीकृति के अनुसार एजेंसी को नियुक्त किया तो श्री भूरे लाल का सरकार से यह पूछने का प्रश्न कहां उठता है कि "यदि सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो तो वह मुझे सलाह दे।" (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस बीच वित्त मंत्री बदल गए थे।

श्री पी० चिदम्बरम : वित्त मंत्री बदल गए थे। लेकिन वह नहीं रिकार्ड कर सकते थे कि "मैंने "श्री वी०पी० सिंह की स्वीकृति से यह कार्य किया। इस स्तर पर यह कहने का प्रश्न ही कहां उठता है।" अगर सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं यह एक मौखिक स्वीकृति है। यह एक बाद में बनाई गई कहानी है। यह घड़ी गई है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इस सदन में वित्त मंत्री ने कहा था "मैं जिम्मेदारी लेता हूं।" (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। श्री वी०पी० सिंह द्वारा दी गई मौखिक स्वीकृति को, पर आयोग ने कभी आपत्ति नहीं उठाई। मंत्री···(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपके पास आयोग का संक्षेप है उस पर विश्वास करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया आप पढ़िए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं जानता हूं कि विरोधी पक्ष के सदस्यों के लिए इस 300 पृष्ठ की रिपोर्ट पढ़ने के लिए बहुत कम समय है। हम इसे मौखिक स्वीकृति से देखते हैं। श्री भूरे लाल ने मौखिक स्वीकृति के बारे में क्या कहा था। कृपया पृष्ठ 131 पर देखिए।

श्री बसुदेव आचार्य : उसमें क्या है ?

श्री पी० चिदम्बरम : आपको धार्मिक प्रवचन सुनने चाहिए थे। क्योंकि हर क्षण आप कहते हैं 'हूं' 'हूं'।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : अब आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं ? **(व्यवधान)**

प्रो० के०के० तिवारी : यही भाग्य है ।

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया मौखिक मंजूरी देने संबंधी कहानी पर ध्यान दें । श्री भूरे लाल का कथन है···

श्री वसुदेव आचार्य : किस पृष्ठ पर ? **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं ? जब वे इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो मैं हंसे बिना नहीं रह सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह बदनाम करने के लिए है ?

श्री पी० चिदम्बरम : जी नहीं, मैंने पृष्ठ संख्या उन्हें दो बार बताई है । कृपया पृष्ठ संख्या 131 देखें, पृष्ठ के बीच में कहा गया है :

"बाद में, उन्होंने श्री गुरुमूर्ति से नेहरू पार्क में मुलाकात की । दूसरी मुलाकात सुन्दर नगर में इंडियन एक्सप्रेस समूह के गेस्ट हाउस में हुई । उन्होंने गोपनीयता संबंधी कारणों से श्री गुरुमूर्ति से अपने निजी कार्यालय में मुलाकात नहीं की थी । इन मुलाकातों के दौरान ही उन्होंने श्री गुरुमूर्ति से यह अनुरोध किया था कि विदेशों में जांच-पड़ताल में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति का पता लगाया जाए । श्री भूरे लाल ने उन्हें बताया कि वे चाहते हैं कि जांच-पड़ताल के काम में अमरीका में किसी व्यक्ति की सहायता प्राप्त की जाए और श्री गुरुमूर्ति ने उनसे वायदा किया था कि जब वे स्वयं अमरीका जाएंगे, तो इसका पता करेंगे । बाद में, श्री गुरुमूर्ति ने उन्हें टेलीफोन पर बताया कि श्री हैरिस उर्फ श्री हर्शमैन···दिल्ली में हैं तथा वे उनसे मिल सकते हैं । इसके पश्चात्, श्री भूरे लाल ने श्री गुरुमूर्ति से अनुरोध किया कि श्री हर्शमैन के साथ मुलाकात की व्यवस्था की जाए ।"

यदि आप बीच में कुछ पंक्तियां छोड़कर अन्तिम चार पंक्तियों को देखें :

"बातचीत का कोई लिखित कार्यवाही-वृत्तांत नहीं रखा गया तथा किसी लिखित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए । न ही श्री भूरे लाल ने इस मुलाकात के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् राजस्व सचिव को जानकारी दी । दिसम्बर, 1986 (21 दिसम्बर, 1986) को वे अमरीका गए । जब उन्होंने अमरीका जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उनका रिलायंस संबंधी जांच-पड़ताल के संबंध में अमरीका जाने का प्रस्ताव है । अमरीका पहुंचने पर उन्होंने श्री हर्शमैन से सम्पर्क किया जिसे उन्होंने अपने होटल में बुलाया । वे अमरीका में 12 दिन ठहरे···इसी समय के दौरान श्री हर्शमैन ने पुरस्कार-प्राप्ति के आधार पर काम करने के लिए सहमति व्यक्त की···"

अब ये सारा छोड़कर हम पृष्ठ संख्या 139···**(व्यवधान)**···पर आ जाएं । पृष्ठ संख्या 131 में इसकी पृष्ठभूमि है । अब पृष्ठ संख्या 138 में नीचे देखें :

"श्री भूरे लाल का कहना है कि जब उन्होंने अमरीका जाने की अनुमति मांगी थी, तो

उन्होंने बताया था कि वे अमरीका, रिलायंस संबंधी मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। यद्यपि, उन्होंने बताया कि उन्होंने राजस्व सचिव, श्री पांडे को मौखिक रूप से सूचित कर दिया था कि वे रिलायंस के बारे में जांच-पड़ताल करने के लिए अमरीका जा रहे हैं, किन्तु उन्होंने श्री पांडे को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि उनका अन्य कम्पनियों के बारे में जांच-पड़ताल करने का विचार है। यद्यपि 3 जनवरी, 1987 को वे वापस आ गए थे, तथापि उन्होंने 10 जनवरी, 1987 को श्री पांडे को मौखिक रूप से बताया कि उन्होंने श्री हर्शमैन के साथ यह व्यवस्था कर दी है···बाद में, उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया कि 10 जनवरी, 1987 को जब श्री पांडे से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने फेयरफैक्स का नाम नहीं लिया था। लगभग एक महीने के पश्चात् 6-2-1987 को जब उन्होंने दौरा-रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो इसका पता चला। दौरा-रिपोर्ट फेयरफैक्स फाइल संबंधी पहला दस्तावेज है। स्पष्ट है कि जब श्री भूरे लाल ने फेयरफैक्स की सेवाएं प्राप्त करने का विचार किया, तो उन्होंने श्री पांडे को सूचित नहीं किया। उनके मतानुसार, शायद सितम्बर, 1986 में श्री पांडे ने विदेशी एजेंसियों की सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें मौखिक मंजूरी दी थी किन्तु श्री हर्शमैन के साथ बातचीत के बारे में उन्होंने श्री पांडे को नहीं बताया था···"

सितम्बर, 86 में, श्री हर्शमैन के साथ उनकी मुलाकात से पूर्व, उन्होंने विदेशी एजेंसियों की सहायता प्राप्त करने के बारे में मौखिक मंजूरी प्राप्त कर ली थी किन्तु अमरीका जाने से पूर्व अथवा वहां से वापस आने के एक महीने पश्चात दौरा रिपोर्ट लिखने तक उन्होंने फेयरफैक्स को काम सौंपने के बारे में श्री पांडे को नहीं बताया। श्री पांडे का इस संबंध में क्या कहना है ? इसके लिए कृपया पृष्ठ संख्या 147 और 148 देखिए :

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह वही रिपोर्ट है जिस पर श्री ब्रह्म दत्त ने अपनी टिप्पणिय दी थीं ?

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया पृष्ठ 147 देखिए।

श्री अमल दत्त : हम सबने रिपोर्ट पढ़ ली है।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि आपने पढ़ी होती, तो आप इस प्रकार के प्रश्न मुझसे नहीं पूछते।

प्रो० मधु दंडवते : मैं समझता हूं कि आयोग ने भी इतनी बार रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी।

श्री पी० चिदम्बरम : "उनके अनुसार श्री वी० पी० सिंह ने उपयोग करने के लिए उन्हें मौखिक मंजूरी दी थी, कि जब भी निश्चित साक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक हो जाए, किसी विदेशी जांच एजेंसी की सेवाएं ली जा सकती हैं बशर्ते कि इस साक्ष्य की प्राप्ति पर ही भुगतान किया जाना था···"

"···रिलायंस के विरुद्ध जांच संबंधी मंजूरी।"

कृपया रिलायंस के विरुद्ध जांच के संबंध में श्री वी०पी० सिंह द्वारा दी गई मंजूरी पर ध्यान दें। यह मंजूरी श्री पांडे द्वारा की गई टिप्पणी में से मिली है। श्री पांडे ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1987 की टिप्पणी में कहा है : उन्होंने रिलायंस के विरुद्ध जांच के लिए श्री वी०पी० सिंह से मौखिक

मंजूरी प्राप्त की थी। अब हम वापस श्री वी०पी० सिंह की ओर चलें। श्री भूरे लाल कहते हैं कि उन्होंने इसे सितम्बर में श्री पांडे से प्राप्त किया न कि जाने से पूर्व अथवा वापस आने के पश्चात्। श्री पांडे का कहना है कि उन्होंने रिलायंस के विरुद्ध जांच के संबंध में श्री वी०पी० सिंह से मौखिक मंजूरी प्राप्त की थी। अब हम देखें कि श्री वी०पी० सिंह क्या कहते हैं। कृपया पृष्ठ 166 देखिए :

> "राजस्व सचिव ने इस मामले को रिलायंस उद्योग के विरुद्ध जांच के सन्दर्भ में उठाया था। तथापि उन्होंने (श्री वी० पी० सिंह) सामान्य रूप से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों तथा आर्थिक अपराधियों के सम्बन्ध में किसी विदेशी एजेंसी की की सेवाओं का उपयोग करने की मंजूरी दी थी।"

श्री वी० पी० सिंह कहते हैं कि उन्होंने रिलायंस के सन्दर्भ में मंजूरी नहीं दी थी बल्कि उन्होंने सामान्य रूप से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों तथा आर्थिक अपराधियों के संबंध में मंजूरी दी थी। श्री पांडे समझते हैं कि इसका अर्थ यह है कि रिलायन्स की जांच के लिए किसी विदेशी जांच एजेंसी को काम पर लगाया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों में रिलायन्स शामिल नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : बात यह है कि श्री पांडे इसे केवल रिलायंस के विरुद्ध ही समझते हैं। श्री सिंह कहते हैं कि यह सारे विश्व के विरुद्ध है—यह प्रत्येक विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघनकर्त्ता और प्रत्येक और आर्थिक अपराधी के विरुद्ध है। श्री पाण्डे इसे केवल रिलायंस के विरुद्ध समझते हैं और वह जब श्री भूरे लाल से कहते हैं—तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या श्री भूरेलाल ने पहले श्री पाण्डे से कहा था या श्री पाण्डे ने श्री वी० पी० सिंह से पहले कहा था क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बहुत सावधान है। मार्च 1987 में भी कोई यह नहीं कहेगा कि यह मौखिक स्वीकृति कब दी गई थी। कोई भी 1 तारीख नहीं दे सकेगा। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सितम्बर/अक्तूबर।

श्री पी० चिदम्बरम : श्री पाण्डे के अनुसार सितम्बर/अक्तूबर। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि आपने स्वीकृति कब दी थी ? किसने स्वीकृति दी थी और दी गई स्वीकृति क्या थी ? श्री वी० पी० सिंह ने मौनसून सत्र और शीत सत्र के मध्य सभी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध स्वीकृति दी थी। श्री पांडे ने, इसे रिलायंस के विरुद्ध, तारीख का उल्लेख किए बिना, समझा। श्री भूरे लाल ने इसे श्री गुरुमूर्ति से अपनी बातचीत पूरी होने से बहुत पहले सितम्बर 1986 में प्राप्त किया था लेकिन श्री भूरे लाल और श्री पाण्डे ने विदेशी जांच एजेंसी को नियुक्त करने के बारे में, श्री भूरे लाल के अमरीका जाने से पहले और उनके वहां से वापिस आने के बाद विचार-विमर्श नहीं किया।

महोदय, यह मौखिक स्वीकृति की कहानी बाद में सोची गई है। मौखिक स्वीकृति की कहानी मनगढन्त है। मौखिक स्वीकृति की कहानी···शामिल करने के लिए है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आयोग की रिपोर्ट

में यह कहां लिखा कि कहां कहती मौखिक स्वीकृति एक कहानी है और मनगढन्त है। (व्यवधान) सरकार आयोग की नियुक्ति की थी। अत: श्री चिदम्बरम स्वयं कहानी बना रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह उन अधिकारियों की निन्दा कर रहे हैं जो स्वयं यहां अपनी रक्षा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं समझता था कि आप एक वकील हैं लेकिन मैंने यह कभी भी नहीं सोचा था कि आप घटिया मंत्री के साथ-साथ एक घटिया वकील भी हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आयोग के निष्कर्षों का वर्णन करने के लिए यदि कोई अनुपूरक सूचना देनी पड़ती है तो वह सूचना सरकार द्वारा सभा को हमेशा दी जा सकती है। और माननीय सदस्यों को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि आवश्यक सूचना हमेशा सरकार द्वारा दी जा सकती है। सरकार कोई चीज सभा से क्यों छुपाएगी ? कोई बात छुपाना वी० पी० सिंह का तरीका है, सरकार का यह तरीका नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह सरकार की ओर बोल रहे हैं। अत:, मंत्री महोदय को प्रत्येक अनुमान के लिए आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : प्रत्येक व्यक्ति क्यों उत्तेजित है ? कृपया पृष्ठ 271 देखें। यह रिपोर्ट जिस तरह आपके दिमाग को अपील करती है आपको पढ़ने का अधिकार है, उसी तरह यह मेरे दिमाग को जिस तरह अपील करती है मुझे पढ़ने का अधिकार है···(व्यवधान)···श्री जयपाल रेड्डी जी एक मिनट इन्तजार कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : वह ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : "मौखिक स्वीकृति" शब्द अन्तर्मुखी विरामों में रखे गए हैं। श्री वी० पी० सिंह द्वारा श्री पाण्डे को और श्री पांडे द्वारा श्री भूरे लाल को "मौखिक स्वीकृति" देने के परिणाम-स्वरूप श्री हर्शमैन के साथ समझौता हुआ। इसके जो तर्क दिए गए हैं वे संतोषजनक नहीं हैं।

आयोग ने "मौखिक स्वीकृति" पर सन्देह व्यक्त किया है। आयोग ने "मौखिक स्वीकृति" को अन्तर्मुखी विरामों में रखा है और कहा है कि तीन व्यक्तियों द्वारा दिए गए तर्क संतोषजनक नहीं हैं। अत: आयोग ने मौखिक स्वीकृति पर सन्देह व्यक्त किया है। मुझे सन्देह में यह जोड़ने और कहने का अधिकार है कि यह आयोग उसके मौखिक स्वीकृति पर विश्वास नहीं करता है। ये शब्द यहां हैं···(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह तो केवल निराधार कल्पना है।

श्री वसुदेव आचार्य : यह गलत छपा है···निराधार-कल्पना है···(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : अन्तर्मुखी विरामों का क्या अर्थ है ? प्रोफेसर साहब इसकी व्याख्या करें।

प्रो० मधु दंडवते : अन्तर्मुखी विरामों का अर्थ है अन्तुमंखी तर्क। अन्तर्मुखी विराम युक्ति-संगत नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : नहीं। उन्होंने मौखिक स्वीकृति को अन्तर्मुखी विरामों में रखा है और

कहा है कि तर्क संतोषजनक नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आयोग, श्री वी० पी० सिंह द्वारा श्री पांडे को और श्री पांडे द्वारा श्री भूरे लाल को स्वीकृति देने के सिद्धान्त से संतुष्ट नहीं है···(व्यवधान) आप इसे अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। मार्च में, आपने इसे भिन्न प्रकार पढ़ा था। दिसम्बर में, आप इसे भिन्न प्रकार पढ़ते हैं।

श्री अमल दत्त : आपने क्या मुद्दा रखा है?

श्री पी० चिदम्बरम : जो मुद्दा मैंने रखा है वह यह है कि मौखिक स्वीकृति कोई नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामधन (लालगंज) : जब हार्वर्ड से लौटकर आओगे तो फिर आप दूसरी तरह से समझोगे।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : श्री रामधन जी, एक बात पर अड़े रहने वाले सदस्य मत बनिए। मैं फाइल से उद्धृत कर सकता हूं कि तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री वी०पी० सिंह ने बहुत सी बातों पर स्वीकृति दी थी जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामधन : हिम्मत है तो कीजिए और हिम्मत है तो एक्शन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, वित्त मंत्रालय में तत्कालीन राज्य वित्त मंत्री, श्री ब्रह्म दत्त ने 17 फरवरी 1987 को कुछ प्रश्न उठाए थे। बहुत ही साधारण प्रश्न : आपको किसने अधिकार दिया था? क्या इसके लिए कोई पूर्वोदाहरण है? क्या ऐसा पहले भी हुआ? क्या इसका कोई रिकार्ड है? श्री भूरे लाल को इन प्रश्नों के उत्तर देने में 20 दिन लगे। प्रश्नों का उत्तर 9 मार्च, 1987 को दिया गया।

श्री अमल दत्त : क्या आप अब उनका उत्तर दे सकते हैं?

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने इनका उत्तर 20 दिन बाद दिया : मैंने अमरीका में किसी को नियुक्त नहीं किया जिसके लिए मुझे उत्तर देना पड़े।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उनके बयान को ही तोड़-मरोड़ रहे हैं···

श्री पी० चिदम्बरम : साधारण प्रश्नों का उत्तर देने में उन्होंने 20 दिन लिए और स्वयं, मार्च के प्रथम सप्ताह में श्री वी० पी० सिंह से आग्रह किया था जिसको मैं उद्धृत करता हूं :—

"प्रस्तुत किया गया बजट के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए।"

श्री वी० पी० सिंह से आग्रह करने के बाद, उन्होंने 9 मार्च, 1987 को एक नोट रिकार्ड किया जिसमें मंत्री महोदय द्वारा की गई आपत्तियों के बारे में स्पष्टीकारण दिया गया है। और तत्पश्चात् फाइल धीरे-धीरे रक्षा मंत्रालय को गई ताकि श्री वी० पी० सिंह 11 मार्च 1987 को अपना वह नोट रिकार्ड कर सकें जो आजकल प्रसिद्ध है।

इस अवधि के दौरान देश में अनेक बातें घटित हुईं। माननीय सदस्यों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं कि 9 मार्च और 11 मार्च को और सप्ताह के दौरान क्या हुआ था।

श्री अमल दत्त : आप हमें अपने तरीके से क्यों नहीं स्मरण कराते ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं आपको स्मरण कराऊंगा। महोदय एक उच्च सांविधिक प्राधिकारी ने एक गोपनीय पत्र, एक दस्तावेज लिखा था जो सामान्य रूप से एक गुप्त दस्तावेज का और प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा। और दस्तावेज की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए था। यह पत्र, समाचारपत्र के एक बहुत ही वरिष्ठ सम्पादक की स्वीकारोक्ती के अनुसार, ऐसा पत्र था जो एक समाचारपत्र के बहुत ही वरिष्ठ सम्पादक सहित अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा लिखा गया था। पत्र, यदि मुझे सही याद है तो, 9 मार्च को भेजा गया था। यह 13 मार्च, 1987 को एक समाचार पत्र में छापा गया था। यदि आप श्री वी० पी० सिंह से यह पूछने की इच्छा करते हैं कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय में क्या किया था तो वह आपको रक्षा मंत्रालय में लगभग उसी अवधि के दौरान की गई कछ अन्य टिप्पणियों के बारे में बताएंगे। (**व्यवधान**)। मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं, मुझे इस समय आपको अभी बता रहा हूं।

9 से 13 मार्च 1987 के बीच का संप्ताह एक निर्णायक सप्ताह रहा है जिसमें इस देश की सांवधिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए स्पष्ट प्रयास···(**व्यवधान**)। तथ्यों से दूर न भागें।

एक ओर संवैधानिक संकट पैदा किया गया और दूसरी ओर, एक मंत्री महोदय ने एक ऐसी फाइल मंगाई जिसे उस फाइल को मंगाने का अधिकार नहीं था और भूलतक्षी प्रभाव से वह सब कुछ रिकार्ड कर दिया जो गत दो महीने दौरान हुआ था, और हम इस सोचा समझा कह सकते हैं।

साथ-साथ, रक्षा मंत्रालय में उन्हीं व्यक्तियों द्वारा कुछ नोट लिखे गए जिनकी जानकारी बाद में अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह में मिलीं। हमारे सामने है सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि क्या देश को स्थिर बनाने के लिए कोई हाथ नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई शक्तियां नहीं थी और जैसाकि की श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कोई एजेंसियां नहीं थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हार्वर्ड विश्वविद्यालय की शक्तियां···(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : आपने ऐसा हजार बार कहा है। यदि मैं आपको अनग्रेजुएट कर सकता तो आज ही मैं अनग्रेजुएट कर देता परन्तु मैं अनग्रेजुएट नहीं कर सकता, मैं अब आपको वहां से ग्रेजुएट बनने के लिए ही भेज सकता हूं। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो मैं आपको वहां भेज दूंगा और आपको एक ग्रेजुएट बना दूंगा। मैं अब अनग्रेजुएट नहीं कर सकता; मैं आपको उसी स्थान पर ग्रेजुएट करने के लिए भेज सकता हूं···(**व्यवधान**)।

महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 मार्च, 1987 को श्री वी० पी० सिंह द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए जवाब के अनुसार उन्हें इस बारे में कोई विचार और जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक टिप्पणी रिकार्ड की थी। परन्तु पहली बार उन्हें फेयरफैक्स, नामों इत्यादि के बारे में तब पता चला जब उन्होंने श्री गुरुमूर्ति द्वारा दायर जमानत आवेदन-पत्र पर आधारित समाचारपत्र की रिपोर्ट पढ़ी तथा 'स्टेट्समैन' ने इसे 20 मार्च 1987 को प्रकाशित किया था।

कृपया अपने आप से एक प्रश्न कीजिए : कि श्री वी० पी० सिंह को कब पता चला और इसका उत्तर रिपोर्ट के पेज 166 पर है···(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : सभा का समय 9 बजे म० प० के बाद नहीं बढ़ाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से, हमने सभा का समय इस वाद-विवाद के समाप्त होने तक पहले ही बढ़ा दिया···

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री चिदम्बरम को जाली पत्रों पर कुछ प्रकाश डालने दिया जाए···(**व्यवधान**)।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि आप एक वक्तव्य दें तो मैं इसका जवाब दूंगा। (**व्यवधान**)। यदि प्रो० मधु दण्डवते यह आरोप लगाते हैं कि सरकार की एक एजेंसी ने जाली पत्र बनाए, तो मैं इसका जवाब दूंगा···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : लोगों के मन में एक आशंका है···(**व्यवधान**)।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं झुकने वाला नहीं हूं। यदि आप दायित्व से कहते हो कि सरकार की एक एजेंसी ने···(**व्यवधान**) मैं इसका जवाब दूंगा।···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, व्यवधान न डालें। जो कुछ वह कहना चाहते हैं, उनको कहने दीजिए; बाद में मैं आपकी बात सुनूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आपको कुछ उन समाचारों पर ध्यान देना चाहिए था जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं···(**व्यवधान**)।

श्री पी० चिदम्बरम : आप यह आरोप लगाएं और मैं उत्तर दूंगा···(**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दंडवते : उसके लिए प्रश्न कहां है ?

श्री पी० चिदम्बरम : आप आरोप लगाएं और मैं उसका जबाव दूंगा।···(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब व्यवधान के दौरान प्रो० मधु दण्डवते बोल रहे थे तो गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वह जाली पत्रों के प्रश्न के सन्दर्भ में अपने बोलने की बारी आने पर बोलेंगे। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : नहीं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे शंका है क्योंकि यह समाचार बार-बार समाचार पत्रों में आया है। तब आरोप लगाने का प्रश्न कहां उठता है ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक अभियोजक नहीं हूं। मैं क्यों आरोप लगाऊं ? मैं चाहता हूं कि वह इसे स्पष्ट करें। यह समाचार बार-बार प्रकाशित हुआ है।

श्री पी० चिदम्बरम : आप आरोप लगाएं, तब मैं जवाब दूंगा। अन्यथा, मैं जवाब नहीं दूंगा। (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री गुरुमूर्ति द्वारा जाली पत्रों के बारे में लगाए गए आरोप के जवाब में आपको क्या कहना है ? सी० बी० आई० तथा स्वयं श्री हर्षमैन द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में आपको क्या कहना है ? सरकार को क्या कहना है ? मंत्री महोदय यह जानते हैं और वह जान-बूझकर सदन से छुपा रहे हैं । यही मेरा आरोप है ।

मेरा आरोप यह है कि मंत्री महोदय तथ्य जानते हैं । वह जानबूझकर यह सदन से छुपा रहे हैं । इस आरोप को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए ।

श्री बी० शोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : यह इसे अपने पास ही रख रहे हैं ।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि किसी न्यायालय में आरोप लगाया जाता है कि भारत सरकार की एजेंसी ने तथाकथित कुछ जाली पत्रों को बनाया है तो उसका उत्तर मैं दूंगा । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति दे रहा हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह चतुर मंत्री सभा को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : पत्र की फोटोस्टेट प्रतियां प्रकाशित हुईं···(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं उसका उत्तर दूंगा ।

प्रो० के०के० तिवारी : प्रत्येक समाचारपत्रों की रिपोर्ट का जबाब नहीं दिया जाता । यदि आपके पास प्रमाणित ब्यौरा है तो आप इस सभा में तुरन्त आरोप क्यों नहीं लगा सकते हैं ? मंत्री आपको चुनौती दे रहे हैं । ठीक है आप आरोप लगाइए ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस मामले को स्पष्ट करने के लिए आप में नैतिक बल क्यों नहीं है ? (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : चिलाने से कोई फायदा नहीं है । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : इसमें कुछ गड़बड़ी है ।

श्री पी० चिदम्बरम : कोई गड़बड़ी नहीं है । आप बताएं कि यहां पर गड़बड़ी है; आप आरोप लगाएं, तभी मैं उत्तर दूंगा । (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : पहले आपने यह कहा और जब मैंने चुनौती दी तो आपने इसे वापस ले लिया । आपने कहा कि यह एक झुकाव था ।

प्रो० मधु दण्डवते : समाचारपत्रों ने कई बार प्रकाशित किया था । श्री गुरुमूर्ति ने एक वक्तव्य दिया था ।

श्री पी० चिदम्बरम : श्री गुरुमूर्ति के न्यायालय में दिए गए गए वक्तव्य का उत्तर न्यायालय में दिया गया है । श्री नुसली वाडिया का आयोग के सम्मुख दिए गए वक्तव्य का उत्तर आयोग में दिया गया है । यदि प्रो० दण्डवते सभा में आरोप लगाना चाहते हैं कि भारत सरकार की किसी एजेंसी का उपयोग किया गया अथवा कोई पत्र प्रस्तुत करें जो जाली हों, मैं आरोप का उत्तर देने को तैयार हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल यह कहा रहा हूं कि यह समाचारपत्रों में आया था·····

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : प्रैस रिपोर्ट का को उत्तर मैं क्यों दूं। मैं इसको बदलने नहीं जा रहा हूं। मैं जो कह रहा था उसी को जारी रखना चाहता हूं। महोदय, श्री वी० पी० सिंह के अनुसार···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं, तो 'नरक' में जाएं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मेरे साथ आइए रास्ता दिखाइए। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : 'नरक' मान हानिकारक नहीं है···

श्री पी० चिदम्बरम : 'नरक' बहुत ही संसदीय है। 'स्वर्ग' अपमानजनक है। महोदय, श्री पी० पी० सिंह के अनुसार उनको फेयरफैक्स की नियुक्ति वित्त मंत्रालय से स्थानान्तरित होने के बाद मैसर्ज फेयरफैक्स ग्रुप कम्पनी को सम्बोधित दो पत्रों की प्रैस रिपोर्ट के आधार पर ही मालूम हुई थी, प्रश्न है कि उनको फेयरफैक्स की नियुक्ति प्रैस रिपोर्ट से कब मालूम हुई।

एक माननीय सदस्य : किसको ?

श्री पी० चिदम्बरम : श्री वी० पी० सिंह को। पहली प्रैस रिपोर्ट 20 मार्च, 1987 को 'दि स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुई जिसके बारे में आरोप था कि वह एक एजेंसी के पास थी और वह जाली पत्र दि स्टेट्समैन में दुबारा प्रकाशित हुआ। इसलिए उनको 20 मार्च, 1987 को इसके बारे में पता चला था। महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यदि उनको इसके बारे में 20 मार्च, 1987 को पता चला था तो उन्होंने इसे 11 मार्च, 1987 को कैसे रिकार्ड किया कि उन्होंने एजेंसी की नियुक्ति के बारे में मौखिक स्पष्टीकरण दिया था ? यदि उनको फाइल मिल गयी थी और यदि उन्होंने पूरी फाइल का आंकलन कर लिया था और 11 मार्च, 1987 को की गयी टिप्पणी को रिकार्ड कर लिया था, तो उनको 11 मार्च, 1987 को मालूम हो गया होगा कि 7, जनवरी 1987 को एक एजेंसी की नियुक्ति की गयी थी। उसमें 6 फरवरी, 1987 की चार रिपोर्ट हैं और प्रश्न उठाया गया है 17, फरवरी 1987 को। इसमें सामंजस्य कहां पर है; तर्क कहां पर है ? क्या उन्होंने फाइल पढ़ ली थी, अथवा उन्होंने फाइल नहीं पढ़ी थी ? **(व्यवधान)** महोदय, मुझे प्रश्न पूछने दीजिए; क्या उन्होंने फाइल पढ़ ली थी अथवा उन्होंने फाइल नहीं पढ़ी थी ?

प्रो० मधु दण्डवते : अद्भुत तर्क है; आपको एक कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने सब कुछ पुष्टि करते हुए, 11 मार्च, 1987 को नोट कर लिया था; और वे आयोग को उत्तर देते हैं कि उनको इस बारे में केवल प्रेस रिपोर्ट से पता चला; और प्रेस रिपोर्ट दि० 20 मार्च, 1987 की थी।

श्री वसुदेव आचार्य : खड़े हुए।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। नहीं, महोदय, विरोध तो देखिए···

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप जानबूझकर गड़बड़ी मचा रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : विरोध को तो देखिए। मैं गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं। यदि आप तर्क करना चाहते हैं, यदि आप बहस करना चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूं उसकी आपको जानकारी हो जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : मौखिक स्पष्टीकरण और वास्तविक कराए···**(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। उन्होंने 11 मार्च 1987 को फाइल का आंकलन किया अथवा नहीं ? यदि उन्होंने फाइल का आंकलन किया है, तो उन्हें यह 11 मार्च को ज्ञात हो गया था। वह आयोग से कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में 20 मार्च, 1987 के प्रेस रिपोर्ट से जाना।

श्री बसुदेव आचार्य : वह कैसे जान सकते हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : फाइल उनके सामने थी। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या आप फाइल को पटल पर रखेंगे ?

श्री बसुदेव आचार्य : आप पूरी फाइल पटल पर रख दीजिए।

श्री अमल दत्त : श्री वी० पी० सिंह के अनुसार, 11 मार्च को फाइल प्रधान मंत्री के सचिवालय को भेजी गई थी।

श्री पी० चिदम्बरम : 11 मार्च को, प्रधान मंत्री के सचिवालय ने फाइल को मांगा था। श्री वी० पी० सिंह के वक्तव्य के अनुसार, जिसे प्रत्येक माननीय संसद सदस्य को परिचालित किया है और जिसमें उनके उत्तर हैं, वह कहते हैं कि फाइल को 11 मार्च को मांगा गया था और 11 मार्च को फाइल उनके पास थी। **(व्यवधान)** उस फाइल का वित्त मंत्री की अनुमति के बिना वित्त मंत्रालय से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं था। यह कार्यवाही नियम है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय पर निर्भर न रहें, वह जटिलताएं पैदा करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रो० दण्डवते इसमें कोई जटिलता नहीं है, आप लोगों ने जनता सरकार का शासन उस तरह चलाया होगा उन्होंने शायद मांडा का राज्य उस तरह चलाया होगा, लेकिन भारत सरकार को इस तरह नहीं चलाया जाना चाहिए। **(व्यवधान)** प्रधान मंत्री वित्त मंत्री थे। शायद इस तरह श्री सिंह ने मांडा स्थित अपने छोटे से राज्य को चलाया होता। भारत सरकार को इस तरह से नहीं चलाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामधन : बाकी आप जो कर रहे हैं। आपके ऊपर चार्ज है कि आप हिन्दुस्तान की फौजों को मरवा रहे हैं, तमिलों को मरवा रहे हैं, यह आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपने देश को बर्बाद कर दिया। फिर भी आप नहीं समझेंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री पी० चिदम्बरम : अगर बाधा न डाली जाए तो मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : क्या सरकार यह चाहती है कि सभी माननीय सदस्य हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि लें ? **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने ऐसा नहीं कहा है। श्री अमल आप परेशान होकर ऐसा कह रहे हैं। आपने इसे लाखों बार कहा है। इससे क्या साबित होता है ? इससे कुछ साबित नहीं होता है। क्या आपको इस बात से शर्म नहीं आ रही है कि आप लाखों बार ऐसा कह चुके हैं ? आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ? लोग दुनिया के हर विश्वविद्यालय में जा चुके हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आप असंगत मामले ला रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : नहीं, आपको तर्क और बहस का अनुसरण करना चाहिए। इसी तरीके से भारत सरकार को चलाया जाना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : बैरिस्टर महोदय, आपने अपनी कानून की डिग्री कहां से प्राप्त की; क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय से ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री को बोलने दें, आप क्यों चिल्ला रहे हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वह इतनी परस्पर-विरोधी बातें कर रहा है कि उन्हें ही सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया श्री गुरुमूर्ति द्वारा दी गई जमानत की अर्जी को देखें जिसे रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 105 पर दिया गया है। फेयरफैक्स की सेवाएं क्यों ली गई थीं, किसने यह सेवाएं ली थीं और किसके आदेशों के अधीन ये सेवाएं ली गई थीं ? आप जमानत की अर्जी देखें।

श्री वसुदेव आचार्य : खड़े हुए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं आपसे कोई प्रमाणपत्र नहीं मांग रहा हूं। कृपया इसे पढ़ें। पृष्ठ 105 पर लिखा है :

> "याचिकादाता ने इसकी जांच करने के लिए एक अत्यंत सक्षम गुप्तचर एजेंसी जो इस जांच को करने के लिए उपयुक्त थी की सेवाओं का उपयोग करने के बारे में गम्भीरता से विचार किया। याचिकादाता के कुछ मित्र और पहचान के लोग जिनकी उसके द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य में रुचि की इस स्थिति में हो सकते थे कि वे ऐसी एजेंसी को नियुक्त करने का खर्चा वहन कर सकते थे। हालांकि यहां पर व्यक्त की गई परिस्थितियों के अधीन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। अमेरिका में वकीलों की एक प्रमुख फर्म के जरिए याचिकादाता को यह पता चला कि फेयरफैक्स ग्रुप एक काबिल गुप्तचर एजेंसी है। उस यात्रा के दौरान

याचिकादाता के पास न तो उनसे सम्पर्क करने का और न ही उनकी सेवाएं लेने का कोई अवसर था···"

"कि इसलिए भारत में याचिकादाता से प्रवर्तन निदेशालय ने सम्पर्क किया। याचिकादाता को यह बताया गया कि इन आरोपों की प्रमुख रूप से जांच की जा रही है कि जो पाचिकादाता ने रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध अपने लेखों में लगाये हैं, याचिकादाता ने अपने लेखों में बताई गई हर सच्चाई की पुष्टि की और निदेशालय को यह भी बताया कि वह और अधिक जानकारी प्राप्त करने में व्यस्त है जिस उद्देश्य के लिए पहले अमेरिका गया था याचिकादाता ने यह भी स्पष्ट किया कि वह गुप्तचर एजेंसी को मिलने का विचार कर रहा था और जहां कक कि उसने निदेशालय को गुप्तचर एजेंसी का नाम तक बता दिया था। क्योंकि सरकारी अधिकारी स्वयं याचिकादाता की इन शिकायतों की जांच करने पर उतारू हो गए जिन्हें याचिकादाता ने स्वयं इस जांच को जारी रखने के लिए आवश्यक नहीं समझा था। याचिकादाता को यह स्पष्ट रूप से पता था कि सरकार अपने उत्कृष्ट स्रोतों से बेहतर जांच कर सकती है यदि वह सचमुच मामले श्री जांच करना चाहे। याचिकादाता कहता है कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच को जारी रखने के लिए फेयरफैक्स ग्रुप को नियुक्त किया है। याचिकादाता को नियुक्ति करने की शर्तों अथवा परिणामों के प्राप्त होने के लिए उसे दिए गए ईनाम की जानकारी नहीं है किन्तु नियुक्ति की बात याचिकादाता को सुविदित है और याचिकादाता यह सिद्ध कर सकता है।"

इससे क्या पता चलता है ? इससे यह पता चलता है कि भारत का वित्त मंत्रालय कार्यचालन करने वाले वित्त मंत्री को इस नियुक्ति की शर्तों के बारे में पता नहीं है। नियुक्ति के प्रयोजन के बारे में पता नहीं है, एजेंसी के बारे में पता नहीं है अथवा ऐसे व्यक्ति के बारे में पता नहीं है जो नियुक्त है किन्तु पूर्णत: किसी और व्यक्ति एक विदेशी व्यक्ति है जिसका सरकार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है वे न सर्फ इसका दावा करते हैं कि वह इस करार के बारे में जानते हैं बल्कि इस करार को लाने में वे एक सहायक थे। और यदि उन्हें करार के बारे में चुनौती दी जाती है तो वह प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्रालय को कौन चला रहा था ? क्या श्री वी० पी० सिंह या श्री गुरुमूर्ति वित्त मंत्रालय चला रहे थे ? यही मुद्दा है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आपके सभी मंत्रालय सिर्फ प्रधान मंत्री द्वारा चलाए जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : क्या किसी ने भी फेयरफैक्स के पूर्ववृत्त की जांच की थी ? कृपया इस रिपोर्ट के पृष्ठ 140 पर श्री भूरेलाल के वक्तव्य को देखें। (व्यवधान) वह भारत सरकार के एक अधिकारी हैं। वह पृष्ठ 140 पर निम्नलिखित कहते हैं :—

"फेयरफैक्स के अधिकारियों के पूर्ववृत्त के बारे में श्री भूरेलाल ने भारतीय राजदूत से पूछताछ नहीं की। श्री भूरेलाल ने यह बहुत स्पष्ट कहा है कि उन्होंने सिवाय श्री गुरुमूर्ति के किसी और से डा० हैरिस के पूर्ववृत्त के बारे में जांच नहीं की। भारतीय राजदूत से न पूछने का कारण श्री भूरेलाल यह बताते हैं कि वे अमरीका जांच करने गए हुए थे और सुरक्षा के कारणों की वजह से उन्होंने इस बारे में राजदूत को नहीं सूचित किया···"

(व्यवधान) राजदूत अच्छे नहीं हैं। राजदूत सुरक्षा के लिए खतरा है। श्री गुरुमूर्ति सुरक्षा के लिए

खतरा नहीं है। वह राजदूत को फेयरफैक्स के पूर्ववृत्त के बारे में नहीं कह सकते लेकिन वह गुरुमूर्ति के सिवाय किसी को भी फेयरफैक्स के पूर्ववृत्त के बारे में नहीं कहेंगे। पृष्ठ 140 पर वे आगे इस प्रकार कहते हैं :—

> "उन्होंने यह भी कहा है कि यह उनका अनुभव रहा है कि जब भी उन्होंने राजदूतों से पूछताछ की है सम्बन्धित पार्टियों को इसके बारे में पता लग गया और इसी वजह से उन्होंने फेयरफैक्स के बारे में राजदूत को सूचित नहीं किया।"

अपनी कलम के एक ही प्रहार से उन्होंने भारत सरकार के सभी राजदूतों चाहे वे कहीं पर नियुक्त हों इनकी छवि पर धब्बा लगा दिया है, क्योंकि यदि वे पूछताछ करते तो सम्बन्धित पार्टी को इसके बारे में पता लग जाता। क्या उन्होंने अपने वक्तव्य के समर्थन में एक भी साक्ष्य पेश किया है ? **(व्यवधान)** यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत सरकार के हित, भारत सरकार के निर्णय और उसके संसाधन तीसरी पार्टी को पूरी तरह से बेच दिए हैं। वह अपने राजदूत, अपने मंत्री, अपनी सरकार और अपने प्रधान मंत्री पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन वे एक तीसरे आदमी पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे जो अपने प्रयोजन हेतु जांच-पड़ताल कर रहे है क्योंकि श्री भूरेलाल को उन्हें एक इच्छुक सहयोगी मिल गया है जिसके माध्यम से श्री गुरुमूर्ति सरकारी पैसे कीमदद से जांच करना चाहते थे। उनका उद्देश्य प्रशंसनीय हो सकता है लेकिन मुद्दा यह है कि क्या किसी और के हितों को आगे रखने के लिए तीसरी पार्टी के सम्मुख सरकारी पैसा रखने का क्या यही तरीका है ? **(व्यवधान)** मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

सभा को याद होगा कि जब 6 अप्रैल, 1987 को आयोग गठित करने के लिए अधिसूचना प्रकाशित की गई थी तब श्री वी० पी० सिंह मंत्रिपरिषद के सदस्य, कैबिनेट के एक सदस्य और सी० सी० पी० ए० के एक सदस्य थे। वे इस निर्णय लेने में सम्मिलित थे जिसके द्वारा विचारणीय विषय तय किए गए थे ? और हम अपनी तरफ से यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विचारणीय विषय आमतौर पर श्री वी० पी० सिंह द्वारा तैयार किए गए थे और जब इन्हें सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया तब श्री वी० पी० सिंह ने विचारणीय विषयों का अनुमोदन किया था। यह कहना उनके अनुकूल हो सकता है और आज यह कुछ विपक्षी सदस्यों के अनुकूल भी हो सकता है कि ये वे विचारणीय विषय नहीं है अपितु कुछ अन्य विचारणीय विषयों को सौंपा गया है।

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं हो सकता।

श्री पी० चिदम्बरम : तथ्य यही है कि 6 अप्रैल को श्री वी० पी० सिंह निर्णय लेने में सम्मिलित थे, वे विचारणीय विषयों का प्रारूप तैयार करने में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे, उन्होंने इस निर्णय का अनुमोदन किया और यह निर्णय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

आज श्री वी० पी० सिंह यह शिकायत करते हैं कि उन्हें धारा 8ख के अन्तर्गत अधिसूचना नहीं दी गई। महोदय, उनके अपने वक्तव्य को देखें जो उन्होंने संसद के माननीय सदस्यों को परिचालित किया है। प्रश्नावली का उत्तर देने के बाद मैंने सोचा कि आयोग इन उत्तरों से संतुष्ट है। यदि ऐसा

नहीं था तो अधीन वह मुझसे और प्रश्न पूछता अथवा मुझे धारा 8ख के अन्तर्गत एक नोटिस देता।" श्री वी० पी० सिंह यह स्वीकार करते हैं कि यदि आयोग उनके उत्तर से संतुष्ट था तो धारा 8ख के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके उत्तर के बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद कहूंगा। यह श्री० पी० सिंह का वक्तव्य है। **(व्यवधान)**

आप उस बात पर तर्क नहीं कर सकते जिसका श्री वी० पी० सिंह ने तर्क नहीं किया।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : आपने उन्हें राज्य सभा में सुना था।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं उस समय राज्य सभा में था जब उन्होंने कहा :—

"प्रश्नावली का उत्तर देने के बाद मैंने सोचा कि आयोग मेरे उत्तरों से संतुष्ट है यदि यह संतुष्ट नहीं था तो वह मुझसे और प्रश्न पूछता अथवा मुझे धारा 8ख के अन्तर्गत एक नोटिस देता।"

यही वक्तव्य है।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया एक मिनट। श्री वी० पी० सिंह अकेले ही इसमें सम्बद्ध नहीं थे। अधिकारी भी इसमें सम्बद्ध थे। 8ख और 8ग केवल अमुक अमुक व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होती।

श्री पी० चिदम्बरम : श्री भूरेलाल और श्री पांडे ने शिकायत नहीं की है जब वे शिकायत करेंगे तब हम उसे देखेंगे। श्री वी० पी० सिंह ने शिकायत की है और मैं श्री वी० पी० सिंह की शिकायत का जवाब दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमने श्री पांडे तथा भूरेलाल की तरफ से शिकायत की है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं श्री वी० पी० सिंह की शिकायत का उत्तर दे रहा हूं। उनकी शिकायत है कि उन्हें धारा 8ख के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ही यह स्वीकार किया है कि धारा ६ख के अन्तर्गत उन्हें नोटिस तभी दिया जा सकता है जब आयोग उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं था और यदि वह उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं था तो वे तो वे उनसे पूछते···

प्रो० मधु दंडवते : यह एक अनिवार्य उपबंध है वे गलत व्याख्या कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं गलत व्याख्या नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि मैं इस बारे में क्या बोल रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम जानते हैं कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसे आप जानते हैं। यह एक अनिवार्य उपबन्ध है।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि इसके कार्यसंचालन की जांच होती है। तभी यह अनिवार्य उपबन्ध है। और कानून के उपबन्धों के बारे में श्री वी०पी० सिंह आपसे काफी बेहतर समझते हैं।

प्रो० मधुदंडवते : प्रश्न यह नहीं है कि श्री वी० पी० सिंह समझते हैं या नहीं। मैं जानता हूं। कानून में ये अनिवार्य उपबन्ध हैं। जिस क्षण आप एक जांच आयोग गठित करते हैं तभी आपको धारा 8ख और 8ग लागू करनी पड़ती है।

श्री पी० चिदम्बरम : जी, नहीं। यह तभी है यदि कार्य संचालन की जांच होती है। श्री वी० पी० सिंह स्थिति को बहुत ठीक समझते हैं। वे कहते हैं कि :—

"यदि वे प्रश्नावली के मेरे उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे तो वे मुझसे और प्रश्न पूछने या वे मुझे धारा 8ख के अन्तर्गत एक नोटिस देते।"

अब, श्री वी० पी० सिंह ने प्रश्नों के क्या उत्तर दिए थे।

संक्षेप में उनसे पूछा गया, "क्या आप किसी से मिले ?" वे कहते हैं : "नहीं।"

"क्या किसी ने आप से सम्पर्क किया ?" "नहीं।"

"क्या आपको करार के बारे में मालूम था, यह कब किया गया ?" "नहीं।"

"क्या आप श्री हर्शमैन से मिले ?" "नहीं"।

"क्या आपको करार की शर्तों का पता था ?" "नहीं।"

उनसे पूछने को आयोग के पास क्या है ? **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे 8ख को गलत पढ़ रहे हैं। क्या मैं इसे पढ़ूं...**(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : आप अपनी बारी पर पढ़ सकते हैं। उनसे पूछने को आयोग के पास क्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : धारा 8ख में कहा गया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों बहस कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : आयोग का निर्णय है। तत्कालीन वित्त मंत्री...**(व्यवधान)**

मैं उनसे कानून नहीं पढ़ रहा हूं। वे मेरी कानून की व्याख्या स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहस क्यों करते हो ? केवल यदि कार्य-संचालन की जांच पड़ताल है—कृपाया धारा पढ़िए—यदि केवल कार्य-संचालन की जांच-पड़ताल है...**(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं 8ख पढ़ रहा हूं। सुनवाई के दौरान प्रभावित होने वाले व्यक्ति—यदि जांच के किसी चरण में...**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं। आप यहां श्री वी०पी० सिंह पर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसका आशय है उनकी ख्याति पक्ष पात्त युक्त प्रभावित हुई है। इस मामले में आयोग कारणों को बताएगा...**(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : प्रभावित होने वाली ख्याति क्या है ? जबकि वह पहले ही अपने अज्ञानता की दलील पेश कर चुके हैं...**(व्यवधान)** मैं अपनी बात पर अडिग हूं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको जबाब दे रहे हैं। यह समस्या है।

श्री पी० चिदम्बरम : आयोग का निष्कर्ष यह है। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को यह कभी पता नहीं चला कि कौनसी विदेशी प्राइवेट एजेंसी के साथ करार हुआ—पृष्ठ 171—करार की क्या शर्तें थीं और इसे क्या काम करना था और ये किस तरीके से होना था, किसी भी समय उनके वित्त मंत्री कार्यकाल के दौरान जो 24 जनवरी, 1987 को समाप्त हुआ। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री को स्वयं नियुक्त किए गए विशिष्ट एजेंसी के साथ हुए करार के मामलों इसके कार्य करने की शर्तों और उनके कार्यकाल जो 24 जनवरी, 1987 को समाप्त हुआ के दौरान जो कार्य उसने करना था, उसके बारे में उन्हें नहीं मालूम किया। "तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह तथ्य भी ध्यान में नहीं रखा कि अमरीका की कोई जासूसी एजेंसी तब तक जानकारी एकत्र करने को राजी नहीं होगी जब तक कि भुगतान नहीं किया जाएगा। श्री वी० पी० सिंह ने एजेंसी के चयन के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिए लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह अपने अधिकारियों पर छोड़ दिया था।"

महोदय, प्रश्न के बाद प्रश्न के बावजूद भी माननीय श्री वी०पी० सिंह कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैंने कोई निर्देश नहीं दिए। शर्तों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि किसके साथ करार हुआ। मुझे नहीं मालूम किस तरह का काम होना था।" महोदय आयोग की श्री वी० पी० सिंह के साथ उनकी पूर्ण अज्ञानता के लिए सहानभूति है। जो कुछ उनके मंत्रालय में हुआ और उनके अधिकारियों ने जो कुछ किया। वास्तव में, श्री वी० पी० सिंह को जो संरक्षण मिला है वह यह कि आयोग ने उनके उत्तरों को स्वीकार कर लिया है। आयोग ने उनकी अज्ञानता के लिए दी गयी दलील भी स्वीकार कर ली है और भविष्य में भारत सरकार से आठ प्रश्नों का जवाब देने को कहा है। क्या इसी तरीके से आपके मंत्री को मंत्रालय चलाना चाहिए और क्या इसी तरह से भारत सरकार चलनी चाहिए ? इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। श्री वी० पी० सिंह के पास कहने को कुछ नहीं है। श्री वी० पी० सिंह ने अज्ञानता के लिए दलील दी है। श्री वी० पी० सिंह ने पहली बार उस समय अज्ञानता के लिए दलील दी जब उन्हें 20 मार्च के 'स्टेट्समैन' द्वारा सब कुछ मालूम हुआ। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधानमंत्री ने मौखिक आदेश दिए हैं···(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : उनकी ख्याति को क्या नुकसान हुआ है ? इसमें ख्याति सम्बद्ध नहीं है। केवल एक बात सम्बद्ध है। इस मामले में जो कुछ भी सम्बद्ध है वह यह है कि मंत्रालय में जो कुछ हुआ उसके लिए श्री वी०पी० सिंह पूर्णतया अनभिज्ञ थे। श्री वी०पी० सिंह ने अज्ञानता की दलील का सहारा लिया। श्री वी०पी० सिंह ने कहा कि उन्हें इन सब बातों का कुछ पता नहीं था, उन्हें 20 मार्च, 1987 को पहली बार मालूम हुआ। श्रीमन्, ऐसे लोगों से पूछने में आयोग का सम्पूर्ण समय बर्बाद हो जाएगा मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे आपकी ख्याति को क्षति पहुंचेगी क्योंकि आयोग ने अज्ञानता की दलील स्वीकार कर ली है। आयोग ने वास्तव में श्री वी०पी० सिंह की ख्याति को बचा लिया है। उसके विपरीत यहां दलील दी जाती है कि आयोग ने श्री वी०पी० सिंह की ख्याति को क्षति पहुंचाई है।

श्रीमन्, मुझे आयोग द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों को उद्धृत करने के बाद समाप्त करना चाहिए। ये प्रश्न हैं जिनका हमें जवाब देना है। जनवरी, फरवरी और मार्च में क्या हुआ और उनके अधिकारियों ने क्या किया। ये बातें स्वतः ही पूर्ण प्रकाश में आती हैं। हम उसे रोकने योग्य थे और

हम इस जांच को रोकने में समर्थ थे। जिन प्रश्नों को आयोग ने पृष्ठ 175 और 176 में पूछा है उन्हें मैं नहीं पढ़ूंगा, कृपया इन प्रश्नों को पढ़िए—ये परेशान करने वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न सरकार के ढांचे में बाधा डाल रहे हैं। महोदय, मंत्रिमंडल दायित्व और सामूहिक दायित्व का सम्पूर्ण सिद्धान्त इन प्रश्नों पर निर्भर करते हैं। श्रीमान, क्या एक मंत्री स्वयं इस तरह से आचरण कर सकता है? क्या एक मंत्री अपने मंत्रिमंडल की अवहेलना कर सकता और प्रधान मंत्री की अवहेलना कर सकता है?···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह सामूहिक दायित्व था, कि मुस्लिम महिला विधेयक पर विभिन्न मंत्रियों ने अलग-अलग स्वरों में बातें की हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण करने दो। वह इसे समाप्त कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : वाद-विवाद की गरमागरमी समाप्त होने के बाद माननीय सदस्य अपने घर वापिस जाएंगे और आयोग द्वारा पृष्ठ 175 में पूछे गए आठ प्रश्नों पर विचार करेंगे और महसूस करेंगे कि जनवरी और मार्च के बीच में जो कुछ हुआ उससे सरकार की नीति और मंत्रिमंडल को भारी आघात पहुंचा है।

श्रीमान् मैं 'इवन जीनिग्स' को उद्धृत करूंगा। अपनी उत्कृष्ट पुस्तक 'केबिनेट गवर्नमेंट' के पृष्ठ 235 में उन्होंने कहा है :—

"जो मंत्री केबिनेट के पास जितना अधिक ले जाता है वह कमजोर है और जो बहुत कम ले जाता है, वह खतरनाक है।"

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमुन्द) : मंत्री के भावपूर्ण भाषण के पश्चात् जोकि व्यंगों और अभिधारणाओं से परिपूर्ण है, एक तर्कपूर्ण भाषण देना बहुत मुश्किल है। मैं प्रयास करूंगा और जैसे-जैसे परिणाम आते जाते हैं उनको बताऊंगा। हम इस बारे में जानते हैं कि जब इस सभा द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पारित किया गया था तब तस्करों और आर्थिक अपराधियों पर काबू पाने के लिए काफी सरगरमी थी। थोड़ी देर के बाद इसमें कुछ नरमी आई। श्री वी०पी० सिंह के केन्द्रीय सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद, सरकार द्वारा 'फेरा' के तहत दी जाने वाली शक्तियों का सही इस्तेमाल किया गया और सिर्फ सही इस्तेमाल ही नहीं किया गया बल्कि लक्ष्यों का चयन भी उपयुक्तता से किया गया। निस्संदेह इससे कुछ लोगों को परेशानी हुई, विशेषकर उन लोगों को जिनका लगाव व्यापारिक घरानों से था और जो केन्द्रीय सरकार में शामिल थे।

हम जानते हैं कि इन मौखिक आदेशों के बारे में काफी कुछ किया गया है। श्रीमती गांधी के तहत 12 वर्ष तक केन्द्रीय सरकार में सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं निश्चित तौर पर यह जानता हूं और कह सकता हूं – तिवारी जी और काफी लोग जिन्होंने मेरे साथ कार्य किया है इस बात की पुष्टि कर सकते हैं—कि खंडन के किसी भय के बिना हमारे मौखिक आदेशों को लिखित आदेशों के रूप में माना जाता था और यह कहने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी कि मैंने अथवा किसी और ने एक मौखिक आदेश पारित कर दिया है तो इसे कुछ दिन के अन्दर ही लिखित में दिया जाए। यह परिस्थितियों और कई बातों पर निर्भर करता है। परन्तु इनका हमेशा संबंधित अधिकारियों और संबंधित मंत्रियों का प्रोत्साहन मिलता रहा। इस प्रकार, जब तक अधिकारी अथवा आयोग अथवा कोई

और मौखिक आदेशों से इन्कार नहीं करता था तो मौखिक आदेश लिखित आदेशों की तरह वैध थे। इसलिए कोई व्यक्ति मौखिक आदेश कह कर फायदा उठाना चाहता है और "मौखिक आदेशों" को आयोग की रिपोर्ट में दिया गया है तो यह सिर्फ मामले को धूमिल करने का प्रयास है।

वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान को उन लोगों के आदेश पर विभिन्न तरीकों से मन्द किया गया था जिन्हें उन लोगों के प्रति सहानुभूति थी जिनके पीछे तत्कालीन वित्त मंत्री पूरी तरह से पीछे पड़े हुए थे। यह मुख्य प्रश्न है। इस प्रकार, जब तक मौखिक आदेश फाइलों में है तब तक इनका मुद्दा असंगत है, चाहे इनको बाद में शामिल किया गया हो अथवा पहले किया गया हो। जब तक कोई भी उनसे प्रश्न नहीं करता और कोई भी उन आदेशों की सच्चाई के बारे में प्रश्न नहीं करता तब तक दूसरे पक्ष के विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने 22 दिन तक शाह आयोग का सामना किया। शाह आयोग भी वर्तमान आयोग की तरह राजनीति से प्रेरित था, जिसकी रिपोर्ट पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। शाह आयोग का अध्यक्ष भी सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत न्यायाधीश था। परन्तु वर्तमान आयोग की तुलना में जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, शाह आयोग के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह आयोग की अपेक्षा अपनी प्रक्रिया में काफी निष्पक्ष था···(**व्यवधान**) मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा। उनके लक्ष्य अनुचित हो सकते हैं परन्तु प्रक्रिया पूर्णतया उचित थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ मुझे और कई अन्य लोगों को 8बी० और 8 सी० के अन्तर्गत उचित नोटिस दिए गए थे। हमें अपने वकील साथ ले जाने की अनुमति दी गई थी। हमें पूर्णतया उपयुक्त और इतने अधिक अवसर दिए गए थे जितने कि हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता थी और आवश्यकता के अनुसार ही हमें समय दिया गया। सम्पूर्ण सभा यह जानती है कि शाह आयोग की कार्यवाही गुप्त रूप से नहीं हुई थी; कोई भी गोपनीयता नहीं बरती गयी। सभी अति-गोपनीय दस्तावेजों, अति-गोपनीय सरकारी फाइलों जिन पर 'अति गोपनीय' लिखा हुआ था, को न्यायालय के कमरे में प्रस्तुत किया गया था। आम जनता और प्रेस के लोग इन कार्यवाहियों को देख सकते थे।

प्रो० मधु दंडवते : यहां तक कि टेलीविजन भी उपलब्ध था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें आशा है कि तिवारी जी इस बात के विशेष कारण बतायेंगे कि इस आयोग का कार्य गुप्त तरीके से गोपनीय और बन्द कमरे में क्यों किया गया ? इसमें देश की क्या गुप्त बातें शामिल थी ? इसमें देश के क्या हित शामिल थे ? यह प्रश्न सिर्फ आर्थिक अपराधियों और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का था। गोपनीयता वाला और कोई प्रश्न नहीं था। वे आर्थिक अपराधियों की गुप्त बातों को देश की गुप्त बातों के रूप में क्यों मानना चाहते हैं ? ये देश की गुप्त बातें नहीं हैं। जो कुछ भी आर्थिक अपराधी करते रहे हैं और यदि सरकार ने इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है तो इसको बताया जाना चाहिए था। जनता को वहां जाने और देखने की ईजाजत दी जानी चाहिए थी, प्रेस वालों को रिपोर्ट देने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। तब समूचे देश पर इसका सम्मानजनक प्रभाव पड़ता और इस रिपोर्ट पर थोड़ी और अधिक विश्वसनीयता से चर्चा की जाती। परन्तु सच्चाई यह है कि सम्पूर्ण कार्यवाही बिना स्टाफ के सभाओं में एक बहुत ही अजीब ढंग से आरम्भ हुयी। मैं नहीं जानता कि ये न्यायाधीश गुप्त रूप से क्या कर रहे थे परन्तु जो रिपोर्ट

अब प्रकाशित हो चुकी है उससे स्पष्टतया यह पता चलता है कि इसे गुप्त रूप से करने का पूर्ण औचित्य था क्योंकि यदि साक्षियों से जिरह करने के लिए लोग होते, यदि गवाही देने के लिए लोग होते, यदि उन लोगों को कहने की अनुमति दी जाती जिनकी प्रतिष्ठा को इस आयोग की रिपोर्ट से क्षति हुयी है, तो वे कभी भी इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। इसलिए सरकार से निश्चित स्पष्टीकरण होना चाहिए इस आयोग की कार्यवाहियां बन्द कमरे में क्यों की गईं इन कार्यवाहियों को जनता को क्यों नहीं देखने दिया ताकि लोग उसकी संवीक्षा कर सकते।

कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि रिलायंस और बॉम्बे डाईंग के बीच कुछ समस्याएं हो सकती है। हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां हमारा सम्बन्ध इस तथ्य से है कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है और तत्कालीन वित्त मंत्री का सम्बन्ध है वहां कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यदि कुछ लोगों का विचार है कि बॉम्बे डाईंग को कुछ महत्व दिया गया है, तो वे उन पर छापा क्यों नहीं मारते ? वे उन पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाते, उन्होंने जो कुछ किया है ? अगर आपका यह विचार हैं कि उन्हें पहले संरक्षण दिया गया है—अब आठ महीने गुजर गये—वे कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते ? हमें मालूम है कि सरकार में इसके बारे में कठिनाइयां हैं। यदि कोई कारंवाई की जाती है तो मंत्रालय में समस्या पैदा हो सकती है। मंत्रीमण्डल में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। परन्तु इसके बावजूद भी हम चुनौती देते हैं कि अगर बॉम्बे डाईंग या श्री नुसली वाडिया के खिलाफ कोई ऐसी बातें हैं तो उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए, और इसके लिए हम अपना पूरा समर्थन देंगे। अगर उस घराने ने कोई गलत काम किया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में उन्हें हिचकिचाना बिल्कुल नहीं चाहिए।

विचारणीय विषयों के बारे में कुछ कहा गया है। इस सभा में वक्तव्य देने से पहले हमने श्री वी० पी० सिंह से चर्चा की है और उनसे विचारणीय विषयों के बारे में पूछा है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने विचारणीय विषयों के दो या तीन मसौदों को तैयार करने का सुझाव दिया था जिन्हें प्रधान मंत्री ने स्वीकार नहीं किया और अन्त तो गत्वा विचारणीय विषयों को काफी चर्चा और प्रधान मंत्री द्वारा इन विचारणीय विषयों की सूची में व्यवधान के बाद अन्तिम रूप दे दिया गया। वे बड़ी परेशानी के बाद इसे अन्तिम रूप दे सके···(**व्यवधान**)। इसलिए यह कहना पूर्णतया गलत है कि यह विचारणीय विषय श्री वी० पी० सिंह द्वारा तैयार किये गये। वास्तव में, ये विचारणीय विषय···

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : ऐसा किसी ने नहीं कहा।

श्री विद्याम्बरण शुक्ल : श्री बूटा सिंह ने पहले ऐसा कहा था। परन्तु श्री वी० पी० सिंह द्वारा इन विचारणीय विषयों को तैयार नहीं किया गया था यद्यपि उनसे परामर्श लिया गया था, परन्तु उनकी बात नहीं मानी गयी और प्रधान मंत्री ने इन विचारणीय विषयों को अन्तिम रूप दिया था··· (**व्यवधान**)। महोदय, मैं आपकी बात को नहीं मान रहा हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और यह सरकार के लिए है···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह बात के लिए है। उनको यह नहीं कहना चाहिए···

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यह सच्चाई के खिलाफ बात है। वह सरकार में बने रहे। उन्होंने उस रात्रि को इस्तीफा नहीं दिया। महोदय, मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि श्री तिवारी को उत्तर उनका देना है।

यदि फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन सुरक्षा के लिए इतने घातक थे तो सरकार को सभा और देश को बताना चाहिए, यह मालूम पड़ने के बाद कि फेयरफैक्स और श्री हर्शमैन श्री भूरे लाल द्वारा लगाए गये हैं, उन्हें हटाने के बजाय तीन महीनों तक क्यों रोका रखा गया ? इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : चार महीने।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मार्च से मई तक। यदि उन्हें ये मालूम था तो एक सप्ताह ही पर्याप्त था। श्री चिदम्बरम ने जो कुछ कहा था, प्रधान मंत्री को मामले की जानकारी होने के बाद जब प्रधान मंत्री वित्त मंत्री बने तो उन्हें इस करार को तुरन्त रद्द कर देना चाहिए था। इसे तीन महीनों तक क्यों रखा गया और इन तीन महीनों में क्या हुआ ? यह भी बताया जाना चाहिए। क्या उन्होंने कोई काम किया, क्या कारण था अथवा आप इसके बारे में भूल गए, यह भी हमें बताया जाना चाहिए।

अभी श्री चिदम्बरम ने कहीं रची गयी साजिश के बारे में कहा। कहीं भी कोई साजिश नहीं रची गयी। यदि साजिश रची गयी थी तो क्या यह केवल आर्थिक अपराधियों का समर्थन करने वाले लोगों के स्तर पर ही रची गयी। जो लोग आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने कोई साजिश नहीं रची। उन्होंने यहां वहां कुछ प्रक्रियाओं की उपेक्षा कर दी होगी परन्तु आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तुले हुए थे और श्री वी० पी० सिंह, भूरेलाल और श्री विनोद पांडे के बीच किसी भी प्रकार की साजिश रचने का कोई प्रश्न नहीं था और मुझे यह कहने पर बाध्य होना पड़ा है क्योंकि ईमानदार और प्रतिष्ठित अधिकारियों को सरकार के मंत्री द्वारा इस सभा में बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा जो कि असाधारण बात है, केवल असाधारण ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। कोई भी अधिकारी आपका प्रतिरोध नहीं कर रहा है और आप उन अधिकारियों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते जा रहे हैं, जिनका अपने पूरे जीवन में विशिष्ट रिकार्ड रहा है और अब तक कोई भी उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सका है। अगर आप सभा में इस तरह का दोष लगाते हैं तो यह केवल दुर्भाग्य ही नहीं अपितु सिविल सेवाओं की साख को और कम करना है जोकि राष्ट्र के अहित में होगा। इसलिए, मैं यहां उपस्थित वरिष्ठ मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सिविल सेवाओं के अधिकारियों के मनोबल को जो ठेस श्री चिदम्बरम ने पहुंचाई है उसकी भरपाई करने के बारे में वह कुछ कहें।

महोदय, मैं इन अधिकारियों के बारे में कुछ जानता हूं। मुझे लोक सभा में तीस वर्ष हो गये और जब लोक सभा में आया तो सज्जन गण परिवीक्षाअधिकारी के रूप में आये थे और मैं उनके जीवन के बारे में जानता हूं, केवल इनका ही नहीं लेकिन दूसरों के बारे में भी जानता हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि श्री भूरेलाल और श्री विनोद पांडे ईमानदार और देशभक्त अधिकारी हैं। यह पूर्णतया आश्चर्य की बात है कि मंत्री जी इन अधिकारियों को दोषी ठहराने के लिए सभा में आए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जब वे सेवा-निवृत होंगे तब इन मुद्दों का उत्तर दे सकेंगे।

श्री विद्या चरण शुक्ल : आप भूरे लाल को इलाहाबाद से लोक सभा की सीट के लिए उम्मीदवार बना सकते हैं। महोदय, एक वक्तव्य भी दिया गया था कि श्री हर्शमैन ने इस जांच व भारत सरकार में हुई इस घटना के विषय में कुछ कहा है। श्री वी०पी० सिंह ने उस वक्तव्य की भर्त्सना नहीं की थी। मैं कहना चाहता हूं कि श्री वी०पी० सिंह ने उस वक्तव्य की भर्त्सना नहीं इसे आप वास्तविक वक्तव्य मान सकते हैं। तथा मैं अध्यक्षपीठ की संतुष्टि के लिए साबित कर दूंगा कि श्री वी०पी० सिंह ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया था और यह सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से श्री वी०पी० सिंह की निंदा करने का प्रयास था कि जब श्री हर्शमैन ने वक्तव्य दिया था तो श्री वी०पी० सिंह इसके बारे में चुप्पी लगाए रहे। वह बिल्कुल झूठ तथा गलत था। समय बहुत ले लिया गया है तथा अब हमारे निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह रिपोर्ट पूर्णतया अविश्वसनीय है। यह रिपोर्ट राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित है जिसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि आयोग की टिप्पणियां, जिनका माननीय मंत्री महोदय ने यहां उदाहरण दिया है वे अधिकतर अनुभावित हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। अतएव यह रिपोर्ट अत्यधिक राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। इसमें कहीं कोई न्यायिक सूझ-बूझ व विवेक नहीं है। तथा इसलिए इस आयोग का भविष्य भी वही होगा जो राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित आयोगों का जैसे शाह आयोग तथा इस आयोग तथा अगले आम चुनाव से पहले जिन आयोगों को सरकार बनाएगी उनका होगा। लेकिन मैं उन्हें यह चेतावनी देता हूं कि यदि वे ऐसा करते रहे पुनः यह उनके विरुद्ध जाएगा तथा यदि उनकी कोई साख बची हुई है तो इसमें उनकी वह साख भी समाप्त हो जाएगी और मैं कहूंगा कि वे इस प्रकार के कार्य करने से बाज आएं तथा देश को संकट से बचाएं। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ वे जहां कहीं भी हों, सशक्त अभियान चलाएं, उन्हें पकड़ें, उन्हें सामने लाएं जिससे कि जो महान कार्य श्री वी० पी० सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में आरम्भ किया था। जारी रहे तथा देश इन काले बाजार का धन्धा करने वालों तथा आर्थिक अपराधियों से मुक्त हो तथा हमारी अर्थव्यवस्था को जिस भारी धनराशि का नुकसान हो रहा है, वह बन्द हो सके।

महोदय, आपने मुझे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जो समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सेलम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जस्टिस ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट अब आपके हाथ में हैं। पहले इस सदन में जब यह मामला आया था तब मैं सत्ताधारी दल के उन लोगों में से था जिन्होंने यह कहा था कि फेयरफैक्स मुद्दे से अनेक प्रासंगिक प्रश्न उठते हैं। उस समय आयोग के गठन का कोई प्रश्न ही नहीं था। विषय इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि आयोग का गठन किया जाए। लेकिन उस समय मैंने किसी पर दोषारोपण किए बिना प्रश्न उठाया था। मैंने स्पष्ट रूप से यह प्रश्न किया था कि हमारे देश में आर्थिक अपराधियों के मामले की जांच करने के लिए एक प्राइवेट विदेशी गुप्तचर एजेंसी विशेष रूप से संयुक्त राज्य की एजेंसी को नियुक्त करने का क्या औचित्य है और यह सरकार उन्हें किस तरह से प्राधिकार पत्र देकर अधिकार दे रही है। वास्तव में मैंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह कहा था :—

"यह राष्ट्रीय हित का मसला है। मैं व्यक्तिगत रूप में सदन को यह सुझाव देना चाहूंगा कि हम सभी व्यक्तियों को जिन्हें इस विषय में जानकारी है उन सभी को एक साथ मिलकर

इस समस्या का हल निकालना चाहिए। क्योंकि यह विश्व नीति का एक भाग है। यह तो उसकी लेशमात्र झलक है जो हम देख रहे हैं। यदि गहराई में जाएं तो इसके मुकाबले में हथियारों वाला मामला तो कुछ भी नहीं है : हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और इस मसले पर विचार करना चाहिए। यह मात्र आर्थिक अपराधियों का मसला नहीं है यह तो उससे भी कहीं और अधिक बड़ी बात है। वास्तव में यह एक कपटपूर्ण नीति है जोकि बहुत सी ताकतों ने मिलकर राष्ट्र की छवि को बिगाड़ने, हमारे देश के नेताओं को नीचा दिखाने तथा देश को अस्थिर करने के लिए अपनाई है।"

मैंने 31 मार्च, 1987 को सदन में यही कहा था। मेरे कहने के अनुसार मसला यह नहीं है कि चाहे यह श्री भूरे लाल ने इसे किया हो, विनोद पांडे ने किया हो या श्री वी०पी० सिंह ने किया हो। मसला तो यह है :—इस रिपोर्ट से क्या पता चलता है ? क्या इसमें मात्र प्रशासनिक गलती ही बताई गई है ? क्या इसमें मंत्री अथवा किसी अधिकारी की छोटी सी लापरवाही अथवा निर्दयता बताई गई है अथवा इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है ? महोदय, बहुत से सदस्यों ने विशेष रूप से विरोधी पक्ष के सदस्यों ने जिन्होंने इस रिपोर्ट के राजनैतिक पहलू के बारे में बोला है। मैं समझता हूं कि वे मूलतः यह कहना चाहते थे कि रिपोर्ट में इस बात पर विचार करते समय कि क्या यह राष्ट्र के लिए खतरनाक है या नहीं इस पर भी विचार किया गया है ; यह स्पष्ट है कि जब किसी आयोग को यह निष्कर्ष देने के लिए कहा जाता है, पता नहीं फेयरफैक्स आयोग की नियुक्ति इस विचार से की गई है या नहीं, कि क्या यह किसी प्रकार देश के लिए खतरनाक है अथवा नहीं तो उसे उस प्रश्न पर विचार करना ही पड़ता है। और भारत की सुरक्षा का प्रश्न स्वयं ही राजनैतिक है और इसलिए यह आरोप कि प्रतिवेदन राजनैतिक हैं एक तरह से ठीक ही लगाया गया है। राजनैतिक प्रश्न उनके आगे रखा गया है। लेकिन यह राजनैतिक प्रश्न तथ्यों पर आधारित है। आयोग ने भी तथ्यों पर आधारित जवाब दिया है। उन्होंने प्रश्न उठाया ओर इसका उत्तर दिया है। यह कहना आसान है कि सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों का आयोग निष्पक्ष नहीं है। न्यायाधीशों की निंदा करना आसान है। लेकिन जब कोई अधिकारियों से सम्बन्धित मामलों पर बोलते हुए आलोचना करता है तो मैं समझता हूं कि यह भी महसूस कर लेना चाहिए कि जब कोई न्यायपालिका पर लांछन लगाता तो इसकी भी अपनी उलझनें हो जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अनुरोध किया गया है और वास्तव में यह उत्साह के साथ किया गया अनुरोध लगता है पर मैं नहीं जानता कि श्री शुक्ल की ओर से ऐसा है या नहीं, इसमें कहा गया है कि हमें फिर से आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाना चाहिए जैसाकि श्री वी० पी० सिंह वित्त मंत्री होने के दौरान किया करते थे। जहां तक मैं जानता हूं जब से श्री वी० पी० सिंह ने मंत्रालय छोड़ा है तब से आर्थिक अपराधियों पर पहले से कहीं अधिक छापे मारे गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अन्तर यही है कि श्री वी० पी० सिंह के बाद के वित्त मंत्री इनसे राजनैतिक लाभ नहीं उठा रहे हैं। वे वास्तव में असली अपराधियों को पकड़ने में ही रुचि रखते हैं। आखिरकार, जब आई० टी० सी० पर छापा मारा गया और 804 करोड़ रुपए का कर-अपवंचन बताया गया तब हमने इसका इतना अधिक प्रचार नहीं किया जितना उन दोनों में होता था। यह ढूंढना उचित ही है कि कथित जोरदार अभियान का क्या उद्देश्य था।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : यह छापा उनके समय में ही डाला गया था।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : नहीं यह बाद का है। कृपया इसकी तारीखें देखें। मुझे पक्का पता है कि यह बाद का है। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : श्री चिदम्बरम के विपरीत मैं यह वाद-विवाद का मैच या प्रश्न-उत्तर काल नहीं कर रहा। वे यह करने के लिए तैयार थे परन्तु मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे समर्थन करना ही पड़ेगा। तभी मैं विपक्ष में अपने मित्रों को प्रश्न करने का मौका दूंगा। मैं हार नहीं मान रहा हूं। यदि उनके पास व्यवस्था का प्रश्न है तो उन्हें आगे आना चाहिए और इसे उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें संकेत मत दीजिए। अन्यथा व्यवस्था का प्रश्न अपने आप आ जाएगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : व्यवस्था के प्रश्न के लिए एक तरीका है, दुर्भाग्यवश विपक्ष में मेरे मित्र प्राय: उसका अनुसरण नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और मुद्दा आ गया है। हम सब जानते हैं कि यह आयोग क्यों बनाया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या आयोग ने अपना कर्त्तव्य पूरा किया है क्या इसने अपने प्रतिवेदन में उन सभी प्रश्नों को लिया है जो इसके सम्मुख रखे गए थे। नि:संदेह प्रतिवेदन के पृष्ठ 268 से आगे जो उन्होंने सारांश और निष्कर्ष दिए हैं वह हर विषय पर स्पष्ट हैं क्या फेयरफैक्स को नियुक्त किया गया था, इस बारे में वे कहते हैं कि श्री भूरेलाल द्वारा फेयरफैक्स के साथ जबानी व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था का क्या स्वरूप था ? वे आगे कहते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का मुखबिर था जिसे अधिकार दिया गया था। विपक्ष में बहुत से मित्र मुखबिरों के बारे में बोले और कहा कि मुखबिर भी कई प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या मुखाबिरों को आमतौर पर अधिकार पत्र दिए जाते हैं ? क्या फेयरफैक्स वास्तव में एक मुखाबिर था ? उसे मुखबिर कहा गया है लेकिन यह अवश्य ही एक मुखबिर और जांच में सहायता के लिए चुनी गई एजेंसी के बीच का है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री ब्रह्मदत्त ने इसे मुखबिर कहा है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं सरकार या श्री ब्रह्मदत्त की ओर से नहीं बोल रहे हूं। मैं केवल एक सदस्य के रूप में बोल रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध है जो इसका जायजा ले रही है। मैं आशा करता हूं कि आप भी स्पष्ट हैं और वे भी इस बारे में स्पष्ट हैं।

मैं समझता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त भी अब श्री जयपाल रड्डी के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इसका अफसोस है लेकिन मैं इससे स्तब्ध हूं।

हम आगे कहते हैं और इस और इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि :—

> "अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि कोई वित्तीय जोखिम नहीं था और अदायगी ठोस सबूत देने के बाद ही की जानी थी और पूर्व अदायगी या पूर्व खर्च वहन करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी।"

(ठक्कर-नटराजन जांच आयोग पृष्ठ 274)

लेकिन जब यह बात आती है कि क्या वे विश्वास करते हैं, वे इसे उपयोग करते हैं और शुरू के पृष्ठों में उन्होंने नुसली वाडिया और उसके शामिल होने का जिक्र किया है और बड़े ही स्पष्ट शब्दों

में यह कहा है कि हो सकता है और यह संभावित है कि अदायगी की गई है लेकिन कोई सबूत उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे कोई सबूत देने के लिए तत्पर नहीं है। (पृष्ठ 223) (**व्यवधान**) मैं नहीं समझता। क्या श्री चिदम्बरम और आप सभी के बीच बाद-विवाद अभी भी चल रहा है ?

मैं यही कह रहा हूं कि आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री वाडिया ने मैसर्स फेयरफैक्स को श्री हर्शमैन के माध्यम से नियुक्त करने के मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है और श्री भूरेलाल जो कि उस समय प्रवर्तन निदेशक थे और वित्त मंत्रालय श्री वाडिया के उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन मात्र थे ? यहां मैं यह दलील नहीं दे रहा कि या तो श्री भूरेलाल या श्री पांडे या श्री वी० पी० सिंह ने एक गलती की या गलती नहीं की। यह प्रतिवेदन रिपोर्ट में निहित है ? इसलिए यह तो लोगों को प्रतिवेदन के तथ्यों को देखते हुए अनुमान लगाना है ? लेकिन निश्चित रूप से स्पष्ट निष्कर्ष है कि नुसली वाडिया नामक एक व्यक्ति ने प्रवर्तन निदेशक और वित्त मंत्रालय को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधन के रूप में इस्तेमाल किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : इसे नोट करें यह महत्वपूर्ण है। यह एक स्पष्ट निष्कर्ष है। इन महोदय को धारा 8(ख) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। उन्हें पूरा अवसर दिया गया था।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम आपका समर्थन करते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उनके अनुसार निःसन्देह यह सच है कि अपने प्रतिद्वन्द्वी को नीचा दिखाने के निर्णय की सन्तुष्टि के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया यह प्रतिवेदन में भी निहित है। मैं समझता हूं कि श्री वी० पी० सिंह और अन्य ने यही समीकरण किया है कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरे को चोर कहा। लेकिन क्या आप अपने आपको एक चोर द्वारा उपयोग होने देंगे ? यही प्रश्न है। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति या भारत का कोई नागरिक एक कम्पनी के मुख्य प्रशासक की हैसियत का दुरुपयोग करे और जिस पैसे का प्रबन्ध उसके हाथ में है, उसका दुरुपयोग करे।

मुद्दा यह है कि यह प्रतिवेदन एकदम स्पष्ट शब्दों में बताता है कि एक व्यक्ति ने अपने निजी कारणों के लिए भारत सरकार के तन्त्र का उपयोग करने का प्रयास करने का दुसाहस किया है और यह व्यक्ति एक पूंजीपति है, वह भारत का नागरिक भी नहीं है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अनुमति से वह भारत में व्यवसाय करता है। क्या ऐसे व्यक्ति को सही सलामत जाने की अनुमति दी जा सकती है ? मुझे खुशी है कि श्री विद्या चरण शुक्ल की यह बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं और वह नुसली वाडिया के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का स्वागत करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने कहा, "हम मांग करते हैं।"

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या प्रो० मधु दण्डवते ने कहा, "हम उसकी मांग करते हैं ?" हे भगवान···(**व्यवधान**)। लेकिन प्रश्न उठता है : क्या कार्यवाही की जाएगी ? कार्यवाही के संबंध में मेरा सुझाव है कि श्री नुसली वाडिया को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाए बल्कि इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए क्योंकि···

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह अच्छा विचार है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : इसके संसाधन सरकारी धनराशि द्वारा जुटाए गए हैं। वास्तव में, शेयरों का 95 फीसदी से अधिक और वित्तीय निवेश सरकारी धमराशि का है। इस सरकारी धनराशि को एक गैर-भारतीय व्यक्ति को दुरुपयोग करने के लिए क्यों दिया जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : एक मंत्री इस कम्पनी के सबसे बड़े शेयरधारी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही सारी परेशानी है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें भी राष्ट्रीकृत किया जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन्हें भी राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से पीठासीन अधिकारियों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमानुसार संबंधित मंत्री को कारण बताने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम बॉम्बे डाइंग कम्पनी के राष्ट्रीयकरण की मांग का समर्थन करते हैं। हम सब इसका समर्थन करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हमें खुशी है कि कम से कम एक मांग को कुछ समर्थन मिला।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया उसे गैर-राष्ट्रीयकृत मत कीजिए जो पहले से ही···**(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : लेकिन प्रश्न यह है कि मेरे मित्र सच्चाई को क्यों नहीं देखते हैं, जिसे कोई भी देख सकता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग केवल व्यापरिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हुआ है या इससे भी कुछ अधिक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : साजिश।

प्रो० मधु दण्डवते : अस्थिरता।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : विश्व में भारत की छवि खराब करने की साजिश, भारत सरकार के एजेन्ट के रूप में सी० आई० ए० के एजेन्ट का प्रयोग करके भारत सरकार के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिन्हें सिद्ध नहीं नहीं किया जा सकता। **(व्यवधान)** जो कुछ हुआ वह यह है : कि श्री हर्शमैन ने यह कहते हुए चुनौती दी है कि उनके पास सूचना है जिसे वे उपयुक्त समय पर देंगे।" वास्तव में उनके लिए समय नहीं आया है।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : अच्छा हो आप अस्थिरता के बजाय साजिश शब्द का प्रयोग करें। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : प्रश्न उठता है कि उन्होने ऐसा क्यों नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि उनके मालिकों ने अभी तक उन्हें ऐसा करने का संकेत नहीं दिया है। मेरे बहुत से मित्रों के मालिकों ने भी उन्हें पूरी से अस्थिरता लाने की लाने की योजना के लिए अनुमति नहीं दी है। निःसन्देह वह संगत सप्ताह जिसका श्री चिदम्बरम ने मार्च में जिक्र किया, उस सप्ताह बहुत स्पष्ट रूप में···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री जार्जबुश ने आपके प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है। आपके प्रधान मंत्री ने एक प्रमाण दिया है। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभा में व्यवस्था बनाएं जिससे कम से कम वरिष्ठ सदस्य सभा में कुछ शिष्टाचार का पालन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मुझसे भाषण समाप्त करने को कह रहे हैं क्योंकि वे शोर मचा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय की वजह से।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : प्रश्न यह उठता है कि प्रतिवेदन में यह बात स्पष्ट रूप से, प्रामाणिक रूप से कही गई है कि केवल व्यापारिक स्पर्धा ही नहीं थी वरन् कुछ और अधिक दावों पर था। यदि कोई भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर की गयी टीका-टिप्पणी का अवलोकन करे तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें प्रतिवेदन के पृष्ठ 288 से उद्धृत की जा रहीं हैं। इसमें कहा गया है :—

> "इन सब पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है और आयोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसी भी विदेशी गुप्तचर एजेंसी विशेषत: फेयरफैक्स और हर्शमैन से करार करना भारत की सुरक्षा के अनुरूपा नहीं था।"···

विपक्ष के मेरे कुछ मित्रों को निष्कर्ष के इस भाग को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वे फेयरफैक्स, श्री हर्शमैन और श्री हैरिस···के लिए और उनकी नियुक्ति में सम्मिलित लोगों के लिए दलील देते हैं, यह स्पष्ट है कि वे उन लोगों के लिए दलील देते हैं जो कि भारत की सुरक्षा खतरे में डालना चाहते हैं। इस प्रतिवेदन की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।

मैं केवल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन और इस प्रतिवेदन से उठाए गए प्रश्नों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में, मेरे विचार से सभा को भी इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि सरकार की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मामलों को भी उठाया गया है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब आप नीति निर्णयों को बदलते हैं, तो यदि कोई मंत्री मौखिक या लिखित मेरे मुताबिक असम्बद्ध सलाह देते हैं उस समय उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी सलाह केवल उनके मंत्रालय से ही सम्बन्धित है या राष्ट्रीय चरित्र से भी है यदि मंत्री ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है।

मैं केवल एक बात और कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैं भी श्री विद्या चरण शुक्ल के साथ वित्त मंत्रालय और माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आर्थिक अपराधियों को सजा दिलाने के अपने जोरदार प्रयास न केवल जारी रखें वरन् मेरे विचार से, उनका थोड़ा प्रचार भी करें जिससे कम से कम दूसरी तरफ के मेरे मित्रों को पता चल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया संक्षेप में कहें ।

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं संक्षेप में कहूंगा ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उनका जवाब कल ले लेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : आप कल जबाव आराम से दे सकते हैं ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : वास्तव में, अभी गणपूर्ति नहीं है । **(व्यवधान)**

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं दस मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय,···

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि श्री जयपाल रेड्डी आ रहे हैं । वे उनको दस मिनट में समाप्त नहीं करने देंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हमने अभी लगातार छः घण्टे से अधिक जोरदार वाद-विवाद किया है । इस सभा में चर्चा के बहुत कीर्तिमान हैं लेकिन यह भी उन कीर्तिमानों में से कीर्तिमान है । मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छी संध्या नहीं है लेकिन फेयरफैक्स की संध्या है ।

ठीक, मूल मुद्दा क्या है ? बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि मूल मुद्दा आर्थिक अपराधियों का है । प्रतिवेदन के आरम्भ में प्रस्तावना में यह पहले ही पृष्ठ पर मूल मुद्दे का वर्णन कर दिया गया है···

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया उसे मत पढ़िए । हमने इसे पहले ही पढ़ लिया । इसे दुबारा न पढ़ा जाए···**(व्यवधान)**

श्री नारायण दत्त तिवारी : संसद में पहले हुई एक वाद-विवाद के कारण यह जांच हुयी थी । प्रतिवेदन में उल्लेख है कि :—

> "ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता पक्ष के तथा विपक्ष के कुछ सदस्यों ने ऐसा महसूस किया कि एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी को इस प्रकार के कार्य सौंपना देश के हित में नहीं था तथा यह खतरे से परिपूर्ण था ।"

संसद के दोनों सदनों में निरन्तर मांग की वजह से इस जांच आयोग का गठन किया गया था । इसे मुख्य रूप से यह जांच करने का काम सौंपा गया कि क्या फेयरफैक्स गुप्तचर एजेंसी सौंपे गए जांच कार्य को पूरा करने में सक्षम थी और क्या इस व्यवस्था से देश की सुरक्षा को कोई खतरा तो नहीं था ? यह मूल विचारणीय विषय था । मैं नहीं जानता कि इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना दिया गया है । मुझे प्रतीत होता है कि आयोग के दो उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों पर हर तरह से आक्रमण होता रहा है···

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : क्योंकि यह एक राजनैतिक प्रतिवेदन है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या उनसे इस जांच आयोग का सदस्य बनने के लिए केवल इसलिए कहा गया था क्योंकि इस पर सभा में वाद-विवाद हुआ था ? उनको भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोनीत किया गया था । इनको किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा सरकार द्वारा मनोनीत नहीं

किया गया था। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर मनोनीत किया गया था। वे वर्तमान न्यायाधीश हैं। सभा के नियमों के अधीन यह एक परम्परा रही है कि बोलते समय ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आपत्ति जनक हों···

प्रो० मधु दंडवते : 24वें संविधान संशोधन पर वाद-विवाद के दौरान हमने गोलकनाथ मामले में निर्णय पर आपत्ति की थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। हम अनेक वर्षों से साथी रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से आये अपने माननीय साथी का भी बहुत सम्मान करता हूं जिन्होंने शाह आयोग का उल्लेख किया है। हमने मिलकर शाह आयोग का सामना किया। जब इन्होंने शाह आयोग का सामना किया तब मैं भी पर्याप्त दिनों, महिनों और वर्षों तक उनके साथ था। मुझे गजेन्द्र गाडकर आयोग सहना पड़ा था। मुझे उत्तर प्रदेश में चार आयोग सहने पड़े थे। इसलिए, मुझे पता है कि एक आयोग क्या होता है। परन्तु यह बहुत भिन्न प्रकार का है, बल्कि हमें इस आयोग को मुबारक बाद देना चाहिए कि इसको उतनी सामग्री नहीं मिली जितनी शाह आयोग को मिली थी। इसे सिर्फ एक साधारण तथ्य का पता लगाना था। मैं स्वयं अपना और अपने मित्र श्री शुक्ल का एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक वित्त मंत्री की हैसियत से मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या यह मेरे लिए उचित होगा— आयोग के प्रतिवेदन को एक तरफ छोड़कर आर्थिक अपराधियों का पता लगाने के लिए एक गैर-सरकारी विदेशी गुप्तचर एजेंसी को लगाया जाये? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हां, यदि आवश्यक हुआ तो। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : बगैर पता लगाये? मैं स्वयं भूरेलाल को जानता हूं। मेरा संबंध उत्तर प्रदेश से है। वह उत्तर प्रदेश संवर्ग से है। मैं जानता हूं वह एक मेहनती अधिकारी हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह ईमानदार भी हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वह मेहनती और ईमानदार रहे हैं। मैं उन्हें इसलिए जानता हूं क्योंकि इन्होंने मेरे अधीन कार्य किया था। इसलिए मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह सिर्फ श्री भूरेलाल अथवा श्री पांडे का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह हर्शमैन का प्रश्न है, कि श्री माईकल हर्शमैन इसमें शामिल क्यों था? क्या यह सही और उपयुक्त है? यह मूल प्रश्न है। इसमें भूरेलाल, तिवारी, पांडे हो सकते हैं, परन्तु जांच क्यों की गयी? मैं यही पूछना चाहता हूं। इसी बात पर में श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री आचार्य और श्री अमल दत्त से भी सहमत हूं। मूल प्रश्न पर आप मुझसे और आयोग के प्रतिवेदन से सहमत हैं कि माईकल हर्शमैन जैसे संदेहास्पद व्यक्ति की विदेशी गुप्तचर एजेंसी की सेवाओं को लेना बिल्कुल गलत था। यह मूल प्रश्न है। न इससे अधिक न इससे कम कहने की आवश्यकता है। इसलिए आयोग के प्रतिवेदन में इसके सम्बन्ध में कहा गया है। मैं यहां पर पृष्ठ 261 को उद्धृत नहीं करना चाहूंगा क्योंकि श्री चिदम्बरम ने पहले ही काफी पृष्ठों का उल्लेख कर दिया है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यदि आप चाहते हैं तो आप सिर्फ एक पृष्ठ उद्धृत कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : परन्तु पृष्ठ 261 में यह है :

"11 मई, 1987 के 'वाशिंगटन बिजीनस जनरल', के साप्ताहिक संस्करण में प्रकाशित

एक साक्षात्कार में श्री हर्शमैन ने यह कहा था कि उनके सभी कर्मचारी सरकार—सी०आई०ए०, एफ० बी० आई०, आई० आर० एस०, मिलीर्स इन्टैलीजैंस और पुलिस से आये हैं।"

प्रो० के० के० तिवारी : आर० एस० एस० भी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : आई० आर० एस०। इसके बाद, हर्शमैन ने किस प्रकार का साक्षात्कार दिया। श्री हर्शमैन ने यह कहते हुए भारत सरकार को धमकी दी कि यदि इससे अस्थिरता भी उत्पन्न होती है तो भी वह इसकी परवाह नहीं करेगा और भारत सरकार की पोल खोलने के लिए वह एकत्रित की गयी जानकारी का इस्तेमाल करेगा। यहां तक कि उसने ऐसी बातें भी कही हैं जो भारतीय संघ और भारत के प्रधान मंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक हैं। **(व्यवधान)** अब, श्री हर्शमैन के बारे में यह कहा है। आयोग ने ठीक ही कहा है कि भविष्य में किसी निजी गुप्तचर एजेंसी की सेवाएं कभी न ली जायें। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : अब वे पकड़े नहीं जा सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह गलत है···यही मुख्य बात है···यही सिफारिश की गयी है। **(व्यवधान)** क्या श्री आचार्य इस बात की सिफारिश करेंगे कि हमें हर्शमैन को फिर से नियुक्त करना चाहिए ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या पता लगाने के लिए आपके पास कोई तंत्र है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि जेनेवा में कोई भी जांच नहीं करता है तो श्री अजिताभ बच्चन बहुत प्रसन्न होंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मार्क्सवादी दल के मेरे प्रिय नेता श्री आचार्य, क्या आप इस बात की सिफारिश करेंगे कि श्री हर्शमैन को नियुक्त करना सही था ? **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : उस तरह से नहीं जिस तरह आपने किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इसका सम्बन्ध किसी आर्थिक अपराधी अथवा फेरा का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति से सम्बद्ध है, मूल प्रश्न यह था,···**(व्यवधान)**···यदि हमें एक गुप्तचर एजेंसी नियुक्त करनी है···**(व्यवधान)**।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : मान लें, यदि श्री हर्शमैन कुछ बहुमूल्य जानकारी भेजता है तो क्या आप इससे इन्कार कर देंगे, क्या सरकार इसे प्राप्त नहीं करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : यदि आप एक गैर सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही गुप्त जानकारी का पता लगाने का निर्णय करते हैं तो आप इसका ही चयन कैसे करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप ऐसी कोई भी एजेंसी नियुक्त कर सकते हैं जो आर्थिक अपराधियों को पकड़ सके। इस आवश्यकता आर्थिक अपराधियों को पकड़ने की है। यहां तक कि अगर आप एक शैतान का चयन भी करते हैं तो हम नाराज नहीं होंगे बशर्ते कि आप आर्थिक अपराधियों को पकड़ें···

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्री हर्शमैन का पता कैसे लगा ? अमरीका में हजारों गुप्तचर

एजेंसियों हैं। जहां तक मुझे बताया गया है, वहां पर कई गैर-सरकारी गुप्तचर एजेंसियां हैं। श्री हर्शमैन का चयन कैसे किया गया ? क्या कोई जांच पड़ताल की गयी थी ? क्या जांच करने वाली एजेंसियों से कोई सलाह ली गयी थी ? मुझे श्री भूरेलाल अथवा श्री तिवारी अथवा किसी और के बारे में चिंता इसलिए है क्योंकि मुझे इस बारे में चिंता है कि सिर्फ श्री हर्शमैन का चयन कैसे किया गया। दूसरे नामों का चयन क्यों नहीं किया गया ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : हमने इसका चयन नहीं किया···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार ने इसका चयन किया था···(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या मंत्री महोदय हमें इस बारे में बतायेंगे कि सूचना देने वालों का चयन कैसे किया जाता है···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने उसका चयन किया है।

श्री रामधन : श्री राजीव गांधी की सरकार ने उसका चयन किया था।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : वे सभी बोल चुके हैं, फिर वे व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

श्री अमल दत्त : मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या वित्त मंत्रालय के पास कोई प्रक्रिया है··· (**व्यवधान**)···आप कृपया इस बारे में हमें बतायें।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं श्री अमल दत्त से अनुरोध करता हूं कि वह अध्यक्ष की अनुमति के बगैर न बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय लोगों को उत्तर देते जा रहे हैं, यही समस्या है। उन्हें अध्यक्ष को सम्बोधित करना चाहिए। मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित करें। कृपया लोगों के साथ चर्चा मत करें। तब मैं उनको नहीं रोक सकता।

प्रो० मधु दंडवते : वह हमारे सामाने प्रश्न रख रहे हैं और जब हम उत्तर देते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। उन्होंने श्री बसुदेव आचार्य से प्रश्न किया था और दो बार वह बैठ गए।

(**व्यवधान**)

श्री नारायण दत्त तिवारी : जब से प्रधान मंत्री ने पद सम्भाला है उनके नेतृत्व में आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार चलाया जाता रहा है। क्या मैं कुछ आंकड़े पेश कर सकता हूं ? फरवरी 1987 के बाद उत्पाद शुल्क के महत्वपूर्ण मामलों में आई० टी० सी० को लगभग 1080 करोड़ रुपए के नोटिस जारी किए गए, गोदरेज बामस, गोड फे फिलिप्स, बजाज आटो, रिलांयस, सील्ट टायरस लोहिया मशीन, रिलायंस तथा बाम्बे डाइंग को विदेश आयात व्यापार नियंत्रण तथा सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन करने के लिए 119.64 करोड़ रुपए के नोटिस जारी किए गए। हमारा दोनों से एक जैसा संबंध है। हम केवल कानून के अनुसार चलते हैं और उन दोनों के विरुद्ध बिना किसी भय और पक्ष पात के कार्यवाही की गयी है। कर अपवंचन के अक्टूबर 1987 तक 5626 मामले पकड़े गए। शुल्क की कुल राशि और पिछले वर्ष 539.87 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 1163.32

करोड़ रुपए है। 1985 के दौरान आयकर संबंधी 6919 छापे मारे गए। वर्ष 1986 में छापों की संख्या 6764 थी और नवम्बर 1987 तक 7517 छापे मारे गए थे। 1985 में 43.41 करोड़ रुपए की लागत का माल जब्त किया गया और 1986 में 90.96 करोड़ रुपए का था। नवम्बर 1987 तक जब्त किए गए माल का मूल्य 104.86 करोड़ रुपए था। 1985 के दौरान डाले गए प्रत्येक छापों में बरामद माल का औसत मूल्य 64,000 रुपए था। वर्ष 1986 में यह 1.34 लाख रुपए था और नवम्बर 1987 तक यह 1.39 लाख रुपए था 1985 में सीमा-शुल्क छापों के दौरान 195.62 करोड़ रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया 1986 में यह 217.52 करोड़ रुपए था और नवम्बर 1987 तक यह 214.22 करोड़ रुपए है।

'फेरा' के उल्लंघन के सम्बन्ध में वर्ष 1985 में 354 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जबकि वर्ष 1986 में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 239 थी और अक्तूबर 1987 तक यह संख्या 187 है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संख्या कम हो गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह आंकड़े केवल अक्तूबर 1987 तक है। अभी तो 4-5 महीने और बचे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामधन : आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए कितने-कितने हुए, यह तो आप पहले का डाटा बता रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हम तो जुलाई में ही आ गए थे। ये फीगर्स तो अक्तूबर तक ही हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

1985 में 'कोफीपोसा' के अधीन 760 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। 1980 में यह संख्या 812 थी अक्तूबर 1987 तक 671 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है। वर्ष 1985 में विभिन्न फेरा उपबन्धों के तहत फेरा उल्लंघनों के 4362 मामलों के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। 1986 में इनकी संख्या 6736 थी और अक्तूबर 1987 तक इनकी संख्या 6290 है ? वर्ष 1985 में 3600 मामलों का पंच निर्णय लिगा गया। वर्ष 1986 में यह संख्या 4376 थी। अक्तूबर 1987 तक यह संख्या 4235 है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमें बताइए कि कितने को सजा दी गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुझे अपने पूर्ववर्ती से प्रतियोगिता नहीं करनी है। हमें कानून के अनुसार कार्य करना है। सदन हमसे आशा करता है कि केवल संदिग्ध व्यक्तियों की खोज ही न करते रहे।

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक लगतार प्रयास है और मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनके सहयोग और समर्थन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिना किसी डर व पक्षपात के आर्थिक अपराधियों को पकड़ने का अभियान जारी रहेगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार

'कोफीपोसा' के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 720 है यह आंकड़े नवम्बर 1987 तक के हैं। अब मैं अंतिम दौर में सभी आकड़ों को नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि कृपया इसे राजनीति का का रंग न दें। उच्चतम न्यायलय के न्यायधीशों पर उच्चतम न्यायलय के वर्तमान न्यायाधीशों पर प्रहार मत करिए।

श्री रामधन : वे आयुक्त है, न्यायधीश नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हर बात को राजनीति के रंग में मत रंगिए। यह प्रश्न कार्य विधि से सम्बन्धित है ? जिसे हमें भारत से बाहर आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनाना चाहिए। प्रश्न यह है।

मुझे कहते हुए खेद है कि विपक्ष के माननीय नेताओं से मुझे इस आशय का कोई ऐसा वैकल्पिक सुझाव नहीं मिला कि भारत के बाहर आर्थिक अपराधियों को पकड़ने में हमें किस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : विदेशी मशीनरी की सहायता लीजिए।

श्री वासुदेव आचार्य : आपकी अपनी मशीनरी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह मूल मुद्दा है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। उच्चतम न्यायलय के माननीय न्यायधीशों को सजा देने के बजाय मेरे विचार से वह अपने वैकल्पिक सुझाव दें।

श्री अमल दत्त : आर्थिक अपराधियों के लिए एक संसदीय समिति का गठन करें···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जांच-पड़ताल के बाद आपने जो कहा है उससे हम सहमत है इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि आगे से किसी भी मामले में किसी विदेशी एजेंसी को नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो उपयुक्त जांच-पड़ताल बाद इसकी नियुक्त की जानी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : यहां तक कि साम्यवादी देश भी अन्य देशों में एजेंसियां नियुक्त करते हैं जब वे आर्थिक अपराधियों का पता लगाना चाहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने एजेंसी को नियुक्त करने का निर्णय किस स्तर पर लिया था। क्या यह नौकरशाही सचिवों के स्तर पर लिया गया था ? क्या इसे मंत्री स्तर पर लिया था ? उन्होंने किस स्तर पर अमरीका से सहायता लेनी चाहिए थी। क्या उन्होंने ऐसा अपनी एजेंसी के माध्यम से किया है। हमें यही बात देखनी है।

श्री वसुदेव आचार्य : आप अपनी एजेंसी क्यों नहीं है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : राजनीतिक पहलू को एक तरफ रहने दीजिए। सरकार या विपक्ष की तरह विचार न कीजिए हमें इस मामले पर एक संसदीय हस्ती के रूप में ही विचार करना चाहिए। हम सभी को सामूहिक रूप से यह सोचना चाहिए कि इस मामले से विदेशों में रह रहे आर्थिक अपराधियों से कैसे निपटा जाये, क्या हमें भी हर्शमैन जैसी निजी गुप्तचर एजेंसियां नियुक्त करनी चाहिए। जिसका आधार संदिग्ध है ? यही मूल प्रश्न है।

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : क्या आपको विदेशी एजेंसी के एलर्जी है ?

प्रो० मधु दण्डवते : किसी भी देश ने निजी एजेंसी पर निषेध नहीं किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महराष्ट्र के मेरे प्रतिष्ठित और वरिष्ठ सहयोगी ने बताया है कि इसे कूड़ेदान में फैंक दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : इतिहास के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए संसद के कूड़ेदान में नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उन्होंने मुझे एक प्रोफेसर की कहानी सुनाई थी। लेकिन एक न्यायधीश से संबंधित एक और कहानी याद आ रही है। न्यायालाय के समक्ष दो पक्ष उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी-अपनी जोरदार वकालात की पर जब निर्णय सुनाया गया तो वह एक पक्ष के विरुद्ध था। उस पक्ष ने कहा—माई लार्ड। यह आपका निर्णय है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसे कूड़ेदान में फैंक दीजिए। इस पर न्यायधीश ने कहा वादी···महोदय···

प्रो० मधु दंडवते : बात को बिगाड़िए नहीं···

श्री नारायण दत्त तिवारी : नहीं, नहीं उन्होंने कहा था कि अगर आप कहते हैं कि इसे कूड़ेदान में फैंका जाना चाहिए तो कूड़ेदान भी इतिहास के न्यायिक रिकार्ड में चला जाएगा। इसलिए यहां कूड़ेदान का प्रश्न नहीं है। यह तो इस आयोग को सौंपे गए मूल प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न है।

मैं चाहूंगा कि इसे निष्पक्ष ढंग से लिया जाए। मैं सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर विस्तार से विचार के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

47वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के० एल० भगत) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

10.29 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 15 दिसम्बर 1987/24 अग्रहायण, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

दि इण्डियन प्रेस, राजा पार्क, दिल्ली